


प्रकाशक—
सन्मति ज्ञान-पीठ,
लोहामण्डी, आगरा ।

प्रथम पदार्पण
जनवरी सन् १९५८
मूलय १ रु० ५० नए पैसे

मुद्रक—
कल्याण प्रिदिङ्ग प्रैस,
राजामण्डी, आगरा ।

द्रव्य सेहयोग द्वारा

बर्मशीला, माता श्री गौरां देवी जी
लुधियाना (पंजाब)



१५४ - ध न्य वा द

समर्पण

उस प्रकाश-पूज्ज को—
जिन् के अमृतमय वात्सल्य का,
सरस, शुभंकर और मधुर एवं सतेज,
विचार-स्फुलिंग पाकर ही मैं
अहिंसा और अर्नेकान्त की,
संजीवनी शक्ति पा सका हूँ।

जिन् के पवित्र करे कमलों से,
आचार की दीक्षा और विचार की
ज्योति पाकर मैं धन्य-धन्य हो गया,
उन परम-श्रद्धेय, पूज्य-चरण
‘गुरुदेव श्री खजानचन्द्र जी महाराज को’

सविनय

समक्षित

समर्पित

— फूल सुनि “अमण”

प्रस्तावना

दार्शनिक जगत् में अनेकान्त-वाद को एक स्वतन्त्र-वाद के रूप में विकसित एवं प्रतिष्ठित करने का सम्पूर्ण श्रेय जैनाचार्यों को है। 'अनुयोग द्वार' आदि जैन आगमों में अनेकान्तवाद की मात्र प्राथमिक भूमि का देखी जाती है, किन्तु उसे दार्शनिक धरा-तल पर लाने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन और आचार्य मल्लवादी को है। सिद्धसेन ने 'सन्मति तर्क' में अनेकान्त-दृष्टि के जीवातु-भूत एवं मूलाधार नयवाद का विशद विवेचन किया है, तथा मल्लवादी ने 'नयचक्र' में यह दिखाने का सफल प्रयत्न किया है, कि दार्शनिक विचारों में विविध नय किस प्रकार सन्निहित हैं?

आचार्य समन्त भद्र ने 'आप्त-मीमांसा' में स्याद्वाद पर पैनी हृष्टि से विवेचन किया है, कि विभिन्न दर्शनों में स्याद्वाद के बिना किस प्रकार विचारों की असंगति रहती है। आचार्य अकलक और विद्यानन्द ने 'आप्त-मीमांसा' पर पाण्डित्यपूर्ण विवरण लिखकर समन्तभद्र के गम्भीर विचारों की सत्यता मिछ्ह की है।

आचार्य हरिभद्र ने 'अनेकान्त जय पताका' में तत्कालीन दार्शनिकों के एकान्तवादी विचारों की सूक्ष्म-समीक्षा करके अनेकान्तवाद की स्थापना की। इसी प्रकार उत्तर कालीन जैन-दार्शनिकों ने अपने युग में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और नय-वाद पर सङ्क्षिप्त तथा प्राकृत भाषाओं में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की सुष्टि की।

विक्रम संवत् की १७ वीं शती के परम विद्वान् और विशाट दार्शनिक उपाध्याय यशो विजय ने अपने 'अनेकान्तव्यवस्था' 'नय प्रदीप', 'नयोपदेश' और अष्ट सहस्री विवृत्ति आदि गौरवपूर्ण ग्रन्थों में भारतीय दर्शनों के १७ वीं शती तक के विकास को अनेकान्तवाद में आत्म सात्

कर दार्शनिक साहित्य के भण्डार को एक महस्वपूर्ण देन दी है।

आज का यह श्रगुयुग एव स्पूतनिक युग भले ही भौतिक विकास की ओर तीव्रगति से गतिमान हो, परन्तु उसके समक्ष एक प्रश्न अड़ा खड़ा है, कि वह मानव-कल्याण के लिए क्या कुछ दे रहा है, या दे सकता है? निःसदेह यह कहने के लिए मैं बाध्य हूँ, कि जब तक मानव समाज की अनेकान्तर्विद्या में विचार शुद्धि एव स्थाद्वाद में भाषा शुद्धि नहीं होगी, तब तक मानव जीवन के कल्याण की दिशा स्थिर न हो सकेगी। अस्तु, पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारों को भी अनेकान्तर्विद्या के समन्वय मूलक र्याचे में ढालने का आज शुभावमर आ चुका है। परन्तु यह शुभानुषान किसी समर्थ विद्वान् की राह देख रहा है।

आज हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। अतएव हिन्दी भाषा में भी अनेकान्तवाद के जनोपयोगी विविव साहित्य की सृष्टि अत्यावध्यक हो गई है। अस्तु, इधर हिन्दी भाषा में अनेकान्तर्विद्या, स्थाद्वाद और नयवाद पर पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य का 'जैन-दर्शन' एक महत्व पूरण ग्रन्थ है। मुनिराज श्री न्याय विजय जी का 'जैन-दर्शन' भी सामान्य परिचयात्मक एक अच्छा ग्रन्थ है।

मुनि श्री फूलचन्द्र जी 'श्रमण' का प्रस्तुत पुस्तक 'नय-वाद' जिज्ञासुओं को अनेकान्तवाद में प्रवेश करने के लिए एक सरल एव सुवोध साधन मिल होगा, इसमें सन्देह नहीं है। सवाद-शैली में विषय को सुगम करने का प्रयत्न स्तुत्य है। अहिंसा आदि पच-सवर पर सप्त नयों की अवतारणा किस प्रकार हो सकती है? यह परिशिष्ट में देकर मुनि श्री ने नयों की विवेचना का विस्तृत क्षेत्र विद्वानों के समक्ष उपस्थित किया है। कहीं-कहीं विचारों में श्र पञ्चता होते हुए भी पुस्तक उपयोगी है।

हिन्दू यूनिवर्सिटी, वनारस । } — दलसुख, मालविण्या
ता० ३-१-५८

प्रकाशकीय

सन्मति ज्ञान-पीठ के चमकते-दमकते और जीवन विकास के लिए सत्प्रेरणा देने वाले सुन्दर प्रकाशनों की लड़ी की एक कड़ी 'नय-वाद' भी विचार-प्रवण अध्येताओं के कर कमलों में आ पहुँचा है।

जैन-दर्शन के प्राण अनेकान्त-हृषि और स्याद्वाद के गम्भीर एवं विराट् रहस्य को समझाने के लिए 'नय-वाद' आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने 'नय-वाद' जैसे गुरु गम्भीर विषय को सरल और सुवोध रूप में पाठकों के समुख रखकर साहित्य-जगत् की अनुपम सेवा की है।

एक बात—जिसे भूलना भी भूल होगी, वह यह है कि पुस्तक के प्रकाशन में द्रव्य-दान देने वाले व्यक्ति को भुलाया नहीं जा सकता। लुधियाना जौन समाज के प्रमुख व्यक्ति स्वर्गीय लाला नौहरियामल जी को कौन नहीं जानता? सन्तों की सेवा और समाज की सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि थी। तन, मन और धन से आपने सदा धर्म की सेवा की थी।

आपकी धर्मपत्नी धर्मशीला श्रीमती गौरा देवी जी भी सन्त-भक्ति, समाज सेवा और धर्म अभ्युदय में आप के समान ही सदा अग्रसर रहती है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्रीमती गौरां देवी ने एक सहस्र का दान देकर साहित्य की सुन्दर सेवा की है। सन्मति ज्ञान-पीठ आप के इस धर्ममय अर्थ-सहयोग का धन्यवाद करता है।

श्रीमती गौरादेवी जी के तीन पुत्र रत्न हैं—श्री रामप्रसाद जी, श्री गोवर्धनदास जी और श्री केदारनाथ जी। तीनों भाई धर्म-प्रेमी, समाज-सेवी और विनय-विनम्र हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा

दिशा-संकेत

दृष्टि-कोण—मानव का स्वस्थ एवं व्यापक दृष्टि-कोण ही उसे सत्य की ओर ले जाता है। सत्य-विशाल, व्यापक, अनन्त और अखण्ड होता है। परन्तु सामान्यतः मानव का परिमित ज्ञान उसे सम्पूर्ण रूप में जान नहीं पाता। खण्ड रूप में अथवा अनेक अशों में ही वह वस्तु का परिवेद्ध कर पाता है। सत्य के परिज्ञान के लिए, किंवा ज्ञात सत्य को जीवन के समतल पर उतारने के लिए, व्यापक दृष्टि-कोण की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है।

व्यष्टि, समर्पि और परमेष्ठी—जीवन विकास की यह क्रम-पद्धति है। जैन-दर्शन की सत्योन्मुखी अनेकान्त दृष्टि, जैन-धर्म का सर्व सहिष्णु अहिंसा सिद्धान्त, और जैन परम्परा का चिरागत समन्वयवाद—ये तीनो मिल कर एक ही कार्य करते हैं। और वह यह है, कि व्यष्टि अपनी क्षुद्र सीमा में कैद न हो जाए समष्टि व्यक्ति के विकास मार्ग में चट्टान बन कर उसके विकास को अवरुद्ध न करे, अपितु एक-दूसरे से समझौता कर के दोनों परमेष्ठी के रूप में परिणत हो जाएँ, परम ज्योति बन जाएँ।

वस्तु-तत्त्व—इस शुभकर एवं सर्व हितकर विशाल दृष्टि-कोण को जीवन में ढालने से पूर्व वस्तु-तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। चेतन-अचेतन मय इस जगत् की प्रत्येक वस्तु सत् है, शाश्वत है, अनन्त है। प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण-धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। वह कभी नहीं रही—यह नहीं कहा जा सकता। वह कभी नहीं रहेगी—यह नहीं कहा जा सकता। वह नहीं है—यह भी नहीं कहा जा सकता। कहा यह जाएगा कि—“वह थी, है, और रहेगी।” वृत्त, वर्तमान और वर्तिष्यमाण—इन तीनों कालों में कभी भी उसका अभाव नहीं होता।

हाँ तो, वस्तु सत् है, चाश्वत है, नित्य है—परन्तु कूटस्थ नित्य नहीं,—परिणामी नित्य है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण पृथ्वे पर्याय का विगम, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है।

अस्तु, द्रव्य-दृष्टि से वस्तु नित्य है, विगम और उत्पाद की दृष्टि से; अर्थात्—पर्याय-दृष्टि से परिणामी-प्रतिक्षण बदलने वाली भी है। कनक के कगन को तोड़ कर उसका मुकुट बनवा डाला, हुआ क्या? आकृति बदल गई, परन्तु उसका कनकत्व नहीं बदला। वह तो ज्यों का थों है। जैसा पहले था, तैसा अब भी। सिद्धान्त यह रहा कि—“द्रव्यं नित्य, आकृतिः पुनरनित्या ।”

प्रमाण और नय—अनन्त धर्मात्मक वस्तु का सम्बन्धज्ञान दो से होता है—प्रमाण से और नय से। अनन्त धर्मात्मक वस्तु तत्व के समग्र धर्मों को अथवा उसके अनेक धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान-प्रमाण होता है, और उम वस्तु के किसी एक ही धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान, नय कहा जाता है।

‘अयघटः’—यह ज्ञान प्रमाण है। क्योंकि इस में घट के रूप, रम, स्वर्ग और गन्ध तथा कनिष्ठ-ज्येष्ठ आदि समग्र धर्मों का परिवोध हो जाता है। परन्तु जब यह कहा जाता है,—‘रूपवान् घटः’ तब केवल घट के अनन्त धर्मों में में ‘रूप’ का ही परिज्ञान होता है, उसके अन्य धर्म रम, स्वर्ग और गन्ध आदि का नहीं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु के परिज्ञान में अश कल्पना—यही वस्तुतः नय है। अतः अशी के किसी एक अश का ज्ञान ‘नय’ और अनेक अशों का ज्ञान ‘प्रमाण’ होता है।

नय-वाद—‘नय-वाद’ वस्तुतः जैन दर्शन की अपनी एक विशिष्ट, और व्यापक विचार-पद्धति है। जैन-दर्शन प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण ‘नय’ में करता है। जैन-दर्शन में एक भी सूत्र और श्र्वण ऐसा नहीं है, जो नय-शून्य हो। विशेषावश्यक भाष्य में यह तथ्य इस प्रकार है—

“नत्यं नर्हि विहृणं,
सुत्तं अत्थो य जिग्ना-मए किंचि ।”

जैन दार्शनिकों के समक्ष एक प्रश्न बढ़ा ही जटिल, साथ ही नम्भीर था कि नय क्या है ? नय प्रमाण है किंवा अप्रमाण ? यदि वह प्रमाण है, तो प्रमाण से भिन्न क्यो ? और यदि वह अप्रमाण है, तो वह मिथ्या ज्ञान होगा । और मिथ्या ज्ञान के लिए विचार जगत् में क्या कही स्थान होता है ?

इन प्रश्नों का मौलिक समाधान जैन दार्शनिकों ने बड़ी गम्भीरता और सतकता से किया है । वे अपनी तर्क-शैली में कहते हैं—

“नय न प्रमाण है, और न अप्रमाण । परन्तु प्रमाण का एक ग्रहण है । सिन्धु का एक विन्दु, न सिन्धु है, और न असिन्धु—अपितु वह सिन्धु का एक अवृत्त है । एक सैनिक को सेना नहीं कह सकते, परन्तु उसे असेना भी तो नहीं कह सकते । क्योंकि वह सेना का एक ग्रहण तो है ही । नय के सम्बन्ध में भी यही सत्य है ।”

प्रमाण का विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है, और नय का विषय है, उस वस्तु का एक ग्रहण ।

यदि नय अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही ग्रहण (धर्म) को ग्रहण करता है, तो वह मिथ्या ज्ञान ही रहेगा । फिर उस से वस्तु का यथार्थ वोध कैसे होगा ?

इम प्रश्न का उत्तर भी जैन दार्शनिकों ने अपनी उसी सत्य-मूलक तर्क शैली पर दिया है—

“नय अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक ग्रहण को ही ग्रहण करता है, यह सत्य है । परन्तु इतने मात्र से ही वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता । एक ग्रहण का ज्ञान यदि वस्तु के अन्य ग्रहणों का निषेधक हो जाए, तभी वह मिथ्या होगा । किन्तु जो ग्रहण-ज्ञान, अपने से व्यतिरिक्त ग्रहणों का निषेधक न होकर, केवल अपने दृष्टि-कोण को ही व्यक्त करता है, तो वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता ।”

हाँ, जो नय अपने स्वीकृत ग्रहण का प्रतिपादन करते हुए यदि अपने से भिन्न दृष्टि-कोण का निषेध करते हैं, तो निस्सन्देह वे नयभास किंवा

दुर्नय कहे जाएँगे । परस्पर निरपेक्ष नय दुर्नय हैं; और सापेक्ष सुनय हैं ।

नयों की सत्या—यद्यपि नय अनन्त हैं, क्योंकि वस्तु के धर्म अनन्त हैं, फिर भी नयों के मूल में दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । अभेदगामिनी दृष्टि को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और भेदगामिनी दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते हैं । नयों में नैगमादि तीन द्रव्यार्थिक हैं, और कृज्ञसूत्रादि चार पर्यायार्थिक ।

उपसहार—प्रस्तुत ‘नय-वाद’ पुस्तक में जैन-दर्शन के इसी जीवातु भूत ‘नय-तत्त्व’ का विवेचन, विश्लेषण और प्रतिपादन किया गया है । पुस्तक की भाषा और शैली यद्यपि पुरातन है, तथापि विचारों के प्रस्थापन में प्रामाणिकता से काम लिया गया है । शैली पुरानी होने से कहीं-कहीं पर पाठकों को कुछ विपय अस्पष्ट-सा लग सकता है । परन्तु यह नि.सन्देह कहा जा सकता है, कि सब मिला कर पाठ्य-सामग्री पाठकों को अवश्य ही लाभान्वित करेगी । संस्कृत और प्राकृत में इस विपय पर पर्वताकार विपुल साहित्य लिखा गया है । परन्तु राष्ट्र-भाषा हिन्दी में इस विपय की श्रृंखला जैसी कोई स्वतंत्र पुस्तक अभी तक मेरे देखने में नहीं आई ।

मुनिश्री फूलचन्द जी ‘श्रमण’ मेरे चिर परिचित स्नेही मुनि हैं । वे जहाँ एक विचारक हैं, वहाँ साधक भी हैं । इसलिए वे अपने परिचितों में ‘योग निष्ठा’ के नाम से जल्दी पहचाने जाते हैं । मुनिश्री का स्वाध्याय विशाल है, और वे संद्वान्तिक विपयों पर सतत चिन्तन-मनन करते रहते हैं । उसी प्रशस्त स्वाध्याय श्रम का यह सुन्दर वैचारिक फल ‘नय वाद’ के रूप में हमारे हाथों में है । प्रस्तुत कृति को देखते हुए मैं आशा करता हूँ, भविष्य में श्रमण जी की ओर से संद्वान्तिक विषय पर इससे भी अधिक गम्भीर श्रथच स्पष्ट कृति—जिज्ञासुओं की सेवा में प्रस्तुत की जाएगी ।

सम्पादकीय

‘नय-वाद’ के गुरुतम प्रश्न ने मेरी लघुतम सीमा मेरी ‘अथ’ की भीनासर में और ‘इति’ की आगरा मेरी यह ‘अथ से इति’ तक की कहानी दो साल की हो चुकी है, कुछ पुरानी-सी। परन्तु सब मिला कर यह कहानी अन्त वडी ही सुखान्त तथा शुभान्त रही।

भीनासर सम्मेलन के मधुर एवं शुभावसर पर मेरे प्रिय मित्र श्री फूलचन्द जी ‘श्रमण’ से कितने ही वर्षों बाद मिलन सम्मेलन हुआ। हम एक-दूसरे को भूल गए हो, यह बात तो नहीं, किन्तु यह सत्य है, कि वहुत दिनों की धूमिल स्मृति ताजा हो उठी। हमें एक-दूसरे के विचार विनिमय से वहुत-सी नयी बातें मिली।

एक दिन बात-चीत के प्रसग मेरे ‘श्रमण जी’ ने मुझ से कहा— विजय जी, तुम्हे मेरा एक काम करना होगा ! मैंने विनम्र भाव से कहा—‘बोलिए, क्या आज्ञा है, आपको !’ उन्होंने अपनी बात का सिल्हसिला जोड़ते हुए कहा—

‘सम्यक्-दर्शन’ पत्र में मेरे नय विषयक लेख तो आपने पढ़े होंगे ? मैंने कहा—जी हाँ, देखे तो है। उन्होंने उसकोच की भाषा में कहा— उन लेखों का सम्पादन एवं प्रकाशन, व्यवस्थित नहीं हो पाया है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप उनका सुन्दर पद्धति से सम्पादन कर दें।

मेरे इन्कार करते रहने पर भी उन्होंने अपनी बात का आग्रह रखा। मैंने इस कार्य के लिए अपने अन्य स्नेही साथियों की योग्यता की ओर स्पष्ट संकेत भी किया, परन्तु श्रमण जी अपने आग्रह पर अडोल रहे। अन्ततः यह कार्य मुझे लेना ही पड़ा।

कुचेरा के वर्षा-वास में पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न रहने से मुझे सम्पादन का अवकाश नहीं मिल सका। अतः यह कार्य आगरा

में प्रारम्भ किया, और मुझे प्रसन्नता है कि उसे मैं यथा शक्ति पूर्ण कर सका हूँ ।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा तथा शैली, के सम्बन्ध में मैंने यहाँ से लेखक मुनि जी से पूछा था कि—क्या इसको नया रूप दे दिया जावे ? परन्तु यह बात स्वीकृत न हो सकी । फलतः उन्हीं की भाषा में और बहुत कुछ उन्हीं की शैली में आवश्यक फेर-बदल के साथ पुस्तक को सजा दिया गया है । यद्यपि उनके भावों में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं ढाला गया है, फिर भी सहृदय पाठक यदि कभी 'सम्यक्-दर्शन' में पूर्व प्रकाशित लेखों के साथ इस पुस्तक की तुलना करेंगे, तो उन्हें अवश्य ही कुछ आवश्यक अन्तर दीख पड़ेगा । पुस्तक के प्रकाशन में श्री अखिलेश मुनि जी महाराज का दिशा-दर्शन भी मेरे कार्य को सुन्दर बनाने में सहयोगी रहा है ।

पुस्तक के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ, और कैसे कहूँ ? इसका निर्णय में विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ । हाँ इतना कहने की अभिलापा अवश्य रखता हूँ कि लेखक मुनि जी अपने प्रतिपाद्य विषय के विश्व अध्येता हैं । उन्होंने इस दिशा में काफी गहराई तक अभ्यास किया है । वस्तुतः उनका श्रम प्रशसनीय है । जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने ढंग की हिन्दी में यह प्रथम कृति है ।

--अस्तु, यदि पाठक प्रस्तुत पुस्तक को मनोयोग से पढ़ेंगे, तो उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, और लेखक मुनि जी का श्रम भी सफल होगा ॥

जैन-भवन

लोहामडी, आगरा

१ जनवरी, १९५८

विजय मुनि

कहाँ क्या है ?

विषय

पृष्ठ संख्या

१०. उपक्रम	५
२. नय-स्वरूप	११
३. प्रमाण और नय	१६
४. पर्याय-स्वरूप	२५
५. स्याद्वाद	२६
६. सप्त-भंगी	३७
७. नैगम-नय	४९
८. सग्रह-नय	६१
९. व्यवहार-नय	७१
१०. कृजुसूत्र-नय	८७
११. शब्द-नय	१०५
१२. समभिरूढ़-नय	१३७
१३. एवभूत-नय	१५७
१४. उपसंहार	१८१

परिशिष्ट

१५. दृष्टान्त त्रयी	१८६
१६. पच संवर	२०१

इति विविध-भङ्ग-गहने,
सुदुस्तरे मार्ग-मूढ-दृष्टीनाम् ।
गुरवो भवन्ति शरणं ;
प्रबुद्ध नय-चक्र सञ्चारा : ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

“अत्यन्त विकट और विविध भग जालो से घनीभूत नय-चक्र वन मे, राह भूले मनुष्यो को सन्मार्ग वताने वाले दे सद्गुरु ही शरण-भूत हो सकते हैं, जो नय-चक्र के पारंगत विद्वान् हैं ।”

न य वा द

उ प क म

जेण विणा लोगस्स वि,
ववहारो सव्वहा न निष्वडइ ।
तस्स भुवणेक्क-गुरुणो ;
णमो अणेगंत-बायस्स ॥

— आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।
ततः सर्वं मृषोक्त स्यात् तदयुक्तं स्व-घाततः ॥

— आचार्य समन्त भद्र

आपकी अनेकान्त-दृष्टि सच्ची है, इसके विपरीत जो एकान्त मत है, वह शून्य है, अर्थात्-असत् है । अत. जो कथन अनेकान्त दृष्टि से रहित है, वह सब मिथ्या है ; क्योंकि वह अपना ही घातक है ।

१

उपक्रम

भारतीय-संस्कृति में, वसन्त-समय को मधु-मास कहा गया है। वसन्त-समय सुन्दर, सुरभित और सरस होता है। जिस समय प्रकृति के प्रांगण में वसन्त समवतरित होता है, उस समय सर्वत्र नया जीवन, नयी चेतना और नया जागरण प्रादुर्भूत हो जाता है। प्रकृति के कण-कण में आनन्द, हर्ष और उल्लास प्रकट होने लगता है। अणु से महान् और महान् से अणु समस्त प्रकृति-जगत् अभिनव सौन्दर्य एवं अद्भुत माधुर्य से भर जाता है। मधु-मास, अर्थात् वसन्त आनन्द-का प्रतीक माना गया है।

सुरभित वसन्त का सुन्दर समय था। जगती-तल पर चारों ओर हरियाली का प्रसार था। तरु और लताएँ पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होकर आनन्द में भूम रहे थे। अभिनव किसलयों के सौन्दर्य से, सुमनों के सौरभ से और फलों के मधुर रस से तरु और लताएँ मानो, जन-सेवा करने का सौभाग्य संचित कर रही थीं।

नय-वाद

वसन्त-काल का सुरभित मधु-मास पथिक-जनों के ग्रहण को अपने अद्भुत सौन्दर्य से, मलब-पवन के शीतल एवं मत्तु भकोरो से और सुमनों की सुरभि से दूर कर रहा था। सहकार-तरुओं पर नाचती-कूदती कोकिले अपनी माधुर्य-पूर्ण स्वर-लहरी से सम्पूर्ण वन-प्रान्त को मुखरित कर रही थी। कोकिल का मधुर कूजन वसन्त के अस्तित्व का जय-घोप कर रहा था।

कल-कल करती सरिताएँ अपनी शीतल एवं निर्मल जल धारा से आतप-तापित शुष्क भूमि को सस्य-श्यामला बनाने के हर्ष में, अपनी मस्ती में झूमती वही चली जा रही थी। मानो, वे 'सरिता पति' से मिलने के लिए उतावली होकर भागी चली जा रही हो?

वागवान अपने वाग को सँवारने-सजाने में मस्त था, और किसान अपने खेतों में आगा-भरे हृदयों से व्यस्त थे। किसान अपने खेत के हर दाने में अपना आशा पूर्ण भविष्य निरख रहा था, वागवान को अपने वाग के हर पौधे में भविष्य की सुनहरी आशा दीख रही थी।

मधु-मास के सुरभित इस वन-प्रान्त के एक भाग में, हरे-भरे घटादार वृक्ष की सघन छाया-में एक निर्गन्ध योगोराज तपस्वी अपनी ध्यान-मुद्रा में संलीन था। एकान्त में मानो वह बाह्य-सृष्टि के सौन्दर्य से भी अति-महान्-अन्त सौन्दर्य का दर्शन कर रहा हो? सध्या का स्वर्णिम-सूर्य अपनी सुवर्णमयी किरणों को तरु शिखरों पर विखेरता हुआ, अस्ताचल की ओर तेज़ गति;

से बढ़ रहा था। खग-कुलो के मधुर कृजन से सम्पूर्ण वन-प्रान्त मुखरित और प्रतिध्वनित हो उठा।

गुरु-कुल का प्रधान अध्यापक अपने सुयोग्य छात्रों के साथ ताजा पवन सेवन के लिए वन-प्रान्त के किसी भाग में निर्मित 'देव-रमण' उद्यान में जा पहुँचा। कतिपय छात्र पहले ही वहाँ जमे बैठे थे, अपनी पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन, मनन और चिन्तन कर रहे थे। परिशीलन के लिए एकान्त स्थल अत्यन्त उपयुक्त होता है।

'देव-रमण' उद्यान में इधर-उधर बिछे शिला-पट्टों पर छात्र और उनका अध्यापक भी यथास्थान बैठ गए थे। बात-चीत के प्रसंग में चर्चा चल पड़ी, कि वस्तु का सम्यग् ज्ञान कैसे होता है? किसी भी वस्तु का सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या-क्या साधन अपेक्षित हैं? बुद्धिमान् मनुष्य जब किसी विषय पर चर्चा-वार्ता करते हैं, तब कोई न कोई तथ्य अवश्य ही निकलता है।


एक छात्र, जो असाधारण बुद्धिमान् था। बोला—
 "प्रमाण और नय से वस्तु का सम्यग् ज्ञान होता है। वस्तु कहीं पर भी, किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसका परिज्ञान प्रमाण और नय से ही हो सकता है। बिना प्रमाण और नय के किसी भी वस्तु का परिज्ञान सम्भव नहीं है।"

दूसरे छात्र ने बीच मे ही प्रतिप्रश्न करते हुए कहा—
 "प्रमाण और नय मे क्या भेद है? प्रमाण और नय का क्या लक्षण है?

प्रथम छान ने गगाधान करने हुए बता—“अब
नय दोनों ज्ञान ही है। फिर भी दोनों में कुछ भेद अवश्य
वह इस प्रकार है—

“जो ज्ञान वस्तु के प्रनेक या गवं अधो की प्रहण क
है, वह प्रमाण है, और जो ज्ञान वस्तु के किसी एक ग्रन्थ
प्रहण करता है, वह नय है।”

धीरे-धीरे चर्चा का मोड़ नय-स्वरूप पर आ लग
नय कितने है? और उनके लक्षण क्या है?



नय-स्वरूप

नत्यि नएहिं विहुणं,
सुत्त अत्थो य जिण-मए किंचि ।

—विशेषावश्यक भाष्य

नयास्तव स्यात्-पदलाङ्कना इमे,
 रसोपविद्धा इव लोह-धातवः ।
 भवन्त्यभिप्रेतफला यतस्ततो ;
 भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः

अर्थः आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

“जिस प्रकार स्वर्ण-रस के संयोग से लोह धातु (स्वर्ण बनकर) अभीष्ट फल देने वाले बन जाते हैं, उसी प्रकार आपके नय भी ‘स्यात्’ शब्द लगने पर अभीष्ट फल देने वाले हो जाते हैं । अत अपना हित चाहने वाले भक्त-जन आप को सभक्षि नमस्कार करते हैं ।”

: २ :

नय-स्वरूप

प्रथम छात्र

पहला छात्र विनीत स्वर में बोला—प्रिय साथियो ! यद्यपि नय का विषय अत्यन्त विस्तृत और साथ ही अत्यन्त गम्भीर भी है, तथापि इस विषय पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। मेरे विचार में नय का स्वरूप यह है—

“जिसके द्वारा अनन्त-धर्मात्मक वस्तु के किसी एक पर्याय का निश्चय किया जाए, वह नय है !”—१

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला—आपने कहा, वह भी ठीक है, परन्तु नय का यह लक्षण भी हो सकता है—

“वस्तु-तत्त्व के ज्ञातों का अभिप्राय-विशेष नय कहा जाता है ।”—२

१—“नीयते, परिच्छद्यते, अनेन इति नय ।”—नय-रहस्य

२—“ज्ञातुरभिप्रायो नय ।”—आलाप-पद्धति

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—आपके कथन से मेरा कोई विरोध नहीं है, फिर भी मेरे विचार में नय का स्वरूप यह है—

“नाना स्वभावों से अलग कर, किसी एक स्वभाव में वस्तु का निश्चय करना, यह नय है ।”—१

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने नय-स्वरूप पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा—

“जो वस्तु प्रमाण से, सर्वाङ्गीण रूप से व्यवस्थित हो, उसके अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म का बोध करना, नय है ।”—२

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा—
मेरे विचार से नय का लक्षण यह है—

“पर्यायों के अनेक भेद हैं, एक वस्तु के भी अनन्त-पर्याय होते हैं, उनमें से किसी एक विवक्षित पर्याय को जानना, यह नय है ।”—३

१—“नाना-स्वभावेभ्यो व्यावृत्य, एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति,
इति नयः ।” —विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति ।

२—“प्रमाणेन संगृहीतार्थैकाशो नयः ।” —नय प्रदीप

३—“वहुधा वस्तुन् पर्यायाणा सम्भवात् विवक्षित-पर्यायेण नय-
नमधिगमनम्, असौ नय ।”

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने भी विनय के साथ अपना विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा—

“वस्तु अनन्त-धर्मात्मक होती है। वस्तु-गत उन अनन्त-धर्मों में से किसी भी एक धर्म—नित्यत्व या अनित्यत्व—का अवधारणा करना, नय है।”—१

सप्तम छात्र

सातवे छात्र ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार नय का लक्षण करते हुए कहा—

“श्रुत-ज्ञान के विना, मति आदि चारों ज्ञानों में नय का अभाव हो है,—श्रुत-ज्ञान में ही नयों का समवतार हो सकता है, इतर में नहीं—अतः श्रुत का विकल्प, नय है।”—२

इस प्रकार सातो छात्रों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार नय का अर्थ बतलाया। अध्यापक ने अपने सभी छात्रों की नय-सम्बन्धी व्याख्या को बड़े ध्यान से सुना। अध्यापक गम्भीर विचार में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद अपने छात्रों की ओर स्नेह-भरी हृष्टि से देखते हुए अध्यापक बोला—

अध्यापक

“मेरे प्रिय छात्रो ! मैं तुम्हारी ज्ञान-साधना और ज्ञान-चर्चा से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। नय के सम्बन्ध में तुम लोगों

१—“अनन्त-धर्मात्मकस्य वस्तुनो यदेकेन नित्यत्वादिना, अनित्यत्वादिना वा वर्मेण सावधारणा नयनं प्ररूपणमसीनय्।”

—विशेषावश्यक भाष्य, वृत्ति ।

२—“श्रुत-विकल्पो नय्।”

की विशेष सूचि देखकर मुझे भी कुछ कहने का उत्साह उत्पन्न हुआ है। व्याकरण-ग्रास्त्र की इष्ट से 'नय' गद्व कैसे बना है? और उसके कितने अर्थ होते हैं? इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।"

नय—

'नय' गद्व 'रीत्र् प्रापणे' धातु में कृदन्त का 'अच्' प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है। 'नय' गद्व के मुख्य रूप से इतने अर्थ होते हैं—नीति, गति, विधि और मार्ग आदि।

नीति—

जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, अभ्युदय की ओर अग्रसर करे, वह नय या नीति कही जाती है। नीति दो प्रकार की होती है—राज-नीति और धर्म-नीति। राजनीति का अन्तर्भाव साम, दाम, दण्ड और भेद में हो जाता है। धर्म-नीति का अन्तर्भाव सात नयों में होता है।

गति—

स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। सामान्य से विशेष की ओर जाना। साधक से सिद्ध की ओर जाना। देह से विदेह की ओर जाना।

विधि—

प्रकार या तरीका। सिद्धान्त और सिद्धान्ताभास परखने की प्रदृष्टि।

मार्ग—

विचार करने के प्रकार, दृष्टि-कोण । जैसे—उद्यान में जाने के अनेक मार्ग होते हैं, कोई पूर्व से जाता है, कोई उत्तर से, कोई पश्चिम से और कोई दक्षिण से । किन्तु अन्दर जाकर वे सब मार्ग परस्पर मिल जाते हैं, इसी प्रकार एक ही वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टि-कोण हो सकते हैं । परन्तु उनका समन्वय भी हो जाता है । इस समन्वय सिद्धान्त को स्याद्वाद अथवा कथचिद्वाद कहते हैं । समन्वय-मार्ग को नय-मार्ग भी कहा जाता है । । । । ।

स्याद्वाद एव, नय-वाद से ही विभिन्न मतों का, विभिन्न विचारों का समन्वय किया जा सकता है । जो नय एक-दूसरे के पूरक है, सहयोगी है, वे स्वपरोपकारी सुनय कहे जाते हैं, और जो परस्पर एक-दूसरे का विरोध करते हैं, वे प्रतिद्वन्द्वी हैं, वे स्वपर-प्रणाशी दुर्नय कहे जाते हैं । ।

१—य एव नित्य-क्षणिकादयो नया,
मिथोऽनपेक्षा स्व-पर-प्रणाशिन ।
त एव तत्त्व विमलस्य ते मुनेः,
परस्परेक्षा स्व परोपकारिण ॥
—आचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र ।



जीवन की आचार-शुद्धि है,
निर्भर सदा विचार-शुद्धि पर ।

और विचार-शुद्धि की गति भी,
आधारित है नय कीश्रुति पर ॥

— उपाध्याय अमर मूनि

प्रमाण और नय

प्रमाण-नयैरविगमः

— तत्त्वार्थ सूत्र, १—६

अनेकान्तात्मकं वस्तु, गोचरः सर्व-संविदाम् ।
एकदेश-विशिष्टोऽर्थो, नयस्य विषयो मतः ॥

— आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

“अनेक-धर्मों से विशिष्ट वस्तु, प्रमाण-स्वरूप ज्ञान का विषय है, और किसी एक धर्म से विशिष्ट वस्तु, नय का विषय माना जाता है।”

३

प्रमाण और नय

प्रश्न—क्या प्रमाण और नय परस्पर सर्वथा भिन्न हैं, अथवा सर्वथा अभिन्न हैं ?

(अ) यदि सर्वथा अभिन्न हैं, तो प्रमाण कौन-से ज्ञान का विषय है, और नय कौन-से ज्ञान का ?

(ब) यदि सर्वथा अभिन्न हैं, तो प्रमाण से ही कार्य-सिद्धि हो सकती है, नय की आवश्यकता ही क्या ?

(स) यदि दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं, तो प्रमाण—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा उपमान—चार प्रकार का होता है। और नय सात प्रकार का होता है। फिर दोनों एक-दूसरे के पर्याय-वाचक कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रश्न की समस्या का समुचित समाधान स्पाद्धाद के द्वारा हो सकता है। अर्थात्—सप्त-भगी के तीसरे भग में उक्त समस्या मुलभाई जा सकती है। तीसरा भंग है—कथचित् भिन्न और कथचित् अभिन्न। जैसे कि गाखा-

प्रशाखाएँ वृक्ष से भिन्न भी हैं, और अभिन्न भी। अर्थात्—शाखाओं को वृक्ष नहीं कह सकते, प्रोर न अवृक्ष, अर्थात्—वृक्ष-भिन्न भी नहीं कह सकते।

प्रमाण यदि अग है, तो नय उपाग है। प्रमाण यदि समुद्र है, तो नय तरग-निकर। प्रमाण यदि सूर्य है, तो नय रश्मि-जाल। प्रमाण यदि वृक्ष है, तो नय शाखा-समूह। प्रमाण यदि हाथ है, तो नय अगुली। प्रमाण यदि जुलाहे का ताना है, तो नय वाना। प्रमाण यदि व्यापक है, तो नय व्याप्य है। प्रमाण नय में समाविष्ट नहीं है, वल्कि नय ही प्रमाण में समाविष्ट है। प्रमाण का सम्बन्ध पाँच प्रकार के ज्ञान से है, जब कि नय का सम्बन्ध केवल श्रुत-ज्ञान से ही है—अन्य से नहीं। अर्थात्—पाँचों ज्ञानों को प्रमाण कहते हैं, और नय, श्रुत-ज्ञान रूप प्रमाण का अश-विजेप है।

अत. नय, प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु-तत्त्व का निश्चय किया जाए, अर्थात्—सर्वांश-ग्राही वाव को प्रमाण कहते हैं।

नय का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त-धर्मों में से किसी विवक्षित एक धर्म का निश्चय किया जाए, अर्थात्—अनेक दृष्टिकोण से परिष्कृत वस्तु-तत्त्व के एकाश-ग्राही ज्ञान को नय कहते हैं।

अत नय, प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है।

प्रमाण नय का वाचक नहीं है, तथैव नय भी प्रमाण का वाचक नहीं है। जैसे समुद्र के पर्याय-वाचक नाम और

है, तथा तरंगों के पर्याय-वाचक नाम और है। तरगे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, और समुद्र भी तरंगों से भिन्न नहीं है, तथैव अभिन्न भी नहीं कह सकते। क्योंकि समुद्र के तथा तरंगों के नाम भिन्न-भिन्न हैं, इससे सिद्ध होता है, कि समुद्र और तरगे अभिन्न नहीं हैं।

समुद्र और तरग के उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, कि 'प्रमाण' और 'नय' का परस्पर क्या सम्बन्ध है? नय न तो प्रमाण है, और न अप्रमाण, अपितु प्रमाण का एक अश है, जैसे कि तरंग न समुद्र है, न असमुद्र है, अपितु समुद्र का एक अश है।—१

१—न समुद्रोऽसमुद्रो वा, समुद्रागो यथोच्यते।

नाऽप्रमाणं प्रमाण वा, प्रमाणांशस्तथा नयः ॥ ६ ॥

— नयोपदेश



तद्भावः परिणामः

— तत्त्वार्थ, ५-४१,

उसका होना, अर्थात्—स्वरूप में स्थित रहकर, उत्पन्न
तथा नष्ट होना परिणाम है, अर्थात्—पर्याय है।

: ४ :

पर्याय-स्वरूप

प्रश्न—एक ही वस्तु अनन्त-धर्मात्मक कैसे हो सकती है ?

उत्तर—अनन्त-पर्यायों के समुदाय का नाम ही वस्तु है । पर्याय को धर्म भी कहते हैं । पर्याय दो प्रकार की होती है—एक सह-भावी और दूसरी क्रम-भावी ।

रूप, रस आदि पर्याय सह-भावी कहलाती है, और तृतीय-पुरातन आदि पर्याय क्रम-भावी कहलाती है । सह-भावी पर्याय गुणों की होती है, तथा क्रम-भावी पर्याय द्रव्य की होती है । अथवा—

पर्याय दो प्रकार की होती हैं—एक स्वभाव-पर्याय, और दूसरी विभाव पर्याय । अथवा—

समस्त पदार्थों की पर्याय दो प्रकार की होती है—पहली शब्द-पर्याय, और दूसरी अर्थ-पर्याय ।

शब्द-पर्याय अनन्त है, उनका अन्तर्भवि केवल श्रुत-ज्ञान मे ही हो सकता है—अन्य मे नहीं ।

अर्थ-पर्याय अनन्तानन्त है, क्योंकि अर्थ-पर्याय का अन्तर्भव पाँचों ही जानू में "हो जाता है। इस दृष्टि से शब्द-पर्याय की अपेक्षा ने अर्थ-पर्याय अनन्त-गुण अधिक हैं। शब्द-पर्याय के आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, जैसे— कि स्व-पर्याय और पर-पर्याय। धन-क्रन्तु, इन्द्र, पाक-गासन, ये स्व-पर्याय हैं। मीधर्माधिपति, अचि-पति ये पर-पर्याय हैं। जल, वारि, तोय, पानीय—ये स्व-पर्याय हैं। स्वर्ण घट का पानी, घड़े का पानी, झज्जर का पानी—ये स्व पर-पर्याय हैं। आगे चलकर फिर अतीत, वर्तमान, और भविष्यत्, एक-एक पर्याय के साथ लगाने से पुन एक-एक के तीन भेद बन जाते हैं। इस प्रकार शब्द-पर्याय की उत्तरोत्तर अनन्त पर्याय बन जाती हैं।

अर्थ-पर्याय को भी उपर्युक्त बैली से समझ लेना। अन कहा जाता है कि वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। किसी विवक्षित एक पर्याय को अनेक दृष्टि-कोणों से जो देखा जाए, और जाना जाए, उसे ही नय कहते हैं।


स्याद्वाद

आदीपमाव्योम सम-स्वभावं,
स्याद्वाद-मुद्रानतिभेदिं वस्तु ।

— आचार्य हेमचन्द्र —

अर्थ-पर्याय अनन्तानन्त है, क्योंकि, अर्थ-पर्याय का अन्तर्भुव पाँचो ही ज्ञान में हो जाता है। इस दृष्टि से शब्द-पर्याय की अपेक्षा से अर्थ-पर्याय अनन्त-गुण अधिक है। शब्द-पर्याय के आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, जैसे— कि स्व-पर्याय और पर-पर्याय। शत-क्रतु, इन्द्र, पाक-जासन, ये स्व-पर्याय हैं। सौधर्माधिपति, शचि-पति ये पर-पर्याय हैं। जल, वारि, तोय, पानीय—ये स्व-पर्याय हैं। स्वर्ण घट का पानी, घड़े का पानी, भजभर का पानी—ये सब पर-पर्याय हैं। आगे चलकर फिर अतीत, वर्तमान, और भविष्यत्, एक-एक पर्याय के साथ लगाने से पुन एक-एक के तीन भेद बन जाते हैं। इस प्रकार शब्द-पर्याय की उत्तरोत्तर अनन्त पर्याय बन जाती है।

अर्थ-पर्याय को भी उपर्युक्त शैली से समझ लेना। अत कहा जाता है कि वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। किसी विवक्षित एक पर्याय को अनेक दृष्टि-कोणों में जो देखा जाए, और जाना जाए, उसे ही नय कहते हैं।



५

स्याद्वाद

जैन-दर्शन को चिन्तन-धारा में स्याद्वाद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह वह सर्वमान्य सिद्धान्त है, जिसके द्वारा विश्व-गान्ति स्थापित की जा सकती है। धार्मिक अन्ध-विश्वास तथा रूढिवाद की योथी वक्-भक्त को स्याद्वाद ही दूर कर सकता है। स्याद्वाद का उपयोग दर्शन और दैनिक-व्यवहार दोनों में किया जा सकता है। वस्तु-परीक्षण के इस उदार एवं विशाल सिद्धान्त को यदि व्यावहारिक जीवन का अनिवार्य अग बना लिया जाए, और मन-वचन-कर्म की एक रूपता के नैतिक पथ पर प्रतिष्ठित कर लिया जाए, तो निश्चय ही हम एक दिन विषम सघर्ष-मूलक परिस्थितियों के प्रतिगामी प्रतिवन्ध को तोड़कर अमर-सत्य प्राप्त कर सकेंगे।

स्याद्वाद जैन-दर्शन की अद्वितीय आधार-शिला है। जैन-दर्शन का भव्य-भवन इसी पर निर्मित है। इसी के आधार पर जैनों ने विश्व को शान्ति का शुभ सन्देश सुनाया था। धार्मिक असहिष्णुता और मानसिक सकीर्णता जैसे अमानवीय विषाक्त मानसिक विकारों का समूल उन्मूलन करने

सर्वमस्ति स्वरूपेण,
 पर-रूपेण नास्ति च ।
 अन्यथा सर्व-सत्त्वं स्यात्,
 स्वरूपस्याप्यसम्भवः ॥

— प्रसाण-मीमांसा

“प्रत्येक वस्तु, स्वरूप से विद्यमान है, और पर-स्वरूप से अविद्यमान है। यदि वस्तु को पर-स्वरूप से भी भावरूप स्वीकार किया जाए, तो एक वस्तु के सद्भाव में सम्पूर्ण वस्तुओं का सद्भाव माना जाना चाहिए, और यदि वस्तु को स्वरूप से भी अभाव रूप माना जाए, तो वस्तु को सर्वथा स्वभाव-रहित मानना चाहिए, जो कि वस्तु-स्वरूप से सर्वथा विपरीत है।”

: ५ :

स्याद्वाद

जैन-दर्शन को चिन्तन-धारा में स्याद्वाद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह वह सर्वमान्य सिद्धान्त है, जिसके द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित की जा सकती है। धार्मिक अन्ध-विश्वास तथा रूढिवाद की थोथी वक-भक्त को स्याद्वाद ही दूर कर सकता है। स्याद्वाद का उपयोग दर्शन और दैनिक-व्यवहार दोनों में किया जा सकता है। वस्तु-परीक्षण के इस उदार एवं विशाल सिद्धान्त को यदि व्यावहारिक जीवन का अनिवार्य अग बना लिया जाए, और मन-वचन-कर्म की एक रूपता के नैतिक पथ पर प्रतिष्ठित कर लिया जाए, तो निःचय ही हम एक दिन विषम सघर्ष-मूलक परिस्थितियों के प्रतिगामी प्रतिवन्ध को तोड़कर अमर-सत्य प्राप्त कर सकेंगे।

स्याद्वाद जैन-दर्शन की अद्वितीय आधार-शिला है। जैन-दर्शन का भव्य-भवन इसी पर निर्मित है। इसी के आधार पर जैनों ने विश्व को शान्ति का शुभ सन्देश सुनाया था। धार्मिक असहिष्णुता और मानसिक सकीर्णता जैसे अमानवीय विषाक्त मानसिक विकारों का समूल उन्मूलन करने

वाला स्याद्वाद ही है। परस्पर-स्नेह एव सद्भाव से रहने का सुन्दर पाठ मानव-समाज को स्याद्वाद ने ही पढ़ाया है। अपनी विशिष्टता स्थापित करने के निमित्त स्याद्वाद किसी भी धर्म या सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता, किन्तु अपने ग्रीचित्य के अनुरूप भिन्न-भिन्न हृष्टि-कोण का समन्वय एवं एकीकरण करता है।

अस्तु, स्याद्वाद क्या है? उसकी मौलिक परिभाषा क्या है? उसकी उपयोगिता जीवन-व्यापार के लिए किस रूप में है? इन सभी प्रश्नों पर हमें यहाँ सक्षेप में विचार करना होगा।

परिभाषा—

स्याद्वाद का अर्थ है, विभिन्न हृष्टि-कोणों का विना किसी पक्ष-पात के तटस्थ-बुद्धि से समन्वय करना। जो महत्त्व पूर्ण कार्य एक न्यायाधीश का होता है, ठीक वही कार्य विभिन्न विचारों के समन्वय के लिए स्याद्वाद का है। जिस प्रकार एक जज, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के वयान सुनकर, दोनों के वयानों की जाँच-पड़ताल करके निष्पक्ष फैसला देता है, उसी प्रकार स्याद्वाद भी दो विभिन्न विचारों को सुनकर उनमें समन्वय कराता है। यह तो हुआ स्याद्वाद का मौलिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ भी सुन लीजिए।

“स्याद्वाद” इसमें दो शब्दों का संयुक्तीकरण है—‘स्यात्’ और ‘वाद’। ‘स्यात्’ का अर्थ है—अपेक्षा या हृष्टि-कोण; और ‘वाद’ का अर्थ है—सिद्धान्त या मन्तव्य। दोनों

शब्दों का समुदित अर्थ होगा “सापेक्ष सिद्धान्त” , अर्थात्—वह सिद्धान्त जो अपेक्षा को लेकर चलता है, और भिन्न-भिन्न विचारों का एकीकरण करता है । अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद, कथंचिद्वाद और स्याद्वाद इन सब का एक हो अर्थ है । अनेकान्त, और स्याद्वाद मे थोड़ा-सा अन्तर अवश्य है । और वह अन्तर केवल इतना ही है कि—अनेकान्त एक व्यापक विचार-पद्धति है, और स्याद्वाद उस को अभिव्यक्त करने की एक निर्देष भाषा-पद्धति है ।

स्याद्वाद-रहस्यविद् आचार्यों ने स्याद्वाद की परिभाषा इन शब्दों मे की है—“अपने अथवा दूसरे के विचारों, मन्तव्यो, वचनो तथा कार्यो मे तन्मूलक विभिन्न अपेक्षा या दृष्टि-कोण का ध्यान रखना ही “स्याद्वाद” है । इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं :—

‘जिस प्रकार ग्वालिन मथन करने की रसी के दो छोरों मे से कभी एक को और कभी दूसरे को खीचती है, उसी प्रकार अनेकान्त-पद्धति भी कभी वस्तु के एक धर्म को मुख्यता देती है, और कभी दूसरे धर्म को ।’—१

देखिए, आचार्य ने किस भावस्थी एव कवित्वमयी भाषा में स्याद्वाद की परिभाषा की है ? सुनकर हृदयं गदगद् हो जाता है, और पाठक आचार्य के स्वर मे स्वर मिलाकर उल्लास-पूर्ण स्वर मे उद्घोष करता है —

१—‘एकेनाकर्षन्ती श्लययन्ती वस्तु-तत्त्वमितरेण,
अन्तेन जयति जैनी-नीतिर्मन्यान-नेत्रमिव गोपी ।

—पुरुषार्थ सिद्ध युपाय

ओं अने कान्ता वस्तु का इत्यहाँ

“जप्रति जैनी नीति.’ अर्थात्—‘जिन-भगवान्’ द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त-नीति अर्थात्—स्याद्वाद-सिद्धान्त सदा जयवन्त हो ।”

स्याद्वाद की दार्शनिक परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

“प्रत्यक्षादिप्रमाणाविरुद्धानेकात्मक-वस्तु-प्रतिपादकं श्रुत-स्कन्धात्मकं स्याद्वाद”—१

उपयोगिता—

वस्तु के वास्तविक तथा व्यावहारिक स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वाद का उपयोग परमावश्यक है। स्याद्वाद के बिना किसी भी वस्तु का वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता। यदि हम किसी वस्तु के एक ही धर्म को पकड़ ले, और अन्य धर्मों की ओर ध्यान न दे, तो हम निश्चय ही लोक-व्यवहार में असफल रहेगे।

मान लीजिए—हम अपने पिता को पिता कहते हैं, क्योंकि वह हमारा जनक है। इसमें हम कोई भूल नहीं करते। पर, क्या हमारा पिता समूर्ण सासार का पिता हो सकता है? कहना होगा, नहीं। क्योंकि हमारा पिता तो हमारी अपनी अपेक्षा ही से पिता है, किसी दूसरे की अपेक्षा से नहीं। हमारी व्यक्तिगत अपेक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे की अपेक्षा से वह मामा भी है, किसी तीसरे की अपेक्षा से वह भाई तथा पुत्र भी हो सकता है। फिर हम यह कैसे कह

१—अष्ट-सहस्री ।

सकते हैं, कि—“यह व्यक्ति पिता ही है।” ऐसा कहना और मानना भारी भूल है। अस्तु, यही एकान्त-वाद है, जिससे ससार में कलह और वैमनस्य का प्रसार होता है। यदि हम ‘ही’ के स्थान पर ‘भी’ का प्रयोग करना सीख ले, तो कलह एवं वैमनस्य की आशका ही न रहे। ‘भी’ का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे कि—“यह ‘पिता’ भी है।” यही अपेक्षा-वाद है, इसी को हम अनेकान्त-वाद कहते हैं।

इस सम्बन्ध में अनेक स्याद्वाद-विद् विद्वानों का ऐसा कथन है, कि मानव-जीवन को सफल एवं शान्तिमय बनाने के लिए जीवन में स्याद्वाद का उपयोग करना आवश्यक तथा अनिवार्य है। वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय अशान्ति का मूल कारण ‘ही’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इस आग्रह और अपनेपन के भाव को मन-मस्तिष्क में स्थान न देना ही स्याद्वाद है। यदि मानव-समाज आज स्याद्वाद की व्यापक एवं उदार-हृष्टि से विचार करना सीख जाए, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सरस, सुन्दर तथा उदात्त बना सकते हैं।

केवल विचारों की विशद व्याख्याओं और ग्रन्थों के अध्यायों में लिखे सिद्धान्तों के शाब्दिक उपचार से ससार का या मानव-जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मान लीजिए—आपको भूख लगी, तो क्या भोजन का नाम लेने मात्र से क्षुधा शान्त हो जाएगी! नहीं, हमें तदनुकूल अन्य उपाय भी प्रयोग में लाने होंगे। सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्-दर्जन के होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती, जब तक कि हम

नथा कथित ज्ञान और दर्शन के अनुरूप आचरण नहीं करेगे ।

गत्तन-व्यात्मक मुक्ति-मार्ग का यही आज्ञय है, कि यथार्थ विचारों को जीवन-व्यापार में व्यावर्हारिक रूप देकर उनका यथावमग्र यथोचित उपयोग किया जाए । इसी प्रकार यदि स्थाट्वाद को क्रियात्मक रूप में अपना ले, तो गच्छ-वाद एवं मम्प्रदाय-वाद जैसी सकीर्णताओं का नाम भी न रहे, और हम सब एक-तन और एक-मन होकर विश्व-वन्धुत्व का सफल अभिनय कर सकते हैं ।

सप्त-भङ्गी

एकस्मिन् वस्तुनि अविरोधेन,
विधि-प्रतिषेध-कल्पना सप्त-भङ्गी ।

— सप्त-भङ्गी-तरंगिणी

पदार्थ के लिए अपेक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सात प्रकार से वचनों का प्रयोग किया जा सकता है। वे सात वचन इस प्रकार हैं —

१—है,

२—नहीं,

३—है और नहीं,

४—कहा नहीं जा सकता,

५—है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

६—नहीं है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

७—है, और नहीं, किन्तु कहा नहीं जा सकता।

शास्त्रीय एवं दार्शनिक परिभाषा—

“प्रश्नवशादेकत्र वस्तुनि अविरोधेन विधि-प्रतिषेधकल्पना सप्त-भज्ञी ।”

अर्थात्—प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में विरोध रहित विधि और प्रतिषेध की कल्पना को सप्त-भज्ञी कहते हैं। किसी भी पदार्थ एवं वस्तु के विषय में सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए सप्त-भज्ञी कही गई है। सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है—सात सात प्रकार की जिज्ञासा संशय; तथा सात प्र

नहीं है, अपिनु वस्तु के धर्म-विशेष पर आश्रित है। इसलिए सप्त-भज्जी का अध्ययन, मनन और चिन्तन करने समय इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है, कि उसके प्रत्येक भज्ज का स्वरूप वस्तु के धर्म के साथ सम्बद्ध हो। यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना आवश्यक हो, तो उसे इस प्रकार दिखलाना चाहिए, जिससे कि उन धर्मों का स्थान उस वस्तु में से विलुप्त न हो जाए।

मान लीजिए, आप घट में नित्यत्व का स्वरूप दिखलाना चाहते हैं, तो आपको घट के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसा उपयुक्त शब्द प्रयोग करना होगा, जो घट में रहने वाले नित्यत्व धर्म का बोध तो कराए, किन्तु अन्य अनित्यत्व आदि धर्मों का विरोध न करे। यह कार्य सप्त-भज्जी के द्वारा ही हो सकता है।

यथा—‘स्याद् नित्य एव घट’ अथवा ‘स्याद् अनित्य एव घट’ अर्थात्—घट ‘नित्य’ भी है और ‘अनित्य’ भी। द्रव्य-हृष्टि से नित्य है, और पर्याय-हृष्टि से ‘अनित्य’।

अस्तु, अब इसी उदाहरणीभूत घट पर सप्त-भज्जों की वचन-प्रयोग शैली इस प्रकार होगी।

- १—स्याद् नित्य एव घट.,
- २—स्याद् अनित्य एव घट.,
- ३—स्याद् नित्यानित्य एव घट.,
- ४—स्याद् अवक्तव्य एव घट.,
- ५—स्याद् नित्य अवक्तव्य एव घटः,

पदार्थ के लिए अपेक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सात प्रकार से वचनों का प्रयोग किया जा सकता है। वे सात वचन इस प्रकार हैं —

१—है,

२—नहीं,

३—है और नहीं,

४—कहा नहीं जा सकता,

५—है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

६—नहीं है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

७—है, और नहीं, किन्तु कहा नहीं जा सकता।

शास्त्रीय एवं दार्शनिक परिभाषा—

“प्रश्नवगादेकत्र वस्तुनि अविरोधेन विधि-प्रतिपेधकल्पना सप्त-भज्जी ।”

अर्थात्—प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में विरोध रहित विधि और प्रतिपेध की कल्पना को सप्त-भज्जी कहते हैं। किसी भी पदार्थ एवं वस्तु के विषय में सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए सप्त-भज्जी कही गई है। सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है—सात प्रकार की जिज्ञासा और सात प्रकार की जिज्ञासा का कारण है—सात प्रकार के संग्रह, तथा सात प्रकार के संग्रहों का कारण है—उसके विषय रूप वस्तु के धर्मों का सात प्रकार से होना।

अस्तु, इस परिभाषा या लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्त-भज्जी के सात ‘भज्ज’ केवल शास्त्रिक कल्पना ही

नहीं है, अपितु वस्तु के धर्म-विशेष पर आश्रित है। इसलिए सप्त-भङ्गी का अध्ययन, मनन और चिन्तन करते समय इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है, कि उसके प्रत्येक भङ्ग का स्वरूप वस्तु के धर्म के साथ सम्बद्ध हो। यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना आवश्यक हो, तो उसे इस प्रकार दिखलाना चाहिए, जिससे कि उन धर्मों का स्थान उस वस्तु में से विलुप्त न हो जाए।

मान लीजिए, आप घट में नित्यत्व का स्वरूप दिखलाना चाहते हैं, तो आपको घट के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसा उपयुक्त शब्द प्रयोग करना होगा, जो घट में रहने वाले नित्यत्व धर्म का बोध तो कराए, किन्तु अन्य अनित्यत्व आदि धर्मों का विरोध न करे। यह कार्य सप्त-भङ्गी के हारा ही हो सकता है।

यथा—‘स्याद् नित्य एव घट’ अथवा ‘स्याद् अनित्य एव घट’ अर्थात्—घटे ‘नित्य’ भी है और ‘अनित्य’ भी। द्रव्य-हृष्टि से नित्य है, और पर्याय-हृष्टि से ‘अनित्य’।

अस्तु, अब इसी उदाहरणीभूत घट पर सप्त-भङ्गों की वचन-प्रयोग जैली इस प्रकार होगी।

- १—स्याद् नित्य एव घट ,
- २—स्याद् अनित्य एव घट ,
- ३—स्याद् नित्यानित्य एव घटः,
- ४—स्याद् अवक्तव्य एव घटः,
- ५—स्याद् नित्य अवक्तव्य एव घट.,

६—स्याद् अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

७—स्याद् नित्य अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

किसी भी पदार्थ के विषय में उपर्युक्त सात प्रकार से ही प्रश्न हो सकते हैं, अत आठवाँ, नवा या दगवाँ भग नहीं वन सकता । इसीलिए “सप्त-भगी” में सप्त-पद विलकुल सार्थक एव अवधारणात्मक है । अर्थात्—सात ही भग हैं, कम या अधिक नहीं । उक्त सात वचन प्रयोगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

१—घट द्रव्य अपेक्षा से नित्य है ।

२—घट पर्याय अपेक्षा से अनित्य है ।

३—घट क्रम विवक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी ।

४—घट अवक्तव्य है, अर्थात् युगपद्-विवक्षा से अवक्तव्य भी है । उपर्युक्त चार वचन प्रयोगों पर से पिछले तीन वचन और बनाये जाते हैं ।

५—द्रव्य अपेक्षा से घट ‘नित्य’ होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

६—पर्याय अपेक्षा से घट ‘अनित्य’ होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

७—द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से घट क्रमशः ‘नित्य’ और ‘अनित्य’ होने के साथ-साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है । पिछले तीन वचन-प्रयोग, अवक्तव्य रूप चतुर्थ अग के साथ पहला, दूसरा और तीसरा मिलाने से बनते हैं । अतः वास्तव में मुख्य-रूप से तीन या चार ही भग हैं ।

वस्तुत शब्द की प्रवृत्ति प्रवक्ता के भावो पर आधारित होती है। अर्थात्— प्रत्येक वस्तु में अनेक (अनन्त) धर्म होते हैं, विभिन्न प्रवक्ता अपने-अपने दृष्टिकोण से उनका उल्लेख करते हैं।

मान लीजिए, दो मनुष्य हैं। दोनों बाजार में कुछ सौदा खरीदने गए हैं। किसी दुकान पर दोनों पहुँचे और उन्होंने अनेक वस्तुएँ देखी। अपनी पसन्द के अनुसार एक किसी वस्तु को अच्छी बतला रहा है, और दूसरा उसी को बुरी बतला रहा है। दोनों में विवाद खड़ा हो जाता है। इधर से कोई तटस्थ पथिक भी चला जा रहा है। उसने दोनों को झगड़ते देखा, और पूछा—‘क्यों भाई, तुम परस्पर क्यों झगड़ रहे हो?’ दोनों अपनी-अपनी बात कह देते हैं। समझदार पथिक दोनों की बात सुनकर उनको समझाता है कि देखो—विवादास्पद वस्तु अच्छी भी है और बुरी भी। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में अच्छी है, वह इनकी दृष्टि में बुरी हो सकती है, और इनकी दृष्टि में जो बुरी है, वह तुम्हारी दृष्टि में अच्छी हो सकती है। यह तो अपनी-अपनी दृष्टि है। अपना-अपना विचार है। इसमें लड़ने और झगड़ने जैसी तो कोई चीज नहीं है।

देखिए, तीनों व्यक्ति अपनी-अपनी विचार-दृष्टि के अनुसार तीन तरह का वचन प्रयोग करते हैं। पहला विधि-सम्बन्धी, दूसरा निषेध-सम्बन्धी, और तीसरा उभयात्मक। अर्थात्—विधि और निषेध दोनों से सम्बन्धित। अस्तु, जब हम किसी वस्तु को अच्छी कहते हैं, तो इसका यही तात्पर्य

है कि वह वस्तु हमारी हृष्टि में सुन्दर है, किन्तु दूसरे की हृष्टि में वह बुरी या असुन्दर भी हो सकती है।

सप्त-भगी के विषय में एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है, और वह है—भगों के क्रम में मत-भेद का उत्पन्न होना। कुछ ग्रन्थकार ‘अवक्तव्य’ को तीसरा, और ‘नित्यानित्य’ को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तु अन्य आचार्य ‘नित्यानित्य’ को तीसरे और ‘अवक्तव्य’ को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। इस क्रम-भेद में दिग्म्बर और श्वेतावर दोनों सम्प्रदायों के आचार्य सम्मिलित हैं। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने इस प्रकार अपने-अपने ग्रथों में भिन्न-भिन्न विकल्प क्रम को स्थान दिया है, परन्तु इस क्रम-भेद से वस्तु-स्थिति में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं दिखलाई देता।

सप्त-भगी का सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ है, और पारस्परिक कलह को दूर करने वाला समस्त वस्तु-स्वरूप का परिचायक शान्त-प्रयोग है। यदि इस सिद्धान्त को हम अपने दैनिक व्यवहार में अपना ले, तो निश्चय ही हमारी साम्प्रदायिक मोह-ममता दूर हो सकती है। जिस भाँति जैनों ने अहिंसा को सक्रिय रूप दे दिया है, उसी भाँति यदि हम ‘स्याद्वाद’ और ‘सप्त-भगी’ को भी अपने जीवन-व्यवहार में सक्रिय रूप दे दे, तो हमारा समाज सुसगठित एव सुहृद हो सकता है। हम एक न हो सकेंगे, ऐसी कोई असम्भव बात नहीं है। हाँ, एकता के लिए अपनी-अपनी तथ्य-हीन मान्यताओं और निराधार धारणाओं का परित्याग अवश्य ही करना होगा।

अस्तु, यदि हमे 'जीवन के अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति' के लिए, 'समाज के कल्याण के लिए, तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए जीवित रहना है; और साथ ही यदि हम संसार में अपने धर्म-सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार भी करना चाहते हैं, तो हमे विभिन्न सम्प्रदायों की संकीर्ण मान्यताओं तथा रूढ़-परम्पराओं के एकान्त-मूलक गति-रोधक प्रतिबन्धों को तोड़ने के लिए नैतिक-साहस का सहारा लेना होगा।

नैतिक साहस की उपलब्धि के सम्बन्ध में यह स्पष्टी-करण विषय-संगत ही होगा कि नैतिक साहस कोई बाह्य एवं कृत्रिम उपाय नहीं, अपितु सत्य के प्रति मन, वचन और कर्म की सत्य-निष्ठ एकरूपता है। और, यह अद्भुत एक रूपता तभी सम्भव है, जब मानव का मन और मस्तिष्क समस्त संकीर्णताओं से मुक्त रह कर विश्वालता और व्यापकता को अग्रीकार कर ले।

अतएव जब हमारा मन और मस्तिष्क अपेक्षित विश्वालता और व्यापकता के द्वारा नैतिक साहस को प्राप्त कर लेगा, तब हमारे अन्दर सहिष्णुता नामक अलौकिक सुगन्ध का अवाध सचार होगा, जिससे संकीर्णता को दुर्गन्ध दूर होगी, और अपने तथा पराये सत्य के पूर्ण-रूप के प्रति शाश्वत स्नेह का उदय होगा।

सारांश में यह कथन पर्याप्त होगा कि मानव-जीवन में 'स्व-सत्यनिष्ठा' की भाँति 'पर-सत्यनिष्ठा' हो जाने पर ही—

‘पर-मत’ अथवा ‘पर-धर्म’ सम्बन्धी सहिष्णुता की उपलब्धि सम्भव है, और इस सम्भावना को साकार रूप में प्रदर्शित करने के लिए अनेकान्त-वाद और सप्त-भंगी-वाद को जीवन में उतारना होगा।

सप्त-भंगी पर दृष्टान्त

एक थोक माल का खरीदार गाड़ी से उतर कर, गहर की ओर जाते हुए मार्ग में म्थित किसी परिचित सेठ से पूछता है कि क्या आपकी दुकान पर थोक माल है ?

१ स्थादस्ति एव—कथचित् है, सेठ ने जवाब दिया।

फिर खरीदार पूछता है—क्या आपके पास विदेशी माल भी है ?

२ स्थात् नास्ति एव—कथचित् नहीं है, सेठ ने उत्तर दिया।

फिर खरीदार पूछता है—क्या स्व-देशी माल सब प्रकार का उपस्थित है ?

३ स्थादस्ति नास्ति एव—कथचित् है भी, और नहीं भी। सेठ ने उत्तर दिया।

फिर खरीदार पूछता है कि—किस-किस कम्पनी का माल आप के पास उपस्थित है, सक्षेप से मुझे एक ही वाक्य में उत्तर दे ?

४ स्थादवक्तव्यमेव—कथचित् अवक्तव्य है, इस प्रकार सेठ ने सक्षेप में ही उत्तर दिया।

फिर खरीदार पूछता है—क्या अमुक कम्पनी का माल है ? यदि है, तो कौन-कौनसा माल है ? एक ही भग से उत्तर दे ।

५ स्यादस्ति स्यादवक्तव्यमेव— कथचित् है, और कथचित्, अवक्तव्य है, अर्थात् माल तो है, परन्तु कौन-कौन सा है, यह कहा नहीं जा सकता, सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है कि—क्या आपके यहाँ अमुक कम्पनी का माल है ? यदि नहीं है, तो कृपया यह भी बताएँ कि किस-किस कम्पनी का माल नहीं है ? एक ही वाक्य मे उत्तर दे ।

६ स्यात् नास्ति स्यादवक्तव्यमेव— कथचित् नहीं है, कथचित् अवक्तव्य है, अर्थात् जिस कम्पनी का नाम आप ले रहे हैं, उसका माल मेरे पास थोक नहीं है । किस-किस कम्पनी का माल मेरे पास नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता । सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर वही आगन्तुक व्यापारी पूछता है, कि क्या अमुक कम्पनी का वना हुआ माल सब प्रकार का है, या नहीं ? यदि है, तो कौन-कौनसा माल है ? यदि नहीं है, तो कौन सा माल नहीं है ? इसका उत्तर एक ही वाक्य मे दे ।

७ स्यादस्ति नास्ति स्यादवक्तव्यमेव— कथचित् है, और नहीं भी, कथचित् अवक्तव्य भी है, अर्थात्—उस कम्पनी का माल बहुत कुछ उपस्थित है, बहुत कुछ बिक चुका, थोक रूप मे नहीं है । उस कम्पनी का माल अब कौन सा है, और कौन-सा नहीं—यह कुछ कहा नहीं जा सकता । अतः यदि एक ही वाक्य मे उत्तर देना हो, तो पूर्वोक्त सातवें भंग से ही दिया जा सकता है ।

सम्यग्-दर्शन पर सप्त-भंगी

१—स्याद् अस्ति एव क्षायिक सम्यग् दर्शनम्—

यह भग चतुर्थ गुण स्थान से लेकर पष्ठ गुण-स्थान तक तथा व्रयोदश इन चार गुण स्थानों में पाया जाता है।

२—स्यान्नास्ति एव क्षायिक सम्यग् दर्शनम्—

यह भग पहले से तीसरे तक और एकादशवा, इन चार गुण-स्थानों में पाया जाता है।

३—स्यादस्ति नास्ति एव क्षायिक सम्यग् दर्शनम्—

यह भग सातवे से दशवे गुण-स्थान तक तथा वारहवे और चौदवे इन छह गुण-स्थानों में पाया जाता है।

४—स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग् दर्शनम्—

पूर्वोक्त तीसरे भग में जो गुण-स्थानों का उल्लेख किया है, उनमें से वर्तमान काल में किस किस स्थान में सम्यगदर्शन का सद्भाव, और किस किस में असद्भाव है, यह कहना एक समय में अग्रक्य है।

५—स्यादस्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्-दर्शनम्—यह भग प्रथम और चतुर्थ भंग का सम्मिश्रण है।

६—स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्-दर्शनम्—यह भग दूसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है।

७—स्यादस्ति नास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्-दर्शनम्—तीसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है।



नैगम-नय

देश-समग्र-ग्राही नैगमः ।

— तत्त्वार्थ भाष्य, १—३५

नैगमो मन्यते वस्तु, तदेतदुभयात्मकम् ।
निर्विशेषं न सामान्यं, विशेषोऽपि न तद् विना ॥

— नय-कर्णिका

“नैगम-नय वस्तु को उभयात्मक, अर्थात् सामान्य-विशेष रूप मानता है। क्योंकि विशेष के विना सामान्य और सामान्य के विना विशेष, किसी भी तरह घटित नहीं हो सकते।”

: ७ :

नैगम-नय

अध्यापक ने अपना नय विषयक वक्तव्य सक्षेप में ही समाप्त करके सातों छात्रों को नैगम-नय का अर्थ, और उसका सक्षिप्त विवेचन करने की आज्ञा प्रदान की। तदनन्तर छात्रों ने नैगम-नय का अर्थ करते हुए अपने-अपने विचार प्रगट किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा— “अनेक प्रकार के सामान्य एवं विशेष-ग्राहक ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु-तत्त्व^१ का निश्चय किया जाय, उसे ‘नैगम-नय’ कहते हैं।”—१

वैशेषिक दर्शन के अनुसार यदि सामान्य और विशेष का स्वरूप माना जाए, तो ‘अविशुद्ध’ नैगम नय के अन्तर्भूत हो सकता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शनकार ने सामान्य

१—ऐसेहि माणेहि मिणाइति षेगमस्स य निरुत्ती ।

— अनुयोगद्वार सूत्र टीका

ओर विशेष को भिन्न-भिन्न पदार्थ माना है, और तदनुसार उनके लक्षण भी भिन्न ही प्रतिपादित किए हैं।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“लोकार्थ गिवोध को निगम कहते हैं, उसमें जो कुशल हो उसे नैगम कहते हैं।”—१

‘लोक’ का आवय लोकिक से है। अर्थ का तात्पर्य है—जीवादि तत्त्व, अर्थति—लोकिक दर्शनकारों ने जीवादि तत्त्व पर अपनी-अपनी मान्यतानुसार जो विचार धाराएँ व्यक्त की हैं, उसे निगम कहते हैं, उसी को मुख्यवस्थित तथा विशिष्ट-स्पेशन बोध करने वाले ज्ञान को ‘नैगम-नय’ कहते हैं।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“जिसके द्वारा गमन किया जाए, उसे ‘गम’ कहते हैं। जिसके अनेक मार्ग हो, उसे ‘नैक गम’ कहते हैं। निरुक्त विधि से ‘नैक’ गद्व का ककार लुप्त हो जाने पर ‘नैगम’ गद्व बनता है।”—२

१—“लोगत्य-गिवोहा वा निगमा, तेमु कुसलोऽभवोऽयम् ।”

— नय प्रदीप

२—“जे नैगमो, अणेग-पहो, गोगमो, तेण गम्यतेऽनेति”
गम = पन्था, न एक-गमा पन्थानो यस्यामी नैकगम। निरुक्त-विधिना ककार-लोपात् नैगम इनि।”

— विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति

हत्थे की लकड़ी के सकल्प से कहो जाते हुए, यदि किसी को कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब वह जवाब में कहता है कि मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा हूँ। वास्तव में तो वह कुल्हाड़ी के लिए हत्थे की लकड़ी लेने ही जा रहा है, तब भी वह ऊपर जैसा ही जवाब देता है, और पूछने वाला भी तत्काल उसके तात्पर्य को समझ लेता है। यह एक तरह की 'लोक-रुढ़ि' है।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“नैक गच्छतीति निगम, निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगमः,”—लोक-रुढ़ि के अनुसार जिसके अनेको ही मार्ग हो, उसे नैगम कहते हैं। मुख्यतया नैगम नय के तीन भेद हैं—१

- (१) महासामान्य,
- (२) सामान्य,
- (३) विशेष।

पर-सत्ता को महासामान्य कहते हैं। अपर-सत्ता को सामान्य कहते हैं। और जो नित्य द्रव्यों में रहने वाले हैं तथा व्यावर्तक हैं, वे विशेष कहलाते हैं। दूसरी शैली से भी इसके तीन भेद बनते हैं, जैसे—(क) अविशुद्ध नैगम (ख) विशुद्धा-विशुद्ध नैगम, और (ग) विशुद्ध नैगम।

१—नैक गच्छतीति निगम। निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगम।

कथित तीनों भेदों को स्पष्टतया समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे—

कोई व्यक्ति चादर बनाने के लिए बाजार से रुई खरीद रहा है। वही पर किसी आगन्तुक ने पूछा, क्या ले रहा है? उसने उत्तर दिया चादर ले रहा हूँ। वही आगन्तुक व्यक्ति उस रुई को पीज भी रहा है। अत उससे पूछा गया—क्या बना रहा है? वह उत्तर देता है, मैं चादर बना रहा हूँ वही व्यक्ति तकलीया चर्खे से सूत कात रहा है, किसी ने पूछा—क्या बना रहे हो? उसने उत्तर दिया—मैं चादर बना रहा हूँ। खड़ी मैं ताना तानत हुए से पूछा, कि क्या बना रहा है? उत्तर दिया, मैं चादर बना रहा हूँ। अर्थात् चादर बनाने के दृढ़ सकल्प से लेकर रुई खरीदने तक 'अविशुद्ध नैगम' कहलाता है, और सूत कातना आदि क्रिया 'विशुद्धाविशुद्ध नैगम' कहलाता है, ताना तानते हुए उसने जो उत्तर दिया, वह 'विशुद्ध नैगम' है।

पंचम छात्र

॥

पाँचवे छात्र ने कहा—“जब अतीत काल में वर्त्तमान का आरोप किया जाए, तब उसे भूत-नैगम कहते हैं। जैसे आज दीपावली को श्रीवर्द्धमान स्वामी का निर्वाण हुआ। आज अमुक तीर्थद्वार को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ।”

“जब भावि-काल में भूत काल की तरण ह कथन किया जाता है, तब उसे भावि-नैगम कहते हैं। जैसे कि भव-सिद्धिक जीव सिद्ध ही है, क्योंकि भगवती स्त्रीवश त्र के ग्रन्थारहन्त्रे

शतक मे भगवान् महावीर स्वामी प्रतिपादन करते हैं, कि— भव-सिद्धिक जीव एक या अनेक चरम है। अत जो चरम है, वे अर्हन् ही है, और जो अर्हन् हैं वे सिद्ध ही है। अत. सिद्धत्व परिणाम अचरम है। जब कारण को कार्य-रूप मे परिणत करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है, तब कार्य पूरा होने मे भले ही विलम्ब हो, परन्तु वह कार्य पूर्ण ही कहा जाता है। इस प्रकार के नय को “वर्तमान-नैगम-नय” कहते हैं।

उदाहरण के लिए भृगु पुरोहित और उसके दोनो पुत्रो का सवाद ले लीजिए—

पुरोहित के दोनो पुत्रो ने दीक्षा का दृढ सकल्प तो कर लिया, परन्तु अभी तक दीक्षा ग्रहण नही की थी। फिर भी पुरोहित ने उन्हे मुनि कहा है।—१

इसी प्रकार दीक्षा लेने से पहले ही नमिराज को राजषि कहा है। ये उदाहरण ‘वर्तमान नैगम-नय’ के हैं।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—जो विचार लौकिक रूढि अथवा लौकिक सस्कार के अनुसरण करने से पैदा होता है, उसे

१—अह तायगो तत्थ मुणीण तेसि,

तवस्स वाघायकर वयासी ।

इम वय वेयविश्रो वयन्ति ;

जहा न होइ श्रसुयाण लोगो ॥

नैगम कहते हैं; अर्थात्—लोक रुद्धियो से पड़े हुए सस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगम-नय के अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। देश, काल एवं लोक स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोक रुद्धियाँ तथा तजजन्य सस्कार भी अनेक तरह के होते हैं। उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिलते हैं।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—जो नय एक गम, अर्थात्—एक विकल्प-रूप ही नहीं हो, किन्तु जो अनेक विकल्पों द्वारा अनेक मान, अनुमान और प्रमाण द्वारा वस्तु-स्वरूप को समझता हो, पदार्थी को सामान्य, विशेष तथा उभयात्मक मानता हो, तीनों काल की वात को स्वीकार करता हो, किसी वस्तु में अश-मात्र गुण होने पर भी उसे पूर्ण वस्तु मानता हो, चारों निक्षेपों को अङ्गीकार करता हो, वह जान नैगम-नय कहलाता है। अथवा—

किसी वस्तु में किसी एक पर्याय के होने की योग्यता मात्र देखकर वर्त्तमान में उस पर्याय के अभाव में भी उस वस्तु को उस पर्याय-युक्त कहना, उसे नैगम-नय कहते हैं।

जैसे वर्त्तमान में श्रेणिक की आत्मा को नारकीय होते हुए भी तीर्थञ्चकर कहना, क्योंकि यह नय, द्रव्य-तीर्थञ्चकर को भी तीर्थञ्चकर मानता है। द्रव्य-साधु को भी साधु मानता है।

इसके पश्चात् अध्यापक नय और नैगम का ग्रर्थ बतलाते हुए इस प्रकार कहने लगा—

अध्यापक

किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करने वाला विचार ‘न्य’ है” — नयों का निरूपण, अर्थात्—विचारों का वर्गीकरण। जैसे सूत्रकार गिष्ठ की सुगमता के लिए किसी महान् शास्त्र के रचना काल में अपने अभीष्ट विचारों को पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध, अथवा प्रथम श्रुतस्कन्ध एवं द्वितीय श्रुतस्कन्ध ; इस प्रकार दो विभागों में विभक्त कर देते हैं। आगे चलकर प्रत्येक श्रुतस्कन्ध में भिन्न-भिन्न विषय पर अध्ययन। प्रत्येक अध्ययन में भिन्न-भिन्न प्रकरण, और प्रत्येक प्रकरण में एक ही विषय को स्पष्ट करने वाले भिन्न-भिन्न विचार। इसी प्रकार नय-शास्त्र में ‘नय-वाद’ का निरूपण है, अर्थात्—“विचारों की मीमांसा” ही ‘नय-वाद’ है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि—जो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, परन्तु वास्तव में जिनका विरोध नहीं है, ऐसे विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना, अर्थात्—परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेषणा करके वैसे विचारों का समन्वय करने वाला शास्त्र ‘नय-वाद’ कहलाता है। सात नयों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—(क) द्रव्यार्थिक, और (ख) पर्यायार्थिक। वस्तु के सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाला नय ‘द्रव्यार्थिक’ कहा जाता है, और विशेष धर्म को ग्रहण करने वाला नय ‘पर्यायार्थिक’ कहा जाता है।

नभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक-सी नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बनलाने के लिए इन दो विचार दृष्टियों के पुन अनेक भाग किये गए हैं। जैसे कि द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—“नेगम, सग्रह, व्यवहार और पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत। अब ‘द्रव्यार्थिक’ और ‘पर्यायार्थिक’ का स्वरूप उदाहरण के द्वारा समझिए।

पहला उदाहरण—

जैसे किसी मनुष्य ने गाढ़-तिमिर में स्पर्जनेन्द्रिय के द्वारा हस्त-गत वस्तु को जाना कि ‘यह पुस्तक है। फिर उसका आकार-प्रकार और वजन भी जाना। फिर दूरवर्ती विजली के प्रकाश में टाईटल की खूबसूरती और कागज का रग, उसकी चमक, स्निग्धता तथा रुक्षता और मोटाई को भी जाना। ‘द्रव्यार्थिक नय’ का यह सक्षिप्त परिचय है।

अनन्तर उसकी भाषा भी जानी जा सकती है। रचयिता कौन है? भाषा-बैली कैसी है? विषय क्या है? छपाई कैसी है? मूल्य क्या है? कहाँ से मिलती है? इसके अभी तक कितने मन्तकरण निकल चुके हैं? कौन-से मन् में छपी है? किस प्रेम ये छपी है? भूमिका किस की लिखी हुई है? पृष्ठ संख्या और ग्रन्थाग्र कितना है? आदि अनेक प्रश्न हल किए जा सकते हैं, इसी को ‘पर्यायार्थिक नय’ कहते हैं।

दूसरा उदाहरण—

जैसे अवोध वालक किसी विशिष्ट चित्रगत सौन्दर्य को

या उसके आकार-प्रकार को महासामान्य रूप में ही जानता और देखता है। आठ वर्ष का बालक कुछ विशेष रूप से जानता है, और देखता है। चित्र-कला से अनभिज्ञ सोलह वर्ष का बालक भी हो, तब भी वह जो कुछ जानता और देखता है, पहले की अपेक्षा से तो वह विशेष ही जानता है, किन्तु है यह भी सामान्य की कोटि में ही। यहाँ तक 'द्रव्याधिक नय' का सम्बन्ध है।

विशिष्ट चित्रकार उसी चित्र को विशेष रूप से जानता है, यही 'पर्यायाधिक नय' है। जैसे विशेष हृष्ट वाला मनुष्य अनधड सुवर्ण में भी भूषण आदि अनन्त पर्यायों की कल्पना कर सकता है, और कल्पित को भी जान सकता है, इसी प्रकार उन अनन्त पर्यायों में से किसी भी एक में, सामान्य हृष्ट द्वारा वही मनुष्य स्वर्णत्व को भी जान सकता है। द्रव्य हृष्ट में विशेष-पर्याय, और पर्याय हृष्ट में द्रव्य-सामान्य आता ही नहीं, ऐसी वात नहीं है। यह हृष्ट विभाग तो केवल गौण और प्रधान भाव की अपेक्षा से ही समझना चाहिए।

नैगम-नय का आधार —लोक-रूढि है, जो आरोप पर आश्रित है। और आरोप होता है—सामान्य-तत्त्वाश्रयी। ऐसा होने से 'नैगम-नय' सामान्य-ग्राही होता है।

नैगम-नय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष दोनों का ही लोक-रूढि के अनुसार कभी तो गौण रूप से और कभी मुख्य रूप से अवलबन करता है।

जैसे—गुण और गुणी, अवयव और अवयवी, जाति और

जातिमान्, क्रिया और कारक आदि उपक्रमों में भेद और अभेद की विवक्षा करना ही नैगम-नय है।

गुण और गुणी कभी भिन्न है और कभी अभिन्न। जिस समय कर्ता की विवक्षा भेद की ओर होती है, उस समय अभेद गौण हो जाता है, और जिस समय अभेद की विवक्षा की जाती है, उस समय भेद की गौणता स्पष्ट हो जाती है। सारांश में यह कथन पर्याप्त है कि भेद और अभेद को—गौण और प्रधान, दोनों भाव में ग्रहण करना ही 'नैगम-नय' का विषय है।

यदि एकान्त भेद को ही ग्रहण करे और अभेद की विलक्षण नास्ति ही कर दे, या अभेद को ही मान्यता की कोटि में रखे, और भेद की पूर्णतया उपेक्षा करे, तो इसी का नाम 'नैगमाभास' है।

वस्तुत नैगमाभास नय नहीं, बल्कि दुर्नय, अर्थात्—मिथ्यात्व-पोषक है, अत यह सिद्धान्त की कोटि में नहीं आ सकता। जैसे कि न्याय तथा वैशेषिक दर्शनकारों ने सामान्य तथा विशेष ये दोनों परम्पर पदार्थों को अत्यन्त भिन्न माना है, इच्छ्य, गुण और कर्म से भी उक्त दोनों पदार्थों को अत्यन्त भिन्न माना है। यही 'दुर्नय' है।

संग्रह-नय

सामान्य-मात्र-ग्राही परामर्शः संग्रहः

— प्रसाण-नय तत्त्वालोक, ७—१३

अवरे परम-विरोहे, सब्व अस्थिति सुद्ध-संग्रहणो ।
होइ तमेव असुद्धो इग-जाइ-विसेस-ग्रहणेण ॥

— लघु नय-चक्र

“विभिन्न वस्तुओं में तदगत विशेष गुण-धर्मों के कारण अत्यन्त विरोध होने पर भी वस्तु-गत ‘सामान्य सत्ता’ के कारण सभी को अस्ति रूप से ग्रहण करने वाला विचार ‘शुद्ध-संग्रह-नय’ है । और उन वस्तुओं में अवान्तर समानताओं के आधार पर एक अलग जाति-विशेष का ग्रहण करने वाला विचार ‘अशुद्ध संग्रह-नय’ है ।”

६

संग्रह-नय

नैगम-नय के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों से संग्रह-नय की व्युत्पत्ति, उसका स्वरूप तथा उसका विपय कितना है ? यह प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर सातो छात्रों ने इस प्रकार दिया ।

प्रथम छात्र

पहला छात्र बोला—‘अर्थात् सर्वेकदेश सग्रहण संग्रह,’—१ पदार्थों के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को सगृहीत करके एक सामान्य को स्वीकार करना ही ‘संग्रह नय’ की उपयोगिता है । इस नय की हृष्टि में सभी पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं, क्योंकि सामान्य धर्म सभी में विद्यमान हैं । सामान्य का विपय आकाश की तरह सर्व-व्यापी है ।

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला—“सामान्य-रूपतया सर्व सगृण्हातीति

सग्रह', अर्थात्—जो हृषि या श्रुत-ज्ञान सामान्य रूप से समस्त द्रव्यों का सग्रह करता है, वह 'सग्रह-नय' है। इसका विपय नैगम से कुछ भकुचित है, क्योंकि नैगम-नय का विपय सामान्य और विशेष दोनों ही है। किन्तु सग्रह का विपय केवल सामान्य ही है।

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—“सर्वेऽपि भेदां सामान्यं रूपतया सगृह्यते ज्ञेनेति सग्रह.”; अर्थात्—जिस ज्ञान के द्वारा सभी भेद नशा उपभेदों का सग्रह किया जाए, वह 'सग्रह-नय' कहलाता है। अर्थात्—जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में सगृहीत कर लेता है, वह 'संग्रह-नय' है।

चतुर्थ छात्र

चौथा छात्र बोला—‘सामान्य मात्र ग्राही परमार्थः सग्रह. ’; अर्थात्—सामान्य मात्रग्राही जो ज्ञान है, वह 'सग्रह-नय' है। इस वाक्य में 'मात्रपद' दिया है, जिसका अर्थ होता है—“मात्र कात्स्नेऽवधारणे च”—मात्रपद सम्पूर्ण और निश्चय का द्योतक है। 'सग्रह-नय' का विपय निश्चितरूपेण सामान्य ही है, अर्थात्—जहाँ-जहाँ सामान्य है, वहाँ-वहाँ सग्रह नय का विपय है।

पंचम छात्र

पांचवा छात्र बोला—“सामान्यमज्ञेप-विशेष-रहितम्”—

अर्थात्—जो समस्त विशेषों से रहित है, वही सामान्य है। “संग्रहण सामान्यरूपतया सर्व-वस्तुनामाक्रोडन संग्रह” ; अर्थात्—जो वाक्य सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को अभेद हृष्टि से एक रूप में संग्रह ‘करे, वह ‘संग्रह-नय’ है। जैसे ‘कि मनुष्य-जाति में’ सज्जी-मनुष्य तथा असज्जी-मनुष्य, ‘अपर्याप्त-मनुष्य और पर्याप्त-मनुष्य, छहो सहनन वाले मनुष्यों तथा छहो स्थान वाले मनुष्यों, और अखिल वर्गों का अन्तर्भवि हो जाता है, अर्थात्—मनुष्य जाति में सभी प्रकार के मनुष्य अभेद रूप से रह रहे हैं, जिसे शास्त्रीय परिभाषा में ‘मनुष्य दण्डक’ भी कहते हैं।

छठ छात्र

छठा छात्र बोला—जो एकीभाव करके पिंडीभूत विशेष राशि को ग्रहण करे, उसे ‘संग्रह-नय’ कहते हैं। संग्रह दो प्रकार का होता है—सामान्य और विशेष। पहला सामान्य-संग्रह, जैसे कि सर्व द्रव्य परस्पर अविरोधी है। और दूसरा विशेष संग्रह—जैसे कि सभी जीव-द्रव्यात्मा की हृष्टि से परस्पर अविरोधी है।

सप्तम छात्र

सातवाँ छात्र बोला—संगृहीत का अर्थ है—पर संग्रह ! पिण्डित का अर्थ है—अपर संग्रह। अथवा संगृहीत का अर्थ है महासामान्य, और पिण्डित का अर्थ है—सामान्य-विशेष। सत्ता, पर-संग्रह, महासामान्य, ये सब सामान्य संग्रह के नामान्तर

है। जैसे कि द्रव्यत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि धर्म, सभी द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान है।—१

पिण्डित, अवान्तर, सामान्य, अपर सग्रह, आदि ये सब विशेष सग्रह के नामान्तर हैं। जैसे कि जीवत्व, पुद्गलत्व आदि धर्मस्व स्व-जाति में अविरोधी भाव से रह रहे हैं। पर-जाति की अपेक्षा उपर्युक्त धर्म विशेष हैं, क्योंकि ये धर्म अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, अत इसे विशेष सग्रह कह सकते हैं। स्व-जाति के विरोध के बिना समस्त पदार्थों का एकत्व में सग्रह करना ही 'सग्रह-नय' कहलाता है।

अध्यापक ने सब छात्रों के द्वारा की गई 'सग्रह नय' विपयक व्याख्या को दत्त-चित होकर मुना और साथ ही उन सभी के द्वारा वर्णित भिन्न-भिन्न लक्षणों को सकलित करते हुए अपने ढग से सग्रह-नय का विवेचन इस प्रकार किया —

अध्यापक

आप लोगो ने सग्रह-नय का भिन्न-भिन्न शैली से जो विवेचन किया है, वह निससन्देह विरोधी नहीं है। आशय तो सब का एक ही है, किन्तु कथन का ढग एक-दूसरे से भिन्न है। जिस प्रकार किसी ने रूपये का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि

१—सगहिय-पिण्डियत्थ सग्रह-वयण समासओ विति।

— अनुयोगद्वार, मूल

दो अठन्नियों को रूपया कहते हैं। किसी ने कहा चार चवन्नियों को, किसी ने आठ दुअन्नियों को, एव सोलह आने को, वत्तीस टके को, चौसठ पैसों को, तो किसी ने १९२ पाइयों को रूपया बतलाया। जैसे उपर्युक्त सभी वाचक भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु उन सभी वाचकों का वाच्य एक ही है।

सामान्य या अभेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि 'सग्रह-नय' है। यह हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है, तथैव भेदाभेदात्मक है। इन दोनों धर्मों में से सामान्य या अभेद धर्म का ग्रहण करना, और विशेष-धर्म के प्रति, अर्थात्—भेद-धर्म के प्रति उदासीनता प्रकट करना 'सग्रह-नय' है। वस्तुत कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो सत् न हो। जिस प्रकार नीलादि आकार वाले समस्त ज्ञान, सामान्य ज्ञान के भेद हैं, उसी प्रकार जीवादि जितने भी तत्व हैं, सब सत् हैं। परन्तु सग्रह की मान्यता है कि सब एक है, क्योंकि सब सत् हैं।

इस सम्बन्ध में स्थानांग सूत्र के एक स्थान में लिखा है कि—आत्मा एक है।—१ जबकि अन्य आगमों में आत्मा की सख्या अनन्तानन्त बतलाई गई है। फिर आत्मा की सख्या एक कैसे मानी जाए? ऐसी गका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः यह कहना पड़ेगा कि यह पाठ 'सग्रह-नय' की अपेक्षा से कहा गया है। आत्मा एक है, द्रव्यात्मा अथवा उपयोगात्मा की दृष्टि से। ये दो आत्मा-स्वरूप अत्प-विकासी

१—ऐसे आया।

—स्थानांग सूत्र, १—१

निगोद-जीव से लेकर सम्पूर्ण-विकासी सिद्धात्मा पर्यन्त सभी जीवों में एक अर्थात् समान पाए जाते हैं। इसी प्रकार 'एगे पुण्य' पुण्य एक है, जबकि इसी मूत्र के नींवे स्थान में नौ प्रकार के पुण्य का उल्लेख है। इस गका का समाधान भी सग्रह-नय की हृष्टि से हो जाता है। यद्यपि पुण्य अनेक प्रकार का है, फिर भी शुभ अध्यवसाय रूप होने के कारण वह सब एक ही है। यही बात 'एगे पावे' पाप एक है, इस सम्बन्ध में भी है। अशुभ अध्यवसाय-रूप से परिणत आत्मा का परिणाम पाप है वह अनेक प्रकार का होते हुए भी अशुभत्वेन एक है। इस प्रकार स्थानाग मूत्र का पहला स्थान प्रायः 'सग्रह-नय' से ओत-प्रोत है।

द्रव्यावश्यक के करने वाले जिनमें भी व्यक्ति है, नैगम-नय, उतने ही द्रव्यावश्यक मानता है, किन्तु सग्रह-नय द्रव्यावश्यक रूप में सब को एक मानता है। इसी प्रकार द्रव्य-श्रुत के विषय में भी समझ लेना। वसति के विषय में—सग्रह-नय मानता है कि जिस गया पर व्यक्ति आराम करता है, वह उसकी वसति है।

प्रदेश हृष्टान्त के विषय में—नैगम-नय छह के प्रदेश मानता है। जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश, स्कन्ध-प्रदेश, देश-प्रदेश। जबकि सग्रह-नय मानता है कि देश-प्रदेश के बिना पाँच के प्रदेश है, क्योंकि 'देश' उसी द्रव्य का एक भाग है, और उसके प्रदेश तो द्रव्य में ही सम्मिलित किये जा सकते हैं। स्वतन्त्र रूप में देश कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे—‘मेरे गुलाम ने घोड़ा खरीदा

है', इस वाक्य मे गुलाम भी मेरा है और घोड़ा भी मेरा । अत ऐसा नहीं कहना चाहिए कि छह के प्रदेश होते हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि पाँच के प्रदेश है, जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश और स्कन्ध-प्रदेश ।

महासामान्य के अवान्तर भेदो का ग्रहण करना सग्रह का कार्य है । 'अपर-सामान्य,' पर-सामान्य के द्रव्य-गुण आदि भेदो मे रहता है, अर्थात्—द्रव्य मे रहने वाली सत्ता 'पर-सामान्य' है और द्रव्य का जो द्रव्यत्व सामान्य है, वह 'अपर-सामान्य' है । इसी प्रकार गुण मे सत्ता 'पर-सामान्य' है और गुणत्व 'अपर-सामान्य' है, जैसे—जीव-द्रव्य मे जीवत्व सामान्य अपर-सामान्य है । इस प्रकार जितने भी अपर हो सकते हैं, उन सब का ग्रहण करने वाला अपर सग्रह है । घटत्व, पटत्व, गोत्व तथा ब्राह्मणत्व आदि उदाहरण अपर-सामान्य के ही बनते हैं ।

'सग्रह-नय' की दृष्टि से सभी मुक्तात्मा एक समान हैं, अर्थात्—पन्दरह भेद वाले सिद्धों की गणना सग्रह नहीं करता है । यदि इसे अभेद-नय कहा जाए तो असगत न होगा । जिस प्रकार चारित्रात्मा मे पाँचो ही चारित्रो का सग्रह हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानात्मा मे पाँचो ही ज्ञान का सग्रह हो जाता है । इसी क्रम के अनुमार कषायात्मा मे चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृतियो का सग्रह, और योगात्मा मे पच्चीस योगो का सग्रह हो जाता है ।

संग्रह-नय

संग्रहो मन्यते वस्तु,
सामान्यात्मकमेव हि ।
सामान्य-व्यतिरिक्तोऽस्ति,
न विशेष. ख-पुष्पवत् ॥

— नय-कर्णिका

संग्रह-नय वस्तु को केवल सामान्यात्मक ही मानता है, क्योंकि सामान्य से अलग विशेष आकाश के फूल की तरह कोई अस्तित्व नहीं रखता ।

व्यवहार-नय

लौकिक सम उपचारप्रायो,
विस्तृतार्थो व्यवहारः

— तत्त्वार्थ भाष्य, १—३५,

“जं संगहेण गहियं भेयइ अत्थं असुद्ध-सुद्धं वा ।
सो ववहारो दुविहो असुद्ध-सुद्धत्थ भेयकरो ॥”

— लघु नय-चक्र

सग्रह-नय से ग्रहण की गई समस्त द्रव्यो की एक जाति में विधिवत् भेद करने वाला, गुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा—द्रव्य के दो भेद है—‘जीव’ और ‘अजीव’ ; तथा उन अवान्तर जातियों में भी उपभेद करने वाला अगुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा—जीव के दो भेद हैं—‘ससारी’ और ‘मुक्त’ ।

: ६ :

व्यवहार-नय

अध्यापक ने अपना सग्रह-नय विषयक वक्तव्य संक्षेप से निरूपण करके व्यवहार-नय का यथाशक्य विवेचन करने के लिए छात्रों को आदेश दिया । तदनुसार छात्रों ने 'व्यवहार-नय' का विवेचन इस प्रकार किया—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—जिसके द्वारा सामान्य का निराकरण किया जाए, और विग्रेप रूप से व्यवहार किया जाए, उसे 'व्यवहार-नय' कहते हैं ।—१

तत्त्व-ज्ञान के प्रदेश में सदरूप वस्तु भी जड़ और चेतन रूप में दो प्रकार की है । आगम में जड़-पदार्थ पांच प्रकार से वर्णित हैं; जैसे—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय कालद्रव्य और पुद्गलास्तिकाय । इनमें से पुद्गलास्तिकाय

१—विशेषतोऽवहियते, निराक्रियते सामान्यं येन, इति व्यवहारः ।

—विशेषावश्यक भाष्य-बृत्ति

ही रूपी तथा मूर्त है, शेष चार अरूपी और अमूर्त हैं।

चेतन तत्त्व के दो भेद हैं - मुक्त और संसारी। व्यवहार-नय के अनुसार मुक्तात्मा के पन्द्रह भेद आगम-विहित हैं, और संसारी जीवों के पाँच-सौ तरेसठ भेद हैं। उक्त सामान्य तत्त्व के भेदानुभेद करके उसे व्यवहार में लाना ही इस नय का मुख्य ध्येय है।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“सग्रह-नय के द्वारा सगृहीत अर्थ का विधि पूर्वक अवहरण करना, अर्थात्—जिस अर्थ को सग्रह-नय ग्रहण करता है, उसी अर्थ को विशेष रूप से जब वोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है; यही व्यवहार-नय है।”—२। जैसे कि औपध मात्र कहने और जानने से सामान्य का ही वोध हो सकता है, विशेष का नहीं। विशेष तो होगा—देशी और विदेशी।

फिर प्रत्येक के चार-चार भेद हैं; जैसे—खाने की, पीने की, डालने की और लगाने की औपधियाँ। आगे चलकर उनके नाम, गुण, दोष, मात्रा तथा सेवन-विधि, और अनुपान आदि प्रत्येक के भिन्न-भिन्न भेद हैं। इस प्रकार जानकारी के द्वारा अध्यवसाय विशेष को व्यवहार में लाना ही लौकिक व्यवहार है। जो सामान्य-तत्त्व व्यवहार-पथ पर सही नहीं

२—विधि-पूर्वकमवहरण व्यवहार।

— तत्त्वार्थ राजवातिक

उत्तर सकता है, वह खर-शृङ्खला अवस्था है। अत. लौकिक क्रिया का सूत्र-पात करने वाला 'व्यवहार-नय' ही है।

— तीर्थज्ञान भी छब्बस्थ को सन्मार्ग पर लगाने के लिए व्यवहार-नय का अनुसरण करते हैं। जो शिक्षा और उपदेश सूत्रों में विहित है, वे सब प्रायेण व्यवहार-नय पर अवलम्बित हैं।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“विविध वस्तुओं को एक रूप में सकलित करने के पश्चात् उनका विशेष रूप में बोध कराना हो, या लोक-व्यवहार में उपयोग करने का जब भी प्रसंग आए, तब उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक् करणा करने वाली दृष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं।” जैसे कि मनुष्य कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों का अलग-अलग बोध नहीं हो सकता।—१

व्यवहार-नय मुख्यतया मनुष्य के चार भेद स्वीकार करता है, जैसे—कर्म-भूमिक, अकर्म-भूमिक, अतद्वीपक तथा समूच्छिम ; ग्रथवा स्त्री, पुरुष, और नपु सक। इसी प्रकार चार वर्ण, और प्रत्येक वर्ण की भिन्न-भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न कुल; जैसे—धनी और निर्धन, रोगी और नीरोगी, सद्गुरुणी और दुर्गुणी, रूपवान और रूप-विहीन, सज्जन और दुर्जन, आर्य और अनार्य, आदि अनेक भेद बन जाते हैं।

१—लोक-व्यवहारपरो वा विशेषतो यस्मात् इति व्यवहार ,

ही रूपी तथा मूर्त है, शेष चार अरूपी और अमूर्त है ।

चेतन तत्त्व के दो भेद ह - मुक्त और ससारी । व्यवहार-नय के अनुसार मुक्तात्मा के पन्द्रह भेद आगम-विहित हैं, और ससारी जीवों के पाँच-सौ तरेसठ भेद हैं । उक्त सामान्य तत्त्व के भेदानुभेद करके उसे व्यवहार में लाना ही इस नय का मुख्य ध्येय है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“सग्रह-नय के द्वारा सगृहीत अर्थ का विधि पूर्वक अवहरण करना, अर्थात्—जिस अर्थ को सग्रह-नय ग्रहण करता है, उसी अर्थ को विशेष रूप से जब बोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है; यही व्यवहार-नय है ।” —२। जैसे कि औपध मात्र कहने और जानने से सामान्य का ही बोध हो सकता है, विशेष का नहीं । विशेष तो होगा—देशी और विदेशी ।

फिर प्रत्येक के चार-चार भेद हैं; जैसे—खाने की, पीने की, डालने की और लगाने की औषधियाँ । आगे चलकर उनके नाम, गुण, दोष, मात्रा तथा सेवन-विधि, और अनुपान आदि प्रत्येक के भिन्न-भिन्न भेद हैं । इस प्रकार जानकारी के द्वारा अध्यवसाय विशेष को व्यवहार में लाना ही लौकिक व्यवहार है । जो सामान्य-तत्त्व व्यवहार-पथ पर सही नहीं

२—विधि-पूर्वकमवहरण व्यवहार ।

पंचम छात्र

पाचवे छात्र ने कहा—‘लौकिक के समान, और प्रायः अधिकतर उपचार के आश्रयीभूत अर्थ को विस्तृत करने वाली दृष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं।’—१ जैसे कि लोक-व्यवहार में भ्रमर तथा कोयल काली है, तोता हरा है, हस रखेत है। किन्तु निश्चय दृष्टि से इनमें पांचो ही वर्ण हैं। किंगुक पुष्प निर्गन्ध है, जबकि निश्चय दृष्टि को उसमें गन्ध मान्य है। लोक-व्यवहार अग्नि में रस, वायु में रूप मान्य नहीं करता है, जबकि निश्चय दृष्टि मान्य करती है।

फूल मुकोमल तथा हल्का होता है, यह कथन भी व्यावहारिक ही है। निश्चय दृष्टि से तो फूल में आठो ही स्पर्ग पाए जाते हैं। लोक-व्यवहार में जैसा प्रसिद्ध है, उसे तदरूप में ही स्वीकार करना, ‘लौकिक-सम’ कहलाता है। उसी को व्यवस्थित तथा विजिष्ट दृष्टि से बतलाने वाला “व्यवहार-नय” है। चार्वाक आदि दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, शेष प्रमाणों का सर्वथा निषेध करते हैं। उनकी विचार-धारा व्यवहार नयाभास में अन्तर्भुक्त हो जाती है।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—“जो अध्यवसाय विशेष वस्तु का

१—लौकिक-सम उपचार प्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार।

व्यवहार-नय वहाँ तक भेद करता 'जाता है, जहाँ तक पुनः भेद की सभावना न हो ।

शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार मनुष्य की चौदह लाख योनियाँ हैं। इन भेदों की कल्पना व्यवहार-नय पर ही अवलम्बित है। इस नय का मुख्य लक्ष्य है—व्यवहार-सिद्धि ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“जो अध्यवसाय-विशेष लोक-व्यवहार के लिए अत्यन्त उपयोगी है, वही व्यवहार-नय है ।” यह नय उसी पदार्थ की घट-सज्ञा को स्वीकार करता है, जो जल धारण-आहरण आदि अर्थ में क्रियाकारी हो। जिस में अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसे घट नहीं मानता है। जिसमें शीत-निवारण एवं तनु-आवरण आदि अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसकी पट-सज्ञा को अङ्गीकार नहीं करता। जिसमें दस द्रव्य-प्राणों में से एक भी प्राण न हो, उसे प्राणी नहीं मानता। जिसमें विशिष्ट ज्ञान न हो, उसे ज्ञानी नहीं मानता।

यह नय ज्ञान के चार साधन स्वीकार करता है, जैसे— प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और आगम। लोक-व्यवहार का भी यही मन्तव्य है, और व्यवहार-नय का भी, किन्तु दृष्टि में अन्तर है। लौकिक दर्शन एकान्त दृष्टि से किसी तत्त्व-विशेष को मानता है, जबकि व्यवहार-नय अनेकान्त दृष्टि से अपने विषय को ग्रहण करता है। यही दोनों में अन्तर है।

- छेद-सूत्रों में प्रमत्त साधकों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। वह प्रायेण व्यवहार की अशुद्धि, एवं सयम की स्खलना से बचने के लिए है। जहाँ साधक जीवन में अप्रमत्त अवस्था है, वहाँ भी व्यवहार की शुद्धि अनिवार्य हो जाती है।

यह व्यवहार-नय भी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेद-पूर्वक है, अभेद-पूर्वक नहीं।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—“वच्चइ विणिच्छत्य व्यवहारो
सब्व दव्वेसु,” —१ इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए मल्ल-
धारी हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

“निश्चय-सामान्य विगतो निश्चयो विनिश्चय. सामान्या-
भाव, तदर्थं तन्निमित्तं व्रजति प्रवर्तते सामान्याभावायैव यतते
व्यवहारो नय इत्यर्थं ।”—२

अर्थात्—“सामान्य-अभाव के लिए प्रवृत्ति करने वाले
दृष्टि-कोण को ‘व्यवहार-नय’ कहते हैं।” यह लोक-व्यवहार
का अग होने के कारण सामान्य को नहीं मानता; केवल
विशेष को ही ग्रहण करता है। अथवा यो कहिए कि ‘व्यवहार-
नय’ लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाला है।

व्यवहार-नय के दो भेद हैं—सामान्य-भेदक और विशेष-
भेदक। सामान्य-सग्रह में भेद करने वाले नय को ‘सामान्य-

१—अनुयोग द्वारा सूत्र

२—विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति

विभाग उपचार रूप से करे, वह 'व्यवहार-नय' है ।—१ सर्व-
द्रव्यों और उनके विषयों में सदा प्रवृत्ति करने वाले नय को
'व्यवहार-नय' कहते हैं ।" यह नय प्रायः लोक-व्यवहार
सरणि का अनुसरण करने वाला है । जैसे कि घड़ा चूता है ।
वस्तुतः चूता तो पानी है, किन्तु कहने में यही आता है कि
घड़ा चूता है । रास्ता चलता है, कुँआ चलता है, नगर आया,
पर्वत जलता है, आदि कथन व्यवहार-नय के अनुसार
प्रचलित है । जहाँ ग्रीष्मचार्शक रूप से भेद का कथन किया
जाए, वहाँ 'व्यवहार-नय' का अवतरण हो जाता है ।

व्यवहार के लिए सदैव भेद-बुद्धि का अवलम्बन लेना
पड़ता है । यह भेद-बुद्धि परिस्थिति की अनुकूलता को
दृष्टि-पथ में रखते हुए अन्तिम भेद तक बढ़ सकती है, जिससे
कि पुनः भेद न हो सके । तीर्थद्वारे भगवान् भी व्यवहार की
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते । वस्तुतः 'व्यवहार-नय'
छब्बस्थों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, और केवली भगवन्तों
के लिए 'निश्चय-नय' । किन्तु फिर भी केवली भगवान्
छब्बस्थ जनों का व्यवहार शुद्ध रखने के लिए स्वयं ही 'व्यवहार-
नय' का अनुसरण करते हैं । जैसे रात्रि के समय अभ्यन्तर
परिपद में रहना, (मल्लिनाथ भगवान् की अभ्यन्तर परिपद
श्रमणी-वर्ग था) और सूर्यास्त के बाद विहार न करना, इन
दोनों व्यवहार-मर्यादाओं का पालन करते हैं ।

१—"भेदोपचारतया वस्तुं व्यवहित्येते इति व्यवहार ।"—

— आलाप पद्धति

छेद-सूत्रों मे प्रमत्त साधको के लिए प्रायशिच्छत का विधान है। वह प्रायेण व्यवहार की अशुद्धि, एव सयम की सखलना से बचने के लिए है। जहाँ साधक जीवन मे अप्रमत्त अवस्था है, वहाँ भी व्यवहार की शुद्धि अनिवार्य हो जाती है।

यह व्यवहार-नय भी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेद-पूर्वक है, अभेद-पूर्वक नहीं।

सप्तम छात्र

सातवे छात्र ने कहा—“वच्चइ विरिच्छिअत्थ व्यवहारो सब दव्वेसु,” —१ इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए मल्लधारी हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

“निश्चय-सामान्य विगतो निश्चयो विनिश्चयः सामान्याभावः, तदर्थं तन्निमित्तं व्रजति प्रवर्तते सामान्याभावायैव यतते व्यवहारो नय इत्यर्थः” —२

अर्थात्—“सामान्य-अभाव के लिए प्रवृत्ति करने वाले हृषि-कोण को ‘व्यवहार-नय’ कहते हैं।” यह लोक-व्यवहार का अग होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। केवल विशेष को ही ग्रहण करता है। अथवा यो कहिए कि ‘व्यवहार-नय’ लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाला है।

व्यवहार-नय के दो भेद हैं—सामान्य-भेदक और विशेष-भेदक। सामान्य-सग्रह मे भेद करने वाले नय को ‘सामान्य-

१—अनुयोग द्वार सूत्र

२—विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति

'भेदक' व्यवहार-नय कहते हैं। जैसे कि द्रव्य के दो भेद हैं—जीव और अजीव, रूपी और अरूपी, सक्रिय और निष्क्रिय, सप्रदेशी और अप्रदेशी, सचेतन और अचेतन, अगुरु-लघु और गुरु-लघु, भोक्ता और अभोक्ता आदि आदि।

विगेष-सग्रह मे भेद करने वाला विशेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है। जैसे जीव के दो भेद-सारी और मुक्त। छह द्रव्यो मे पुद्गलास्तिकाय रूपी है, शेष पाँच अरूपी। जीव और पुद्गल कथचित् सक्रिय है, शेष चार निष्क्रिय। एक काल-द्रव्य 'अप्रदेशी' है, जेप पाँच सप्रदेशी। एक सचेतन द्रव्य भोक्ता है, शेष पाँच अभोक्ता। एक पुद्गलास्तिकाय कथचित् गुरु-लघु है, शेष पाँच अगुरु-लघु। एक आकाशास्तिकाय क्षेत्र है, शेष पाँच क्षेत्री। पुद्गलास्तिकाय के सिवाय पाँच द्रव्यो मे एक जीवास्तिकाय पोगल और पोगली है, जेष चार अपोगली, आदि विगेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है।

जब सभी छात्र अपनी-अपनी बुद्धि से व्यवहार-नय का विस्तृत विवेचन कर चुके, तब अध्यापक बोला।

अध्यापक

मेरे प्रिय शिष्यो ! यद्यपि आप लोगों ने व्यवहार-नय का विवेचन यथाशक्य बहुत कुछ किया, तथापि मैं अवशिष्ट विषय का स्पष्टीकरण तथा उपसहार करता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो—

जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप मे सकलित वस्तुओ का व्यावहारिक प्रयोजनानुसार पृथक्करण

करता है, वह व्यवहार-नय है।

इसका विषय सग्रह-नय से न्यून है, क्योंकि सामान्य से विशेष का विपय न्यून ही हुआ करता है। व्यवहार का विषय भेदात्मक और विगेपात्मक होते हुए भी द्रव्य-रूप है, न कि पर्याय-रूप। यही कारण है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों में से व्यवहार का समावेश द्रव्यार्थिक नय में किया गया है। नैगम, सग्रह, और व्यवहार-ऋजुमूल इन चारों नयों का समावेश द्रव्यार्थिक नय में हो जाता है, शेष तीन नय-पर्यायार्थिक के भेद है। यह नय बाह्य स्वरूप का परिचायक है, और प्रपवाद मार्ग का अनुसरण करने वाला है।

“अप्पा कर्ता विकर्ता य दुहारण य सुहारण य ।”

अर्थात्—शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तथा उनका भोक्ता आत्मा ही है।—१

अप्पा चेव दमेग्रव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दतो सुही होई, अस्सि लोए परतथ य ॥

अर्थात्—आत्मा को दमन करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा अतीव दुर्दम है। वस्तुत दान्तात्मा ही ऐहिक तथा पारलौकिक सुख का अधिकारी होता है।—२

एक और तो भगवान् ने आत्म-विकास के लिए पूरा-पूरा जोर दिया है, और दूसरी ओर आत्मा को दमन करने

१—उत्तराध्ययन सूत्र

२—उत्तराध्ययन मूल,

को कहा है। अब इन दोनों मार्गों में से कौन-सा ग्राह्य है? यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इसका समाधान उक्त गाथा से ही हो जाता है। यहाँ कषायात्मा तथा योगात्मा से तात्पर्य है, इनका दमन करना ही आत्म-विकास है। इनका दमन सयम और तप से किया जा सकता है। सयम से पॉच आस्त्रवों का प्रवाह रोका जाता है और तप से अन्दर ही अन्दर कर्मों का शोषण करके उन्हे सत्ता-हीन बनाया जाता है। जैसे—अमृतपान गरीर-व्यापी विष को निर्विष बना देता है। यही उदाहरण तप में समझना चाहिए।

यह सब उपदेश व्यवहार-नय के अनुसार समझना चाहिए। क्योंकि कर्म-वन्धु और मोक्ष व्यवहार-दृष्टि से है, निश्चय-दृष्टि से तो मूर्त और अमूर्त का परस्पर वन्धु हो ही नहीं सकता। जब वन्धु ही नहो, तो मुक्त होने का प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता। निश्चय में तो आत्मा न कर्ता है, और न औदयिक दुख और मुख का भोक्ता ही। यदि आत्मा को एकान्त-रूपेण कर्मों का कर्ता और भोक्ता माना जाय, तो सिद्ध भगवन्तों को भी ससारी जीवों की तरह कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानना पड़ेगा। ऐसी मान्यता सिद्धान्त में स्वीकृत नहीं है। निश्चय-दृष्टि तो ऐसा मानती है कि कर्मों का कर्ता और भोक्ता कथचित् कर्म ही है। निश्चय-दृष्टि चारित्र को भी व्यवहार में समाविष्ट करती है, और आत्मा को केवल ज्ञाता एव द्रष्टा ही मानती है। ये ही आत्मा के दो वास्तविक गुण हैं। चारित्र का सम्बन्ध शरीर के साथ है। शरीर के बिना चारित्र नहीं होता। मुक्तात्मा में शरीर

नहीं, अत. वहाँ चारित्र भी नहीं है। तप, जप, सयम, ध्यान, समाधि, स्वाध्याय आदि शुभ क्रियाएँ, व्यवहार-नय की सीमा में परिसीमित हैं। परोपकार, दान-शीलता, जीव-रक्षा, रोगोपचार श्रनुकम्या, तथा अनाथ दीन-हीन दुखियों को सक्रिय सहयोग देना आदि शुभ क्रियाएँ भी व्यावहारिक हैं।

गुरु शिष्य को वाचना देते हैं, और शिष्य गुरु से वाचना लेते हैं, अर्थात्—विद्या का आदान-प्रदान व्यावहारिक है। व्यवहार-नय साधक को निश्चय की ओर अभिमुख करता है, और निश्चय श्रेणी में पहुँचने के पश्चात् वह व्यवहार-नय की श्रेणी में कथचित् नहीं रहता है। व्यवहार-नय चारो प्रमाणों तथा चारो निष्ठेपों को स्वीकार करता है एव काल-त्रय को भी मान्य करता है। तीन लोक, एव तीन योग को भी व्यावहारिक गैली से मानता है।

व्यवहार का स्वरूप अन्य प्रकार से भी ग्रन्थों में वर्णित है। जैसे—व्यवहार दो प्रकार का होता है।—(क) सद्भूत-व्यवहार, और (ख) असद्भूत-व्यवहार।

सद्भूत-व्यवहार का विषय एक वस्तु है, अर्थात्—जहाँ एक वस्तु में अभिन्न होते हुए भी भिन्नता की प्रतीति हो, वह सद्भूत-व्यवहार कहलाता है। जैसे—एक वृक्ष है, उसके साथ लगी हुई शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होती है। सद्भूत के दो भेद हैं—(क) शुद्ध-सद्भूत, और (ख) अशुद्ध-सद्भूत। शुद्ध-सद्भूत के भी दो भेद हैं—(अ) निःपादि शुद्ध गुण-गुणी का भेद-कथन

करना, अथवा (व) शुद्ध-पर्याय-शुद्ध-पर्यायी का भेद-कथन करना। क्षायिक भाव मे होने वाले कर्म-विकाररहित शुद्ध आत्मा से उसके गुण और पर्याय का भेद-कथन करना।

अशुद्ध-सद्भूत-च्यवहार के भी दो भेद हैं—(क) अशुद्ध गुण-गुणी का, (ख) तथा अशुद्ध-पर्याय और पर्यायी का भेद-कथन करना। इसके साथ सोपाधि अव्व जोड़ देना चाहिए। जिसका अर्थ होता है—कर्म-जनित विकार के साथ होने वाले परिणाम, अर्थात्—आदियिक, औपचारिक तथा क्षयोपचारिक भावो मे होने वाले आत्म-परिणाम सभी सोपाधिक हैं। अशुद्ध-गुण, अशुद्ध-गुणी का उदाहरण मति-ज्ञान आदि चार ज्ञान, मति-अज्ञान आदि तीन अज्ञान, आदि अशुद्ध गुण हैं।

जीव (अशुद्ध) गुणी क्षयोपचार-जन्य है। नैरयिक आदि औदियिक-जन्य अशुद्ध-पर्याय है, जीव अशुद्ध पर्यायी है। शुद्ध सद्भूत को अनुपचरित सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत को उपचरित सद्भूत भी कहते हैं।

जहाँ मुख्यता का तो अभाव हो, और किसी प्रयोजन के होने पर या किसी अन्य निमित्त के होने पर उपचार की प्रवृत्ति हुआ करती है, वह उपचार सम्बन्ध का सहचारी है, अर्थात्—उपचार और सम्बन्ध का परस्पर अविनाभाव है। जहाँ-जहाँ उपचार है, वहाँ-वहाँ सम्बन्ध अनिवार्य है। जैसे स्फटिक रत्न पर जपाकुसुम रखने से स्फटिक रत्न लाल हो जाता है, क्योंकि स्फटिक रत्न द्रव्य है, और जपाकुसुम भी द्रव्य है। यह है—द्रव्य मे द्रव्य का

उपचार । जो आकार-स्थान जपाकुमुम का है, वही आकर-स्थान स्फटिक रत्न में प्रतिबिम्बित हो जाता है । यह है—द्रव्य में पर्याय का उपचार । जपाकुमुम का रग लाल होता है, वही रग स्फटिक रत्न में देखा जाता है, अतः यह है—द्रव्य में गुण का उपचार ।

इसी प्रकार—गुण में गुण का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार समझ लेना चाहिए । इस विश्लेषण के अनुसार उपचार के कुल छह भेद हैं ।

असद्भूत व्यवहार के तीन भेद हैं : जैसे—(क) स्वजाति असद्भूत व्यवहार, अर्थात्—परमाणु वहु-प्रदेशी है, यह कहना । (ख) विजाति-असद्भूत व्यवहार, जैसे—मति-ज्ञान मूर्तिमान है क्योंकि वह ज्ञान मूर्ति से जनित है, यह कहना । (ग) उभय असद्भूत व्यवहार ; जैसे—ज्ञेय रूप जो जीव और अजीव है—उन्हे जान कहना ; अर्थात्—यदि जीव न हो, तो ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता, अतः जीव अजीव को जान समझना । वस्तुतः बाह्य वस्तु तो सभी ज्ञेय हैं, और ज्ञान तो केवल आत्मा में ही है ।

असद्भूत-व्यवहार नय का अन्य तीन प्रकार से भी वर्णन है—

(क) स्वजाति उपचरितासद्भूत व्यवहार, अर्थात्—यह पुत्र मेरा है । इसी प्रकार मनुष्य जाति के समस्त सम्बन्ध इसी व्यवहार में अन्तर्भुक्त हो जाते हैं ।

(ख) विज्ञातिउपचारित-सद्भूत व्यवहार, अर्थात्—वस्त्र, आभरण, स्वर्ण, रत्न आदि मेरे हैं। यहाँ तात्पर्य अचित परिग्रह से है।

(ग) तदुभयोपचरिता-सद्भूत व्यवहार, अर्थात्—देश, राज्य, दुर्ग, नगर आदि मेरे हैं। यहाँ सचित्त और अचित्त, दोनों का ही परिग्रह समझना चाहिए।



ऋग्गुसूत्र-नय

“सतां - साम्प्रतानामर्थीना-
मभिधान-परिज्ञानम् ऋग्गु-सूत्रः ॥”

— तत्त्वार्थ भाष्य, १-३५,

“स्वानुकूलं वर्तमानं ऋजु-सूत्रो हि भाषते ।
तत्र क्षणिक-पर्यायं सूक्ष्मः स्थूलो नरादिकम् ॥”

— द्रव्यानुयोग तर्कणा ;

“अपने अनुकूल एव केवल वर्तमान सवद्ध विषय को ही ‘ऋजुसूत्र-नय’ ग्रहण करता है । उपमे भी सूक्ष्म ऋजुसूत्र क्षणिक पर्याय को, और स्थूल ऋजुसूत्र मनुष्य आदि पर्याय को ग्रहण करता है ।” . . .

१०

ऋग्गुसूत्र-नय

व्यवहार-नय के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों से 'ऋग्गुसूत्र विषयक विवेचन करने के लिए निर्देश किया। निर्देश पाकर छात्रों ने ऋग्गुसूत्र की इस प्रकार व्याख्या की —

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—“वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को मुख्य रूप से प्रहण करने वाले अध्यवसाय-विशेष को 'ऋग्गुसूत्र-नय' कहते हैं।” जैसे—‘इस समय में सुख’ की पर्याय है, यहाँ वर्तमान क्षण-स्थायी सुख-पर्याय को प्रधान मानकर अधिकरण भूत आत्मा को गौण रूप से स्वीकार करता है, अर्थात्—आत्मा के अनन्त पर्यायों में से वर्तमान क्षण में किसी एक पर्याय को हृष्टि-पथ में रखकर पर्यायी को गौणता प्रदान करना ही इस नय का मुख्य विषय है।—१

१—“प्रत्युत्पन्न ग्राह्याध्यवसाय-विशेष ऋग्गु-सूत्रः।”

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—‘जो सीधे ढग से वस्तु को मुक्ता-फल की तरह एक सूत्र में पिरोए, वह श्रुत-ज्ञान विशेष ऋजुसूत्र कहलाता है।’—१

जो मोती के वर्त्तमान क्षण में विद्ध है, वस्तुत वे ही, एक लड़ी में पिरोये जा सकते हैं—दूसरे प्रकार के नहीं। इसी प्रकार अतीत क्षण की पर्याय भग्न मोती के समान है और अनागत क्षण की पर्याय अविद्ध मोती के सदृश है। अतः दोनों तरह के मोती हार में पिरोने के अयोग्य हैं। केवल विद्ध मोती ही सूत्र में पिरोया जा सकता है। वह है वर्तमान पर्याय, जिसको ऋजुसूत्र-नय का विषय कहते हैं। सीधे ढग से केवल वर्त्तमान पर्याय ही ग्राह्य है, और यही कार्य-साधक है। इसके सिवाय अतीत और भावी से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे—इस घट में घृत था, और उसमें मधु। अस्तु, इस घट में घृत डालेगे, और उसमें मधु। उक्त रिक्त घट को देखकर घृताकाक्षी तथा मधु के इच्छुक की आशा पर तुषारपात हो जाता है, उनसे मनोरथ सफलीभूत नहीं हो सकता, किन्तु वर्त्तमान क्षण-वर्ती घृत-घट तथा मधु-घट से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है।

१—ऋजुम्-अवकं वस्तु सूत्रयतीति ऋजु सूत्र।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—‘ऋग्गुम् अवक्त्र श्रुतमस्य सोऽयमृजुश्रुत’ ।

‘ऋग्गु का अर्थ है—वर्त्मान पर्याय-अनुलक्षी । श्रुत का अर्थ है—श्रुत-ज्ञान, ; अर्थात्-जो श्रुतज्ञान वर्त्मान पर्याय-अनुलक्षी है, उसे ‘ऋग्गुश्रुत नय’ कहते हैं । यह नय अतीत तथा भावी पर्याय को कुटिल मानता है, और केवल वर्त्मान कालीन पर्याय को ही ज्ञान का सरल मार्ग मानता है । अतीत वासना की स्मृति और भविष्य की चिन्ता—ये दो प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो भले ही ससारी मनुष्य के लिए लाभ-दायक हों, परन्तु आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत कुछ हानिकर हैं । किसी ने ठीक कहा है—

“गते शोको न कर्त्तव्यो, भविष्यन्नैव चिन्तयेत् ।
वर्त्मानेन कालेन, वर्तयन्ति विचक्षणा ॥”

अथवा

“गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वाढ़ा नाहिं ।

वर्त्मान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जग माँहिं ॥”

यह कथन भी कथचित् ऋग्गुसूत्रानुसारी है । जो साधक वर्त्मान काल में सतत उपयोगवान्, अप्रमत्त तथा-विवेक युक्त होकर विहग की तरह अनन्त ज्ञान रूपी आकाश में विचरण करता है, वस्तुतः ज्ञानी वही है, और मुमुक्षु भी वही है । वर्त्मान कालीन जीवन को सफल बनाना ही इस नय का मुख्य उद्देश्य है ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“भेद अथवा पर्याय की विवक्षा से जो कथन है, वह ‘ऋजुसूत्र नय’ का विषय है।”

जिस प्रकार सग्रह का विषय ‘अभेद’ है, उसी प्रकार ऋजुसूत्र का विषय ‘भेद’ अथवा ‘पर्याय’ है। यह नय भूत और भविष्यत् की कथचित् उपेक्षा करके केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। यह नय दो विभागो में विभक्त है, जैसे—
(क) सूक्ष्म ऋजुसूत्र, और (ख) स्थूल ऋजुसूत्र। जो समय मात्र की वर्तमान पर्याय है, उसे पहला भेद ग्रहण करता है। यथा वैषयिक सुख क्षणिक तथा आपात मात्र है। जैसे—दीपक की शिखा क्षणिक है, शब्द क्षणिक है। इत्यादि उदाहरण पहले भेद में अन्तनिहित है।

जो असख्यात समयों की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, वह दूसरा भेद है। यह वर्तमान, आयु पर्यन्त रहता है। इसका क्षेत्र जघन्य क्षुल्लक भव (२५६ आवलिकाओं का एक खुड़ाग भव होता है) उत्तुष्ट ३३ सागरोपम का होता है। कर्म-वन्धु तथा उनकी निर्जरा वर्तमान में ही होती है, अत वर्तमान क्षेत्र का तथा वर्तमान काल का दायरा बहुत बड़ा है।

पंचम छात्र

पांचवे छात्र ने कहा—“ऋजुम् अकुटिल सूत्रयतीति ऋजुसूत्र।”

जो वर्तमान कालिक पर्याय है, वस्तुतः वही वस्तु है और

शेष अतीत तथा अनागत पर्याय कुटिल होने के कारण वर्त-। ? मान मे नही है। जो वर्तमान मे नही है, वह कंथचित् असत् है, जैसे—जिसके सीधे नही आए, उसे शृङ्खी नही कहा जा सकता है। जिस कुजर के दाँत नही आए, उसे दन्ती नही कहा जा सकता है। जन्म-जात को जैसे भाव-श्रमण नही कहा जाता है, वैसे ही ऋषाचारी को भी नही कहा जा सकता। किन्तु जिसका जीवन श्रमणत्व से ओत-प्रोत हो, वही भाव-श्रमण है।

लौकिक व्यवहार मे जो जन्म-काल से दरिद्रता की दासता में रहा हो, या कोई दिवालिया हो, तो दोनों को धनाद्य नही कहा जा सकता। किन्तु जिसके पास धन-राशि विद्यमान है, उसे ही धनाद्य कहा जाता है। एक व्यक्ति है, जो अभी तक निरक्षर भट्टाचार्य है, परन्तु भविष्य मे विद्वान बनेगा। दूसरा व्यक्ति अनभ्यास के कारण कण्ठस्थ विद्या विलकुल भूल गया। वर्तमान मे दोनो से कार्य-सिद्धि नही हो सकती, फलत् उन्हें विद्वान भी नही कहा जा सकता। जिसके मस्तिष्क मे प्रष्टव्य विषय रेडियम की भाँति वर्तमान मे प्रतिभासित हो रहा हो, उसे ही विद्वान कहा जाता है। अतः ऋग्युसूत्र का विषय वर्तमान पर्याय है।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—‘भूत और भविष्य की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय मात्र को ही जो ग्रहण करे, उसे

‘ऋजुसूत्र नय’ कहते हैं ।”—१

मनुष्य अनेक बार तात्कालिक परिणाम की ओर भुक जाता है, केवल वर्त्तमान काल को ही अपना प्रवृत्ति क्षेत्र बना लेता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मस्तिष्क में ऐसी प्रतीति होने लगती है कि जो वर्तमान में है, वही सत्य है। अतीत और अनागत वस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं, कि वह अतीत और अनागत का निपेध करता है, किन्तु प्रयोजन के अभाव में उनकी ओर उदासीनता अवश्य है।

ऋजुसूत्र-नय के मत से वस्तु की प्रत्येक अवस्था में भेद है। प्रत्येक अवस्था अपने-अपने क्षण तक ही सीमित है, फिर चाहे वह अवस्था इस क्षण की हो, या दूसरे क्षण की। “स्फटिक रत्न श्वेत है,” इस वाक्य में प्रस्तुत नय का कहना है, कि स्फटिक रत्न, स्फटिक रत्न है, और श्वेतता, श्वेतता है। क्योंकि स्फटिक रत्न और श्वेतता भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। यदि स्फटिक रत्न और श्वेतता एक अवस्था होती, तो सगमरमर भी श्वेत होने के नाते स्फटिक रत्न हो जाता, क्योंकि वह भी श्वेत है।

व्याख्या प्रज्ञप्ति में वर्णित है कि सूर्य सदैव वर्त्तमान में किया करता है। वैसे तो किया वर्त्तमान में ही हुआ करती है, फिर भी सूत्रकार ने विशेषता बतलाने के लिए

१—मता साम्प्रतानामर्थानाममिधानपरिज्ञान ऋजुसूत्र ।

स्वतन्त्र कथन किया है, क्योंकि सूर्य की वर्तमान गति-विधि से ही समय का प्रारम्भ होता है। एक समय को वर्तमान कहते हैं, इसे सूक्ष्म ऋजुसूत्र भी कहते हैं, और यह वर्तमान सबसे छोटा माना गया है।

यह नय क्षणिक-वाद में विश्वास रखता है, अत एव प्रत्येक अवस्था को अस्थायी मानता है। काल-भेद से वस्तु में भेद मानता है, अतः यह द्रव्यार्थिक न होकर पर्यार्थिक नय है—यह मान्यता दार्जनिकों की है। परन्तु आगमकारों की मान्यतानुसार ऋजुसूत्र-नय भी द्रव्यार्थिक नय है। जो द्रव्यार्थिक नय है, वह चारों निक्षेपों को मानता है। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, इन दोनों में से एक काल में एक ही उपयोग मानना, यह मान्यता भी ऋजुसूत्र-नय के ऊपर ही अवलम्बित है।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—“जो विचार भूत और भविष्यत् का सकल्प न करके केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है, वह ‘ऋजुसूत्र-नय’ है।”—१

ऋजुसूत्र-नय द्रव्य-निक्षेप में वर्तमानकालिक अश को मानता है, भूत और भावी निक्षेप को नहीं। यह नय वस्तुतः द्रव्यार्थिक है, पर्यार्थिक तो कथचित् ही कह सकते हैं। यदि ऋजुसूत्र-नय को पर्यार्थिक-नय कहा जाए, तो यह

१—“पञ्चुपण्णगाही उज्जुमुओ णयविही मुण्डेयब्बोत्ति।”

— अनुयोगद्वार, विशेषावश्यक भाष्य,

मान्यता मूल-सूत्र के विरुद्ध है, क्योंकि अनुयोगद्वार सूत्र में एक पाठ आता है—“उज्जुसूअस्स एगे अणुवउत्ते एग दव्वावस्सय पुहत्त गोच्छडत्ति ।” इस सूत्र से सिद्ध होता है कि नैगम से लेकर ऋजुसूत्र-नय तक चार नय द्रव्यार्थिक हैं, क्योंकि पर्यायार्थिक-नय केवल भाव-निक्षेप को ही मानता है, और द्रव्यार्थिक-नय चारों ही निष्ठेप को स्वीकार करता है। यदि कोई आगम-पाठी उपयोग-शून्य होकर आगम का आधार कर रहा है, तो उसे भी यह द्रव्य-आगम मानता है, तथा लिपि-बद्ध आगम को भी द्रव्य-आगम मानता है। यह नय काल को अप्रदेशी मानता है, जबकि व्यवहार-नय काल को अनन्त मानता है।

इस नय की पूर्ण दृष्टि वर्तमान पर रहती है, क्योंकि इस नय का विषय वर्तमान काल से ही सम्बन्धित है। जिस प्रकार काल भेद से वस्तु-भेद की मान्यता है, उसी प्रकार देव-भेद से भी वस्तु-भेद की मान्यता है।

भगवान् महावीर ने राजा थ्रेगिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए धन्य अनगार को चौदह हजार साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधक कहा था। यह कथन ऋजुसूत्र-नय के अनुसार था। क्योंकि उस समय अन्य मुनियों की अपेक्षा से धन्य अनगार की साधना सबसे विशुद्ध थी। इसलिए भगवान् ने धन्य अनगार की साधना की भूरि-भूरि प्रशस्ता की।

ऋजुसूत्र-नय के सम्बन्ध में सातो छात्रों की विशद व्याख्या मुनने के बाद अध्यापक ने भी उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा—

अध्यापक

प्रिय छात्रो ! यद्यपि तुमने ऋजुमूत्र-नय का बहुत कुछ विवेचन भिन्न-भिन्न शैली से किया है, तथापि उसके अव्यक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए, तथा जो तुम्हारी स्मृति-पथ में आवश्यकीय प्रतिपाद्य विषय प्रतिभासित नहीं हो सका, उसे स्मरण करवाने के लिए मैं स्पष्ट करता हूँ। ध्यान-पूर्वक सुनिए—

“पर्याय की अवस्थिति वर्तमान काल में ही होती है। भूत और भविष्यत् काल में तो द्रव्य ही रहता है।”

सामान्य अथवा ग्रभेद को विषय करने वाले नय को ‘द्रव्यार्थिक-नय’ कहते हैं, और भेद अथवा पर्याय (विशेष) को विषय करने वाले नय को ‘पर्यायार्थिक-नय’ कहते हैं। श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक विद्वान् द्रव्यार्थिक-नय के चार भेद मानते हैं, और पर्यायार्थिक-नय के तीन भेद। परन्तु सिद्धसेन दिवाकर आदि तात्किकों के मतानुयायी द्रव्यार्थिक के तीन भेद, और पर्यायार्थिक के चार भेद मानते हैं। द्रव्यार्थिक-नय का स्थान नित्य है, और पर्यायार्थिक-नय का अनित्य। द्रव्य से पर्याय सूक्ष्म है, क्योंकि एक ही द्रव्य में अनन्त पर्याय हैं, अर्थात्—अनादि अनन्त पर्यायों के समूह का नाम ही द्रव्य है।

पर्याय दो प्रकार की होती है—(क) द्रव्य-पर्याय, और (ख) गुण-पर्याय। द्रव्यों की पर्याय भी दो प्रकार की होती है—(क) स्वाभाविक, और (ख) वैभाविक। यही क्रम गुणों की पर्याय का भी है। इसका सक्षिप्त विवरण इस

प्रकार से है—

जीव की भव-पर्याय वैभाविक है, और सिद्धत्त्व-पर्याय स्वाभाविक। यह है—जीव-द्रव्य की पर्याय।

तीन अज्ञान गुण—वैभाविक पर्याय है, और पाँच ज्ञान—स्वाभाविक पर्याय है। कपायात्मा और योगात्मा वैभाविक पर्याय है। शेष आत्माएँ—स्वाभाविक। आंदयिक भाव की परिणति—वैभाविक पर्याय है, और आपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव की परिणति—स्वाभाविक पर्याय है।

दुखानुभव तथा भोतिक मुखानुभव दोनों ही वैभाविक पर्याय हैं, और आध्यात्मिक मुख—स्वाभाविक। ये सभी पर्याय जीव-द्रव्य के गुणों की हैं।

पुद्गलास्तिकाय की पर्याय दो प्रकार होती है, जैसे—
(क) विश्रमा, तथा (ख) प्रयोगज। विश्रसा का अर्थ है—स्वय, अर्थात्—स्वाभाविक रूप से पर्याय पलटना। प्रयोगज का अर्थ है—जीव की वैभाविक पर्याय के साथ-साथ जो पुद्गल परिवर्तित हाता है, अर्थात्—एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक याकृत्मात्र जीव है, वे सब वैभाविक पर्याय वाले हैं। उनके द्वारा पुद्गलों में जो परिवर्तन होता है, वह पुद्गल की प्रयोगज पर्याय कहलाती है। उदाहरण के रूप में लीजिए—

जितनो भी धातुएँ हैं—रत्न, पापाण, एव मणि आदि, वे सब पृथ्वीकाय के शरीर हैं। यदि पृथ्वी-कायिक जीवों का अस्तित्व न होता, तो उपर्युक्त वस्तुओं का विल्कुल ही अभाव होता।

इसी प्रकार वीज, अंकुर, पत्र, पुष्प, फल, वृक्ष, काष्ठ आदि वनस्पति-कायिक जीवों के प्रयोगज पर्याय हैं। सीप, शख, मोती, रेशम, मणि, मधु, विष, गरीर एव शरीर-गत धातु तथा जितनी भी उपधातुएँ हैं, वे सभी त्रस प्राणियों के द्वारा परिवर्तित की हुई पुद्गल पर्याय हैं, जिन्हे हम प्रयोगज पर्याय कहते हैं।

एकत्व, पुथकत्व, सख्या, सम्थान, सयोग, विभाग आदि पुद्गल-द्रव्य की पर्याय कहलाती हैं। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, तथा इनकी पड़ गुण हानि-वृद्धि गुण-पर्याय है। पर्याय का अवस्थिति वर्तमान मे ही होती है, भूत और भविष्यत् काल मे तो केवल द्रव्य ही रहता है। ऋग्गुसूत्र-नय क्षणिक-वाद मे विच्वास रखता है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु को अस्थायी मानता है।

प्रश्न—वौद्ध-दर्शन क्षणिक-वाद को मानता है, और प्रस्तुत नय भी वर्तमान काल मे होने वाली पर्याय को ही मानता है, भूत और भविष्यत् को नही मानता, तो इन दोनों मे क्या अन्तर है ?

उत्तर—क्षणिकवादी वौद्ध-दर्शन, द्रव्य की सत्ता मानने से बिल्कुल इन्कार करता है, और केवल पर्याय को ही अपने दृष्टिकोण मे रखता है, किन्तु ऋग्गुसूत्र-नय, वस्तु की सत्ता का अपलाप नही करता, वल्कि उसे गौण मानता है, और पर्याय को मुख्य। यही दोनो मे अन्तर है। अतीत काल की पर्याय ध्वसाभाव मे सम्मिलित हो गई, और भविष्यत् की पर्याय प्रागभाव में गर्भित है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान मे

उक्त दोनों का सद्भाव नहीं। जिसका वर्तमान में सद्भाव नहीं है, उसका ग्रहण भी कैसे किया जा सकता है।

प्रश्न—सूत्र में परमाणु-गत वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श का वर्णन तो पर्याप्त मिलता है, परन्तु इस विषय में कतिपय आचार्यों की धारणाएँ ऐसी चली आ रही हैं कि वर्तमान कालिक परमाणु में जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श हैं, वे सदा काल-भावी हैं। उन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

जो वर्तमान काल में जघन्य-गुण काला है, वह सदैव ही जघन्य-गुण काला रहेगा, और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह उत्कृष्ट-गुण काला ही रहेगा। जघन्य-गुणी—उत्कृष्ट गुणी नहीं बन सकता, और उत्कृष्ट गुणी—जघन्य गुणी नहीं बन सकता।

कतिपय आचार्यों की धारणाएँ उपर्युक्त मान्यता के विलक्षण विरुद्ध हैं। उनका अभिमत है कि परमाणु में जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श वर्तमान काल में हैं, कालान्तर में वे अन्य वर्ण, गन्ध, रस, तथा स्पर्श के रूप में परिणत हो जाते हैं। जो जघन्य-गुण काला है, वह कभी उत्कृष्ट-गुण काला भी हो सकता है। और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह कालान्तर में जघन्य-गुण काला भी हो सकता है। यही बात गन्ध, रस, तथा स्पर्श के विषय में भी है।

प्रश्न—इन दोनों परम्पराओं में कौन सी धारणा आगम-सम्मत है?

उत्तर—जैन-धर्म अनेकान्तवादी है। विश्व में बड़े से

बड़ा और छोटे से छोटा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस पर अनेकान्त-वाद की अमिट छाप न लगी हो, अर्थात्—सकल पदार्थ पर अनेकान्त-वाद का अनुशासन अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल पर्यन्त रहेगा। —अनेकान्त-वाद पदार्थ का यथार्थ स्वरूप बतलाता है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है, उसका वैसा ही प्रतिपादन करने वाला है। समय क्रम के अनुसार जो घड़ी सूर्य का अनुसरण करती है, वही घड़ी ठीक मानी जाती है। सूर्य का अनुसरण तो घड़ी ही करती है, न कि सूर्य घड़ी का। क्योंकि मनुष्य-कृत यत्र होने के कारण घड़ी रुक भी सकती है और घड़ी की सूई आगे-पीछे भी की जा सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि घड़ी रुक गई तो सूर्य भी रुक जाएगा और घड़ी की सूई को आगे-पीछे करने से सूर्य भी आगे-पीछे हो जाएगा।

उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि जो घड़ी सूर्य के अनुकूल चलती है, वही घड़ी जनता के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है। फिर उपचार से हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्य ठीक घड़ी के अनुसार ही चलता है। वस, इसी का नाम अनेकान्त-वाद है और जो विचार-धारा ठीक वस्तु-तत्त्व का अनुसरण करती है, वही विचार पद्धति अनेकान्त-वाद है। जो मनुष्य अपनी घड़ी की सूई को पीछे हटाता है या आगे बढ़ाता है अथवा घड़ी को रोकता है, इस आजगे से कि सूर्य भी विलम्ब से उदय हो या जल्दी उदय हो, अथवा कुछ घटे के लिए सूर्य भी रुक जाए, तो ऐसा समझना मिथ्यात्व है। मिथ्या-हृषि व्यक्ति पदार्थों पर अपने बनाए हुए

सिद्धान्तों को मुहर छाप लगाना चाहता है, अर्थात् सभी पदार्थ मेरे ही अनुशासन में चले, पर ऐसा होना असम्भव है। वास्तव में पाँच और पाँच दश कहना प्रामाणिक है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति गणितानभिज्ञ है, और वह पाँच और पाँच को 'नौ' या 'स्यारह' कहे, तो वह अनभिज्ञों में भले ही प्रतिष्ठा प्राप्त करले, किन्तु उसका कथन तीनों काल में गलत ही रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अभिमन है। वस, डसी का नाम एकान्त-वाद या असम्यग्वाद है।

जैन-दर्शन प्रत्येक पदार्थ में तीन अवस्थाएँ मानता है। जैसे — द्रव्य, गुण, और पर्याय। द्रव्य और गुण ये दो तो स्थायी हैं, किन्तु पर्याय परिणामनशील है। पर्याय द्रव्य की भी होती है, और गुण की भी। द्रव्य और गुण को छोड़कर पर्याय कोई अलग पदार्थ नहीं है। जैन-दर्शन, वैज्ञानिक दर्शन की भाँति परमाणु को ऐसा नहीं मानता कि—वह सदा काल पृथ्वी-रूप ही है, जल-रूप हो है, तेजोरूप ही है या वायु-रूप ही है, अथवा द्वचणुकादि-उत्पत्ति काल में वह परमाणु क्षण मात्र निर्गुण भी बन जाता है।

जैन-दर्शन तो परमाणु को परिवर्तनशील ही मानता है; अर्थात्—एक परमाणु में पाँच वर्णों में से एक वर्ण, दो गन्धों में से एक गन्ध, पाँच रसों में से एक रस, तथा आठ स्पर्शों में से दो स्पर्श होने हैं। शीत-रूक्ष या उषणा-रूक्ष, तथा जीत-स्निग्ध या उषणा-स्निग्ध, इन चार विकल्पों में से कोई-सा भी स्पर्श-विकल्प पाया जा सकता है, परन्तु कर्कश या मृदु, और हल्का या भारी ये चार स्पर्श परमाणु में नहीं पाए जाते हैं।

वर्तमान' मे यदि परमाणु काला है, तो वह कालान्तर मे सफेद, लाल तथा पीले रूप मे भी परिणत हो सकता है। दुर्गन्ध, सुगन्ध के रूप मे और सुगन्ध दुर्गन्ध के रूप मे परिणत हो सकता है। जिसका रस मीठा है, वह खट्टे रूप मे, कट्टुक रूप मे, तथा तिक्क रूप मे परिणत हो सकता है। जो शीत-रुक्ष-स्पर्श वाला है, वह कालान्तर मे उषणा-स्निग्ध के रूप मे भी परिणत हो सकता है। इसी प्रकार जो जघन्य-गुण उषणा-स्निग्ध है, वह कालान्तर मे उत्कृष्ट-गुण उषणा-स्निग्ध भी हो सकता है। और जो उत्कृष्ट-गुण उषणा-स्निग्ध है, वह जघन्य गुण-उषणा-स्निग्ध स्पर्श वाला भी हो सकता है। क्योंकि व्याख्या-प्रजप्ति मे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान् ने प्रतिपादन किया है कि— “परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा मे शाश्वत है, और पर्याय से अशाश्वत है; अर्थात्—द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय दोनों ही अशाश्वत हैं। क्योंकि पर्याय उत्पाद और व्यय पर निर्भर है। द्रव्य और गुण ये दोनों ध्रौव्य पर निर्भर हैं। ध्रौव्य सदा-शाश्वत है, और उत्पाद तथा व्यय ये दोनों सदा अशाश्वत हैं।

परमाणु, मे द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय अनन्त है। उनमे सख्यात पर्यायों का आविभाव रहता है, और शेष अनन्त पर्यायों का तिरोभाव। द्रव्य की सत्ता का सर्वथा निषेध करके केवल पर्याय मात्र को ही मानना, यह ‘ऋजु-सूत्र नयाभास’ है।'

सिद्धान्तों को मुहर छाप लगाना चाहता है, अर्थात् सभी पदार्थ मेरे ही अनुशासन मे चले, पर ऐसा होना असम्भव है। वास्तव मे पाँच और पाँच दश कहना प्रामाणिक है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति गणितानभिज्ञ है, और वह पाँच और पाँच को 'नौ' या 'ग्यारह' कहे, तो वह अनभिज्ञों मे भले ही प्रतिष्ठा प्राप्त करले, किन्तु उसका कथन तीनों काल मे गलत ही रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अभिमन है। बस, इसी का नाम एकान्त-वाद या असम्यग्वाद है।

जैन-दर्शन प्रत्येक पदार्थ मे तीन अवस्थाएँ मानता है। जैसे —द्रव्य, गुण, और पर्याय। द्रव्य और गुण ये दो तो स्थायी है, किन्तु पर्याय परिणामनशील है। पर्याय द्रव्य की भी होती है, और गुण की भी। द्रव्य और गुण को छोड़कर पर्याय कोई अलग पदार्थ नहीं है। जैन-दर्शन, वैशेषिक दर्शन की भाँति परमाणु को ऐसा नहीं मानता कि—वह सदा काल पृथ्वी-रूप ही है, जल-रूप हो है, तेजोरूप ही है या वायु-रूप ही है, अथवा द्वचणुकादि-उत्पत्ति काल मे वह परमाणु क्षण मात्र निर्गुण भी बन जाता है।

जैन-दर्शन तो परमाणु को परिवर्तनशील ही मानता है; अर्थात्—एक परमाणु मे पाँच वर्णों मे से एक वर्ण, दो गन्धों मे से एक गन्ध, पाँच रसों मे से एक रस, तथा आठ स्पर्शों मे से दो स्पर्श होने है। गीत-रूक्ष या उषणा-रूक्ष, तथा गीत-स्निग्ध या उषणा-स्निग्ध, इन चार विकल्पो मे से कोई-सा भी स्पर्श-विकल्प पाया जा सकता है, परन्तु कर्कश या मृदु, और हल्का या भारी ये चार स्पर्श परमाणु मे नहीं पाए जाते हैं।

शब्द-नय

कालादि-भेदेन ध्वनेरर्थ-भेदं
प्रति-पद्यमानः शब्दः

— प्रमाण-नय तत्त्वालोक, ७—३२,

अर्थं शब्द-नयोऽनेकैः, पर्यायैरेकमेव च ।
मन्यते कुम्भ-कलश-घटाद्येकार्थ-वाचकाः ॥

— नय कणिका, १४

“शब्द-नय अनेक पर्याय, अर्थात्—अनेक शब्दो द्वारा सूचित वाच्यार्थ को एक ही पदार्थ समझता है, यथा—कुम्भ, कलश और घट आदि शब्द एक ही पदार्थ के वाचक हैं ।”

; ११ ;

शब्द-नय

‘ऋग्युसूत्र-नय’ विषयक वक्तव्य समाप्त करके अध्यापक ने छात्रों को शब्द नय का विवेचन करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार छात्रों ने अपने-अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा कि—“अप् आक्रोशे, शपनमाह्वान मिति शब्द।”—१

अर्थात्—अप् धातु से ‘शब्द’ बनता है। अपने अभिप्राय को दूसरे के सामने व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन ‘शब्द’ ही है। अभिप्राय-पूर्वक शब्द का प्रयोग समष्टि में सीखा जाता है, व्यष्टि में नहीं। शब्द के दो भेद हैं—

(क) ध्वन्यात्मक, (ख) और वर्णात्मक।

(क) ध्वन्यात्मक—जैसे टैलीग्राफ की टक्क-टक्क घटी का

१—विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति।

बजना, घड़ी का अलार्म और मोटर का हॉनिङ्ग, आदि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, इसे अनक्षर-श्रुत भी कहते हैं।

(ग) 'वर्णात्मक-शब्द' अथवा 'अक्षर-श्रुत भाषा-विशेष कहलाता है। वस्तुत शब्द-नय का साम्राज्य अक्षर-श्रुत पर निर्भर है। अक्षर-श्रुत में भी ऋजुसूत्र-नय से शब्द-नय का क्षेत्र बहुत कुछ सीमित है। ऋजुसूत्र-नय लिंग-भेद से अर्थ में भेद नहीं मानता। जैसे—तट, तटी, तटम्। इन तीनों वाचकों का वाच्य एक ही है, किन्तु शब्द-नय लिंग-भेद से अर्थ-भेद मानता है। भाव-निष्ठेप के बिना नाम, स्थापना तथा द्रव्य-निष्ठेप को शब्द-नय स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उपर्युक्त तीनों निष्ठेप भाव-निष्ठेप से भिन्न क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं। किन्तु भाव-निष्ठेप के अन्तर्गत जो नाम, स्थापना और द्रव्य-निष्ठेप हैं, उन्हें कथचित् स्वीकार कर लेता है। जैसे—भाव तीर्थद्वार में नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीनों निष्ठेप गमित हो जाते हैं। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, यह एक द्रव्य-विशेष का वाचक है, यह 'नाम-निष्ठेप' हुआ। उगका ग्राकार लोकाकाश जितना है, यह 'स्थापना-निष्ठेप' हुआ। द्रव्य होने के नाते 'द्रव्य-निष्ठेप' भी है, और गति-धर्म होने से 'भाव-निष्ठेप' तो है ही। इस प्रकार शब्द-नय में भी चारों निष्ठेप पाए जा सकते हैं, किन्तु भाव-निष्ठेप-विहीन, आदि के नीन निष्ठेप शब्द-नय को सर्वथा अमान्य हैं।

द्वितीय छात्र

द्वार्गे छात्र ने कहा—“अपति वाऽऽह्यतीति शब्द” ।”—?

?—विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति ।

अर्थात्—जिससे किसी को बुलाया जाए, या किसी सकेत के द्वारा अपना अभिप्राय व्यक्त किया जाए, वह 'शब्द' कहलाता है। वैसे तो बधिर तथा मूक भी अपनी चेष्टाओं के द्वारा अपने भाव दूसरे के समक्ष रख सकता है, फिर भी शब्दों के द्वारा जितने स्पष्ट रूप में अर्थ व्यक्त किया जा सकता है, उतने स्पष्ट रूप में अन्य किसी चेष्टा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। शब्दों के रूप में श्रुत-ज्ञान ही परिणत हो सकता है, शेष ज्ञान नहीं। शेष ज्ञान तो सदैव अर्थ-रूप में ही रहते हैं। शब्द-शास्त्र का सूत्रकार 'शब्द-नय' है। अगले दो नय भी शब्द-नय कहलाते हैं।

शब्द नित्य है, या अनित्य ? इस प्रश्न का उत्तर सप्त-भंगी के तीसरे भग से, अर्थात्—नित्यानित्य से दिया जा सकता है। वस्तुतः शब्द द्रव्य से नित्य है, और पर्याय से अनित्य है।

महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से आगम रूप में वर्णात्मक शब्द अनादि अनन्त है, किन्तु भरत-क्षेत्र एव ऐरावत-क्षेत्र की अपेक्षा से सादि-सान्त है। यह नय शब्दों की गहराई में बहुत कुछ उत्तर जाता है। जैसे कोई आगम-धर श्रुत-ज्ञानी यदि उपयोग-पूर्वक किसी आगम का स्वाध्याय कर रहे हों, तो उच्चारित किये जाने वाले शब्द को आगम मानता है, और उच्चारण करने वाले को आगम-धर श्रुत-ज्ञानी मानता है। यदि उपयोग-पूर्वक उच्चारण नहो कर रहे हो, तो उच्चार्यमाण शब्द को न आगम ही मानता है, और न उच्चारण करने वाले को आगम-धर ही मानता है। यह

‘शब्द-नय’ पुस्तक रूप जो आगम है, उन्हे आगम नही मानता,
अपितु उपयोग-पूर्वक स्वाध्याय को ही आगम मानता है।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“कालादिभेदेन ध्वनेर्थ-भेद
प्रतिपद्यमानं शब्द-नय ।”—१

अर्थात्—काल आदि के भेद से शब्दो मे अर्थ-भेद के
प्रतिपादन करने वाले नय को ‘शब्द-नय’ कहते हैं।

शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण करने पर नय को शब्द-नय
कहते हैं। जैसे—‘कृतकत्वात्’, यह पञ्चम्यन्त शादिकं हेतु
है, किन्तु आर्थिक हेतु तो अनित्यत्व-युक्त घट आदि पद-वाच्य
है। बम्नुन हेतु तो मुम्यतया आर्थिक ही है, किन्तु उपचार
से कृतकत्वात् यह पञ्चम्यन्त पद भी हेतु कहलाता है, और यह
नय भी शब्द पर ही निर्भर होने से ‘शब्द-नय’ कहलाता है।
इस नय का मास्राज्य जाति-वाचक, गुण-वाचक और
क्रिया-वाचक शब्दो पर है, न कि व्यक्ति-वाचक शब्दो पर।
इसी कारण आदि के तीन निक्षेप—‘शब्द-नय’ को अमान्य
है। समस्त वादमय की आधार-गिला ‘शब्द-नय’ है, यह
कथन असत्य नही है।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“शप्ते वा आहूयते वस्त्वनेति
शब्द ।”—२

१—प्रमाणनय तत्त्वालोक ।

२—नयमार ।

अर्थात्—जिसके द्वारा वस्तु-तत्त्व का आह्वान किया जाए, उसे 'शब्द' कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी जिस सूक्ष्म या अति-सूक्ष्म पदार्थ को अति दूरस्थ होते हुए भी विना किसी निमित्त के हस्तामलक की तरह अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष करते हैं, उसी को अस्माद्ग अल्पज्ञ जीव 'शब्द' के द्वारा ही जान सकते हैं। किन्तु उस शब्द का शक्ति-ग्रह होना चाहिए। शब्द यथातथ्य अर्थ का बोधक होते हुए भी, आभ्यन्तरिक कारण श्रुत-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना भी आवश्यक है; तभी हम गद्व के द्वारा समस्त द्रव्यों को, तथा उनकी समस्त पर्यायों को जान सकेंगे। वास्तविक श्रुत तो श्रुत-ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम ही है, किन्तु उपचार से गद्व को भी 'श्रुत' कहा जा सकता है। शब्द-शास्त्र में शब्द-व्युत्पत्ति के चार प्रकार बतलाए हैं, जैसे—(क) यौगिक, (ख) रूढ़, (ग) योगरूढ़, और (घ) यौगिकरूढ़।

यौगिक—जो गद्व अवयव अर्थ का ही बोधक हो, वह 'यौगिक' कहलाता है, यथा—पाचक, वाचक, पाठक आदि।

रूढ़—जो गद्व अवयव शक्ति के बिना, समुदाय शक्तित मात्र से अर्थ का बोधक हो, वह 'रूढ़' कहलाता है, यथा—गोमण्डल। यहाँ 'गो' और 'मण्डल' का अवयव अर्थ छोड़कर समुदाय-शक्ति सूर्य के चारों ओर कुण्डलाकार परिधि में निहित है।

योग-रूढ़—जहाँ अवयव शक्ति के विषय में समुदाय

शक्ति भी अपना अस्तित्व अलग रखती हो, वह 'योग-रूढ़' कहलाता है, यथा—पकज् । यह शब्द 'पक' से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व रूप अर्थ का वोधक है । समुदाय शक्ति के साथ रूढ़ होने से पञ्च का वोधक है, क्योंकि पक से तो कृमि आदि की उत्पत्ति भी होती है । किन्तु पकज पञ्च के लिए ही रूढ़ है, अन्य के लिए नहीं । इसी प्रकार चन्द्रहास, जिसकी चमक चन्द्रमा की तरह हो, वह चन्द्रहास है । किन्तु यह शब्द खड़ग के लिए ही 'रूढ़' है ।

यौगिक रूढ़—जहाँ अवयव अर्थ और रूढ़ अर्थ, दोनों का ही स्वतन्त्रता पूर्वक वोध हो सके, वह शब्द 'यौगिक रूढ़' कहलाता है । जैसे—उद्धिद (उद्घेदन-कर्ता) तरु-गुल्म आदि का वोधक है, और याग-विशेष का भी । 'ऊर्ध्व भिनत्तीत्युदभिद्', यहाँ अवयव शक्ति से तरु-गुल्म आदि में शक्ति निहित है, और समुदाय शक्ति से योग विशेष भी हो जाता है ।

यदि किसी व्यक्ति-विशेष का नाम पवन है, तो कोशो में वायु के जितने भी पर्याय-वाचक शब्द है, उनसे उस व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया जा सकता है, अर्थात्—वायु के समस्त वाचक उस पवन रूप व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं है । अतः यह तय नाम-निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, और भाव के विना स्थापना एव द्रव्य-निक्षेप भी सर्वथा अमान्य है ।

पंचम छात्र

पांचवे छात्र ने कहा—“शब्दाद् व्याकरणात्प्रकृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध शब्द ।”

अर्थात्—‘व्याकरण से प्रकृति-प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न शब्द ‘शब्द-नय’ कहलाता है।’

शब्द-शक्ति आठ प्रकार से जानी जा सकती है। जैसे—

(१) व्याकरण से—पूर्वकृदन्त, उणादि, उत्तर-कृदन्त, तद्वित, समास, आर्ष, निषातन, मधूरव्यसक आदि आकृतिगण; और निरुक्त आदि से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। तिड़ प्रत्ययान्त से धातु, क्रिया रूप में परिणत हो जाती है।

“द्वितीया कर्मणि ज्ञेया कर्त्तरि प्रथमा यदा ।

उक्तकर्त्तुं प्रयोगोऽय न तदा वाक् प्रयुज्यते ॥

तृतीया कर्त्तरि यदा कर्मणि प्रथमा तदा ।

उक्त-कर्म प्रयोगोऽय न तदा परस्मैपदम् ॥

इस प्रकार शब्द-शक्ति का विस्तृत परिचय व्याकरण से जाना जा सकता है।

(२) उपमान से—“वाले य मदए मूढे बज्झइ मच्छ्या व खेलम्मि ।”

अर्थात्—धर्म कार्यों में आलस्य करने वाला, मोह-ग्रस्त अज्ञानी जीव बलगम में मक्खी की तरह समार में फँस जाता है।—१

“अह सति सुव्वया साहू जे तरति अतर वरिया व ।”

अर्थात्—“जो निरति चार महाब्रतों के पालने वाले हैं, वे माधु ही विपय रूपी विशाल समार समुद्र को पार करते

हैं। जैसे—ब्यापारी लोग जहाज आदि साधनों के द्वारा दुष्टर और अथाह समुद्र को पार करते हैं।” —१

“रागाउरे से जह वा पयगे आलोयलोले समुवेइ मच्चु ।”

जिस प्रकार पतंगिया (मरवाया) दीपक की लौ पर गिरकर अनुरागवग्न मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो इष्ट-रूप में आसक्ति रखता है, वह भी अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। —२

“कुम्मो इव गुत्तिन्दिया, विहग इव विष्पमुक्का ।”

अर्थात्— साधक कच्छप की नरह गुप्त-इन्द्रिय होकर तथा पक्षी की तरह बन्धन रहित होकर विचरे।

“गो-सरिसो गवय”, गो के सहग गवय होता है।

इस प्रकार शब्द-शक्ति उपमान के द्वारा जानी जा सकती है। कभी उपमान से उपमेय का ज्ञान होता है, और कभी उपमेय से उपमान का परिचय प्राप्त होता है।

(३) कोश से—अनेक शब्दों का एक अर्थ, और एक शब्द के अनेक अर्थ, तथा लिंग-भेद आदि शब्द-शक्ति कोश से जानी जा सकती है।

(४) आप्त-वाक्य से—‘माणुस्स खु सुदुल्लह ।’ “विंगि च कम्मुणो हेउ जस सचिणु खतिए। सरीर पाढव्र हिच्चा, उड्ढ पक्कमए दिस’ आदि परोक्ष तत्त्व बोधक आप्त-वाक्य ही है। आप्त का अर्थ—जिन, अरिहन्त, केवली है, उनका

१—उत्तराध्ययन ८ ६,

२—उत्तराध्ययन ३२ २४,

वाक्य आप्त-वाक्य कहलाता है; अर्थात्—आगम प्रमाण इसी ॥
वाक्य में अन्तर्भूत है।

(५) व्यवहार से—शब्द-शक्ति व्यवहार से भी जानी जा सकती है। पिता अपने बड़े लड़के से कहता है कि— घड़ा ले आ ! लड़का ले आया। पास ही एक छोटे बच्चे ने भी वह गड्ढ सुना, और लाया हुआ घड़ा भी देखा, तब वह जान लेता है कि इस चीज को घड़ा कहते हैं। समीप लाना, यह क्रिया है। इन व्यावहारिक बातों और पदार्थों का ज्ञान नित्य प्रति व्यवहार में आए हुए शब्दों के ज्ञान से होजाता है।

(६) वाक्य शेष से—“पोल्लेव मुट्ठी जह से असारे, अयंतिये कूड़-कहावणे वा। राढामणी वेरुलियपगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ।”—१

“जिस प्रकार खाली मुट्ठी और खोटा सिक्का असार है, उसी प्रकार गुण-हीन साधु भी असार है। जिस प्रकार काच-मणि वैदुर्य-मणि की तरह प्रकाशमान होती है, परन्तु जानकार पुरुषों के सामने निश्चय ही वह अल्प मूल्य वाली हो जाती है, उसी प्रकार द्रव्य-लिंगी साधु भी विवेकी पुरुषों में सराहनीय नहीं बन सकता।”

इस गाथा के चौथे चरण से पूर्वोक्त तीन चरणों का अर्थ विलक्षण स्पष्ट हो जाता है, अन्यथा उनका अर्थ समझना अत्यन्त कठिन था।

१—उत्तराध्ययन, २०—४२,

(७) विवृत्ति से—किमी व्याख्यान-दाता ने अपने व्याख्यान में कहा—आत्मोन्नति, आत्म-विकास, तथा आत्मोत्कान्ति करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात्—किमी शब्द का खुलासा करने के लिए अनेक पर्याय-वाचक शब्दों का प्रयोग करना—‘विवृत्ति’ कहलाता है।

(८) सान्निध्य से—सिद्धों की सन्निकटता से शिला का नाम भी सिद्ध-शिला पड़ गया है। सिद्ध-शिला का नाम ही सान्निध्य का द्योतक है।

इस प्रकार आठ कारणों से शब्द-वक्ति का ग्रहण होता है। इनके बिना शब्द-नय का अनुशासन नहीं चल सकता। अस्तु, ये हैं—शब्द-नय के मूल-भूत कारण।

षष्ठ छात्र—

छठे छात्र ने कहा—“यथार्थभिधान शब्द” (भाव-भावा भिधानप्रयोजकोऽध्यवसायविशेष.), —१ अर्थात्—भाव-निक्षेप के अन्तर्गत अर्थ-कथन करना ‘शब्द-नय’ कहलाता है। शब्द-नय का प्रयोजन है—शब्द के द्वारा यथार्थ अर्थ प्रकट करना। सत्य-भाषा और व्यवहार-भाषा, इन्हीं दो भाषाओं पर शब्द-नय का पूरा अनुशासन है। शब्द-नय—जाति-वाचक, गुण-वाचक, द्रव्य-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों को ही अपने काम में लाता है, व्यक्ति-वाचक सज्जाओं को नहीं : यह है—शब्द-नय का बाह्य उपकरण। आभ्यन्तरिक उपकरण है—श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जन्य अध्यवसाय विशेष।

शब्द-प्रधान होने से इस नय को 'शब्द-नय' कहते हैं। पद-ज्ञान शब्द-बोध का कारण है। पदार्थ-ज्ञान करणा है। व्यापारवान् असाधारण कारण को करणा कहते हैं जैसे— दण्ड, चक्र और चीवर; ये तीनो घट के प्रति असाधारण कारण हैं, किन्तु जब ये तीनो यथा-समय यथा-क्रम क्रिया कर रहे हों, तब ये ही कारण, करण कहलाते हैं। पद-ज्ञान यदि कारण है, तो पदार्थ-ज्ञान करण है। वाक्यार्थ ज्ञान को शब्द-बोध कहते हैं। शब्द-बोध का लक्षण है—

"एकपदार्थेऽपर-पदार्थ-संसर्ग-विषयकं ज्ञानं शाब्दबोधः।"

अर्थात्—शब्द-बोध में चार मुख्य कारण हैं, जैसे—

(क) आसत्ति-ज्ञान, (ख) योग्यता-ज्ञान, (ग) आकांक्षा-ज्ञान, और (घ) तात्पर्य-ज्ञान।

कारणों को
आसत्ति-ज्ञान—इसका अर्थ है, पदों की सुन्निकटता। जैसे—“भगवान् ने कल्याणकारिणी देशना दी”—यदि इन्ही पदों में से एक-एक पद प्रहर-प्रहर में उच्चारण करेंगे, तो शब्द-बोध नहीं हो सकता।

योग्यता-ज्ञान—इसका अर्थ है—एक पदार्थ में अन्य पदार्थों का सम्बन्ध होना। जैसे—संवर-पूर्वक निर्जरा ही आत्म-प्रगति में सहायक है। इससे विपरीत यदि योग्यता का ज्ञान न हो तो—‘निर्ग्रथ रात्रि को आहार करता है,’ ‘श्रावक शिकार खेलता है,’ ‘किसान अग्नि सीचता है’; आदि वाक्य योग्यता-ज्ञान विहीन है। अतः ये उपर्युक्त वाक्य शब्द-बोध में कारण नहीं हैं।

आकांक्षा-ज्ञान—इसका अर्थ है कि—जिस पद के

विना अर्थ स्मरण न हो सके, उस पद की आकांक्षा रहती है।

जैसे—कारक-पदों में क्रिया पद की आकांक्षा रहती है, और क्रिया-पद में कारक-पद की। एक पाठक किसी पुस्तक को पढ़ रहा है। ज्यो-ज्यो पढ़ता है, त्यों-त्यो एक पद से दूसरे पद की, फिर तीसरे पद की आकांक्षा होती है। कर्ता और कर्तृ-विशेषण, कर्म और कर्म-विशेषण, करण और करण-विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि एक पद दूसरे पद की आकांक्षा बढ़ाता है। यदि एक पद थोड़ी देर के लिये ज्ञात न हो सके, तो वृद्धिमान पाठक उस पद की खोज के लिये व्याकुल हो जाता है। यही 'आकांक्षा-ज्ञान' का फल है। इसके विपरीत हाथी, घोड़ा, वैल आदि पद आकांक्षा-विहीन हैं।

तात्पर्य-ज्ञान—इसका अर्थ है—वोलने वाले का अभिप्राय। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भौव को जानकर प्रसगानुसार अनेकार्थ वाचक शब्द का विवक्षित अर्थ करना। जैसे—प्रयोजक कर्ता ने कहा—'सैन्धव ले आओ'! तब प्रयोज्य कर्ता समयानुसार वक्ता के नात्पर्य का विचार करता है, कि यह रसोई का समय है, या सवारी का? सैन्धव नमक का वाचक तो अवश्य है, किन्तु साथ ही घोड़े का भी वाचक है। यदि तात्पर्य-ज्ञान गाव्द-वोध में कारण न हो, तो रसोई के समय घोड़ा ले आए, और सवारी के समय नमक।

उपर्युक्त चारों साधन शुद्ध होने पर ही वस्तु-तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। यह 'गाव्द-नय' का मुख्य प्रयोजन है।

सप्तम छात्र—

सातवे छात्र ने कहा—“इच्छइ विसेसियतर पञ्चुप्पणा
राओ सद्गे”—१

अर्थात्—जो विचार शब्द-प्रधान होता हुआ, शाब्दिक
धर्मों की ओर झुककर तदनुसार ही अर्थ-भेद की कल्पना
करता है, वही वस्तुतः शब्द-नय कहलाता है। यह नय
ऋग्य सूत्र से विशुद्धतर है। शब्द-शक्ति तीन वृत्तियों में
विभक्त है। जैसे—(क) अभिधा वृत्ति, (ख) लक्षणा वृत्ति,
और (ग) व्यजना वृत्ति।

वाक्यार्थ को जानने के लिए दो उपाय काम में लाए
जाते हैं—मुख्य और अमुख्य। इनमें मुख्य-शक्ति ‘अभिधा’
कहलाती है। जहाँ शब्द का सम्बन्ध सीधा अर्थ के साथ हो,
वह अभिधा कहलाती है, अथवा साकेतिक अर्थ बतलाने
वाली शब्द-शक्ति को अभिधा कहते हैं। सकेत—जाति, गुण,
द्रव्य और क्रिया में ग्रहण किया जाता है, व्यक्ति में नहीं।
क्योंकि व्यक्ति अनन्त है। द्रव्य से तात्पर्य सज्ञा-विशेष से
है। सज्ञा के दो भेद हैं—(क) चिरतनी, और (ख) तदभिन्ना।
पट-द्रव्यों के नाम अनादि होने से चिरतनी है। द्वितीय
देवदत्त आदि एक-एक व्यक्ति। “देवा वि त नमंसति जस्स
धम्मे सया भरणो”^१—२ यह वाक्य अभिधा शक्ति के अन्तर्भूत है।
आगमों में अभिधा-वृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे—

१—अनुयोग द्वारा,

२— दग्धवंकालिक १—१,

‘दुम-पत्तए पड़ुरए जहा, निवड़ राइगणाण अच्चए ।

एव मणुयाण जोविय, समय गोयम । मा पमायए ॥’—१

जहाँ मुख्यार्थ मे अन्वय या तात्पर्य की निष्पत्ति न हो सके, वहाँ अमुख्य व्यापार ग्रहण किया जाता है। इसी को ‘लक्षणा-वृत्ति’ कहते हैं। जैसे—‘गंगाया घोष’—गगा मे कुटीर है। यहाँ गगा के मुख्य अर्थ की उपेक्षा करके—गगा के तट पर कुटीर है,’ यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कलिंग साहसिक.’—कलिंग साहसिक है। यहाँ लक्षणा से अर्थ निकलता है कि ‘कलिंग-देशवासी साहसिक है’। वगो भीरुः’ अर्थात्—वग देश डरपोक है।

‘द्वादशांग-वाणी मोक्ष निश्चेणी है। यहाँ निश्चेणी का सीढ़ी अर्थ न लेकर—‘द्वादशांग-वाणी मे मोक्ष प्राप्त करने के अमोघ उपाय है’—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कुशान् दर्भान् लाति गृहणातीति कुगल.’, अर्थात्—‘कुगग्राही को कुशल कहते हैं,’ इस अर्थ को न लेकर—‘कुगग्राही की तरह चतुर’, यह अर्थ लक्षणा से फलित होता है। व्यवहार मे भी ऐसा ही कहते हैं कि—‘जरा रास्ते से बात कर’। इसका ‘जरा सभ्यता से बात कर ! यह अर्थ फलित होता है। और ‘उसने मेरी नाक काट ली,’ तथा ‘ऐसा करने से मेरी नाक रह सकती है। ‘यहाँ नाक का अर्थ लक्षणा से ‘प्रतिष्ठा’ का होता है। ब्राह्मी और सुन्दरी ध्यानस्थ बाहुबली को कहती है—“वन्धव गज थकी उतरो, गज चब्बा केवल नहीं होसी रे ।”

यहाँ हाथी का अर्थ—लक्षण से 'अभिमान' किया जाता है, अर्थात्—अभिमान से उत्तर कर विनय धारण करो ।

केशोकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहा—

'अय साहसिंग्रो भीमो, दुष्टसो परिधावइ । ✓
जसि गोयम । आरुढो, कह तेण न हीरसि ॥'—१

आप साहसिक भीम तथा दुष्ट घोड़े पर सवार हो रहे हो, फिर वह आपको उन्मार्ग में क्यों नहीं ले जाता है ?

यह प्रश्न लक्षणा से किया गया है । गौतम स्वामी ने उत्तर भी लक्षणा से ही दिया है ।" जैसे—

"पधावन्त निगिण्हामि, सुयरस्सी-समाहिय ।

न मे गच्छइ उम्मग्ग, मग्ग च पदिवज्जजइ ॥"—२

मैं दुष्ट घोड़े को लगाम के द्वारा रोके रखता हूँ, अतः वह उन्मार्ग पर न जाकर मार्ग पर ही रहता है ।

अब प्रश्न पैदा होता है—क्या गणधर भी घोड़े को सवारी किया करते हैं ? यहाँ अश्व-रूप मुख्य अर्थ न ग्रहण करके लक्षणा से दुष्ट अश्व-सदृश मन लिया है, जिसको श्रुत ज्ञान-रूपी लगाम से वश में कर रखा है । इसलिए वह उन्मार्ग में नहीं ले जाता है, यही अर्थ स्पष्ट होता है ।

१—उत्तराध्ययन, २३-५५,

२—उत्तराध्ययन, २३-५६,

इसी प्रकार उन दोनों ही धर्म-धुरन्धर महामुनियों के बीच मे लक्षणा-वृत्ति से ही प्रज्ञोत्तर हुए।

“वतासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ।”

“वत नो पडियायइ जे भ म भिक्खु।”

जो वमन को ग्रहण नहीं करता है, वह भिक्खु है। अति बुभुक्षित मनुष्य भी जब वमन को ग्रहण नहीं करता, तब दूसरों की तो वात ही क्या?

यहाँ वान्त का अर्थ लक्षणा से त्यक्त वस्तु है। अत अब यह अर्थ निकलता है कि—त्यक्त वस्तु का पुनः सेवन करना ही वान्त-ग्रहण करना है। इस प्रकार सूत्रों मे लक्षणा के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं।

व्यजना-वृत्ति दो प्रकार की होती है—(क) अभिधा-मूलक, और (ख) लक्षणा-मूलक।

(क) अभिधा-मूलक व्यंजना के उदाहरण—

(१) संयोग से—‘सकेशरो हरि’ ‘सवज्जो हरि’, ‘सशखचक्रो हरि।’ यहाँ ‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी केशर के संयोग से ‘हरि’ की सिंह मे व्यजना को गई है। इसी प्रकार वज्र के संयोग से उन्द्र मे, और गङ्गा- चक्र के संयोग से वासुदेव मे समझनी चाहिए।

(२) विप्र-योग से—‘अकेशरो हरि.’, ‘अवज्जो हरि.’, ‘अगङ्गचक्रो हरि।’ इसमे भी उन्हीं पूर्वोक्त व्यक्तियों मे व्यजना समझनी चाहिए, अन्य मे नहीं। क्योंकि ‘यह सिंह केशर से रहित है’—यह अर्थ निकलता है।

(३) साहचर्य से—‘भीमार्जुनौ’ पद से ‘भीम’ और ‘अर्जुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी एक दूसरे के साहचर्य से कुन्ती के पुत्र ही लिए जाएँगे ।

(४) विरोधिता —‘कर्णार्जुनौ’, से ‘कर्ण’ और ‘अर्जुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी विरोध के कारण महाभारत के पात्र-विशेष में ही व्यजना की गई है ।

(५) अर्थ से—‘जिन वन्दे भवच्छिदे’ । यहाँ ‘जिन’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘भवच्छिदे’ इस पद से ‘जिनेश्वर’ में ही व्यजना रहती हैं ।

(६) प्रकरण से—‘सर्व जानाति देव’ । एक राजपुरुष राजा के सन्मुख कह रहा है कि—देव सब कुछ जानते हैं । यहाँ ‘देव’ का अर्थ व्यजना से ‘आप’ समझा जाएगा ।

(७) लिंग (चिन्ह) —‘कुपितो मकर-ध्वज’ । ‘मकर-ध्वज’ समुद्र का वाचक भी है, किन्तु यह अर्थ अभिमत नहीं है । यहाँ मकर-ध्वज, व्यजना से ‘कामदेव’ का वाचक है । ‘मकर की ध्वजा’ कामदेव का चिन्ह है । चिन्ह भी जाति और व्यक्ति में विशेषता पैदा कर देता है ।

(८) सन्तिधि से—जैसे—‘निर्गन्थ धर्म’ । धर्म के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘निर्गन्थ’ गद्ब के सम्बन्ध से यहाँ ‘जैन-धर्म’ ही अभिप्रेत है ।

(९) सामर्थ्य से—‘मधुना मत्त पिक’ । यहाँ वसन्त

के सम्पर्क से 'पिक' का अर्थ कोकिल लिया जाता है।

(१०) देश से—'विराजितो गगने विधुः ।' यहाँ गगन रूप देश से, विधु का अर्थ गजाक लिया जाता है। इसका दूसरा अर्थ नहीं लिया जायगा।

(११) काल से—'निर्जि चित्र-भानु ।' यहाँ चित्र-भानु की व्यजना रात्रिरूप काल के सम्बन्ध से अग्नि मे ही की गई है, अन्य सूर्य आदि मे नहीं।

(१२) व्यक्ति से—'मित्रो भाति' यहाँ मित्र का अर्थ सूर्य लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मित्र गद्व पुर्लिलग है। अतः 'मित्र' की व्यजना सूर्य मे है, सखा मे नहीं है।

(ख) लक्षण-मूलक व्यञ्जना के उदाहरण—

(१) गंगायां घोष—गगा के तट पर कुटीर है—यह अर्थ लक्षण से निकलता है, किन्तु 'गीतलत्व' और 'पावनत्व' आदि विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति व्यञ्जना से ही होती है।

(२) इंगाल दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—अगार का रूप प्राकृत भाषा मे 'इङ्गाल' वनता है जिसका अर्थ होता है—जलता हुआ कोयला। उपलक्षण से बुझे हुए कोयले को भी 'इङ्गाल' कहते हैं।

(ख) लक्षणा वृत्ति—मनोज्ञ आहार-पानी को प्राप्त करके उसमें लुब्ध होना, आसक्त होना, लोलुपता तथा मूच्छा भाव रखना, तथा आहार-पानी करते हुए मनोज्ञ भोजन-पानी बनाने वाले की प्रगसा करना, जैन परिभाषा के अनुसार यह सब कुछ साधक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उक्त क्रिया करता हुआ, वह इङ्गाल-दोप का सेवन करता है। भोजन बनाने वाले की सराहना और आसक्ति-पूर्वक आहार-पानी करने से सावद्य क्रिया की अनुमोदना होती है। जिन-जिन अन्नों का वह आहार-पानी बना हुआ है, उनके जीवन का वह व्याधातक बनता है। जब हृदय में स्वार्थ-वृत्ति जग उठती है, तब इन्द्रियों की लोलुपता से प्रमाद की वृद्धि होती है, और प्रमाद से सयम-कला कृषण-पक्ष के चन्द्रमा की तरह प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। इसलिए आसक्तिपूर्वक आहार-पानी करने वाला साधक ‘इङ्गाल-दोप’ का सेवन करने वाला है ! यह अर्थ लक्षणा से जाना जाता है।

(ग) व्यंजना वृत्ति—जैसे जलता हुआ कोयला दूसरों को जला देता है और बुझा हुआ कोयला दूसरों को काला बना देता है, जैसे साधारण काष्ठ और बावन शीर्ष-चन्दन दोनों के मूल्यों में बहुत अन्तर है, परन्तु जब उन दोनों को जलाकर कोयला बना दिया जाता है, तो उक्त दोनों के कोयले एक ही भाव से विकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अङ्गार में दाहकत्व एवं कालापन, और चन्दन की

अपेक्षा चन्दन के बने कोयले मे सस्तापन आदि व्यङ्गार्थ का ज्ञान भी व्यजना से ही जाना जाता है।

मूल इङ्गाल-दोप मे भी दाहकत्व विद्यमान है। वह सयम और आत्म-गुणों को जलाकर भस्म कर देता है। जिस प्रकार बुझे हुए कोयले मे कालापन होता है, वैसे ही इङ्गाल-दोप भी स्वय काला है जो कि उज्ज्वल सयम को भी कलकित करता है। जेसे बावन-शीर्ष-चन्दन का मूल्य अधिक होता है, और उसका कोयला बहुत सस्ता, वैसे ही सयम रूपी बावन-जीर्ष चन्दन को जलाकर इन्द्रिय-मुख रूपी कोयला बनाना है, यह अल्प मूल्य व्यङ्गार्थी है।

सारांग मे इगाल-दोप का यह अर्थ व्यजना-शक्ति से अभिव्यञ्जित होता है।—१

(३) धूम दोष—इस दोप पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो से विचार किया गया है—

(क) अभिधावृत्ति—‘धूम’ का अर्थ धुआँ है। ‘यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि रिति’—इस व्याप्ति वाक्य से यह जाना जाता है कि अग्नि के बिना धुआँ नहो हो सकता। धुएँ से अग्नि का होना नियमेन सिद्ध होता है। फिर चाहे धुआँ किसी रग का हो अथवा कैसे ही स्वभाव का हो, पर अन्ततः वह धुआँ ही कहलाता है। उस धुआँ से

१—“जे ण निगथे वा निगथी वा फासुआ एसणिज्ज अर्सण पाण खाइम नाइमं पडिगाहेत्ता मुच्छिए-गिद्धे गढिए अज्ञकोववण्णे आहार आहारेड, एम ण. गोयमा । सइगाले पाणभोयणे ।”

भवन काला हो जाता है। अत. वह एक प्रकार का धूम दोष है।

(ख) लक्षणा वृत्ति—जैन-परिभाषा के अनुसार 'खाद्य' और 'पेय' पदार्थ पर, या उस पदार्थ के बनाने वाले व्यक्ति पर जो साधक द्वेष तथा रोष करता है, अथवा धूरणा और निन्दा करता हुआ आहार करता है, तो उससे साधक की आत्मा मलिन पड़ जाती है। अत उस अवस्था-विशेष को भी 'धूम-दोष' कहते हैं।

(ग) व्यंजना वृत्ति—धूम से आँखे पीड़ित हो जाती हैं, आँसू आने लग जाते हैं, इवास रुकने लग जाता है, और चेहरा भी म्लान हो जाता है। इस प्रकार आँखों में बहुत पीड़ा हो जाती है, और कुछ देर के लिए दीखना भी बन्द हो जाता है। कभी-कभी धूआँ के प्रकोप से त्रस प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में समवायाङ्ग सूत्र में भी कहा है कि—“यदि कोई त्रस-प्राणी को धूम से मारे तो वह महामोहनीय कर्म-वन्ध करता है।’ अत यह सिद्ध होता है कि 'धूम'—मलिनत्व, पीड़ा आदि अनेक दोषों से युक्त है। इसी प्रकार 'धूम-दोष' भी ज्ञानात्मा दर्शनात्मा, उपयोगात्मा तथा चारित्रात्मा को मलिन करने वाला है।

अर्थात्—‘धूम-दोष’ से वातक कर्मों का तीव्र अनुभाग बध होता है, और उन कर्मों की दीर्घ-स्थिति को बांधता है, इस दृष्टि से 'धूम-दोष' भी मलिनत्व तथा पीड़ा

आदि दोपों में युक्त है। इसलिए इन दोपां को भी 'वूम-दोप' के अन्तर्गत समझना चाहिए।—?

(४) जैन—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—‘जैन’ का अर्थ होता है, ‘विजयी के पद चिन्हों पर चलने वाला’ अथवा ‘विजयी को जो अपना इष्ट देव माने, वह ‘जैन’।

(ख) लक्षणा वृत्ति—‘जो अवधि-ज्ञानी, मनः पर्यव-ज्ञानी, और केवल-ज्ञानी जिन हैं, उन्हें जो अपना इष्ट देव माने, वह ‘जैन’।’

(ग) व्यंजना वृत्ति—‘जो लक्षण, निश्चेप, नय, स्याद्वाद आदि से वस्तु-नत्व को जानता है, वन्व तथा वन्व के कारणों को जानकर त्यागता है, और सवर, निर्जरा तथा मोक्ष को उपादेय समझकर ग्रहण करता है, वास्तव में वही ‘जैन’ कहनाने योग्य है। अस्ति-तत्-शब्दभौमी

(५) निर्गन्थ—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—‘निर्गन्थ’ का अर्थ है—‘निर्गतो ग्रन्थात् आभ्यन्तरवाह्यपरिग्रहाद् य. स निर्गन्थ.’—यह जैन

—“जे ग निगन्थे वा निगन्थी वा फासुअ एमगिज्ज असरा पागु याडम माडम पटिगाहिता महया अप्पतिय कोहकिलाम करे-मागे आहार आहारेड, एम ग गोयमा मवूमे पाण भोयगे।”

—भगवती मूत्र, घतक ७, उद्देश्य १,

श्रमण के लिये रूढ़ है ।

(ख) **लक्षणा वृत्ति**—इसका प्रयोग ‘आगम’ व्यवहारी श्रमण के लिए किया जाता है, शेष व्यवहारियों के लिए नहीं ।

(ग) **व्यंजना वृत्ति**—यारहवे और बारहवे गुणस्थान-स्थित आत्मा को ‘निर्गन्थ’ कहते हैं, दूसरों को नहीं ।

अध्यापक —

सातो छात्रों की व्याख्या को सुनने के बाद अध्यापक ने अपना विचार प्रस्तुत किया—‘यद्यपि आप सब ने शब्द-नय’ की व्याख्या यथावच्य बहुत कुछ युक्ति-युक्ति की है, तथापि जो आवच्यक कथन जेष है, उसी को स्पष्ट करने के लिए मुझे कुछ कहना है । दत्त-चित्त होकर मूर्निए ।

बहुत से लोग लोक-प्रचलित शब्दों के अर्थ पुस्तकों या शब्द-कोशों में हूँढते हैं, किन्तु उन्हे यह विचारना चाहिए, कि पुस्तकों या शब्द-कोशों में अर्थ कहाँ है ? पुस्तक या कोशों में तो केवल पर्याय शब्द रहता है—अर्थ नहीं । अर्थ तो सृष्टि में रहता है । सूत्रों के अक्षर पोथी में मिल जाते हैं, किन्तु अर्थ को जीवन में ही खोजना चाहिए ।

वस्तुतः ‘शब्द’ वोधक है, और ‘अर्थ’ वोध्य । ‘शब्द’ वाचक है, और ‘अर्थ’ वाच्य । ‘अर्थ’ बतलाने का मुख्य साधन ‘शब्द’ है ।

शब्द-ज्ञान में निमित्त कारण है ‘स्मृति’ । इसी प्रकार स्मृति का निमित्त कारण है ‘तदावरण क्षयोपशम’ । और

तदावरण क्षयोपशम ‘श्रुत-ज्ञान’ का निमित्त कारण है। अस्तु, फलित यह हुआ कि ‘अर्थ-ज्ञान’ शब्द से होता है, और ‘शब्द-ज्ञान’ स्मृति से, इसी प्रकार स्मृति-ज्ञान—श्रुतज्ञान से, और श्रुत-ज्ञान—तदावरण क्षयोपशम से पैदा होता है। यह क्रम ठीक चलने से ही ‘अर्थ-ज्ञान’ हो सकता है। जिस प्रकार ‘शब्द’ के बिना अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार ‘शब्द-ज्ञान’ स्मृति के बिना नहीं हो सकता। जैसे—एक व्यक्ति अर्द्ध-मागधी भाषा नहीं जानता। उसके समक्ष यदि कोई भी आगम-ग्रन्थ रखा जाए, तो देखने से या सुनने से शब्द-ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्मृति नहीं होती। स्मृति तो उसी भाषा को हो सकती है, जिसकी पहले—अवग्रह, ईहा, अवाय होने के पश्चात् धारणा दृढ़ हो गई हो, अर्थात्—जिस भाषा पर समुचित अधिकार हो चुका हो।

फिर देखने, सुनने तथा पढ़ने से भी उसकी स्मृति हो सकती है। जब तक स्मृति न हो, तब तक शब्द-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अत. शब्द-ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त क्रम का होना अनिवार्य है।

‘शब्द-नय’ का विषय ऋजुसूत्र-नय से संकुचित है, किन्तु विशद है। ‘शब्द-नय’—काल-भेद, कारक-भेद, लिंग-भेद, सख्या-भेद, पुरुष-भेद, और उपसर्ग-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है। जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) काल-भेद—“सुमेरुर्बभूव, सुमेरुर्भवति, सुमेरुर्भविष्यति।” सुमेरु पहले था, अब भी है, भविष्य में भी होगा। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय प्रति-क्षण बदलती ही रहती है।

किसी भी द्रव्य में परिवर्तन लाना काल-धर्म है। अतः काल-भेद से प्रत्येक पर्याय का वाचक भिन्न ही रहेगा।

आगमों के आरम्भ में—“तेरां कालेण तेरां समएरां चम्पा-नाम नयरी होत्था।” आदि भूतकाल सम्बन्धी पाठ देखने में आते हैं, जबकि वह नगरी जम्बू स्वामी के युग में भी थी। फिर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू से ऐसा क्यों कहा है कि—उस काल में और उस समय में ‘चम्पा’ नाम की नगरी थी? इसका उत्तर यही हो सकता है कि—जो चम्पा नगरी चौथे आरे के समय तथा भगवान् महावीर स्वामी की देशना के समय थी, वह चम्पा नगरी जम्बू स्वामी के युग में नहीं हैं; क्योंकि जम्बू स्वामी का युग पाँचवाँ आरा था। काल-भेद से चम्पा नगरी का वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान भी बहुत कुछ बदल गया था। अतः पर्याय जैसे-जैसे पलटती है, उसका वाचक भी काल-भेद के अनुसार पलटता ही रहता है।

(२) कारक-भेद—इस भेद को निम्नलिखित पाँच प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

(क) ‘धर्म जीव को सद्गति में पहुँचा देता है।’ यहाँ पर धर्म, ‘कर्ता’ है।

(ख) ‘धर्म को प्राप्त करने पर ही जीव सुखी बनता है।’ यहाँ धर्म, ‘कर्म’ है।

(ग) ‘धर्म के द्वारा ही जीव कर्मों को क्षय कर सकता है।’ यहाँ धर्म, ‘करण’ है।

(घ) ‘धर्म के लिए प्रवृत्त होता है।’ यहाँ धर्म, ‘संप्रदान’ है।

(ङ) 'धर्म से भ्रष्ट होकर जीव दुर्गति को प्राप्त करता है।' यहाँ धर्म, 'अपादान' है।

(च) 'स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, कामदेव श्रमणो-पासक पर दास्तग उपसर्ग होने पर भी वह 'स्वधर्म' में दृढ़ रहा।' यहाँ स्वधर्म 'अधिकरण' है।

उपर्युक्त वाक्यों में कारक-भेद होने से 'धर्म' गव्द के अर्थों में भी भेद हो गया है। यहाँ सर्वत्र कारक-भेद से अर्थ-भेद परिलक्षित है।

(३) लिंग-भेद—लिंग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे—(क) पुलिंग, (ख) स्त्री-लिंग, और (ग) नपुंसक लिंग। तदनुरूप गव्द भी तीनों लिंगों के अन्तर्गत हैं।

गव्द-नय, पुलिंग से जो वाच्यार्थ का वोध होता है, उसे स्त्री-लिंग से नहीं मानता। जैसे 'देव' से देवा का वोध नहीं होता। नपुंसक लिंग से जो वाच्यार्थ का वोध होता है, उसे पुर्लिंग से नहीं मानता, जैसे—'आम्र' कहने से फल का वोध होता है, वृक्ष का नहीं। पुर्लिंग से वाच्यार्थ के वोध को, नपुंसक लिंग से नहीं मानता, जैसे—'मित्र' कहने से सूर्य का वोध होता है—मुहूर्द का नहीं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी स्वय समझ लेना।

गव्द-नय मानता है कि कतिपय शब्द त्रिलिंगी भी होते हैं, किन्तु उनका अर्थ भिन्न-भिन्न है। जैसे—'कमल'। यह मृग का वाचक है; 'कमला' यह लक्ष्मी का वाचक है, 'कमल' यह फल का वाचक है, 'अमृतम्'

इनका अर्थ क्रमशः—देव, आमलकी, एव पीयूष आदि है। ‘सम., समा, यमम्’—इनका अर्थ भी क्रमशः—तुल्य, वर्ष, एव सर्व मे ग्रहण किया जाता है। ‘शिव.’ ग्रह-विशेष का वाचक है, ‘शिव’ भद्र एव कल्याण का वाचक है, ‘शिवा’ गोदड़ी का वाचक है। ‘विश्वभरः’ इन्द्र का पर्याय वाचक है, तो ‘विश्वभरा’ पृथ्वी का। ‘मित्र.’ सूर्य का पर्याय वाचक है, तो ‘मित्र’ सुहृद् का। ‘मधु’ वसन्त का पर्याय वाचक है, तो ‘मधु’ शहद का। ‘पीलु’ वृक्ष-विशेष का नाम है, तो ‘पीलु’ उसके फल का। ‘नभाः’ श्रावण मास का वाचक है, तो ‘नभः’ गगन का। ‘वसुदेव’ अग्नि का वाचक है, तो ‘वसु’ धन व रत्न का। ‘कारण’ हेतु एवं उपादान का वाचक है, तो ‘कारणा’ तीव्र वेदना का। इसी प्रकार नपुंसक लिंगी ‘सुमन’—श्रेष्ठ मन का वाचक है। ‘सुमनस्’ पुलिंगी है, जोकि देव-पद का वाचक है। ‘सुमनस्’ स्त्री-लिंगी है, अत वह पुज्प का वाचक है। सस्कृत भाषा मे बहुत-से ऐसे शब्द हैं, जिनका वाच्यार्थ एक है, किन्तु वाचक शब्द त्रिलिंगी है। जैसे कि—

“आकाग., द्यौ., नभ.। कर्ण., श्रुति, श्रोत्रम्। स्वर्ग, द्यौ, त्रिविष्टपम्। दारा, भार्या, कलत्रम्। तट., तटी, तटम्। कृपट, निकृति., शाढ्यम्। अनादर, तिरस्किया, अवहेलनम्।”

इस प्रकार ‘शब्द-नय’ लिंग-भेद से वाच्यार्थ का भेद मानता है। चाहे एकार्थ-वाचक एक-लिंगी सख्ति मे कितने ही हो, शब्द-नय उनमें भेद नही मानता, जब कि ‘ऋजुसूत्र-नय’

एक अर्थ के वाचक चाहे त्रिलिंगी हो, उनमें भेद मानता है।

(४) संख्या-भेद—शब्द-नय संख्या-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है, जैसे—‘पुष्पम्’ का अर्थ है—एक फूल। ‘पुष्पे’ का अर्थ है—दो फूल, तथा ‘पुष्पाणि’ का अर्थ है—बहुत से फूल।

इसी प्रकार ‘सुमनस्’ स्त्री-लिंगी नित्य वहु-वचनान्त है, जिसका प्रयोग अनेक फूलों के लिए किया जाता है, एक या दो फूलों के लिए नहीं।

एक स्त्री को दाराः नहीं कहा जाता। यह शब्द पुलिंग है, जोकि नित्य वहु-वचनान्त है। वहुत-सी स्त्रियों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ‘आपः’ यह शब्द स्त्री-लिंगी है, जोकि नित्य ही वहु-वचनान्त है, यह जल का वाचक है। जल के एक कण के लिए ‘आप’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ‘श्रावक., श्रावकौ, और श्रावका.’—इन तीनों का वाच्यार्थ संख्या-भेद से भिन्न-भिन्न है।

(५) पुरुष-भेद—शब्द-नय पुरुष-भेद से वाच्यार्थ, भेद मानता है, जैसे—प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। ‘ग्राम गच्छति, ग्राम गच्छसि, ग्राम गच्छामि’—इन तीनों में पुरुष-भेद होने से वाच्यार्थ में भेद हो जाता है, अथवा—

‘एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, नहि यास्यति, यातस्ते पिता’ ;
अथवा—

‘एहि, मन्ये, ओदन भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः ।’
“प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ।”

उपर्युक्त सूत्रो से जो पुरुष-व्यवस्था है, वह प्रहास में ही समझना । यथार्थ कथन में तो “एहि त्वं मन्यसे, ओदन महं भोक्ष्ये, भुक्तः सोऽतिथिभिरिति” आदि उदाहरण स्वयं समझ लेना ।

(६) उपसर्ग-भेद—शब्द-नय उपसर्ग-भेद से भी वाच्यार्थ में भेद मानता है । जैसे—


“अनुगच्छति, अवगच्छति, सगच्छते, निर्गच्छति, आगच्छति, उद्गच्छति—ये सब ‘गम्’ धातु के रूप हैं । हृत्र् हरणे धातु के ‘घञ्’ प्रत्यय से बने हुए शब्द ; जैसे—प्रहार, उपहार, संहार, विहार, निहार, परिहार, आहार, अपहार व्यवहार आदि । ‘स्था’ धातु से ‘प्रस्थान, अनुष्ठान, सस्थान, उत्थान, अवस्थान, उपस्थित—इन सब के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । ‘दुक्त्र् करेण’ धातु से ‘उपकार, अपकार, सस्कार, विकार, प्रकार, दुष्कर, दुष्कृत, आकार आदि ।

उपसर्ग-भेद से अर्थ में भेद हो जाता है । यह नय नाम, स्थापना और द्रव्य-निक्षेप को नहीं मानता है, क्योंकि इनसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता । अर्थ-क्रियाकारी होने से भाव-निक्षेप ही वस्तु है । अन्य सर्व निक्षेप खर-विषाणु व्रत् अवस्तु है । ‘पृथु-बुध्न-उदर-आकारादि से कलित’ जल आहरण आदि क्रियाकारी घट रूप को ही भाव-घट

मानता है, शेष नाम आदि घट इस 'नय' को स्वीकार नहीं, क्योंकि यह नय शब्द-प्रधान है और चेष्टा लक्षण ही 'घट' शब्द का अर्थ है । ॥

नाम, स्थापना—और द्रव्य-रूप "घट" नहीं है, यह प्रतिज्ञा है । जल आहरण आदि जो उसके 'कार्य' हैं, वे कार्य उनसे नहीं हो सकते, यह हेतु 'है' । पट आदि की तरह, यह 'हृष्टान्त' है । भाव के सिवाय नाम आदि निक्षेप 'रूप घट, प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दोनों से असिद्ध हैं ।

ऋगुसूत्र-नय को सम्बोधित 'करके' 'शब्द-नय' कहता है—'जो कुम्भ नष्ट हो चुका है और जो 'अभी तक बना ही नहीं, वह घट जब कि तुम्हें अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तब नाम आदि घट को तुम ने कैसे घट-रूप में मान लिया, क्योंकि प्रयोजनाभाव दोनों में समान ही है' । यह है 'शब्द-नय' को सक्षेप में रूप-रेखा ।



समभिरुद्ध-नय

“पर्याय-शब्देषु निश्चिकि- भेदेन,

भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरुद्धः ।”

— प्रसाण-नय तत्त्वालोक, ७—३६,

पर्यायशब्द-भेदेन, भिन्नार्थस्याधिरोहणात् ।
नयः समभिरूढः स्यात्, पूर्ववचास्य निश्चयः ॥

— इलोक वार्तिक

“जहाँ शब्द का भेद है, वहाँ अर्थ का भेद अवश्य है । यह कहने वाला ‘समभिरूढ-नय’ है । ‘शब्द-नय’ तो अर्थ-भेद वही कहता है, जहाँ लिंग आदि का भेद होता है, परन्तु इस नय की दृष्टि में तो प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न ही होता है ।”

१२

समभिरुद्ध-नय

शब्द-नय की व्याख्या समाप्त होने के पश्चात् अध्यापक ने समभिरुद्ध-नय की व्याख्या करने के लिए छात्रों को आज्ञा प्रदान की। आज्ञा पाते ही सातो छात्रों ने समभिरुद्ध-नय की व्याख्या इस प्रकार की—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—

“ज ज सण्णं भासइ, त त चिय समभिरोहए जम्हा ।

सण्णतरत्थविमुहो तओ तओ समभिरुद्धो त्ति ॥”—१

अर्थात्—शब्द-नय ने जहाँ एकार्थ वाची घट, कुट, कलश, कुम्भ आदि अनेक शब्द स्वीकार किये हैं, वहाँ समभिरुद्ध-नय की मान्यता है कि—जो जिस वाच्य का वाचक है, उसका पर्यायवाची वाचक समस्त वाङ्मय में नहीं मिलेगा। जैसे—‘घट’ जिस वाच्य का वाचक है, उसके ‘कलश, कुम्भ, आदि अन्य पर्यायवाची वाचक नहीं हो सकते।

१—विशेषावश्यक भाष्य ।

भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, एक नहीं। जैसे—‘घटनात् घट.’ इति। विशिष्ट चेष्टावान् वाच्यार्थ को ‘घट’ कहते हैं।

“कुट कौटिल्ये, कुटनात् कौटिल्ययोगात् कुटः”
—यह व्युत्पत्ति ‘कुट’ शब्द की है।

“उभ-उभ पूरणे कुम्भनात् कुत्सितपूरणात् कुम्भ.”—यह व्युत्पत्ति कुम्भ शब्द की है। इस प्रकार घट, कुट, और कुम्भ इन तीनों में शब्द-भेद की तरह अर्थ-भेद भी है। एक अर्थ में अनेक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द-नय को इज़्जित करते हुए समभिरूढ़-नय कहता है, कि जब आपने यह मान लिया कि—लिंग-भेद, कारक-भेद और वचन-भेद से अर्थ-भेद होता है, तब ध्वनि-भेद होने से—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों के अर्थ-भेद आपको क्यों अमान्य है? जब कि ध्वनि-भेद में यहाँ भी समानता ही है। अतः हमारे मार्ग का अनुकरण आप को भी विना किसी सकोच तथा विना तर्क-वितर्क के कर लेना चाहिए।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“एक-सज्ञा-समभिरोहणात् समभिरूढ़,”—१

विरुद्ध लिंग आदि योग से जैसे वस्तु में भिन्नता आ जाती है, वैसे ही सज्ञा-भेद से भी आती है। संज्ञा-भेद तो संकेत कर्त्ताओं के द्वारा प्रयोजन-वश ही किया जाता है, न

१—सन्मति तर्क टीका।

कि विना प्रयोजन के, 'अन्यथा' अनवस्था दोष का 'प्रसंग' आ जाएगा। जिस प्रकार वस्तु के सज्जा-वाचक शब्द हैं, उसी प्रकार ही उनके अर्थ भी हैं। अतः एक अर्थ के 'अनेक' सज्जा-वाचक नहीं हो सकते। शब्द-नय की यह मान्यता है कि— 'पर्यायवाचक एक लिंगी शब्द भिन्न होते हुए' भी एक अर्थ के द्योतक हैं, यथा—'अमरा'; 'निर्जरा'; 'देवा'; आदि का एक देव अर्थ है।

समभिरूढ़नय का अभिमत है कि—'अमरा', 'निर्जरा' और 'देवा', इन तीनों का अर्थ व्युत्पत्ति के 'अनुसार भिन्न' भिन्न हैं—एक नहीं।

'न म्रियन्तेऽपर्याप्त-काले ये तेऽमराः', अथवा— 'न म्रियन्ते हननादपि ये तेऽमराः'—जिनको मृत्यु अपर्याप्त काल में नहीं हो सकती, अथवा जों 'शस्त्र-शस्त्र आदि से भी नहीं मरते, अपनी स्थिति पूर्ण होने से पहले जो नहीं मरते, उन्हे 'अमर' कहते हैं।

'निर्जरा निर्गता जराया ये ते निर्जराः'

जो बुढापे के जाल से निकल गए, अथवा जिनके जीवन में 'व्यावहारिक दृष्टि से सदैव यौवन बना रहता हो,' वे निर्जरा-वाचक के वाच्यार्थ हैं।

'दीव्यन्तीति देवाः,'—'दिवु' धातु-क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, तथा गति; इन अर्थों में है। अतः इन लक्षणों से जो युक्त है, वे देव कहलाते हैं।

साराश यह निकला कि—'अमरा', 'निर्जरा', और 'देवा';

ये तीनों ही भिन्न-भिन्न वाच्यार्थ के वाचक हैं, एक अर्थ के नहीं। क्योंकि जहाँ शब्द-भेद है, वहाँ अर्थ-भेद अवश्य है।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“पर्याय-शब्देषु निरुक्ति-भेदेन भिन्नमर्थ समभिरोहन् समभिरूढः” ।^१

अर्थात्—जो पर्याय वाचक शब्दों में निरुक्ति-भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करता है, वह ‘समभिरूढ़-नय’ है।

शब्द-नय, जब कि शब्द-पर्याय की भिन्नता में भी द्रव्य के अर्थ में अभेद मानता है, तब समभिरूढ़-नय शब्द-पर्याय में भेद होने पर भी द्रव्य के अर्थ को भिन्न मानता है। जैसे— “भूपालनात् भूप., नृपालनात् नृपः, राजते वैभवादिभिर्य स राजा”, आदि। शब्द-भेद से अर्थ-भेद मानना ही प्रस्तुत-नय का परम लक्ष्य है। यदि शब्द-भेद से अर्थ-भेद नहीं माना जाए, तो ‘इन्द्र’ और ‘शक्र’ दोनों शब्दों का अर्थ एक हो जाएगा।

‘इन्द्र’ शब्द की व्युत्पत्ति—‘इन्दनादिन्द्र’; अर्थात्—जो शोभित हो वह ‘इन्द्र’ का वाच्य है, एवं ‘शकनाच्छक्रः’; अर्थात्—जो शक्तिशाली हो, उसे ‘शक्र’ कहते हैं। इसी प्रकार ‘पुदरिणात् पुरन्दरः’; अर्थात्—जो नगर आदि का ध्वस करता है, वह ‘पुरन्दर’ कहलाता है। ‘वज्र’ पाणी यस्य स वज्रपाणीः’ अर्थात्—जिसके हाथ में वज्र है, वह ‘वज्रपाणी’ कहलाता है। जब इन शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तब इनका वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होना चाहिए।

१—प्रमाणनय तत्त्वालोक,

अस्तु, जो इन्द्र है—वह इन्द्र है। जो वज्रपाणि है—वह वज्रपाणी है। जो पुरन्दर है—वह पुरन्दर है, और जो शक्त है—वह शक्त है।

वास्तव मे न तो इन्द्र—शक्त हो सकता है, और न शक्त—पुरन्दर हो सकता है, अर्थात्—कोशकारो ने एक लिंगी इन्द्र के पर्याय-वाचक शब्द दिए हैं, और शब्द-नय ने उन सब का अर्थ एक माना है। परन्तु समभिरूढ़-नय उन सभी पर्याय-वाचक शब्दो के अर्थ भिन्न-भिन्न करता है। बस, यही दोनो मे अन्तर है।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“सृत्स्वर्थेष्वसक्रम् समभिरूढ़。”—१

अर्थात्—सत् अर्थो मे सक्रम न होना ही ‘समभिरूढ़-नय’ का अर्थ है।

शब्द-नय काल, कारक, और लिंग आदि के भेद से ही अर्थ मे भेद मानता है। एक लिंग वाले पर्याय-वाचक शब्दो मे किसी प्रकार का भेद नही मानता। जैसे—‘अवगत, ज्ञात, बुद्धं’, इन सब का लिंग एक होने से अर्थ भी एक ही मानता है। शब्द-भेद के आधार पर अर्थ-भेद करने वाली बुद्धि जब कुछ और आगे बढ़ जाती है, और—व्युत्पत्ति के आधार पर पर्याय-वाचक शब्दो मे अर्थ-भेद मानने के लिए तैयार हो जाती है, तब ‘समभिरूढ़-नय’ का अवतरण होता है। व्युत्पत्ति-वाद का विकास समभिरूढ़-नय के समर्थकों ने

१—तत्त्वार्थ भाष्य।

किया है। यह नय कहता है कि—केवल काल आदि के भेद से अर्थ-भेद मानना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु व्युत्पत्ति-मूलक गव्द-भेद से भी अर्थ-भेद मानना चाहिए।

प्रश्न—वाच्य कितने हैं? और वाचक कितने?

उत्तर—वाच्य अनन्तानन्त हैं, और वाचक केवल सख्यात ही है, असख्यात व अनन्त नहीं।

विश्व की जितनी भी भाषाएँ हैं, उन सभी के समस्त शब्दों को यदि कल्पना से एकत्र किया जाए, तो भी गव्द-समूह समुद्र की तरह सख्यात की वेला को अतिक्रम नहीं कर सकता।

प्रश्न—अब यह नया प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या श्रुत-ज्ञान से अनन्त पर्याय जानी जा सकती है? यदि श्रुत-ज्ञान का विपय अनन्त है, तो 'फिर सख्यात शब्दों से अनन्त अर्थों का वोध कैसे हो सकता है?

उत्तर—श्रुत-ज्ञान दो प्रकार का है—(क) अभिलाप्य, और (ख) अनभिलाप्य। जो 'अभिलाप्य' है, उसका ज्ञान गव्द के द्वारा हो सकता है। तथा जो 'अनभिलाप्य' है, उसका नहीं। अभिलाप्य से अनभिलाप्य श्रुत-ज्ञान अनन्त गुण है। 'समवायाग' तथा 'नन्दी' मूत्र में एक पाठ आता है—“दिट्ठिवायस्स सखेज्जा अक्खरा, अरांता गमा, अरांता पञ्जवा”, इष्टिवाद में श्रुत-ज्ञान का आमूल-चूल वर्णन आता है, जबकि उसमें भी 'सखेज्जा अक्खरा अरांता गमा' वर्तलाया है, तब अन्य शास्त्र-ग्रन्थ तो उसके आगे नगण्य से हैं।

प्रश्न—अब रहा यह प्रश्न कि—सख्यात् अक्षरों से अनन्त अर्थों का ज्ञान कैसे हो सकता है ?

उत्तर—जैसे लोकाकाग्र सख्यात् प्रदेशात्मक है । फिर भी उनमें अनन्त द्रव्य समाए हुए हैं, वैसे ही सख्यात् शब्दों में भी अनन्त अर्थ समाए हुए हैं । यह बात आगम प्रमाण से प्रमाणित होने से सर्वथा ग्राह्य है ।

पञ्चम छात्र

‘पञ्चवे छात्र’ ने कहा—“असक्रमगवेषणापरोऽध्यवसाय विशेषः समभिरूढः ।”—१

अर्थात्—जो विचार, गब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता है, वह ‘समभिरूढ़-नय’ कहलाता है ।

‘गब्द-नय’ यदि लिंग आदि के भेद से अर्थ-भेद को स्वीकार करता है, तो सज्ञा-भेद से भी अर्थ-भेद को स्वीकार क्यों नहीं करता ? ‘समभिरूढ़-नय’ गब्द-नय से कहता है, यदि तुम ऐसा कहोगे कि—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों का अनुशासन बल से एक में सकेत ग्रहण हो जाता है, तो ‘ऋजुसूत्र-नय’ से ग्रहण किया हुआ सकेत-विशेष पर्यालोचन से क्यों नहीं छोड़ देते ?

गब्द-नय कहता है कि—जिस रूप से जिस पदार्थ का बोध होता है, उसी रूप से उसकी पद-शक्ति है । घट-पद की तरह कुट-पद से भी घट रूप अर्थ का बोध होता है । अत सिद्ध हुआ कि घट, कुट और कुम्भ आदि एक घट

रूप अर्थ के वोधक होने से इन्हे पर्यायान्तर कहना युक्ति-सगत ही है।

समभिरूढ़-नय कहता है कि आपका यह कहना युक्ति-युक्त नहीं है ; क्योंकि 'घट चेष्टायां' धातु से 'घट' शब्द बना है। 'कुट कौटिल्ये' धातु से 'कुट' शब्द बना है; जबकि दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तो वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होने चाहिए—एक नहीं। जिस प्रकार तन्तुओं से 'पट' बना है, मिट्टी से 'घट' बना है, और दोनों के उत्पन्न होने के उपादान कारण भी भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों की व्युत्पत्ति के प्रकार भी भिन्न-भिन्न ही है, तथा वाच्यार्थ भी भिन्न हैं। यदि तुम ऐसा कहोगे कि—व्युत्पत्ति-ज्ञान के विना भी पदार्थ का वोध हो सकता है, तो यह कथन भी युक्ति-सगत नहीं है, क्योंकि अन्य किसी स्थल में किसी एक शब्द की निष्पत्ति के प्रकार अनेक होने से व्युत्पत्ति-ज्ञान के विना वाच्यार्थ का वोध कैसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में लोजिए—

जैसे कि 'कुपति' एक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति है—'कु-पृथ्वी तस्या. पति कुपति.' अथवा 'कुत्सित. पति: कुपति.', अर्थात्—व्युत्पत्ति के अनुसार ही वाच्यार्थ का वोध हो सकता है।

शब्द-नय—ऐसा करने से तो पारिभाषिक शब्द की अनर्थकता सिद्ध न हो जाएगी ?

समभिरूढ़-नय—हो जाने दो, हमें इससे क्या चिन्ता ?

क्योंकि एक स्थान पर ऐसा कहा भी गया है—“पारिभाषिकी नार्थतत्त्व ब्रवीति ।”

शब्द-नय—यदि अर्थ-बोधकत्व मात्र मे पदत्व भाव पाया जायगा, तो यह इच्छा शब्द-संकेत से भी अभिव्यक्त हो सकती है, तो फिर दोनों मे विषमता ही क्या है ?

समभिरूढ-नय—पदों का स्वभाव है कि व्युत्पत्ति के निमित्त से अर्थ का बोध कराना, एवं यह इच्छा शब्द-संकेत से अस्वभाव-भूत धर्म का ग्रहण होता है । यही इन दोनों मे विषमता है ।

शब्द-नय—जिस प्रकार नानार्थक पद मे ‘अर्थ’ सक्रम हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ मे भी ‘पद’ सक्रम हो जाना चाहिए, अर्थात्—जैसे एक पद मे अनेक अर्थ समवेत है, वैसे ही एक अर्थ मे अनेक पदों का सक्रम हो जाता है, फिर इसमे क्या हानि है ?

समभिरूढ-नय—‘अर्थ’ की तरह ‘पद’ का भी क्रिया के उपराग से सक्रम हो जाता है; अर्थात्—पद मे पद का सक्रम हो जाता है । किन्तु अर्थ का सक्रम नहीं होता ; जैसे—(हरी) यह पद द्विवचनान्त है । ‘हरि’, ‘हरि औ’ ; यहाँ पद सारूप्येरा एक शेष करके ‘हरी’ ऐसा रूप बना । यहाँ एक पद का दूसरे पद मे सक्रमण हो गया, किन्तु पद-सक्रम से अर्थ-सक्रम नहीं हुआ ।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—“सम्यक् प्रकारेरा पर्याय-शब्देषु निरूक्तिभेदेन अर्थमभिरोहन् समभिरूढ ।”

अर्थात्—जो पर्याय, जिस अर्थ के योग्य हो, उस पर्याय को उसी अर्थ में अलग-अलग स्वीकार करना तथा शब्द के अर्थ की व्युत्पत्ति में लक्ष्य रखना—यह समभिरूढ़-नय का ध्येय है। जैसे—जिस पदार्थ या वस्तु में ‘घट’ शब्द की ध्वनि होती हो, उसे ही ‘घट’ कहेगा, खाली को नहीं ।

प्रस्तुत नय एक शब्द से अनेक वस्तुओं को ‘वाच्य’ नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले के शब्द का जो अर्थ और अभिप्राय होता है, उसे तो ‘वस्तु’ मानता है, और शेष को ‘अवस्तु’; जैसे—किसी ने कहा—‘योगीश्वर! अश्व दौड़ता है, इसका निग्रह करो।’ इस वाक्य में ‘अश्व’ शब्द के दो अर्थ होते हैं—‘घोड़ा’ और ‘मन’। परन्तु कहने वाले का तात्पर्य साधु के सम्बन्ध में ‘मन’ से है। अतः मन तो ‘वस्तु’ है, और अश्व ‘अवस्तु’। इसी प्रकार ‘धर्म’ शब्द के कहने पर धर्मास्तिकाय, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म की विवक्षा में समभिरूढ़-नय बोलने वाले के शब्द का अभिप्राय लेकर, जो अर्थ प्रसगानुसार अभिमत हो, केवल उसे ही ‘धर्म’ मानता है, अन्य धर्म को ‘धर्म’ नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले की मतोगत वस्तु को ही ‘वस्तु’ स्वीकार करना, इस नय का अभीष्ट लक्ष्य है।

वस्तुतः ‘शब्द’ तो आधार है, और मानसिक अभिप्राय ‘आधेय’ है। वहाँ शब्द-नय यह आशका प्रस्तुत करता है, कि—तुम्हारे कथन में, और हमारे कथन में, क्या अन्तर है?

इसका उत्तर समभिरूढ़ देता है कि—‘शब्द’ का अर्थ तो अन्य वस्तु मे भी प्राप्त होता है। जैसे—‘गौः’ शब्द का अर्थ ‘वृषभ’ के अतिरिक्त ‘आदित्य,’ ‘स्वर्ग,’ ‘जल,’ ‘रश्मि,’ ‘हण्ठि,’ ‘बाण,’ तथा ‘वज्र’; अर्थात्—‘गच्छतीति गौ’—गमन क्रिया करने वाले अनेक अर्थों में घटित हो जाता है। यह तो आपका अभिमत है, किन्तु अभिप्राय-युक्त ‘आधार वस्तु’ के अर्थ को ही ‘वस्तु’ मानना हमारा अभिप्रेत है। बस, यही दोनों मे अन्तर है।

जिस प्रकार शब्द-पर्याय मे भिन्नता होते हुए भी शब्द-नय एक ही अर्थ मानता है, वैसे ही अनेक अर्थों का आधार-रूप एक शब्द भी मानता है, परन्तु समभिरूढ़-नय भिन्न-भिन्न पर्याय-वाचक शब्दों का अर्थ भिन्न-भिन्न मानता है, और नानार्थक शब्द का एक समय मे एक ही अर्थ मानता है, उसे ही अभिप्रेत वस्तु मानता है, शेष अर्थों को ‘अवस्तु’।

सप्तम छात्र

सातवे छात्र ने कहा—“वत्थुओ सकमणं होइ अवत्थु रण य समभिरूढे।”—१

अर्थात्—वस्तु का अन्य किसी वस्तु मे सक्रमण होना असभव है।

‘जीव, जीवास्तिकाय, प्राणी, भूत, सत्त्व, विज्ञ, चेता, आत्मा, पुद्गली, कर्ता, विकर्ता, जन्तु, यौनिक, स्वयभू, सशरीरी, ज्ञाता, तथा अन्तरात्मा’ आदि; शब्द-नय

१—अनुयोग द्वार सूत्र।

के मत से ये एक जीव-द्रव्य की सज्जाएँ हैं। किन्तु समभिरूढ़-नय पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ को व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न करता है, अर्थात्—

प्रस्तुत नय के मत में विश्व भर के सभी कोशों में एक शब्द का पर्यायिक-वाचक दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात्—‘जीव’ और ‘आत्मा’ शब्द में एकरूपता लाना नितान्त असभव है। जैसे ‘आत्मा’ शब्द के स्वर और व्यजन ‘जीव’ शब्द में सक्रम नहीं होते, वैसे ही ‘जीव’ शब्द के स्वर और व्यजन ‘आत्मा’ शब्द में सक्रान्त नहीं होते, तथा जिस अर्थ की सज्जा ‘जीव’ है, उसकी सज्जा ‘आत्मा’ नहीं हो सकती। जिस अर्थ की सज्जा ‘आत्मा’ है, उसकी सज्जा ‘जीव’ नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार ‘नन्दी सूत्र’ में या ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में मति, स्मृति, सज्जा, चिन्ता आदि शब्द, ‘शब्द-नय’ के मतानुसार एक लिंगी होने पर एक अर्थ के पर्याय-वाचक शब्द है। परन्तु समभिरूढ़-नय, सज्जा-भेद से पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ-भेद मानता है। इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण स्वयं विज्ञेय हैं।

जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति-काय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, इन पाँचों द्रव्यों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होते हुए भी गुण और स्वभाव का आदान-प्रदान नहीं होता, उसी प्रकार ‘जीव’ के साथ अनादि काल से कार्मण पुद्गल बद्ध होने पर भी

‘जीव’ का ‘अजीव’ के रूप में सक्रमण नहीं होता, और न कार्मण पुद्गल ही ‘जीव’ रूप में संक्रान्त होता है ।

प्रश्न—जब किसी रासायनिक प्रयोग से ताम्र का स्वर्ण, या पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, तब आपके कथनानुसार क्या ‘ताम्र’ या ‘लोहा’ स्वर्ण के रूप में संक्रान्त नहीं हुआ ? यदि कहो, नहीं होता, तो यह प्रत्यक्ष विरोध है । यदि कहो, “संक्रान्त हो जाता है,” तो यह आगम विरोध है । एक स्थान पर भी विरोध आ जाए, तो फार्मूला गलत सावित हो जाने से वह फार्मूला—फार्मूला नहीं रहता । यदि दो प्रमाणों से प्रयोग गलत सावित हो जाए, तो कहना ही क्या ? अत इस विरोध का परिहार करिए ?

उत्तर—सक्रमण होने के जो-जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे अन्वय और व्यतिरेक से विपरीत हैं । ‘लोहा’ पारस के स्पर्श से ‘स्वर्ण’ बन जाता है, किन्तु यह तो उसकी पर्याय है । वस्तुत पर्याय तो परिवर्तित होती हो रहती है । पर्याय तो विश्वसा से भी परिवर्तित होती है, तथा प्रयोगज से भी । यदि लोहे का पारस बन जाता, और पारस का लोहा बन जाता, तो इसे हम कथचित् संक्रम कह सकते हैं—सर्वथा नहीं, किन्तु ऐसा होता नहीं ।

प्रश्न—दुर्घट मे दधि मिश्रित कर देने से वह दुर्घट दधि के रूप में संक्रान्त हो जाता है, यह उदाहरण तो अन्वय से व्याप्त है ?

उत्तर—आपका यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि सजातीय मे सक्रम हो जाना, तो पर्याय है। विजातीय मे स्क्रम तीन काल मे भी नहीं हो सकता। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का परिणामन होना, पुद्गलास्तिकाय की 'गुण पर्याय' है; तथा स्थानो मे परिणामन होना 'द्रव्य पर्याय' है। जिनके उदाहरण आपने दिए हैं, वे समस्त पुद्गल 'द्रव्य' के हैं। एक वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और स्थान का, दूसरे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और स्थान मे परिणाम होना तो पर्याय है।

जिस प्रकार पुद्गलास्तिकाय का किसी समय भी धर्मास्तिकाय या जीवास्तिकाय आदि मे सक्रम नहीं होता, उसी प्रकार एक शब्द का दूसरा सजातीय शब्द न होने से कथचित् भी सक्रम नहीं हो सकता, और विजातीय शब्द का सक्रम तो होना ही असम्भव है। 'इन्द्र' का 'शक्र' मे सक्रम नहीं हो सकता, 'शक्र' का 'इन्द्र' मे नहीं हो सकता। अर्थात्—'इन्द्र' कभी भी 'शक्र' नहीं हो सकता, और न 'शक्र' कभी 'इन्द्र' हो सकता है। यह है 'समभिरूढ़-नय' का अभीष्ट मत।

अध्यापक

छात्रों का वक्तव्य सुनकर अध्यापक ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रिय छात्रो! यद्यपि तुम सब ने 'समभिरूढ़-नय' के विषय में कुछ विवेचन किया है, तथापि प्रसंगानुसारं अपूर्ण विषय को पूर्ण करने के लिए मुझे भी कहना कुछ आवश्यक है। अतः सावधान होकर सुनो—

समभिरूढन्य व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न पर्याय शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ-होने से पदार्थों को भिन्न-भिन्न मानता है, अर्थात्-जितने भी पर्यायवाची शब्दों के नाम हैं, उतने ही वस्तु-मेद और अर्थ-मेद इस नये के मत से माने जाते हैं। क्योंकि इस नये का अर्थ केवल अभिधेय ही नहीं है, अपितु पर्यायवाचक शब्द भी है, मिर भी उन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थों को स्वीकार करना, इस नये का मुख्य लक्ष्य है।

यदि पर्यायवाची कोश की दृष्टि से एकार्थवाचक कहे जाने वाले 'शब्द' और 'पर्याय' के मेद-होने पर भी वस्तु का मेद न माना जाए तो फिर भिन्नार्थवाचक पर्याय-मेद और शब्द-मेद के होने पर भी वस्तुओं का मेद न होना चाहिए। जैसे—'धट' और 'पट' ये दोनों ही पदार्थ भिन्न-भिन्न पर्यायों और भिन्न-भिन्न शब्दों वाले हैं। यदि अर्थ-मेद न माना जाएगा, तो उक्त दोनों का भेद भी सिद्ध न हो सकेगा। अतएव इस नये के मत से शब्द-मेद के द्वारा वस्तु के अर्थ-मेद का होना अनिवार्य माना गया है। यह त्रय किसी वस्तु को अंश-मात्र गुण-त्वान् होने पर भी उसे 'पूर्ण वस्तु' मानता है; जैसे 'जनगण, मनोनीत, राष्ट्रपति' को भी 'राष्ट्रपति' मानता है।

दूसरा उदाहरण देखिए—एक विद्यार्थी बी० ए०, बी० टी० मे सर्व प्रथम पास हुआ है और शिक्षामन्त्री ने उसे अमुक तारीख को अमुक हाई-स्कूल से प्रधान अध्यापक पद को सुशोभित करने के लिए निर्देश दिया है। समभिरूढन्य के अनुसार अभी से ही उसको प्रधान अध्यापक कह सकते हैं। इसी प्रकार जो आन्तरिक युद्ध में विजयी बनते हुए

उत्पन्नं दधि-भावेन,
ज्ञष्टं दुर्घतया पयः ।
गोरस्त्वात् स्थिरं जानन्,
स्याद्वाद-विद् जनोऽपि कः ॥

— उपाध्याय यशोविजय

“दूध, दधि-रूप से उत्पन्न हुआ है, और दूध-रूप से नष्ट हुआ है, किन्तु गोरस्त्व-रूप से स्थिर है—यह वस्तु तत्त्व का रहस्य कोई स्याद्वाद-वेत्ता ही जान सकता है, अन्य नहीं ।”

एवंभूत-नय

क्रिया-परिणामार्थ चेदेवम्भूतो नयो वदेत् ।
— द्रव्यान्तयोग तकणी

उत्पन्नं दधि-भावेन,
जष्टं दुर्भवतया पयः ।

गोरसत्वात् स्थिरं जानन्,
स्याद्वाद-विद् जनोऽपि कः ॥

— उपाध्याय यशोविजय

“दूध, दधि-रूप से उत्पन्न हुआ है, और दूध-रूप से नष्ट हुआ है, किन्तु गोरस-रूप से स्थिर है—यह वस्तु तत्त्व का रहस्य कोई स्याद्वाद-वेत्ता ही जान सकता है, अन्य नहीं ।”

एवंभूत-नय

क्रिया-परिणतार्थं वेदेवम्भूतो नयो वदेत् ।
— द्रव्यानयोगं तर्कणा

“एवम्भूतस्तु सर्वत्र, व्यंजनार्थ-विशेषणः ।
राज-चिन्है यथाराजा, नान्यदा राज-शब्द-भाक् ॥”

—नयोपदेश, ३९

“जिस काल में जो क्रिया हो रही है, उस काल में उस क्रिया से सम्बद्ध विशेषण किंवा विशेष्य नाम का व्यवहार कराने वाला विचार ‘एवंभूत-नय’ कहलाता है ।”

पीछे पूर्वोक्त शब्दों का प्रयोग करना इस नय को मान्य नही है ।

द्वितीय छात्र

द्वासरे छात्र ने कहा—“व्यञ्जनार्थयोरेवभूतः ।”—१

अर्थात्—‘व्यञ्जन’ शब्द और ‘अर्थ’ अभिधेय, इन दोनों का यथार्थ कथन करने वाले अध्यवसाय को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं । वस्तुतः इस शब्द का वाच्यार्थ यही है और इस अर्थ का प्रतिपादक भी यही शब्द है । इस तरह से वाच्य और वाचक के सम्बन्ध की अपेक्षा रखकर तत्क्रिया विशिष्ट वस्तु के ग्रहण करने को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं, अथवा वाचक और उसके वाच्य की परस्पर में अपेक्षा रखकर, ग्रहण करने वाले अध्यवसाय को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं ।

विशेष रूप से गहराई में जाने वाली बुद्धि, जब अंत तक गहराई में पहुँच जाती है, तब वह विचार करती है कि—यदि व्युत्पत्ति-भेद से अर्थ-भेद माना जा सकता है, तब तो ऐसा भी मानना चाहिए, कि जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नही ।

इस कल्पना के अनुसार किसी समय राज-चिन्हो से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, अथवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेना, इतना मात्र ही ‘राजा’ या ‘नृप’ कहलाने के लिए पर्याप्त नही, अपितु राजा

मे ही वह 'इन्द्र' शब्द का वाच्य है, उससे रहित काल मे नहीं।

यद्यपि भाष्य आदि व्याकरण-शास्त्र के ग्रन्थो मे जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध और यद्यच्छा, पाँच प्रकार की शब्द-प्रवृत्ति कही है, तथापि वे सब व्यवहार मात्र ही है— निश्चय से नहीं। समभिरूढ़-नय व्युत्पत्ति-भेद से अर्थ-भेद तक ही सीमित है, किन्तु एवंभूत-नय कहता है कि—जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस 'शब्द'-का वह 'अर्थ' मानना चाहिए। जिस शब्द का जो अर्थ होता हो, उसके होने पर ही शब्द का प्रयोग करना, 'एवंभूत-नय' है। जैसे जो शोभित होता है, वह 'इन्द्र' है। इस व्युत्पत्ति को दृष्टि मे रखते हुए, जिस समय वह इन्द्रासन पर शोभित हो रहा हो, उसी समय उसे 'इन्द्र' कहना चाहिए। शक्ति का प्रयोग करते समय उसे 'शक्ति' कहना चाहिए, 'इन्द्र' नहीं। इन्द्राणी के साथ क्रीडा करते समय उसे 'शक्तीपति' कहना चाहिए। आगे-पीछे अन्यकाल मे 'शक्तीपति' का प्रयोग करना इस नय को अभीष्ट नहीं है।

वाणिज्य करते हुए को 'वणिक्' कहना, भक्ति करते हुए को 'भक्ति' कहना, सेवा करते हुए को 'सेवक' कहना, तप करते हुए को 'तपस्वी' कहना, मनन करते हुए को 'मुनि' कहना, तथा अनुप्रेक्षापूर्वक अध्ययन करते हुए को 'अध्येता' कहना ही इस नय को अभीष्ट है। आगे और-

अर्थात्—जो 'शब्द' को अर्थ से और 'अर्थ' को शब्द से विशेषित करता है, वह 'एवभूत-नय' है। जैसे—'घट' शब्द चेष्टा अर्थ वाली 'घट' धातु से बना है। अतः इसका अर्थ यह है कि—जो जल-धारणा आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह 'घट' है।

इसलिए एवंभूत-नय के मत से 'घट' अर्थ तभी 'घट' शब्द का वाच्य होगा, जबकि वह जल-धारणा आदि क्रिया करता हो, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को तष्ठ ही सिद्ध कहा जा सकता है, जब वह समस्त कर्मों का सर्वथा विलय करके मोक्ष में विराजमान हो जाए। तात्पर्य यह है कि एवभूत-नय से उपयोग-सहित क्रिया की प्रधानता है। इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है, जेवकि वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“यत्क्रिया-विशिष्ट शब्देनोच्यते तामेव क्रिया कुर्वद् एवभूतमुच्यते” ।—१

अर्थात्—जिस क्रिया का जो बोधक शब्द है, उसी क्रिया को करते हुए वस्तु को वस्तु मानने वाला 'एवभूत-नय' है। समभिरूढ़-नय इन्द्रनादि क्रिया के होने या न होने पर 'इन्द्र' आदि को इन्द्र आदि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वे शब्द अपने वाच्यों के लिए रूढ़ हो चुके हैं। परन्तु एवभूत-नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है,

१—नय रहस्य प्रकरण।

तो उसी समय कहलाने योग्य है, जबकि सचमुच राज-दण्ड को धारण करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो । इसी प्रकार 'नृप' तब कहना चाहिए, जब वह प्रजा का रक्षण कर रहा हो ।

अर्थात्—किसी व्यक्ति के लिए 'राजा' या 'नृप' शब्द का प्रयोग करना तभी ठीक होगा, जबकि उसमें शब्द-व्युत्पत्ति से सिद्ध हुआ अर्थ घटित हो रहा हो । इसी रीति से जब अध्यापक पढ़ा रहा हो, तभी उसे 'अध्यापक' कहा जा सकता है । जब तन्तुवाय वस्त्र बुन रहा हो, तभी उसे 'तन्तुवाय' कह सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार साधना-परायण व्यक्ति को 'साधक,' अध्ययन परायण व्यक्ति को 'अध्येता' कहा जायगा ।

सारांश में यह कथन पर्याप्त है कि जब भी कोई क्रिया हो रही हो, उसी समय उससे सम्बन्धित विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने की मान्यताएँ 'एवभूत-नय' की कहलाती हैं ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“व्यञ्जनार्थविशेषणपरो-
अध्यवसायविशेष एवभूत.” ।—१

अर्थात्—‘जो विचार शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही उस वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं, वह 'एवभूत-नय' है ।’

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानने वाला 'एवभूत-नय' है ।

‘अर्थात्—जो ‘शब्द’ को अर्थ से और ‘अर्थ’ को शब्द से विशेषित करता है, वह ‘एवभूतन्य’ है। जैसे—‘घट’ शब्द चेष्टा अर्थ वाली ‘घट’ धारु से बना है। अतः इसका अर्थ यह है कि—जो जल-धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह ‘घट’ है।

इसलिए एवभूतन्य के मत से ‘घट’ अर्थ तभी ‘घट’ शब्द का वाच्य होगा, जबकि वह जल-धारण आदि क्रिया करता हो, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को तब ही सिद्ध कहा जा सकता है, जब वह समस्त कर्मों का सर्वथा विलय करके मोक्ष मे विराजमान हो जाए। तात्पर्य यह है कि एवभूतन्य मे उपयोग-सहित क्रिया की प्रधानता है। इस न्य के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है, जौबकि वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“यत्क्रिया-विशिष्ट शब्देनोच्यते तामेव क्रिया कुर्वद् एवभूतमुच्यते” ।—१

अर्थात्—जिस क्रिया का जो बोधक शब्द है, उसी क्रिया को करते हुए वस्तु को वस्तु मानने वाला ‘एवभूतन्य’ है। समभिरूढ़न्य इन्द्रादि क्रिया के होने या न होने पर ‘इन्द्र’ आदि को इन्द्र आदि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वे शब्द अपने वाच्यों के लिए रूढ़ हो चुके हैं। परन्तु एवभूतन्य इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है,

जबकि वे इन्दनादि क्रियाओं में परिणत हो। जैसे—एवंभूत-नय 'इन्दन' क्रिया का अनुभव करते समय ही 'इन्द्र' को इन्द्र शब्द का वाच्य मानता है, और 'शक्' क्रिया में परिणत होने पर ही 'शक्' को शक् शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। इस सम्बन्ध में यह कहा भी गया है कि—

“यदेवार्थक्रियाकारि, तदेव परमार्थं सत् ।

यच्चनार्थक्रियाकारि, तदेव परतोऽप्यसत् ॥”

अर्थात्—जो अर्थ क्रियाकारी है, वही परमार्थ में सत् है, और जो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वह असत्। चुम्बक को 'चुम्बक' तभी कहा जा सकता है, जबकि वह लोहे को आकर्पित कर रहा हो। आगमधर को 'आगमधर' तभी मानता है, जबकि उसके योग और उपयोग आगम में ही संलग्न हों, अन्यथा नहीं।

यह नय अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय मानता है। वाचना, पृच्छना, पर्यटना तथा धर्म-कथा को नहीं। जिस विषय की अनुप्रेक्षा की जा रही हो, उसी को 'आगम' मानता है। जब ज्ञान में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'ज्ञानी' मानता है। जब दर्शन में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'दर्शनी' मानता है। जब चारित्र की आराधना में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'चारित्रवान्' मानता है। तात्पर्य यह है कि समभिरूढ़-नय ने वस्तु की जो सज्जा स्वीकार की है, उसी को एवंभूत-नय जिस वस्तु की जैसी सज्जा है, यदि वह वैसी ही क्रिया करे, तो उसको वस्तु मानता है। क्रिया-रहित सज्जा को वस्तु नहीं मानता।

पंचम छात्र

पाँचवें छात्र ने कहा—

“वजण अर्थं तदुभयं एवभूतो विसेसेइ” ।—१

अर्थात्—जिसके द्वारा अर्थ व्यक्त किया जाए, उसे व्यंजन (शब्द) कहते हैं । वह व्यजन जिस अभिधेय वस्तु को वतलाता है, उसे अर्थ कहते हैं । शब्दार्थ के मिलित रूप को तदुभय कहते हैं । अस्तु, जो शब्द अर्थ को विशेषित करता हो, वह ‘एवभूत-नय’ है ।

एवं=इसी प्रकार, भूत=तुल्य, जैसा, अर्थात्—जो पदार्थ अपने गुणों से पूर्ण हो, जिस क्रिया के योग्य हो, उसी में लगा हो—अर्थात् वही क्रिया करता हो, और उसी क्रिया में उसके परिणाम हो, उसे ‘एवभूत-नय’ कहते हैं । जैसे—घड़ा पानी से भरा हो, घट-घट शब्द कर रहा हो, उसी समय एवभूत-नय उसे ‘घड़ा’ कहेगा, न कि घर में पड़े हुए रिक्त घट को । वास्तव में देखा जाए तो जब विवक्षित भाजन-विशेष पानी से भरा हुआ हो, घट-घट शब्द कर रहा हो, ऐसी चेष्टा करने से ही उस भाजन-विशेष की ‘घट’ सज्जा प्रसिद्ध हुई है । जब वह घट वही क्रिया कर रहा हो, जिससे उसकी ‘घट’ सज्जा प्रसिद्ध हुई, तभी एवभूत-नय उसे ‘घट’ मानता है । निश्चेष्ट पड़े रहने से उसे ‘घट’ नहीं कहा जा सकता । एवभूत-नय अशारीरी आत्मा को ही मुक्तात्मा मानता है ।

प्रश्न—‘जीव, नोजीव, अजीव, तथा नोअजीव—इस प्रकार से इन चारों में यदि केवल शुद्ध पद का ही

१—अनुयोग द्वार सूत्र ।

उच्चारण किया जाए, तो नैगम आदि नयों में से किस नय के द्वारा कौन-से अर्थ का वोध कराया जाता है ?

उत्तर—‘जीव’ ऐसा उच्चारण करने पर देग्राही नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द और समभिरूढ़, इन नयों के द्वारा चार गतियों में से किसी भी गति में रहने वाले ‘जीव’ का वोध होता है। क्योंकि यह नय ‘जीव’ शब्द से आप्नमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन पाँच प्रकार के भावों में से यथा सम्भव भावों को धारण करने वाला है। अत वह ‘जीव’ है।

‘जीवतीति जीव’, अर्थात्—जो प्राणों को धारण करने वाला है, उसे जीव कहते हैं। जिनका सयोग होने पर यह व्यवहार हो कि ‘यह जीवित है’, और जिनका वियोग हो जाने पर यह व्यवहार हो कि ‘यह मर गया’—उनको ‘प्राण’ कहते हैं। किसी भी गुण-स्थान में स्थित आत्माएँ किसी न किसी द्रव्य प्राणों से अधिष्ठित हैं, अत उन्हे जीव कह सकते हैं।

उपर्युक्त कथन के अनुसार वे द्रव्य-प्राण ये हैं— पाँच इन्द्रियाँ, तीन योग, श्वासोच्छ्वास, और आयुर्वल-प्राण। इस सम्बन्ध में एवभूत-नय की यह मान्यता है कि ‘जीव’ शब्द का उच्चारण करने पर चतुर्गति रूप ससार में रहने वाले ‘जीव-द्रव्य’ का ही वोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले का वोध नहीं होता। क्योंकि सिद्ध-पर्याय में उक्त प्राणों का धारण नहीं होता, अत, ‘जीव’ शब्द से ‘ससारी जीव’ का ही ग्रहण होता है, मुक्तात्माओं का नहीं।

एवभूतन्य

कर्तिपय दिग्म्बर आचार्यों की यह मान्यता है कि एवभूतन्य के अनुसार सिद्ध भगवन्तों को ही 'जीव' कह सकते हैं, क्योंकि वे भाव प्राणों के धारक हैं। वे भाव-प्राण ये हैं—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, और अनन्त वल-वीर्य। द्रव्य प्राणों के धारण करने वालों को तो केवल व्यवहार से ही 'जीव' कह सकते हैं, निश्चय से नहीं।

यह कथन युक्ति-युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एवभूतन्य की यह मान्यता है कि—जो आदिक भाव में स्थित है; उन्हीं को 'जीव' कह सकते हैं। जो क्षायिक भाव तथा परिणामिक भाव में स्थित है, उन्हें 'जीव' नहीं कह सकते। इस सम्बन्ध में कहा भी गया है—“एवभूतस्य जीवंप्राय आदिक भावग्राहकत्वात्।”

प्रश्न—यदि 'जीव' के आदिक भाव ही एवभूतन्य को अभिप्रेत हैं, तो इवेताम्बर सम्प्रदाय के मलयगिरि आदि आचार्यों ने भी सिद्धों को 'जीव' कहा है, यह किस भाव से कहा?

उत्तर—पाँच भावों को ग्रहण करने वाले—नैगम, सग्रह, व्यवहार, कठजुसूत्र, शब्द और सम्भिरुद्ध, इन्हीं छह नव्यों के अभिप्राय से कहा गया है, न कि 'एवभूतन्य' के अभिप्राय से।

'नो जीव'—इस शब्द के द्वारा दो अर्थों का बोध होता है—एक तो जीव से भिन्न पदार्थ, और दूसरा जीव का अंग। क्योंकि 'नो' गद्बद-सर्व-प्रतिषेध में तथा इष्ट प्रतिषेध में भी आता है। जब सर्व-प्रतिषेध अर्थ विक्षित हो,

तब 'नो जीव' का अर्थ जीव-द्रव्य से भिन्न कोई भी वस्तु ; ऐसा समझना चाहिए ।

जब ईषत् प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव-द्रव्य का अग्र ग्रहण करना चाहिए । अश भी दो प्रकार के होते हैं—
(क) देश रूप, और (ख) प्रदेश रूप । देश-रूप अश-नैगम से है । और प्रदेश-रूप अश को गब्द-नय पर्यन्त सभी नय स्वीकार करते हैं । किन्तु समभिरूढ़ तथा एवभूत ; इन दो नयों को 'नो जीव' शब्द का 'ईषत् प्रतिषेध' अर्थ अभीष्ट नहीं है ।

'अजीव'—इस शब्द से पुढ़गल आदि अजीव द्रव्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पर अकार सर्व-प्रतिषेधवाची है । नन् रूप प्रतिषेध के दो अर्थ होते हैं—एक 'प्रसज्य' और दूसरा 'पर्युदास' । प्रसज्य पक्ष में 'नन्' का अर्थ सर्व प्रतिपेध, और पर्युदास के पक्ष में 'तदभिन्न' और 'तत्सदृश' अर्थ होता है ।

"पर्युदास . सदृग्माही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्"—इस नियम के अनुसार एवभूत के बिना सभी नय 'अजीव' शब्द का 'सर्व प्रतिषेध' अर्थ करते हैं । अत. जीव से भिन्न पुढ़गल आदि अर्थ ही उन्हें अभिप्रेत है, किन्तु एवभूत-नय को 'अजीव' शब्द का अर्थ सिद्ध भगवन्त और पुढ़गल आदि दोनो ही मान्य है । प्रसज्य की अपेक्षा से पुढ़गल आदि, तथा पर्युदास की अपेक्षा से सिद्ध भगवन्त समझना चाहिए ।

'नो अजीव'—इस शब्द से दो अर्थों का वोध होता है । जब 'नो अजीव' और 'अ' ; इन दोनों का अर्थ सर्व-प्रतिषेध होगा, तब 'नो अजीव' का अर्थ भवस्थ जीव-द्रव्य ही

समझना चाहिए, क्योंकि—“द्वी निषेधौ प्रकृत गमयतः;” अर्थात्—निषेध का निषेध करने से प्रकृत-स्वरूप का बोध हो जाता है। जब ‘नो’ का अर्थ ईषत् निषेध, और ‘अ’ का अर्थ सर्व निषेध होगा, तब ‘नो अजीव’ का अर्थ जीव-द्रव्य का देश-प्रदेश समझना चाहिए।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—

“एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं, सदा तन्मोपपद्यते ।

क्रिया-भेदेन भिन्नत्वादेवभूतोऽभिमन्यते ॥”—१

अर्थात्—एक शब्द का जो भी वाच्य है, वही का वही अर्थ सदा नहीं रहता, प्रत्युत क्रिया-भेद से अर्थ में भेद हो जाता है, ऐसा एवभूत-नय मानता है।

शब्द के अभिधेय वाच्यार्थ को क्रिया की परिणति के समय में ही वस्तु मानना, अन्य समय में नहीं। ऐसा अभिमत प्रस्तुत नय का है।

एवभूत-नय समभिरूढ़-नय को शिक्षा देते हुए कहता है कि—जब आपने सज्ञा-भेद से वस्तु-भेद मान लिया, तो क्रिया-भेद से भी वस्तु-भेद होता है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? यदि देखा जाय तो वस्तुत. ‘क्रिया’ ही वस्तु में भेद डालने वाली है। जब ‘वस्तु’ क्रिया में प्रवेश करती है, तभी उसे ‘वस्तु’ कहा जाता है। जैसे—‘घटते चेष्टते वा तदेव घट.’; अर्थात्—जो वर्तमान काल में चेष्टा कर रहा है, वह ‘घट’ है। जो पहले चेष्टा कर चुका या अनागत काल में चेष्टा

१—सन्मति तर्क टीका।

करेगा, उसे 'घट' नहीं कहा जा सकता है। यदि उसे भी 'घट' कहा जाए, तो सभी वस्तुओं को 'घट' होने का प्रसग आ जाएगा।

एवं भूत-नय—‘जैसी जिस वस्तु की सज्ञा हो, वह वैसी ही क्रियाक रता हो, वैसे ही अध्यवसाय में प्रवृत्त भी हो।’ ये तीनों अपने गुणों में पूर्ण होकर उस गुण के अनुसार क्रिया में प्रवृत्त हो, और द्रव्य गुण पर्याय तथा वस्तु-धर्म सर्व प्रत्यक्ष होते हो, तभी उसे 'वस्तु' कहेगा। अगमात्र भी गुण न्यून होने पर उसे 'वस्तु' नहीं मानेगा।

प्रसन्नचन्द्र राजपि जब ध्यानस्थ होकर भी मानसिक रणागण में घोर सग्राम कर रहे थे, तब उसे एवं भूत-नय 'युद्ध वीर' मानता है, 'शान्तवीर' और 'मुनीच्वर' नहीं। क्योंकि यह नय सर्व-प्रथम मानसिक वृत्तियों को प्रवानता देता है, और वचन एवं शरीर को गौणता। मानसिक वृत्तियों के विना केवल वचन, और काय निर्वल है। व्यावहारिक हृषि से वचन और काय सबल है। निष्ठ्य हृषि से मन प्रवल है, क्योंकि गुण-स्थानों का आरोहण भावों से होता है, जो कि वारंगी और काय से। तन्दुल मत्स्य सातवी नरक की स्थिति मन से ही वाँधता है। समनस्क मनुष्य ही छव्वीस् वे देव लोक तक की स्थिति वाँध सकते हैं—अन्य नहीं।

एवं भूत-नय उपयोग-शून्य आगम-पाठी को 'आगमधर' नहीं मानता, जेव तक कि ज्ञान के साथ चारित्र का सम्बन्ध नहीं होता। वस्तुत ज्ञान का फल भी चारित्र है। अतः यह सिद्ध हुआ कि—जो व्यक्ति आगमों का अध्ययन

करके वहुश्रुत वन्न गया हो, और साथ ही शुद्ध भाव से 'अहासुत्तं, अहातच्च अहाकप्प, अहामग' के अनुसार उपयोग सहित चारित्र का पालन करने वाला भी हो, तभी उसे 'आगमधरे' मानता है।

सप्तम छात्र

सप्तम छात्र ने एवभूतनय का विवेचन करते हुए कहा कि—

"एव जह सद्यथो सूतो भूओ तदन्नहाऽभूओ।

तेणोवभूयनओ सद्यथ-परो विसेसेण"॥—१

अर्थात्—जो 'शब्द' जिस 'अर्थ' का बोधक है, और वह वस्तु भी वैसी ही क्रिया कर रही हो, तभी उस वाच्य का वह शब्द वाचक हो सकता है, जैसे 'गच्छतीति गौ'। अर्थात्—जो चले उसे 'गौ' कहते हैं। जब वह खड़ी हो या बैठी हो, तो उसे 'गौ' नहीं कहते। इसी प्रकार 'आशुगामित्वाद् अश्व'। अर्थात्—जो शीघ्र चले, उसे 'अश्व' कहते हैं। जब रसोई बना रहा हो, तभी उसे 'रसोइया' कह सकते हैं। 'प्रदीप' शब्द से दीपन-क्रिया से उपेत अर्थ ही अभिप्रेत है। दीपन-क्रियाहीन दीप को दीप नहीं मानता। इस नय में उपयोग सहित क्रिया की ही मुख्यता है। एवभूतनय के मत में एक पर्याय के अभिधेय होने पर भी एक ही पर्याय का 'वाचक जो शब्द है, वही एक शब्द उस अभिधेय का वाचक है, क्योंकि विद्यमान भाव ही निश्चय से आत्मीय कार्य के

करने वाला देखा जाता है। अत. तदरूप वही 'वस्तु' है, अन्य नहीं, तथा शास्त्र में वस्तु को 'स्वार्थ क्रियाकारी' माना गया है। सारँश इतना ही है, कि एवभूत-नय केवल 'स्वार्थ क्रियाकारी' वस्तु को ही 'वस्तु' मानता है; अर्थात्—जो अपने गुण में पूर्ण हो, वही 'वस्तु' है। यही इस नय का तात्पर्य है। यदि यह पदार्थ कार्य न करता हुआ भी; अर्थात्—'स्वार्थ-क्रिया' न करने पर भी उस वस्तु को 'वस्तुत्वेन' मानता है, तो फिर 'पट' में भी 'घट' शब्द की वाच्यता क्यों नहीं स्वीकार की जाती है? उक्त पदार्थ को इच्छा-विपयक क्यों नहीं किया जाता? इस प्रकार मानने में उक्त पदार्थ ने क्या अपराध किया क्योंकि जिस प्रकार 'स्वार्थ-क्रिया' न करने पर भी 'घट' घटत्व के व्यपदेश का भागी बनता है, उसी प्रकार 'घट-क्रिया' का अभाव वाला पट भी 'घट' हो जाए। इसका कारण यह है कि—स्व-कार्य के अभाव होने से दोनों में ही समानत्व होने से पक्ष-सम सिद्ध हो जाता है।

निश्चय-नय

छठे गुण-स्थान से आगे बारहवें गुण-स्थान तक के समस्त अप्रमत्त साधकों को 'साधु' मानता है। तेरहवे और चौदहवे गुण-स्थान-स्थित जीवों को 'अरिहत्' मानता है। गुण-स्थान रहित जीव को 'सिद्ध भगवान्' मानता है।—१

"से तूण भते! चलमारे चलिए? उद्दीरिज्जमारे उद्दीरिए? वेइज्जमारे वेइए? पहिज्जमारे पहीरे? छिज्ज-

मारे छिन्ने ? भिज्जमारे भिन्ने ? डजभमारे डड्हे ?
मिज्जमारे मडे ? निज्जरिज्जमारे निज्जणे ? हता
गोयमा ! चलमारे चलिए जाव निज्जरिज्जमारे निज्जणे ।”

अर्थात्—हे भगवन् ! जो चल रहा हो, वह चला । जो
उदीरा जा रहा हो, वह उदीरा गया । जो वेदा जा रहा
हो, वह वेदा गया । जो नष्ट हो रहा हो, वह नष्ट हुआ ।
जो छिद रहा हो, वह छिदा । जो भिद रहा हो, वह भिदा ।
जो जल रहा हो, वह जला । जो मर रहा हो, वह मरा ।
जो खिर रहा हो, वह खिरा । इस प्रकार कहा जा
सकता है—

हाँ, गौतम ! जो चलता है, वह चला यावत् जो निर्जर
रहा है, वह निर्जरा, ऐसा कइना चाहिए ।

यह कथन भी ‘निश्चय-नय’ से समझना चाहिए ।
‘निश्चय-नय’ क्रृजुसूत्र से आरम्भ होकर एवभूत मे पूर्णतः
विकसित हो जाता है ।

प्रस्तुत नय किंचित्मात्र हीन गुण को वस्तु नहीं मानता ।
किसी भी द्रव्य मे प्रदेशों की गणना नहीं करता है । वह
अखड द्रव्य को ही ‘वस्तु’ मानता है ।

अध्यापक

अध्यापक ने कहा—यद्यपि तुम सब ने यथाशक्य एव
यथासभव एवभूत-नय की व्याख्या बहुत सुन्दर की है, तथापि
एवभूत-नय गर्भित प्रतिपाद्य विषय, जोकि अपूर्ण रह गया
है, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए मुझे कुछ कहना पड़
रहा है—

एवभूते-नय को विपर्य अत्यन्त गम्भीर और कठिन है। श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम प्रवलतेर होगा, उतना ही एवभूत-नय का स्वरूप भेली भाँति जाना जा सकता है। एवभूत-नय से परखे हुए विचार सिद्धान्त के रूप मे परिणत हो जाते हैं। जो खड़ित नहीं हो सकता, वस्तुते वही वीतराग-देव का सिद्धान्त है। आलाप पद्धति मे कहा है—

“सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं, हेतुभिन्नं व हन्यते ।

आज्ञा-सिद्धं तु तदग्राह्यं, नान्यथा वादिनो जिता ॥” १

जिनोक्त तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, जो कि हेतुओ से खड़ित नहीं हो सकता, वह तो आज्ञा से ही मान्य है। क्योंकि जो रागद्वेष से रहित है, वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। विचारो को मलिन करने वाले राग-द्वेष हैं; उनको जिन्होने सर्वथा क्षीरण कर दिए; वे तुरन्त सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाते हैं। वे सत्यपूत होने से सत्यवादी ही होते हैं—अन्यथावादी नहीं। अन्यथावादी तो मोहग्रस्त होते हैं। द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से वस्तु मे सर्व धर्मो की अभेद रूप से स्थिति रहती है। और पर्यार्थिक नय की प्रधानता से यह अभेद स्थिति उपचार रूप से रहती है। अनेकान्तवाद की सूचना इन दोनो से होती है। जैन-सिद्धान्त ‘सम्यग् एकान्त’ और ‘सम्यग् अनेकान्त’, इन दोनो को मानता है। सम्यग् एकान्त, नय का दूसरा नाम है तथा सम्यग् अनेकान्त, प्रमाण का। ‘मिथ्या एकान्त’ और ‘मिथ्या अनेकान्त’, ये दो शब्द क्रमशः नयाभास और प्रमाणाभास के द्योतक हैं।

१—आलाप पद्धति ।

साम्य-दर्शन केवल द्रव्य को ही तत्त्व मानता है, उसकी पर्याय को नहीं। परन्तु पर्याय भी अनुभव सिद्ध है, अतः वह मत युक्ति-युक्त नहीं है।

बौद्ध-दर्शन केवल पर्याय को ही तत्त्व मानता है। इसके सिवाय अन्य किसी द्रव्य-विशेष को तत्त्व नहीं मानता। अतः बौद्धों की यह मान्यता भी युक्ति-युक्त नहीं है। क्योंकि स्वर्ण यदि द्रव्य है, तो कुण्डल, कटक आदि उसके पर्याय हैं। यह अनुभव सिद्ध है।

‘अनेकान्त सिद्धान्त को सम्यग् रीति से विचार करने पर यह कहना कठिन हो जाता है, कि जैनों की दृष्टि से अन्य दर्शन विल्कुल असत्य है।’—१

सम्यक् अनेकान्त समस्त दर्शनों में कथचित् सत्यता अवश्य स्वीकार करता है। यदि हम अन्य दर्शनों को अपनी दृष्टि से ठीक नहीं समझेंगे, तो यह भी तो मिथ्या एकान्त हुआ, जिसका जैनागमो में निषेध किया गया है। अनेकान्त और स्याद्वाद, ये दोनों ग्रन्थ सामान्य रीति से एक ही धर्म में व्यवहृत होते हैं। मात्र जैन ही नहीं, परन्तु जैनेतर बुद्धिमान वर्ग भी जैन-दर्शन व जैन सम्प्रदाय को अनेकान्त दर्शन या अनेकान्त धर्म के रूप में पहचानते हैं। चस्तुतः

१—जहाँ मिथ्यात्व का अश है, वहाँ सभी असत्य हैं। किन्तु ऐसों भी सूत्र में प्रतिपादित किया है कि ‘मिथ्या दृष्टियों के बनाए हुए शर्थ उन्हें सम्येग्दृष्टिये सम्यक् रूप में परिणत कर सकता है। और वीतराग की ओरी को मिथ्या दृष्टि-मिथ्यात्व रूप में परिणत कर देता है। सत्य भी असत्य पन जाता है। (नन्दी भूत्र) —लेखकः

अनेकान्त एक प्रकार की विचार पद्धति है। वह सब दिशाओं तथा सब और से खुला हुआ एक मानस चक्षु है। ज्ञान के, विचार के, और आचरण के किसी भी विषय को वह केवल सकीर्ण दृष्टि से देखने के लिए निषेध करता है, और जितना शक्य हो, उतने ही अधिक दृष्टिकोणों से, अधिक से अधिक पहलुओं से, और अधिक से अधिक मार्मिक रीति से वह सब कुछ विचारने और आचरण करने का पक्षपात रखता है। उसका यह पक्षपात भी केवल सत्य पर ही आश्रित है।

अनेकान्त के जीवन का अर्थ है—उसके आगे पीछे और भीतर सर्वत्र सत्य का यथार्थ प्रवाह। अनेकान्त केवल कल्पना ही नहीं है, अपितु वह एक तत्त्व-ज्ञान भी है, और आचरण का विषय होने से यह धर्म भी है। अनेकान्त की सार्थकता इसी में है, कि वह जैसे दूसरे विषयों को सब और से तटस्थ रूप से देखने, विचारने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह अपने स्वरूप और जीवन के विषय में भी मुक्त मन से ही विचार करने के लिए तैयार रहता है। कल्पना, तत्त्व-ज्ञान और धर्म, ये तीनो मानव-जीदन की ऐसी विशेषताएँ हैं, जो दूसरे किसी के जीवन में नहीं मिलती। परन्तु ये तीनो वस्तुएँ एक ही कोटि की या एक तरह के मूल्य वाली नहीं हैं। कल्पनाओं की अपेक्षा तत्त्व-ज्ञान का स्थान ऊँचा है। इतना ही नहीं, परन्तु यह स्थायी और व्यापक भी है। धर्म का स्थान तो तत्त्व-ज्ञान की अपेक्षा बढ़कर है, क्योंकि धर्म तत्त्व-ज्ञान का परिणाम—फलमात्र है। विभिन्न व्यक्तियों में क्षण-क्षण में नयी-नयी कल्पनाएँ

नए रूप मे उद्भव होती है। ये सभी कल्पनाएँ स्थिर तथा सच्ची नहीं होती है। अतएव कल्पना करने वाला व्यक्ति भी अनेक बार अपने द्वारा आहृत तथा पुष्ट कल्पनाओं को फेंक देता है, उन्हे बदलता भी रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को सत्य की कसोटी पर कसे बिना उनका सेवन तथा पोषण करता रहता है, तो उन कल्पनाओं को न तो दूसरे लोग अपनाते हैं, और न उन्हे स्वेकार ही करते हैं, इसे दुर्योग कहते हैं।

इसके विपरीत यदि कोई कल्पना सत्य की कसोटी पर कसे जाने पर ठीक उत्तरती है और उसमे भ्रान्ति भी नहीं रहती, तो वह कल्पना चाहे जिस काल, चाहे जिस देश और चाहे जिस जाति मे उत्पन्न हुई हो, फिर भी वह अपनी सत्यता के कारण सर्वत्र स्वीकृत की जाती है, और स्थायी बन जाती है।

ऐसी स्थिर कल्पनाएँ ही तत्त्व-ज्ञान स्वरूप गिनी जाती हैं और वे ही कही सीमाबद्ध न रहकर सार्वजनिक या बहुजन ग्राह्य सम्पत्ति बन जाती हैं; इसी को सुनय कहते हैं। मानवीय परीक्षण शक्ति जिस तत्त्व-ज्ञान को कस करके सत्य रूप से स्वीकार करती है, वही तत्त्व-ज्ञान वाद मे क्रमश धीमी या तीव्रगति से मानव के आचरण का विषय बनता है, और जो तत्त्व-ज्ञान विवेक पूर्वक आचरण मे आता है, वही मानव वंश का सच्चा विकासप्रद धर्म बन जाता है। जैन-धर्म वैज्ञानिक धर्म है, उसमे काल्पनिक विचारों और काल्पनिक आदर्शों के लिए जरा भी स्थान नहीं है।

‘सोमिल ग्राहण—भगवान् महावीर से’ ‘प्रश्न’ करता है कि भगवन् । क्या आप यात्रा भी करते हैं ?’

भगवान् ने उत्तर दिया—‘हाँ, सोमिल ?’ ‘मैं यात्रा करता हूँ ।’ सोमिल ने तुरन्त पूछा—कौन-सी यात्रा ?

‘सोमिल वाह्य जगत में विचर रहा था । भगवान् अन्तर्जगत में विचरण कर रहे थे ।

भगवान् ने उत्तर दिया—‘सोमिल । जो तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, व्यान, और आवश्यक आदि योग की साधना में यतना है—प्रवृत्ति है, वही मेरी यात्रा है ।’ कितनी सुन्दर यात्रा है ? इस यात्रा के द्वारा जीवन का कल्याण होना निश्चित है । जेन-धर्म की यात्रा का पथ जीवन के अन्दर में से है, बाहर से नहीं । अनन्तानन्त साधक इसी यात्रा के द्वारा मोक्ष में पहुँचे हैं, और पहुँचेंगे । सयमी साधक के लिए जीवन की प्रत्येक शुद्ध प्रवृत्ति यात्रा है, मोक्ष का मार्ग है । भगवान् का यह कथन एवं भूत-नय की दृष्टि से है ।

भगवान् पार्वनाथ के गासन का प्रसार करने वाले ‘कालास्यवेश्य पुत्र’ नामक अनगार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के गिर्ज्य स्थविर भगवन्तों ने कहा—‘वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है ।’ सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप आत्म-तत्त्व की प्राप्ति ही है ।’ यह कथन भी एवं भूत-नय की दृष्टि से ही समझना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं । उसके एक धर्म को

देखकर निश्चय कर लेना, और अन्य धर्मों का विचार न करना ही एकान्तवाद है।

आदि के तीन नय—स्व-सिद्धान्त, पर-सिद्धान्त, और उभय-सिद्धान्त, इन तीनों को मानते हैं। क्षुसूत्र-नय—स्व-सिद्धान्त और पर-सिद्धान्त, इन दोनों को मानता है, उभय सिद्धात को नहीं, क्योंकि उभय सिद्धात में जो स्व अश है, वह स्व-सिद्धान्त में गर्भित है और जो पर अंश है, वह पर-सिद्धान्त में। इस प्रकार उभय सिद्धात जैसी कोई वस्तु नहीं है।

तीनों शब्द-नय केवल स्वसिद्धान्त को मानते हैं, पर-सिद्धान्त और उभय सिद्धांत को नहीं।

‘ सोमिल व्राह्मण—भगवान् महावीर से “प्रेशन” करता है कि भगवन् । क्या आप यात्रा भी करते हैं ? ”

‘ भगवान् ने उत्तर दिया—“हाँ, सोमिल ? ” मैं यात्रा करता हूँ ।” सोमिल ने तुरन्त पूछा—कौन-सी यात्रा ? ”

सोमिल बाह्य जगत में विचर रहा था । भगवान् अन्तर्जगत में विचरण कर रहे थे ।

भगवान् ने उत्तर दिया—“सोमिल ! जो तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान, और आवश्यक आदि योग की साधना में यतना है—प्रवृत्ति है, वही मेरी यात्रा है ।” कितनी सुन्दर यात्रा है ? इस यात्रा के द्वारा जीवन का कल्याण होना निश्चित है । जेन-धर्म की यात्रा का पथ जीवन के अन्दर में से है, बाहर से नहीं । अनन्तानन्त साधक इसी यात्रा के द्वारा मोक्ष में पहुँचे हैं, और पहुँचेंगे । सयमी साधक के लिए जीवन की प्रत्येक शुद्ध प्रवृत्ति यात्रा है; मोक्ष का मार्ग है । भगवान् का यह कथन एवंभूत-नय की दृष्टि से है ।

भगवान् परश्वनाथ के शासन का प्रसार करने वाले ‘कालास्यवैश्य पुत्र’ नामक अनगार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य स्थविर भगवन्तोंने कहा—“वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है । सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप आत्म-तत्त्व की प्राप्ति ही है ।” यह कथन भी एवंभूत-नय की दृष्टि से ही समझना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं । उसके एक धर्म को

देखकर निश्चय कर लेना, और अन्य धर्मों का विचार न करना ही एकान्तवाद है।

आदि के तीन नय—स्व-सिद्धान्त, पर-सिद्धान्त, और उभय-सिद्धान्त, इन तीनों को मानते हैं। ऋजुसूत्र-नय—स्व-सिद्धान्त और पर-सिद्धान्त; इन दोनों को मानता है, उभय सिद्धान्त को नहीं, क्योंकि उभय सिद्धात में जो स्व अश है, वह स्व-सिद्धान्त में गर्भित है और जो पर अश है, वह पर-सिद्धान्त में। इस प्रकार उभय सिद्धान्त जैसी कोई वस्तु नहीं है।

तीनों शब्द-नय केवल स्वसिद्धान्त को मानते हैं, पर-सिद्धान्त और उभय सिद्धात को नहीं।

वस्तु-धर्मो ह्यनेकान्तः;
प्रमाण-नय साधितः ।
अज्ञात्वा दूषणं तस्य;
निज-बुद्धेविडम्बनम् ॥

— अनेकान्त व्यवस्था

अर्थात्—‘वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और वह प्रमाण एवं नय से सिद्ध होती है। जो व्यक्ति उसके रहस्य को बिना समझे ही दूषण देता है, यह उसकी बुद्धि की विडम्बना है।’

उपसंहार

जावइया वयण-पहा,
तावइया चेव होन्ति णय-वाया ।
जावइया णय-वाया ;
तावइया चेव पर-समया ॥

— सत्मति तर्क — ४७,

‘जितने प्रकार के वचन-मार्ग हैं, उतने ही प्रकार के नय-वाद हैं। और, जितने प्रकार के नय-वाद हैं, उतने ही प्रकार के पर-समय अर्थात् मतान्तर हैं।’

अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः,
प्रमाण-नय-साधनः ।

अनेकान्तः प्रमाणात् ते;
तदेकान्तोऽर्पितात् नयात् ॥

— स्वयंभू-स्तोत्र, १०३,

अनेकान्त भी एकान्त नहीं है, अर्थात् वह अनेकान्त भी है, और एकान्त भी है। प्रमाण-गोचर अनेकान्त है, और नय-गोचर एकान्त है।

१४

उपसंहार

“सत्त नया जिरोहि भणिया, जे सद्वहंता सम्मदिट्टी ।

एगे पुणा न सद्वहन्तो, मिच्छा दिट्टी उ नायव्वा ॥”

अर्थात्—जो समुदित सप्त नयो पर श्रद्धा करता है, वह सम्यक्त्व-सम्पन्न है, और जो एक नय को तो मानता है, शेष छह नयों को नहीं मानता या छह नयों को मानता है किन्तु एक नय को नहीं मानता तो वह मिथ्या हृष्टि है ।

प्रश्न—जब प्रत्येक नय में सम्यक्त्व नहीं है, तब समुदित हो जाने पर उसमें सम्यक्त्व कैसे हो सकता है ?

जबकि बालु के प्रत्येक करण में तेल का सर्वथा अभाव है, तब उन करणों के समुदित हो जाने पर भी उन में तेल का सर्वथा अभाव ही रहेगा । इसका समाधान क्या है ?

उत्तर—हृष्टान्त एक-देशी होता है, सर्व-देशी नहीं । जैसे एक परमाणु में कोई संस्थान नहीं होता है, किन्तु उनके स्कन्ध में संस्थान का आविर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार अव्यवस्थित रूप से खडे हुए अनेक व्यक्तियों में

पक्षि का अभाव है, किन्तु यदि वे सब व्यक्ति क्रम-वद्ध खड़े हो जाएँ तो तत्काल ही पक्षि का आविभावि हो जाता है।

पोदीना, अजवाइन और कपूर—इन तीनों के पृथक्-पृथक् रहने पर उनमें तरलता नहीं होती है, परन्तु तीनों को एक शीशी में बन्द कर के यदि धूप में रख दियाजाएं, तो उनका पानी बन जाता है, जिसको अमृत धारा कहते हैं।

मशीन के समस्त कल-पुर्जे अव्यवस्थित तथा अलग-अलग पड़े हो, तो किसी भी कल पुर्जे से तज्जन्य कार्य निष्पत्त नहीं हो सकता, और बन्द मशीन से भी कार्य निष्पत्त नहीं हो सकता। हाँ, यदि सभी कल पुर्जे यथास्थान व्यवस्थित हों, और साथ ही क्रियावान् भी हो, तो उस मशीन से तज्जन्य कार्य निष्पत्त हो सकता है। विप की सभी किस्मे पीडोत्पादक और मारक होती है, किन्तु सुवैद्य उनको मिलाकर एक सजीवनी औषधि बना देता है।

जैसे वैद्यर्य-मणियाँ नीलत्वादि गुणयुक्त तथा विप घातक तो है, किन्तु वे मणियाँ महामूल्यवान् होते हुए भी यदि अव्यवस्थित पड़ी हो, तो उन्हें रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु एक सूत्र में पिरोने से ही रत्नावली हार कहा जाता है।—१

प्रत्येक नयेपु मिथ्यात्त्वेऽपि समुदितेषु सम्यक्त्वस्य रत्ना-वली हृष्टान्तेन समर्थनम् ।

‘इसी विषय ‘को एक अन्य द्वाष्टान्त के द्वारा समेभिए। जैसे बीज शुद्ध हों, खेत भी उपजाऊं हो, मौसम बीज बोने की हो, कृषिक सुनिपुण हो, खाद भी डाली जाय, समय-पर वृष्टि भी होती रहे, वायु भी ठीक हो, सूर्य और चन्द्र का शीतोष्ण योग भी हो, भाग्य भी साथ दे रहा हो, तो इन सभी के योग से हर प्रकार की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। यदि इनमें से एक कारण भी कम हो जाय तो कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता।

जैसे समस्त असाधारण कारण मिलकर व्यापारवान् होने से हो कार्य सिद्ध होता है, वैसे ही जो विचार किसी एक नय से ओत-प्रोत है, किन्तु अन्य छह नयों का उसमे निषेध नहीं है, अर्थात्—कोई भी नय दूसरे नयों से निरपेक्ष नहीं है, वल्कि सभी नय परस्पर सापेक्ष हैं, तो सत्य सिद्ध होता है। जो विचार सप्त नयों की परख मे ठीक उत्तर गया, वह विचार सिद्धान्त के रूप मे परिणत हो जाता है।

सर्वे नया अपि विरोधभूतो मिथस्ते ।

सम्भूय साधु-समय भगवन् ! भजन्ते ॥

“भूपा इव प्रतिभटा भुवि सार्वभौम-
पादाम्बुर्ज प्रधन-युक्ति-पराजिता द्राक् ॥” —१

भगवन् ! जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने वाले राजा लोग, चक्रवर्ती के चरण सरोज की नत-मस्तक होकर सेवा करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, उसी प्रकार ये सातों

पक्ति का अभाव है, किन्तु यदि वे सब व्यक्ति क्रम-बद्ध खड़े हो जाएँ तो तत्काल ही पक्ति का आविर्भाव हो जाता है।

पोदीना, अजवाइन और कपूर—इन तीनों के पृथक्-पृथक् रहने पर उनमें तरलता नहीं होती है, परन्तु तीनों को एक शीशी में बन्द कर के यदि धूप में रख दियाजाएं, तो उनका पानी बन जाता है, जिसको अमृत धारा कहते हैं।

मशीन के समस्त कल-पुर्जे अव्यवस्थित तथा अलग-अलग पड़े हों, तो किसी भी कल पुर्जे से तज्जन्य कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता, और बन्द मशीन से भी कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, यदि सभी कल पुर्जे यथास्थान व्यवस्थित हों, और साथ ही क्रियावान् भी हों, तो उस मशीन से तज्जन्य कार्य निष्पन्न हो सकता है। विष की सभी किसमें पीडोत्पादक और मारक होती है, किन्तु सुवैद्य उनको मिलाकर एक संजीवनी औषधि बना देता है।

जैसे वैद्यर्य-मणियाँ नीलत्वादि गुणयुक्त तथा विष घातक तो हैं, किन्तु वे मणियाँ महामूल्यवान् होते हुए भी यदि अव्यवस्थित पड़ी हों, तो उन्हें रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु एक सूत्र में पिरोने से ही रत्नावली हार कहा जाता है।—१

प्रत्येक नयेपु मिथ्यात्वेऽपि समुदितेषु सम्यक्त्वस्य रत्ना-वली दृष्टान्तेन समर्थनम्

१—सन्मति तर्क टीका।

तीन नय पर्यायार्थिक । यह पक्ष आगम का है ।

(२) आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के मत में व्यवहार नय तक द्रव्यार्थिक है, और पीछे के चार नय पर्यायार्थिक कहलाते हैं ।

(३) पहला नय दूसरे नय से अधिक विषय वाला है, इसी क्रम से उत्तरवर्ती नय की अपेक्षा पूर्ववर्ती नय अधिक अधिक विषय वाला है ।

(४) पहले चार नय अर्थ-प्रधान हैं, और शेष तीन नय शब्द प्रधान ।

(५) पहले चार नय चारों निक्षेपों को स्वीकार करते हैं, शेष तीन नय केवल भाव-निक्षेप को ही स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि पहले तीन निक्षेप अवस्तु हैं, केवल भाव ही वस्तु है ।

(६) पहले नय से दूसरे नय अधिक विशुद्ध है। इसी क्रम से सातो ही नय उत्तरोत्तर विशुद्ध, विगुद्धतर और विगुद्धतम है ।

(७) नैगम से लेकर व्यवहार-नय पर्यन्त व्यवहार नय है। और कृजुसूत्र से निश्चय नय का आरम्भ होता है, जो एवभूत तक है, यह मत आचार्य सिद्धसेन का है ।

(८) नैगम से कृजुसूत्र तक व्यवहार-नय है, शब्द से एवभूत तक निश्चय-नय है, यह मान्यता आगम की है ।



नय परस्पर विरोध धारणा करते हुए भी जब आपके पवित्र शासन की एकीभूत होकर सेवा करते हैं, तब ये सभी गान्त भाव को धारणा कर लेते हैं। क्योंकि आपकी बाणी अनेकान्त का द्योतक “स्यान्” अव्यय पद से अलकृत है, जो परस्पर विरोध को मिटाने वाली है।

अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़कर राजागण चक्रवर्ती के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सातो नय आपके शासन की सेवा करते हैं, अर्थात्—सातो नयोंका समूह आपका मुख्य सिद्धान्त है जोकि जिज्ञासुओं और साधकों के लिये मार्ग-प्रदर्शक है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने द्वार्तिशिका स्तोत्र में कहा है—

“उदधाविव सर्व-सिन्धवः समुदीर्णस्त्वयि नाथ । हृष्य ।
न च तासु भवान् प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरत्स्ववोदधि ।”

हे नाथ ! जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, वैसे ही विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में आकर मिल जाते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न नदियों में समुद्र नहीं दिखाई देता, वैसे ही भिन्न-भिन्न दर्शनों में आप दिखाई नहीं देते, अर्थात्—आपके शासन में सभी दर्शनों का समावेश हो जाता है। परन्तु आपका दर्शन सभी दर्शनों में समाविष्ट नहीं हो सकता। यह आपके दर्शन की विशेषता है।

वर्गीकरण

(१) आदि के चार नय द्रव्यार्थिक हैं, और पीछे के

ପରିଶ୍ରମ

सम्यक् श्रुतस्य मिथ्यात्वं,
मिथ्यादृष्टि-परिग्रहतात् ।
मिथ्याश्रुतस्य सम्यक्त्वं ;
सन्यग् दृष्टिग्रहादतः ॥

— नयामृत तरंगिणी

अर्थात् मिथ्या दृष्टि द्वारा परिगृहीत सम्यक् श्रुत भी मिथ्यात्व मे परिणित हो जाता है, और सन्यग् दृष्टि के द्वारा परिगृहीत मिथ्या श्रुत भी सम्यक्त्व मे परिणित हो जाता है ।

ପରିଶ୍ରମ

दृष्टान्त-त्रयी

१—प्रदेश-दृष्टान्त

(१) नैगमन्य—यह नय छहो द्रव्यो के प्रदेश मानता है, जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश, स्कन्ध-प्रदेश और देश-प्रदेश।

(२) संग्रह नय—इस नय की मान्यता है कि पाँच के प्रदेश हो सकते हैं, छह के नहीं, क्योंकि देश-प्रदेश तो स्कन्ध का ही अवयव है। जैसे किसी सेठ के दास ने एक खर खरीदा, तब सेठ ने कहा—दास भी मेरा है और खर भी मेरा। इस न्याय से ‘दास’ और ‘खर’ दोनों सेठ के ही हुए। इसी प्रकार स्कन्ध से देश अपना कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रखता, अत. सिद्ध हुआ कि—प्रदेश पाँच के है।

(३) व्यवहार नय—यह नय संग्रह-नय से कहता है, कि पाँचों के प्रदेश है—ऐसा मत कहो, क्योंकि धन, धान्य, सुवर्ण; एव चाँदी—ये चारों द्रव्य पाँचों धनिक मित्रों के हैं, इस वाक्य से कई अर्थ ध्वनित होते हैं। जैसे कि

इन चारों द्रव्यों में पाँचों का साभा है, या ये चारों द्रव्य अलग-अलग पाँचों के पास हैं। अत यह कहना चाहिए कि प्रदेश पाच प्रकार के होते हैं, अर्थात्—धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश आदि।

(४) **ऋजुसूत्र नय**—यह नय व्यवहार-नय से कहता है—‘ऐसा मत कहो कि प्रदेश पाँच प्रकार के हैं,’ क्योंकि उक्त कथन से यह भी आशय निकल सकता है कि पाँचों के प्रदेश पाँच-पाँच प्रकार के हैं। इस तरह कहने से तो पच्चीस प्रदेशों की सभावना हो सकती है। अत यह कहना चाहिए कि प्रदेशों की भजनां हैं। जैसे कि कथचित् धर्म-प्रदेश, कथचित् अधर्म-प्रदेश, कथचित् आकाश-प्रदेश, यावत् कथचित् स्कन्ध-प्रदेश।

(५) **शब्द-नय**—यह नय ऋजुसूत्र से कहता है—‘आपके कहने से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो प्रदेश धर्म का है, वह कदाचित् अधर्म का भी हो सकता है। और जो प्रदेश अधर्म का है, वह कभी आकाश का भी हो सकता है। परन्तु ऐसा कहने से अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा। अतः इसके स्थान पर इस प्रकार कहनों चाहिए—“धर्मे पएसे”—धर्म-प्रदेश, अर्थात्—धर्मात्मक प्रदेश।

प्रश्न—यह धर्म-प्रदेश अखण्ड धर्मास्तिकाय से भिन्न है, या अभिन्न ?

उत्तर—‘से पएसे धर्मे’, अर्थात् धर्म-सुप्रदेश धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है। धर्म-प्रदेश सकल धर्मास्तिकाय-

से भिन्न नहीं है; अतः धर्म-प्रदेश धर्मात्मक ही है। ।

“ प्रश्न—जैसे जीव के एक प्रदेश को ‘भी जीव’ कहते हैं, वैसे ही धर्म के एक प्रदेश को ‘धर्म’ क्यों नहीं कहा जाता ?

उत्तर—एक जीवास्तिकाय में जीव-द्रव्य परस्पर भिन्न तथा अनन्त है। वह प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय एक देश होने से जीवात्मक है। ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नो-जीव में ‘नो’ शब्द देशवाची है; अर्थात्—एक जीव सकल जीवास्तिकाय का एक देश है। जो एक जीवद्रव्यात्मक प्रदेश है, वह अनन्त जीवद्रव्यात्मक समस्त जीवास्तिकाय में कैसे रह सकता है ? इसी प्रकार नो-स्कन्ध को भी समझ लेना। क्योंकि स्कन्ध द्रव्यों के अनन्त होने से एक देशवर्ती को ‘नो-स्कन्ध’ कहते हैं।

(६) समभिरुद्ध-नय—यह नय शब्द-नय को सर्वोधित करते हुए कहता है कि—तुम्हारा कथन भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि ‘धर्म-प्रदेश’ इस समस्त पद में दो समासों की संभावना हो सकती है—तत्पुरुष और कर्म-धारय। यदि ‘धर्म’ शब्द से सप्तम्यन्त पद ग्रहण किया जाय, तो ‘धर्म-प्रदेश,’ यह वाक्य सप्तमी तत्पुरुष का आरभक बन जाता है। जैसे—‘वने हस्तीति वनहस्ती,’ इस पद में भेद-वृत्ति है। अर्थात्—‘वन में’ यह पदार्थ भिन्न है, और ‘हस्ती’ यह पदार्थ भिन्न। जैसे—‘वनहस्ती,’ पद में भेद स्पष्टतया मालूम होता है, वैसे ही ‘धर्म-प्रदेश’ पद से भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि—‘धर्म’ में प्रदेश है। यहाँ धर्म ‘आधार’ है, और प्रदेश ‘आधेय’। आधार और आधेय में

‘कुण्डे बदरगण’ भेद के समान अनुभव-सिद्ध है। यदि यह कहो कि—अभेद में भी सप्तमी देखी जाती है। जैसे—‘घटे रूप, काठे कालः, धर्म प्रदेश।’—घट में ‘रूप,’ कण्ठ में ‘काला-पन’ एवं धर्म में ‘प्रदेश।’ तब तो यहाँ भेद में सप्तमी है या अभेद में? यह दोषापत्ति उपस्थित हो जाएगी।

यदि कहो कि—धर्म-प्रदेश में ‘कर्म धारय’ समास है, तो यह ठीक न होगा। क्योंकि कर्मधारय उसे कहते हैं, जो समानाधिकरण हो। जैसे—नीलच तद् उत्पलम्—‘नीलोत्पलम्’ यहाँ विशेष्य विशेषण का अधिकरण समास है। अस्तु ‘धर्मश्चासी प्रदेशश्च धर्म-प्रदेश।’ यहाँ ‘धर्म’ और ‘प्रदेश’—दोनों प्रथमा हैं, तो इनमें कौन-सा पद विशेष्य है और कौन-सा विशेषण? अत. यह ‘कर्मधारय समास’ भी नहीं हो सकता। इसलिए इसे ‘धर्म-प्रदेश’ न कहो, क्योंकि ऐसा कहना दोषपूर्ण है।

‘धर्मश्च सप्रदेशश्च-इति धर्म-सप्रदेश।’ इन दो पदों में समानाधिकरण हो जाने से ‘कर्म-धारय’ समास बना। इस प्रकार सप्तमी आशंका के अभाव से ‘तत्पुरुष समास’ की निवृत्ति हुई।

प्रश्न—‘यह प्रदेश समानाधिकरण होने से सकल अर्थात्—अखण्ड धर्मास्तिकाय से अव्यतिरिक्त—अभिन्न है, या एक देश-वृत्ति है? जैसे कि जीवास्तिकाय का एक देश-वृत्ति जीव-प्रदेश।’

उत्तर—इसके समाधान में समभिरूढ़ कहता है कि ‘से पएसे धर्मे’—सप्रदेशो धर्मः, अर्थात्—अखण्ड धर्मास्ति-

काय सप्रदेश कहलाता है, एक प्रदेश को धर्मास्तिकाय नहीं कहते हैं।

(७) एवंभूत-नय—यह नय समभिरूढ़-नय को इंगित करते हुए कहता है कि—‘सप्रदेशो धर्म’; अर्थात्—‘धर्मास्तिकाय सप्रदेश’ है, यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है। यदि तुम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हो, तो तुम्हे यह भी मानना चाहिए कि ये सभी देश-प्रदेश की कल्पना से रहित है, कृत्स्न और परिपूर्ण हैं। एक होने से निरवशेष, निरवयव तथा एक है। अतः देश-प्रदेश मेरे सिद्धान्त में तो अवस्तु ही हैं।

इसके साथ-साथ एवंभूत-नय, समभिरूढ़-नय से यह भी पूछता है कि—प्रदेश और प्रदेशी मे भेद है या अभेद ? यदि पहला पक्ष स्वीकार करोगे, तो भेद की उपलब्धि नहीं होती। यदि अभेद कहोगे, तो ‘धर्म-प्रदेश’—इन दोनों शब्दों का एक अर्थ होने से इन शब्दों को पर्यायिता ही प्राप्त हुई। और दो पर्याय-वाचक शब्दों का एक साथ उच्चारण नहीं हो सकता, केवल एक शब्द का ही उच्चारण हो सकता है, दूसरे की व्यर्थता तो स्वयं सिद्ध है। अतः देश-प्रदेश रहित वस्तु को ही ‘धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल तथा जीव’ कहते हैं।

२—प्रस्थक दृष्टान्त

‘प्रस्थक’—धान्य मापने के एक भाजन-विशेष को कहते हैं, जो काष्ठमय होता है।

एक वढ़ई कुल्हाड़ी लेकर अटवी की ओर जा रहा था। उसे देखकर किसी ने पूछा कि—श्रीमान् जी, कहाँ जा रहे हैं?

उसने उत्तर दिया—मैं प्रस्थक लेने जा रहा हूँ।

काष्ठ छेदते समय भी किसी ने उससे पूछा—क्या छेद रहे हो?

बढ़ई ने उत्तर दिया—मैं प्रस्थक छेद रहा हूँ।

इसके बाद प्रश्न-कर्ता ने पूछा—यह क्या बना रहे हो?

बढ़ई उत्तर देता है—मैं प्रस्थक बना रहा हूँ।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर की हाप्ति से बढ़ई ने पहला उत्तर 'अविशुद्ध नैगम' के अनुसार दिया और अन्तिम उत्तर 'विशुद्ध नैगम' से दिया है।

इस सम्बन्ध में सग्रह-नय यह मानता है कि—जब प्रस्थक को धान्य की राशि पर धान्य मापने के लिए रखा जाए, तभी उसे 'प्रस्थक' कहना चाहिए। परन्तु व्यवहार-नय यह मानता है कि—जब वह 'प्रस्थक' कही धर में रखा हो या अन्यत्र कही भी, अर्थात्—उससे काम नहीं लिया जा रहा हो, तब भी लोक-व्यवहार से उसे 'प्रस्थक' ही कहेंगे।

अन्त में क्रज्जुसूत्र-नय बोलता है कि—प्रस्थक को तो 'प्रस्थक' कहते ही है, किन्तु जो धान्य प्रस्थक से मापा गया है, उसे भी 'प्रस्थक' कहते हैं। जैसे पसेरी को तो 'पसेरी' कहते ही है, किन्तु उस पसेरी से तुले हुए धान्य को भी 'पसेरी' कह सकते हैं, क्योंकि तुलाई के लिए वह भी एक माप है। इसी प्रकार विवक्षित भाजन और उससे मापा

हुआ धान्य, दोनो ही 'प्रस्थक' कहलाते हैं।

अग्रिम तीन शब्द-नयों की यह सयुक्त मान्यता है—प्रस्थक के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'प्रस्थक' कहलाता है। और जिसका उपयोग 'प्रस्थक' में लगा हुआ है, वह व्यक्ति उतने समय तक 'प्रस्थक' कहलाता है, क्योंकि उपयोग ही जीव का असाधारण लक्षण है। ये तीन नय तो केवल भाव-निक्षेप ही मानते हैं। अतः इन्हे 'भाव-प्रधान नय' भी कहते हैं। भाव-प्रधान होने से 'भाव-प्रस्थक' को ही चाहते हैं। भाव-प्रस्थक उपयोग रूप ही होता है, अर्थात्—जिस विषय में उपयोग परिणत हो रहा है, उससे भिन्न जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उपयोग भाव-प्रस्थक में लगा हुआ होगा, तभी कर्त्ता 'प्रस्थक' बना सकता है, अन्यथा नहीं।

उनका यह भी कहना है कि—'सर्व वस्तु स्वात्मन्येव वर्तते', अर्थात्—समस्त पदार्थ आत्मा में ही है। जिसका जिस समय और जिस वस्तु में उपयोग लगा हुआ है, वह उस समय उसी वस्तु के रूप में माना जाता है, क्योंकि अन्य वस्तु का आधार अन्य वस्तु नहीं हो सकता। साथ ही प्रस्थक निश्चयात्मक मान है, और निश्चय ज्ञान रूप होता है, अतः वह ज्ञान जड़-रूप काष्ठ के भाजन में कैसे अनुभूत हो सकता है? क्योंकि 'चेतन' और 'अचेतन'; इन दोनों का अधिकरण समान नहीं हो सकता। अतः प्रस्थक में उपयुक्त आत्मा भी 'प्रस्थक' ही कहलाता है। इसी प्रकार आगम में उपयुक्त आत्मा भी 'आगम' कहलाता है, और चारित्र में उपयुक्त—चारित्रात्मा, ज्ञान में उपयुक्त—ज्ञानात्मा,

और दर्गन मे उपयुक्त—दर्शनात्मा ।

३—वसति-दृष्टान्त

नैगम-नय के तीन भेद हैं—(क) अविशुद्ध नैगम, (ख) विशुद्धाविशुद्ध नैगम, और (ग) विशुद्ध नैगम । इन तीनों को स्पष्टतया समझने के लिए आगम मे वसति का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे—

‘किसी व्यक्ति ने किसी आगन्तुक मनुष्य से पूछा—आप कहाँ रहते हैं ?

आगन्तुक ने उत्तर दिया—श्रीमान् ‘मै लोक मे रहता हूँ, प्रश्न—लोक तो वस्तुतः तीन ही हैं—ऊर्ध्व, पाताल तथा तिर्यक् । क्या, आप तीनों मे रहते हैं ?

उत्तर—मैं तिर्यक् लोक मे रहता हूँ ।

प्रश्न—तिरच्छा लोक तो जम्बूद्वीप से लेकर स्वयभूरमण समुद्र तक असख्यात द्वीप समुद्र रूप है । क्या, आप सब मे रहते हैं ?

उत्तर—मै जम्बू-द्वीप मे रहता हूँ ।

प्रश्न—जम्बू-द्वीप मे तो दस क्षेत्र हैं, जैसे भरत, ऐरावत हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकूवर्ष, देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह । तो क्या, आप इन दसों क्षेत्रों मे रहते हैं ?

उत्तर—मै भरत-क्षेत्र मे रहता हूँ,

प्रश्न—भरत-क्षेत्र भी तो दो विभागों मे विभक्त है, जैसे कि—दक्षिणार्द्ध, और उत्तरार्द्ध । तो क्या, आप दोनों

विभागो मेरहते हैं ?

उत्तर—मैं दक्षिणार्द्ध मेरहता हूँ ।

प्रश्न—दक्षिणार्द्ध भरत मेरी तीन खण्ड हैं । तो क्या, आप तीनों खण्डों मेरहते हैं ?

उत्तर—मैं मध्य खण्ड मेरहता हूँ ।

प्रश्न—मध्य खण्ड मेरी अनेक ग्राम, नगर, और नगरियाँ हैं, तो क्या, आप उन सब मेरहते हैं ?

उत्तर—मैं पाटलीपुत्र मेरहता हूँ ।

प्रश्न—पाटलीपुत्र नगर मेरी तो हजारों घर हैं, तो क्या आप उन सब मेरहते हैं ?

उत्तर—मैं देवदत्त के घर मेरहता हूँ ।

प्रश्न—देवदत्त का घर तीन मजिल का है । तो क्या, आप तीनों मजिलों मेरहते हैं ?

उत्तर—मैं बीच की मजिल मेरहता हूँ ।⁷

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर मेरी सबसे पहला उत्तर 'अविशुद्ध नैगम' से दिया है । अन्तिम उत्तर 'विशुद्ध नैगम' से, और शेष सभी उत्तर 'विशुद्धविशुद्ध नैगम' से समझने चाहिए । क्योंकि 'पूर्व' की अपेक्षा 'पर' नैगम विशुद्ध है, और 'पर' की अपेक्षा 'पूर्व' नैगम अविशुद्ध है । इसी कारण इसे 'विशुद्ध-विशुद्ध नैगम' कहते हैं ।

सग्रह नयानुयायी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षमरे मेरी व्यापक रूप से नहीं रह सकता, अतः ऐसा कहना चाहिए कि—मैं अपनी शय्या मेरहता हूँ ।

इस पर व्यवहार नयानुसारी कहता है कि इस विषय

मैं जो नैगमोक्त है, वह मेरे सम्मत है। जैसे—मकान मालिक जिस कमरे में रहता हो, व्यवहार से यही कहना पड़ता है कि—वह अमुक नम्बर वाले कमरे में रहता है। चाहे वह कार्यवश ग्रामादि में ही गया हुआ हो, फिर भी पूछने वाले को यही उत्तर दिया जाता है—इस कमरे में रहता है। पोस्टमैन भी कार्ड, लिफाफा आदि किवाड़ों के छिद्र से अन्दर डाल देता है, और बाहर से मिलने वाले भी वही पहुँचते हैं। अथवा—

गया मेरे जितने स्थान को शरीर रोकता है, कोई भी व्यक्ति वस्तुत उतने ही स्थान में रह सकता है। गया का गेप स्थान खाली ही पड़ा रहता है।

इस मम्बन्ध मेरे क्रज्जुसूत्र-नय की यह मान्यता है कि—आत्मा जिन आकाश प्रदेशों का अवगाहन कर रहा है, उन्हीं प्रदेशों में वह रह रहा है।

शब्द, समभिरूढ़, और एवभूत—इन तीनों को ‘शब्द-नय’ कहते हैं। इन तीनों का मन्तव्य है कि—समस्त पदार्थ आत्म-भाव में अवस्थित हैं, और आत्मा अपने में अवस्थित है, किसी अन्य द्रव्य में नहीं।



पञ्च संवर

मैं जो नैगमोक्त है, ~
 मालिक जिस व
 पड़ता है ~
 चाहे वह
 पूछने वाले
 मेरहता है ।
 छिद्र से अन्दर
 वाले भी वही पहुं
 जया मेरितने
 भी व्यक्ति वस्तुत उतने ह
 का गेप स्थान खाली ही पड़
 इस सम्बन्ध मेरुजुसूत्र-
 आत्मा जिन आकाश प्रदेशों का अ
 प्रदेशों मेरह रह रहा है ।
 शब्द, समभिरूढ, और एवभूत—
 नय' कहते हैं । इन तीनों का मन्तव्य है कि
 आत्म-भाव मेरवस्थित हैं, और आत्मा अप
 है, किसी अन्य द्रव्य मेरही ।

पञ्च संवर

अत्यन्त-निश्चित-धारं,
दुराशदं जिन-वरस्य नय-चक्रम् ।
खण्डयति धार्यमाणं ;
भट्टिति दुर्विदरधानाम् ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

“जिन भगवान् के नय-चक्र को समझना सरल नहीं है, क्योंकि वह अत्यन्त तीक्षण धार वाला है। जो अज्ञ-जन विना समझे-बूझे ही इसको धारण करने का दुस्साहस करेगा, वह अपना हित साधने में सर्वथा असफल रहेगा।”

अर्हिसा

(१) नैगम-नय

नैगम-नय की दृष्टि से अर्हिसा के निम्नलिखित सात प्रकार हैं—

(क) मोह-जन्य अर्हिसा—सजातीय को न मारना, और-आपत्ति काल में उसकी रक्षा करना ।

(ख) लोभ-जन्य अर्हिसा—लोभ के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ग) काम-जन्य अर्हिसा—वासना के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(घ) नीति-जन्य अर्हिसा—राज-दण्ड के भय से किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ङ) क्षमा-जन्य अर्हिसा—क्षमा माँगने के पश्चात् अपराधी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(च) शरणागत-जन्य अर्हिसा—शरण में आए हुए की रक्षा करना या शरणागत को न मारना ।

अर्हिसा

(१) नैगम-नय

नैगम-नय की दृष्टि से अर्हिसा के निम्नलिखित सात प्रकार हैं—

(क) मोह-जन्य अर्हिसा—सजातीय को न मारना, और-आपत्ति काल में उसकी रक्षा करना ।

(ख) लोभ-जन्य अर्हिसा—लोभ के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ग) काम-जन्य अर्हिसा—वासना के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(घ) नीति-जन्य अर्हिसा—राज-दण्ड के भय से किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ङ) क्षमा-जन्य अर्हिसा—क्षमा माँगने के पश्चात् अपराधी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(च) शरणागत-जन्य अर्हिसा—शरण में आए हुए की रक्षा करना या शरणागत को न मारना ।

(छ) दीर्घलय-जन्य अहिंसा—प्रत्येक अवस्था में अपने आप को दुर्वल जानकर सज्जन निरपराधी, या अपराधी को न मारना ।

(२) संग्रह-नय

संग्रह-नय की वृष्टि से अहिंसा के निम्नलिखित दो भाव हैं—

(क) मैत्री भाव—त्रस जीवों को रक्षा के निमित्त सहानुभूति एव समवेदन प्रकट करना, और आततायियों तथा गिकारियों से किसी सतप्त प्राणी की रक्षा करना ।

(ख) अनुकम्पा भाव—ग्रनाथालय, वृद्धालय, वनिता ग्राथ्रम, चिकित्सालय खोलना, तथा—गौशाला, धर्मशाला, पिंजरापोल, आदि जन-हिताय एवं पशु-पक्षी हिताय सस्याओं के मुव्यव स्थित सचालन करना । यथागत्य अपना सुख छोड़ कर दूसरे दुखी प्राणियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, तथा—अपना तन-मन-धन अनुकम्पा-भाव से अर्पण करना ही सच्ची अहिंसा है । अहिंसा की यह सक्षिप्त परिभाषा ‘संग्रह-नय’ की वृष्टि से समझना चाहिए ।

(३) व्यवहार-नय

स्थल प्राणातिपात का त्याग करना भी अहिंसा है, अर्थात्—चलने-फिरने वाले द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय, और पचेन्द्रिय, इन जीवों को निरपराध मान कर निश्चित सकल्प के द्वारा न मारना ही सच्ची अहिंसा है । इस अहिंसा

का साधक यदि गृहस्थ होता है, तो वह गृहस्थावस्था में रहते हुए भी विश्व-मैत्री और विश्व-प्रेम को अपनाने का यथागत्य प्रयास कर सकता है।

नाय ही उसकी यह मान्यता भी रहती है कि—किसी भी जीव को सताना, दम्भ करना, घोड़ा देना, चुगली करना, निन्दा करना, गाली देना, किसी का बुरा चाहना, तथा किसी पर कलक चढ़ाना आदि भी हिसा है। दबे हुए कलह को उखाड़ना, किसी पर अन्याय होते देखकर खुश होना, अथवा शक्ति होने पर भी अन्याय को न रोकना भी हिसा है। वृत्तता से किसी को वचन-वद्ध करना, या किसी को बुरी तरह बोधना भी हिसा है। क्रोधवज किसी को दुरी तरह पीटकर घायल करना या किसी भी जीव का कोई अग-उपाङ्ग काट डालना भी हिसा है।

किसी मजदूर पर, किसी पशु पर, या किसी कुली पर अधिक भार लादना भी हिसा है। किसी पर कर्जे का अधिक भार लादना भी हिसा है। कन्या-पक्ष पर अधिक दहेज तथा बहु-सख्यक वर-यात्री ले जाने आदि का अधिक भार लादना भी हिसा है। अपने आश्रित मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जो भी हों, उन्हें भूखे-प्यासे रखना, दास-दासियों को समय पर खाने-पीने की सुविधा न देना, और श्रमजीवीं को समय पर न्यायोचित पारिश्रमिक न देना भी हिसा है। शक्ति होने पर भी अन्याय को न रोकना और आलस्य में पड़े रहना भी हिसा है। बड़ों की विनय न करना और छोटों से प्रेम न करना भी हिसा है। इन सभी से यथाशक्ति बचना ही

सच्ची अर्हिसा है।

(४) क्रहजु सूत्र-नय

तीन करण और तीन योग से हिसा का सर्वथा त्याग करने वाले साधक, फिर भले ही वह प्राणी सूक्ष्म हो अथवा वादर, व्रस हो या स्थावर, किसी भी प्राणी-भूत जीव-सत्त्व की हिसा न तो स्वयं अपने मन-वचन-काय के द्वारा करनी, न दूसरे से ही करवानी, और साथ ही हिसा करने वाले का समर्थन भी मन-वचन-काय से न करना, ऐसी पवित्र विचार-धारा या ऐसे आदर्श जीवन को ही वास्तविक अर्हिसा कहते हैं।

निषेध-रूप अर्हिसा का पालन व्यापक रूप से किया जा सकता है, और विधि-रूप अर्हिसा का पालन व्याप्य रूप से। अत अर्हिसा महाब्रत के धारक को चाहिए कि—वह उपयोग पूर्वक गमनागमन करे। यतना से किया जाने वाला गमनागमन, सकोचन एव प्रसारण, आसन एव शयन, उत्थान एव निपोदन आदि, क्रिया करने से षट् काय की रक्षा होती है और उनकी रक्षा होने से आत्मा भी पापो से सर्वथा रक्षित हो जाती है।

मन से किसी भी पापकारी, अधर्मकारी, वध, बन्धन, क्लेश-जनक एवं भय-जनक तथा क्रूरता एव निर्दयता के दुष्परिणाम प्रदर्शित न करना, अर्थात्—सभी प्रकार के पापों से मन को सर्वथा वश में करना, और किसी भी पाप में मन को प्रवृत्त न करना ही सच्ची अर्हिसा है।

किसी भी पाप-कर्म में वाणी को प्रवृत्त न करना ही

वाणी का वास्तविक सयम है, जिसे वचन-गुप्ति भी कहते हैं। वस्तुतः निरवद्य वाणी ही अर्हिसा से ओत-प्रोत होती है।

१६ प्रकार के उद्गम दोष, १६ प्रकार के उत्पादन दोष, १० प्रकार के एपणा दोष तथा ५ प्रकार के माण्डले के दोष—इन ४७ दोपों से सर्वथा मुक्त होकर और देख-भाल कर प्रकाश-युक्त स्थान में ही आहार करे। और वह आहार भी गरीर पुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सयम यात्रा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म-चिन्तन के लिए, सेवा कार्य के लिए, ईर्या-समिति ग्रोधन के लिए, तथा क्षुधा वेदना की शान्ति के लिए ही आहार करना चाहिए।

पीढ़, फलक, शश्या, सथारा, वस्त्र, पात्र, कबल, प्रावरण, रजोहरण, चोलपट्टक, मुख-वस्त्रिका, आदि उपकरण सयम निर्वाह के लिए ही रखना चाहिए। और इन उपकरणों को भी मर्यादा से अधिक ग्रहण न करना चाहिए। इन उपकरणों में मूर्छा-भाव न रखे, उनकी प्रतिलेखना व प्रमार्जना यतना पूर्वक प्रतिदिन उभय समय करे; अर्थात्—प्रत्येक उपकरण को यतना से ही ग्रहण करे, यतना से ही रखे, और यतना से ही वापिस करे, तभी वास्तविक अहिसा का ठीक रूप से पालन हो सकता है। इस प्रकार अहिसा महाव्रत की परिभाषा, ऋजुसूत्र-नय की अपेक्षा से है।

(५) शब्द-नय

यह ठीक है कि अहिसा का पूर्णतया पालन केवल विरक्त ही कर सकता है, अन्य नहीं। और वह भी अप्रमत्त

अवस्था मे ही सम्भव है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था ही वास्तविक अहिंसा है। इस सम्बन्ध मे प्रश्न-व्याकरण-सूत्र मे अहिंसा के साठ नाम भगवान् ने प्रतिपादन किये हैं, जिनमे अप्रमत्त भी उसी का अपर नाम है। जहाँ-जहाँ प्रमत्तता है, वहाँ वहुत से सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। और जहाँ आश्रव है, वहाँ कर्म-वन्धन चालू रहता है। अतः अप्रमत्तता ही वास्तविक अहिंसा है।

(६) समभिरूढ़-नय

अप्रमत्त गुण-स्थानो मे तो मोहनीय कर्म का उदय भी रहता है। और जहाँ मोहनीय का उदय है, वहाँ अध्यवसाय विगुद्ध नहीं होते। अध्यवसाय की विगुद्धि के विना अहिंसा का पालन विगुद्ध नहीं होता। अत ऐसा कहना चाहिए कि सच्ची अहिंसा तो वीतराग अवस्था में ही है, और यथात्यात चाश्चित्र मे है।

(७) एवं भूत-नय

वीतराग अवस्था मे भी वचन-योग और काय-योग रहता है। और जहाँ योग है, वहाँ ईर्या-पथिक क्रिया अनिवार्य है। अत. ऐसा कहना चाहिए कि—सच्ची अहिंसा अयोगी केवली मे है, अलेशी मे है, और अक्रिय मे है, क्योंकि वही अवस्था पूर्णतया अवन्धक है।

सत्य

(१) नैशमन्य

ससार भर मे जितने भी मत-मतान्तर हैं, उनमे यत् किंचित् सत्य अवश्य है। सत्य के बिना किसी भी मत का आविष्कार नहीं हो सकता, फिर चाहे वह सत्य सिद्धान्त रूप मे हो, उपदेश रूप मे हो, या इतिहास रूप मे ही क्यों न हो। सत्य बोलने के लिए सभी मत-प्रवर्त्तकों ने लेखों के द्वारा और भाषणों के द्वारा आज्ञा प्रदान की है। अपने अनुयायी जनों के हितार्य सत्य की शिक्षाएँ दी जाती हैं और सत्यवादियों के लिए प्रारितोषिक भी दिये जाते हैं। सत्य का समर्थन सभी मतानुयायी करते हैं, सभी मत-मतान्तरों के ग्रन्थों मे सत्य की महिमा, सत्य के गीत, सत्य की स्तुति, सत्य की शिक्षाएँ, सत्य की आराधना, सत्य की पूजा, और सत्य का सहर्ष सूमर्थन आदि के लिए पुरजोर आज्ञा प्रदान की गई है।

धार्मिक संघ के अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र मे "भी" सत्य का स्थान बहुत ऊँचा है। सभी राज्याधिकारियों और कर्मचारी-

रियो को सत्य बोलने के लिए विशेष रूप से सतर्क किया जाता है। असत्यवादियों को दण्डित किया जाता है और सत्य बोलने वालों को पदक दिया जाता है।

व्यावसायिक क्षेत्र में भी सत्य का बहुत सम्मान किया जाता है। सत्य के द्वारा या सत्य की ओट में भूठ के द्वारा निस्सकोच व्यापार किया जाता है। खालिस भूठ पर रहकर कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता। यदि; कोई व्यक्ति अपनी दूकान पर साइनबोर्ड लगाए, जिस पर लिखा हो—“मेरी दूकान पर भूठ बोलकर व्यापार किया जाता है”, फिर देखना कितने ग्राहक आएँगे। जब सत्य की ओट में रहकर भूठ बोलते हैं, तो उस समय सत्य अपने प्रभाव से भूठ को भी मीठा बना देता है। परन्तु भूठ स्वयं तो विषेला ही है, अतः विष में मीठा मिला देने से विष अमृत नहीं हो सकता। वस्तुतः माधुर्य अन्य वस्तु है, और विषत्व उससे भिन्न दूसरी वस्तु। निस्सदेह समन्वयवादी भी इसी नय का सहारा लेकर सर्व-धर्म-सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस नय के प्रवक्ता क सर्वप्रिय और प्रतिष्ठित बन जाते हैं। उनका कहना यह होता है कि—सभी धर्मनुयायी मेरे हैं, और मैं सब का हूँ। मुझ में और इन्होंने मे सत्यांश की हृष्टि से कोई भेद नहीं है।

(२) संग्रह-नय

जो कोई व्यक्ति घन की इच्छा से, किसी को प्रसन्न करने की इच्छा से, मत्र सिद्ध करने की इच्छा से, वरदान

की इच्छा से, सर्वस्व नष्ट होने की आशका से, मारणा तथा उच्चाटन के लिए, विद्या-सिद्धि के लिए हिंसाकारी, अनर्थकारी कलहकारी वैर-वर्द्धक सत्य बोलने से या अन्य किसी भी सासा रिक उद्देश्य को हष्टिगत रखते हुए जो भी सत्य बोला जाता है, तो वह सत्य किसी को भी ससार से पार करने में बिल-कुल असमर्थ है। उससे आत्मोन्नति और आत्म-विकास नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसे सत्य का कोई महत्व नहीं है, ऐसे सत्य की आराधना मिथ्या-हष्टि भी करते हैं, फिर भी आगमकारों ने उसे परलोक का आराधक नहीं माना।

यद्यपि वह सत्य भी बोलता है, तदपि वह वचन असत्य ही है; क्योंकि मिथ्यात्त्व का अर्थ है—असत्यपन, अर्थात्—जिसकी हष्टि हीं असत्य है, उसकी भाषा में सच्चाई कहाँ से आए? उसके मन और कर्म में भी सत्य कहाँ से आए? क्योंकि जिसका रक्त अत्यन्त विकृत हो रहा हो, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। मिथ्यात्त्व का उदय हाने पर सत्य भी मिथ्यात्त्व रूप में परिणत हो जाता है। जैसे घने अँधेरे में लाल, पीली और सफेद रंग की वस्तु भी नजर नहीं आती, वैसे ही मिथ्यात्त्व के उदय भाव में सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता।

अत. ऐसा कहना युक्ति-संगत होगा कि सम्यक् हष्टित्व परमार्थ रूप से सत्य है, और सम्यक्-हष्टि ही सम्यग्वादी हो सकता है, मिथ्या-हष्टि नहीं। यह कथन संग्रह-नय की हष्टि से युक्ति-युक्त है।

(३) व्यवहार-नय

जिस व्यक्ति का जीवन राज-नीति और धर्म-नीति से मिथित हो, और जिसका गृहस्थ जीवन राज-नीति तथा धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो; अर्थात्—जो कन्या के लिए, पशु के लिए तथा भूमि के लिए भूठ नहीं बोलता, किसी की अमानत में ख्यानत नहीं करता, भूठी गवाही नहीं देता, किसी पर भूठा आरोप नहीं चढ़ाता, किसी की रहस्यपूर्ण वार्ता का भड़ाफोड़ नहीं करता, अपनी स्त्री की गुप्त-वार्ता प्रकाशित नहीं करता, भूठ बोलने का उपदेश नहीं देता, खोटा लेख नहीं लिखता, भूठे दस्तोंवेज नहीं बनाता, नशा नहीं करता, कुसगति में नहीं रहता, खेल-तंमाशे नहीं देखता, अब्लील वाते नहीं करता, गाली नहीं देता, गप्पे नहीं हाँकता, विकथा नहीं करता, असभ्य एवं कठोर वचन नहो बोलता, निन्दा और चुगली नहीं करता, मौख्य वचन भी नहीं बोलता, अभक्ष्य सेवन नहीं करता ; और जो पहले तोले फिर बोले, वितराग वार्णी में सदा अनुरक्त रहे, नियमित स्वाध्याय करे, भगवान् का स्मरण करे, विवेक की ज्योति को जागृत करे, निरतिचार प्रतिज्ञा पाले, वास्तव में इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सत्यवादी कहलाता है। यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से सत्य की सक्षमिता परिभाषा।

(४) कृजुसूत्र-नय

कृजुसूत्र-नय की है सेष्टि सत्य के निम्नलिखित पांच

प्रकार है—

(क) — जो व्यक्ति गुस्से का निमित्त होने पर भी गुस्सा नहीं करता, उसी का जीवन सत्य कहलाता है। क्योंकि क्रोध के बग भूठ बोला जाता है, चुगली खाई जाती है, कठोर वचन बोला जाता है, कलह हो जाता है। और परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, जान्ति और क्षमा का भग होता है तथा नियम एव उपनियमो में भी दोप लग जाते हैं, और प्रतिज्ञा भी भग हो जातो हैं।

(ख) — जो व्यक्ति 'लोभ' का 'निमित्त' 'होने' पर भी लोभ नहीं करता, वह सत्यवादी हो सकता है, अर्थात् - किसी स्थान-विशेष के लिये भूठ बोला जा सकता है, अन्न-पानी के लिए भी भूठ बोला जाता है। और पट्टा- चौकी के लिए, वस्त्र-पात्र के लिए शिष्य आदि के लिए लाभ और संत्कार के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, अथवा अन्य किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए भी भूठ बोला जा सकता है। अतः सत्यवादी को हर समय सतोषी बनना अनिवार्य है।

(ग) — जो व्यक्ति जितना निर्भीक होगा, उतना ही वह सत्यवादी बन सकता है। क्योंकि भय से भी भूठ बोला जाता है, भयभीत व्यक्ति ही भूतों सेपक ड़ा जाता है, वह स्वयं डरता है और दूसरों को भी डरता है। भय से तप, सयम, भक्ति और उपासना आदि सब कुछ छूट जाता है, भयभीत व्यक्ति संतुरुषों का अनुसरण भी नहीं कर सकता। अतः सत्य की आराधना के लिए निर्भीक होना नितान्त आवश्यक है,

क्योंकि निर्भीक व्यक्ति ही व्याधि, रोग, जरा, मृत्यु आदि से भय नहीं करता ।

(घ) — जो व्यक्ति किसी की हँसी-मजाक नहीं करता, वह सत्यवादी बन सकता है । दूसरों की हँसी करने से अवहेलना और अपमान होता है, आपस में लड़ाई भी हो जाती है । यहाँ पर यह लोकोक्ति अक्षरशः चारितार्थ हो जाती है 'रोग का मूल खाँसी, और लड़ाई का मूल हँसी ।' जब तक शब्द में झूठ की पुट न दी जाए, तब तक मजाक की भूमिका नहीं बनती, अतः हँसी-मजाक में झूठ बोला ही जाता है । प्रायः सत्यवादी के लिए हँसी-मखोल वाले मनोरजन का परित्याग करना आवश्यक है ।

(ङ) — जो व्यक्ति, प्रत्येक विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर बोलता है, वह सत्यवादी बन सकता है । जब भी बोले तब अच्छी तरह सोच-समझ कर बोले, और साथ ही शीघ्रता, चपलता, कदृता आदि दोषों से मुक्त होकर बोले । "सत्यपूत शास्त्रपूतच वदेद् वाक्यम्," अर्थात्—जिससे सत्य का शील का, और विनय का हनन हो, वैसा वचन कभी न बोले । और जो हृषि, न मुख ; इन कर्मेन्द्रियों को वश में कर ले । ८५ सकता है ।

उपर्युक्त समस्त
जिससे सत्य की पुष्टि
सत्य की हालि हो,
है । सत्य । ८५

लेता है, अर्थात्—
, और जिससे
सत्यवादिता
यदि कोई

व्यक्ति सत्य की परिभाषा ऊपर कथित तरीको से करता है, तो वह ऋजुसूत्र-नय की अपेक्षा से समझनी चाहिए ।

(५) शब्द नय

इस नय के मतानुसार आगम में चार प्रकार का सत्य बतलाया है, जैसे—(क) नाम-सत्य, (ख) स्थापना-सत्य, (ग) द्रव्य-सत्य, और (घ) भाव-सत्य ।

इनमें शब्द-नय को केवल ‘भाव-सत्य-ही’ अभीष्ट है । नाम-सत्य, स्थापना-सत्य, द्रव्य-सत्य ये तीन प्रकार के सत्य सर्वथा अस्वीकृत हैं ।

भाव-सत्य की मान्यता भी केवल अप्रमत्त तथा कल्पातीत अवस्था में ही है । प्रमत्त अवस्था में तो वह भाव-सत्य भी दोष-पूर्ण है, सातिचार है और अशुद्ध है ।

अप्रमत्त अवस्था में भी भाव-सत्य वर्द्धमान परिणाम और अवस्थित परिणाम में पाया जाता है । हायमान परिणाम में वही भाव-सत्य निर्दोष नहीं है । सत्य के विषय में ऐसा निरूपण शब्द-नय की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(६) समभिरूढ़-नय

जहाँ तक साम्परायिक क्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ तक परिणाम चाहे वर्द्धमान हो, और चाहे अवस्थित हो, भाव-सत्य सदोष है । क्योंकि जहाँ तक मोहनीय कर्म का उदय सूक्ष्म रूप से भी चालू है, वहाँ तक सत्य पूर्ण विकसित एवं निर्दोष नहीं हो सकता । अत. ऐसा कहना चाहिए कि—जो भाव-सत्य वीतरागता में पूर्णतः विकसित होता है और

जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों से सर्वथा रहित भी हो, वही सत्य निर्दोष हो सकता है। इस प्रकार सत्य की सक्षिप्त परिभाषा समभिरुद्ध-नय की, हृषि के समझनी चाहिए।

(७) एवंभूत-नय

वीतरागता तो ग्यारहवें और बारहवें गुण-स्थान में भी होती है, परन्तु वहाँ पर भी एकान्त सत्य-योग नहीं होता। उन्ने गुण-स्थानों में भी ये चार योग पाए जाते हैं—असत्य मन-योग, मिश्र मन-योग, असत्य वचन-योग; और मिश्र वचन योग। अत सत्य की परिभाषा इस प्रकार करनी चाहिए—

धातिया कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने से ही सत्य का सर्वाङ्गीण विकास होता है। सर्वाङ्गीण विकास का अर्थ है—जिसके आसे और कोई दूसरा विकास न हो—“यत्सत्यज्ञापर सत्यम्”, अर्थात्—कुछ न्यून सत्य को भी एवभूत-नय सत्य नहीं मानता, केवल पूर्ण एव अखण्ड सत्य को ही सत्य मानता है। और वह अखण्ड सत्य तो केवल ज्ञान के साथ ही प्रकट होता है। मर्व प्रथम—“त सच्च खु भगव”, यह पाठ तभी चरितार्थ होता है, जब कि वह आत्मा अखण्ड सत्यमय हो जाता है। वस, वही अवस्था भगवत्पदवी की है, यह कथन एवभूत-नय की हृषि से अभिप्रेत है।

अस्तेय

(१) नैगम-नय

जिसका जीवन नैतिकता और व्यावहारिकता से आत्-प्रीत हो, जिसकी कीर्ति एव प्रतिष्ठा विश्व भर में बहुत बढ़ी-चंडी हो, जो अनेक संस्थाओं का स्तम्भ एव सरक्षक भी हो, जो राष्ट्र-सेवा, देश-सेवा, समाज-सेवा, ग्राम-सुधार तथा नगर-सुधार आदि का महान् उत्तरदायित्व भी अपने कन्धों पर लिए हो, जो अपना तन, मन और धन राष्ट्र-सेवा में बलिदान करता हो, जो वीर अपनी मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता, सुहृदता और समृद्धि के लिए निरन्तर कटिबद्ध हो, और अपनी कमाई में मे यथागत्य जन-हिताय दान भी करता हो, इत्यादि शुभ लक्षणों से जाना जाता है कि—वह अचौर्य व्रत का पालक है। फिर चाहे वह मिथ्या-दृष्टि भी क्यों न हो, किन्तु नैगम-नय की दृष्टि से तो वह अचौर्यव्रत ही है। क्योंकि जो मनुष्य तथा कथित गुणों से सम्पन्न पालक ही है। क्योंकि जो मनुष्य तथा कथित गुणों से सम्पन्न है, वह कभी भी चोरी नहीं करता। इसी लिए वह अचौर्य-व्रत प्रतिपालक कहलाता है। फिर चाहे वह गृहस्थ ही

क्यों न हो, किन्तु अचीर्य के विषय में इस प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करना, यह नैगम-नय का हप्टिकोण है।

(२) संग्रह-नय

जो व्यक्ति राज-दण्ड के भय से, जाति-विरादगी के भय से, किसी बलवान् आदमी के द्वारा प्राणों की हानि के भय से, अथवा अपने परिवार की देहज्जती के भय से चोरी नहीं करता, और पर्साई वस्तु का हरण भी नहीं करता, उसे अचीर्य-व्रत प्रतिपालक नहीं कहा जा सकता है। फिर चाहे वह महात्मा या सन्यासी ही क्यों न हो, जब तक उसके मन और मस्तिष्क में मिथ्यात्त्व प्रकृति का प्रभाव है, तब तक वह अचीर्य-व्रत का प्रतिपालक नहीं हो सकता। इस व्रत की आराधना केवल सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है, अर्थात्—जिसकी दृष्टि सम्यक् हो, सत्य हो, और जो चोरी को पाप समझ कर स्वयं छोड़ देता है। और इस कार्य में किसी प्रकार के भय से, या प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता, वही अचीर्य-व्रत का धारक हो सकता है।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल वाह्य जगत् में उलझी हुई हो, वह चाहे कितना ही पड़ित हो और कितना ही ज्ञानी भी क्यों न हो—वह मिथ्या-दृष्टि कहलाता है। वस्तुत मिथ्यात्त्व अविवेकता एवं अविद्या का 'अपर नाम' है। अविवेकिता में आत्मा के विशिष्ट गुण प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि अचीर्य आत्मा का विशिष्ट गुण है और विशिष्ट गुण ही आत्मा की उन्नति तथा सर्वतोमुखी विकास में परम सहायक

हो सकता है। आत्मा के जो सामान्य गुण हैं, उनका मिथ्यात्व के उदय में भी ह़ास और विकास होता ही रहता है। यह अनादि नियम है। अत पर वस्तु के हरण को पाप समझ कर परित्याग करना ही अचौर्य है। अचौर्य के विषय में इस प्रकार की व्याख्या सग्रह-नय की दृष्टि से समझनी चाहिए।

(३) व्यवहार-नय

दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, तो पाप को पाप समझते हुए भी अचौर्य-ब्रत का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टि ठीक होते हुए भी प्रकाश के बिना अन्वेरे में भटकना ही पड़ता है। अतः दृष्टि ठीक होते हुए भी जिस प्रकार प्रकाश की अत्यावश्यकता रहती है, उसी प्रकार दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याख्यानावरण कपाय चतुष्क का उदय होता है, की तो वह कषाय चतुष्क, स्वच्छ गगन-पुक्त अमावस्या रात्रि के तुल्य समझना चाहिए। अत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि—अस्तित्व भगवान् ने गृहस्थों के लिए जिस मोटी चोरी का त्याग बतलाया है, उसका त्याग कम से कम दो करण और तीन योग से होना चाहिए, अर्थात्—ऐसी मोटी चोरी न तो स्वयं अपने ही मन, वचन और काय से करे, और न दूसरों के मन, वचन और काय से कराए जैसे—किसी के घर में या दूकान में सेन्ध न लगाना, किसी की गाँठ न कतरना, किसी को धूर्तता से न ठगना,

मार्ग में आते-जाते किसी मुसाफिर कोन लूटना, पड़ी हुई वस्तु न उठाना, चुराई हुई वस्तु न लेना, चोर आदि को सुविधा पूर्ण सहयोग न देना, और जो राज्य-विधान प्रजा के लिए हितकर है उसका भंग न करना, जैसे—चुँगी-कर न देना, इनकम टैक्स तथा विक्री टैक्स न देना, ब्लैक मार्केट करना, रिव्वत खाना, जूब्रा खेलना, बिना लाईसेन्स के हथियार रखना, सिगरेट-बीड़ी पीना, गराव पीना, पर-स्त्री गमन, आदि दुर्व्यस्तनों में लिप्त रहना। राज्य-विधान को भग करना भी एक प्रकार की चोरी है। अत राज्य विरोधी आचरण न करना, न्यूनाधिक न तोलना और न न्यूनाधिक मापना ही चाहिए। अपलो वस्तु में नक्तो वस्तु मिनाकर लोगों की आँखों में धून डालना भी चोरी है, अत यह वर्जित होना चाहिए। किसी पर अकारण आक्रमण भी न करना चाहिए। जिस प्रान्त में जो पुस्तके जप्त हो चुकी है, उसी प्रान्त में उन पुस्तकों को रखना और उन्हे पढ़ना भी चोरी है। क्योंकि वे किसावे छिपाकर ही रखी जाती हैं और छिपकर ही पढ़ी जाती है, मन में सदैव खटका ही बना रहता है। गाय, भैस, वकरी आदि का स्वार्थ वश अधिक दूध दोहना भी चोरी है, क्योंकि स्वार्थपरता के कारण दोहन किया अधिक दूध पशु के वच्चे का ही न्यायोचित भाग है। अत. इस प्रकार की स्वार्थ पूति न केवल चोरी ही है, बल्कि पशु के वच्चे को भूखा मारने की दुस्साहसिक अनैतिकता भी है। और यह अनैतिकता अहिंसावादियों के लिए, गौ-रक्षकों के लिए तथा जीव-रक्षा-व्रत पालकों के

के लिए एक प्रकार की चारित्र सम्बन्धी शिथिलता है। आश्रयदाता की सम्पत्ति का हरण करना भी चोरी है—।,,)

सत्सग में जाने से और जिन-वाणी के सुनने से जी चुराना भी चोरी है। अबकाश होते हुए भी सामायिक का नित्य-नियम न करना भी चोरी है। किसी स्कूल में, कॉलिज में, मीटिंग में, कार्यालय में अथवा व्याख्यान में विलम्ब से पहुँचना और समय समाप्त होने से पहले उठकर चले जाना भी चोरी है। धर्मार्थ द्रव्य को अपने ही किसी काम में व्यय करना भी चोरी है। विरादरी के हितार्थ बनाए गए नियमों को तोड़ना भी चोरी है। खोटा सिक्का दान-पात्र में डालना भी चोरी है। किसी नि-सतान रिश्तेदार की सम्पत्ति को हस्तगत करने की चेष्टा भी चोरी है। परिश्रम थोड़ा करना और पारिश्रमिक अधिक लेना भी चोरी है। श्रम-जीवी से श्रम तो अधिक लेना और पारिश्रमिक बहुत कम देना भी चोरी है।

इस प्रकार की मोटी चोरियों का परि त्याग और मूक्षम चोरियों का विवेक रखने से ही अचौर्य ब्रत की सच्ची आराधना हो सकती है। इस ब्रत के आराधक पचम गुण-स्थान वाले 'देश-ब्रती श्रमणोपासक' होते हैं, अर्थात्—जिसका जीवन गृहस्थ अवस्था में राज-नीति और धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो, उसे जैन-परिभाषा में 'श्रमणोपासक' कहते हैं। जहाँ तक व्यवहार-नय का विषय है, वहाँ तक तो गृहस्थ अचौर्य-ब्रत की आराधना ही करता है। वस्तुतः व्यवहार-नय राज-नीति और धर्म-नीति, दोनों से मिश्रित है।

अस्तु, यह नय देव-त्रत का ही अनुसरण करता है।

ऋजु सूत्र-नय

विना दी हुई जो भी वस्तु है या जिस वस्तु को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं ली गई, उसे ग्रहण करना भी चोरी है। उसे तीन करण और तीन योग से ग्रहण न करना ही अचौर्य महाब्रत है। इस नय की पूर्ण डिट छठे गुण-स्थान पर पड़ती है, अर्थात्—छठे गुण-स्थान में जितने भी अचौर्य महाब्रत के आराधक हैं, वे सब इसी नय की परिधि में हैं।

इस नय का मुख्य विषय अचौर्य महाब्रत है, अर्थात्—साधक चाहे किसी ग्राम में हो, नगर में हो, या अटवी में हो, और कोई वस्तु थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल, सजीव हो या निर्जीव, विना दी हुई कोई भी और कैसी भी वस्तु क्यों न हो, उसे न तो स्वयं ही ग्रहण करना, न दूसरे से ग्रहण करवाना, और न ग्रहण करते हुए की अनुमोदना (समर्थन) मन-वचन-काय से करना; इस प्रतिज्ञा को जीवन पर्यन्त ग्रहण करना और तदनुरूप उसका पालन करना ही अचौर्य महाब्रत पालन को सार्थकता है।

जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं है अथवा कोई भूल गया हो, ऐसी वस्तु किसी भी कारण से चारित्रवान् ग्रहण न करे। कंकड़ और कनक (स्त्रर्ण) को एक-सा जानकर निष्परिग्रही बने। दाँत शोधन मात्र तिनके को भी विना आज्ञा लिए न उठाए। अचौर्य महाब्रती साधक के लिए अरिहत भगवान् ने प्रतिपादन किया है कि—‘संयमी साधु सर्वकाल में अप्रतीतकारी घर में प्रवेश न करे, अप्रतीतकारी

आहार-पानी ग्रहण न करे, एवं अप्रतीतकारी पाट-पाटला, मकान, घास-फूस, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण, चोल-पट्टा, मुखवस्त्रिका अथवा अन्य किसी प्रकार की उपलब्धि जिसके लेने से लोक मे निन्दा हो, यदि ऐसी वस्तु कोई देने जागे, तो वह वस्तु भी कदापि नही लेनी चाहिए। सुकृत करते हुए को अन्तराय न डाले और दान देते हुए को न हटाए। यदि कभी किसी वस्तु का बैटवारा करना पड़े, तो निष्पक्ष एवं निस्वार्थ बैटवारा करे। आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु न रखे, परिमाण से अधिक भोजन न करे, जब सब लोग आराम कर रहे हो, तब जोर-जोर से न पढे और न जोर-जोर से बोले भी। जिस दरवाजे पर 'प्रवेश-निषेध' का साइनबोर्ड लगा हो, वहाँ बिना आजा लिए प्रवेश न करे। दूसरो के किये हुए श्रेष्ठ कार्य को कभी न छिपाए।

द्रव्य, क्षेत्र और काल के अनुकूल होने पर भी तप न करना चोरी है। एक वस्तु मे दो व्यक्तियो का साभा है और उनमे से एक नही देना चाहता, तो वह वस्तु लेना भी चोरी है। किसी की वस्तु देखकर या सुनकर उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना भी चोरी है। जिस वस्तु मे सब का साभा है, उसमे से कोई हिस्सेदार भगर अपने हिस्से से अधिक लेता है, तो वह भी चोरी है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को बहकाकर अपना बनाना भी एक प्रकार की चोरी है।

किसी क्षेत्र मे या परिषद् मे व्याख्यान का समय नियत

किया गया है, उससे अधिक समय लेना भी चोरी है। आज्ञा लिए विना किसी वस्तु को परोक्ष रूप में देख लेना भी चोरी है। सयम के मार्ग में उद्यम न करके आलस्य और प्रमाद प्रकट करना, बार-बार विषयों का सेवन करना, तप में अरुचि प्रकट करना, और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न करना भी चोरी है। दीक्षित साधु को सयम के पथ से भ्रष्ट करना भी चोरी है।

कृतघ्नता भी एक प्रकार की चोरी है; जादू-टोना और धागा-तावीज बनाना भी चोरी है। किसी खेल-तमाशे को या किसी काम-वर्द्धक वातावरण को छिपकर देखना भी चोरी है। किसी की कविता में या किसी के निवन्ध में अपना नाम जोड़ना भी चोरी है। अपने पास आवश्यकता से अधिक उपकरण होते हुए दूसरे को अत्यन्त आवश्यकता हा ने पर न देना भी चोरी है। दान देते हुए को अन्तराय देना भी चोरी है। जितनी भूमि की आज्ञा ली है, उससे अधिक अपने काम में लेना भी चोरी है। चतुर्विधि श्री सध की समृद्धि के लिए बनाए गए विधान को तोड़ना भी चोरी है। आचार्य, गुरु या रत्नाधिक की विना आज्ञा से किसी पदार्थ को प्राप्त करना, और उसे विना दिखाए सेवन कर-लेना भी चोरी है। रसोईघर में रसोईया प्राय क्यारियाँ बनाकर मर्यादा बनाता है, उस मर्यादा का उत्तरधन करके अन्दर जाना भी चोरी है।

उपर्युक्त सभी प्रकार की चोरियों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही अचौर्य महान्‌त का परिपूर्ण पालन है।

(५) शब्द-नय

जो व्यक्ति दूसरे की यज-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार एवं मान-सम्मान को स्वयं प्राप्त करना चाहता है, वह महाब्रती भी चोरी के दोष से अछूता नहीं है। जैसे कि चोरी पाँच प्रकार की होती है—

(क) तप-चोर—तप कोई दूसरा करे और तपस्वी आप कहलावे—गुप्त रूप में खाना खाए और प्रकट रूप में तपस्वी कहलावे। कोई दर्शनार्थी किसी दुर्बल मुनि को देखकर भाव प्रवण शब्दों में ऐसा बोले—धन्ना मुनि की तरह दुष्कर करनी करने वाले आप ही हैं क्या ? और उत्तर देते हुए यदि ऐसा कहे—साधु तो सदैव ही तपस्वी होते हैं। तपस्वी न होते हुए भी तपस्वी की प्रतिष्ठा लूटने से महामोहनीय कर्म बन्धता है। अत जो 'तप चोर' होता है, वह किल्विषी देवता बनता है।

(ख) वय-चोर—दो मुनि विचर रहे हैं। एक वय में युवक है किन्तु पर्याय में ज्येष्ठ, और दूसरा मुनि वय में वृद्ध है किन्तु पर्याय में कनिष्ठ। दर्शनार्थी श्वेत केश देखकर यह पूछे कि—बड़े महाराज वया आप ही है ? इसका उत्तर देते हुए कहे कि—साधु तो हमेशा बड़े ही होते हैं, अर्थात्—बड़े साधु की प्रतिष्ठा आप स्वयं प्राप्त करना। इसे 'वय चोर' कहते हैं।

(ग) रूप-चोर—एक जैसा रूप, एक जैसा डीलडील, एक जैसा नाम, एक जैसा वेप दो मुनियों का है। उनमें एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित है, और दूसरा अप्रसिद्ध एवं अप्रतिष्ठित। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या आप वही है, जिनकी कीर्ति विश्व-

भर मे फैल रही है ? ऐसा सुनकर मैंन धारण करे या ऐसा कहे—साधु तो लब्ध-प्रतिष्ठ होते हैं । ऐसा गोलमोल जवाव देना कि जिससे पूछने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि यह वही है जिनके दर्शन मैं करना चाहता था । इसे 'रूप चोर' कहते हैं ।

(घ) आचार-चोर—शुद्धाचारी न होते हुए भी अपने आपको शुद्धाचारी कहे, गुप्त रीति से अनाचार सेवन करना किन्तु जनता के समक्ष क्रिया-पात्र बनना और चौथे आरे के आचरण का प्रदर्शन करना । इसे 'आचार चोर' कहते हैं; अर्थात्—चारित्र विहीन होते हुए भी शुद्ध चारित्री की प्रतिष्ठा लूटना ।

(ङ) भाव-चोर—'चोरी' से ज्ञान सीखना, मायाचारी से ज्ञान सीखना, जिन-जिन आगमधरों से सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनका नाम और उपकार छिपाना । किसी के पूछने पर यह उत्तर देना—‘मैंने श्रुत-ज्ञान स्वयमेव प्राप्त किया है ।’ ऐसा उत्तर देने वाला ‘भाव चोर’ कहलाता है ।

तीर्थज्ञार की आज्ञा भग करना और निषिद्ध क्रिया का आचरण करना भी चोरी है । कोई भी महाव्रती यदि उक्त क्रिया करता है, तो वह शब्द-नय की दृष्टि से चोर है । रोगी, ग्लान या महा तपस्वी के नाम से लाए हुए आहार को स्वयमेव सेवन कर लेना भी चोरी है । अतः ऐसा कहना चाहिए कि—जो अप्रमत है, वस्तुतः अचौर्य महाव्रत के प्रतिपालक वे ही हैं । प्रमत्त-इगा मे ता सूक्ष्म अदत्ता दान का दोप लगता ही रहता है ।

(६) समभिरूढ़-नय

प्रमत्त अवस्था मे लगे हुए दोषो की आलोचना और निन्दना ग्रहण न करना भी एक प्रकार की चोरी है। और जब तक मोह एव लोभ का उदय है, तब तक अप्रमत्त अवस्था मे भी अदत्तादान के दोष से अद्वृता नही रहा जा सकता, अर्थात्—दसवे गुण-स्थान तक अदत्तादान (चोरी) का दोष लगता है। धीतरागता मे अचौर्य दोष नही लगता। यह कथन समभिरूढ़-नय की अपेक्षा से समझना चाहिए।

(७) एवंभूत-नय

जहाँ तक कोई भी जीव छद्मस्थ और अहंपत्र है, वहाँ तक चोरी के दोष से अद्वृता नही रहता। सर्वज्ञ होने पर ही अचौर्य महाव्रतं पूर्णं विकसित होता है। धातिया कर्मो के सर्वथा क्षय होने से हो दुर्गुणों का विलय होता है।

दोषो का मूल कारण मन ही है। तेरहवे गुण-स्थान में मन सक्रिय नही होता। 'चौर्य' यह दोष धातिया कर्मजन्य है। अधातिया कर्मो से आत्मा मे किसी प्रकार भी विकार नही होता। अत. जहाँ अचौर्य की परिभाषा उक्त शैली से की जाए, वहाँ एवभूत-नय की अपेक्षा से ही समझनी चाहिए।

निहितं वा पतितं वा,
 सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।
 न हरति यज्ञ च दत्ते,
 तदकृश चौर्यादुपारमणम् ॥

— रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ३, ५७,

किसी की रखी हुई, पड़ी हुई भूली हुई तथा विना दी
 हुई वस्तु को न स्वयं ग्रहण करना और न दूसरे को देना—यह
 अस्तेयव्रत है ।

ब्रह्मचर्य

(१) नैगम-नय

काम और राग की प्रेरणा से दो प्राणियों के संयोग से होने वाले वैष्यिक सुख को 'मैथुन' कहते हैं। मैथुन क्रीड़ा न करना; इसे 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं। जो व्यक्ति अवोध अवस्था में, लज्जा अवस्था में एव वार्षक्य में स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बल-वृद्धि के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए, विद्या 'प्राप्ति के लिए (ब्रह्मचर्येण विद्या, विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्) तथा राज-भय से, समाज-भय से, अपयश के भय से, किसी लौकिक कार्य में व्यग्र-चित्त रहने से, घन नष्ट होने के भय से, समय और स्थान की प्रतिकूलता से, विवेक न होने से, दवाइयों के द्वारा बीर्य रोकने से, उपशान्तता से, कार्य की सफलता के उद्देश्य से, परवशता से, आयु, योवन, रूप एव स्वर—इन सभी की रक्षा के लिए, रोग के भय से (भोगे रोग भयम्) आदि उद्देश्य से जो मैथुन क्रीड़ा नहीं करता है, इस नय की दृष्टि से 'वह' भी 'ब्रह्मचारी' कहलाता है।

ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाला सम्यक्-दृष्टि हो, मिश्र-दृष्टि हो या मिथ्या-दृष्टि हो, उसे ब्रह्मचारी कह सकते हैं।

(२) सम्ब्रह-नय

सम्यक्-दृष्टि ही ब्रह्मचर्य के वास्तविक महत्व को जानता है। मिथ्या-दृष्टि ब्रह्मचर्य का पालन तो करता है, परन्तु उसका दृष्टिकोण ठीक न होने से वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। क्यों कि मिथ्यात्त्व मोहनीय कर्म के उदय भाव में किसी भी धर्म के अग को वास्तविक रूप में नहीं जाना जा सकता, और बिना ज्ञान के किसी भी क्रिया का कोई महत्व नहीं है।

आत्मा का ध्येय ससार के जन्म-मरण आदि दुखों से सर्वधा छूट कर मोक्ष प्राप्त करना है। इस ध्येय को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब सम्यक्त्व हो, दृष्टिकोण ठीक हो, विवेक हो, और शरीर एवं मन स्वस्थ हो (गरीर माद्य-खलु धर्म-साधनम्), जैसे वायु के चलने से वृक्ष के पत्ते हिलने लग जाते हैं और वायु के न चलने से पत्ते भी नहीं हिलते। पत्तों के हिलने से छोटी डालियाँ हिलती हैं, उनके हिलने से बड़ी डाली हिलती है और बड़ी डाली के हिलने से समुच्चय वृक्ष हिलने लग जाता है। इसी प्रकार काम चासना पैदा होने से वीर्य की नाड़ी में कम्पन होता है। तन्पश्चात् अन्यान्य नाड़ियों में और समुच्चय सर्वाङ्ग में कम्पन होने लग जाता है। तब मन, बुद्धि और शरीर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। उस अस्वस्थता का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य ही है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य मानव-धर्म का एक प्रधान अङ्ग है, अतः प्रधान अङ्ग की रक्षा करने से उसके सहचारी उपाङ्गों की रक्षा स्वयमेव हो जाती है। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि और शरीर, विलकुल स्वस्थ रहते हैं। इनके स्वस्थ रहने से

विचार भी शुद्ध एव उच्च रहने हैं। अत यह सिद्ध हुआ कि सम्यक्त्व-पूर्वक जो सदाचार पालन किया जाता है, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के विषय में सग्रह-नय का यह दृष्टिकोण है।

(३) व्यवहार-नय

श्रेष्ठ आचरण को ही सदाचार कहते हैं। आत्मा के किसी भी एक प्रधान गुण को अपनाने से उसके सहचारी अनेक गुण अनायास ही स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। उनको अपनाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किसी सम्राट् को अपने अनुकूल करने से अन्य सभी राज्याधिकारी स्वयमेव अनुकूल हो जाते हैं, वैसे ही अकेले ब्रह्मचर्य के आश्रित अनन्त गुण स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। जितने अशों में ब्रह्मचर्य का ठोक-ठीक पालन होता जाएगा, उतने ही अश में आत्मा का कल्याण होता जाएगा।

जो सर्वथा अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, फिर भी दुराचार से सन्तोष धारण करना चाहता है, तब विवाह की रस्म अदा करनी पड़ती है, अर्थात्—जो विवाह किया जाता है वह मदाचार की रक्षा के लिए है, न कि भोग की पूर्ति के लिए। जिस प्रकार स्त्री का पति-व्रत धर्म है, वैसे ही पुरुष का भी पत्नी-व्रत धर्म है।

'विवाह' पुरुष और स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम है। यह साहचर्य ही काम वासना की दवा है, और ब्रह्मचर्य के समीप पहुँचने का सहज साधन है। यह साहचर्य तभी

प्रतिचारों को जानना तो अवश्य चाहिए, परन्तु इन्हे आचरण में कदापि नहीं लाना चाहिए। यह है व्यवहार-नय के अनुसार ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के दो उपाय हैं—एक ज्ञान-मार्ग, और दूसरा क्रिया-मार्ग। क्रिया-मार्ग ब्रह्मचर्य के विरोधी संस्कारों को रोकता है, और ज्ञान-मार्ग अब्रह्मचर्य के संस्कारों को निर्मूल कर देता है।

ज्ञान-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण होता है, परन्तु क्रिया-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण नहीं होता। ज्ञान-मार्ग उत्तम उपाय है और उसमें अन्तरङ्ग कारण है।

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियम एवं उपनियमों का समावेश हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सम्भोग में वीर्य का नाश न करते हुए उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ग्रन्थ उपस्थ इन्द्रिय के सयम के साथ-साथ अन्य इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है।

प्रस्तुत नय उसी को ब्रह्मचारी मानता है, जिस व्यक्ति ने तीन करण और तीन योग से अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग कर दिया हो। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

पहली भावना—जिस जगह स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हो, उस जगह नहीं ठहरना, अर्थात्—जिस स्थान में

ठहरने से घर में बैठी हुई स्त्री दिखाइ दे, द्वार से आती-जाती दिखाई दे, आँगन में, भरोखे में, चौबारे में, कोठी में, महल में, या पीछे के स्थान में स्त्रियाँ दिखाई दे, या उनकी बाते मुनाई देती हो, जहाँ स्त्री-शृङ्खार की कथा होती हो, उनके हँसने-रोने की आवाज आती हो, गाने और क्रीड़ा की अवाज आती हो, उस जगह कदापि नहीं ठहरना। फिर चाहे वहस्थान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वहाँ ठहरना ब्रह्मचर्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

जिस प्रकार बिल्ली के निवास स्थान के पास चूहों का रहना असगत है, इसी प्रकार स्त्रियों में रहने वाली जगह में ब्रह्मचारी पुरुष का रहना सर्वथा असगत एवं हानिकर है। क्योंकि वहाँ रहने से उसके ब्रह्मचर्य में हानि पहुँचने की सभावना रहती है। —(उ० अ० ३२, गा० १३)

भले ही मन, वचन और काया रूप तीन गुप्तियों से गुप्त ऐसे समर्थ मुनि, जो वस्त्रा भूषणों से सुशोभित एवं मनोहर देवाङ्गनाओं द्वारा भी ब्रह्मचर्य व्रत से डिगाये न जा सकते हो, तो भी उन के लिए एकान्त हितकारी जानकर विविक्त वास, अर्थात्—स्त्री, पशु, और नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करना ही प्रशस्त बतलाया है।

—(उ० अ० ३२; गा १६)

दूसरी भावना—स्त्रियों की परिपद में बैठकर विचित्र प्रकार की हास्य, शृङ्खार और मोह को पैदा करने वाली कथा न कहे। स्त्रियों के सौभाग्य और दुर्भाग्य तथा ६४ कलाओं का वर्णन, अमुक देश की स्त्रियों का वर्णन, विवाह आदि का

वर्गन; उनकी जाति, कुल, रूप, नाम, वेप, अलकार आदि का वर्गन-इत्यादि सहित क्याएँ न तो कहे, न सुने, न पढे और न चिन्तन ही करे। अबलील कथाएँ कहना, मुनना, पढना और उनका चिन्तन करना भी ब्रह्मचर्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दूसरी भावना का पालन करना अत्यावश्यक है।

तीसरी भावना—स्त्रियों को देखना। उन का हँसना, बोलना, चेष्टा करना, और उनका हाव-भाव, कटाक्ष, चाल, विलास, खेल, नृत्य-तमाशा, सौन्दर्य, हाथ-पाँव, नयन, लावण्य, रूप, धीरन, पयोधर, वस्त्र, ग्रलकार, अवरोध, गुप्त-स्था आदि जोकि तप, सयम और ब्रह्मचर्य के उपचार है, उन्हे न तो कभी देखे, न वचन से कभी प्रार्थना करे और न मन से कभी देखने की अभिलाषा ही करे।

जो श्रमण तपस्वी है, वे स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य तथा मधुर वचनों को, इ गित, इगारा वा विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टा, अर्थात्—कटाक्ष, विशेष आदि को अपने चित्त में स्थापित करके उन्हे अनुराग-पूर्वक देखने का प्रयत्न कभी न करे।

—(उ० अ० ३२, गा० १)

सदा ब्रह्मचर्य में अनुरक्त रहने वाले तथा धर्म-ध्यान तल्लीन रहने वाले साधुओं के लिए स्त्रियों के अङ्ग-उपाङ्ग को राग-पूर्वक न देखना, उनकी इच्छा न करना, उनका चिन्तन

करना, आसक्ति पूर्वक उनके रूप आदि का गुण कीर्तन भी न करना परम हितकारी है ।

—(उ० अ० ३२, गा० १५)

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए तीसरी भावना का पालन भी अनिवार्य है, ऐसा महेषियों का अभिमत है ।

चौथी भावना—ब्रह्मचर्य महाब्रत धारण करने के पूर्व गृहस्थ अवस्था में किये हुए भोग-विलास, एवं विषय-सुख को तथा श्वशुरालय में, उत्सव में, खेल-तमाशे में वेष-भूषा सहित स्त्री-क्रीड़ा, आलाप-सलाप, विकार-जनक वृत्तान्तों को स्मृति पथ में न लाए, उनका कभी स्मरण भी न करे । क्योंकि उनका स्मरण करना ब्रह्मचर्य महाब्रत के लिए घातक है, अतः चौथी भावना का भी सतर्कता-पूर्वक पालन करना चाहिए ।

पाँचवी भावना—काम-बद्ध क आहार न करे, अर्थात्—दूध, दही, घृत, तेल, गुड, शकर, मिश्री, मिठाई आदि पौष्टिक तथा रसीले पदार्थों का आहार न करे । एक दिन में अनेक बार भोजन न करे, सदैव सरस आहार न करे । दाल, शाक, श्रचार, चटनी, मिर्च आदि का अधिक सेवन न करे । लहमुन, प्याज का सेवन भी वर्जित है । आहार ऐसा करना चाहिए जिससे गरीर का निर्वाह भी हो सके और सयम तथा ब्रह्मचर्य व्रत की यात्रा भी समाधि पूर्वक ठीक होती रहे, अर्थात्—काम उद्दीप्त न हो, और इन्द्रियाँ उत्तेजित न हों ।

कहा भी है—दूध, घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राय रस मनुष्यों में

कामाग्नि को दीप्त करते हैं। उद्दीप्त मनुष्य की ओर काम वासनाएँ ठीक वेंसे ही दौड़ती हैं, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दौड़कर आते हैं।

--(उ० अ० ३२, गा० १०)

जिस प्रकार बहुत ईधन वाले घने वन में लगी हुई वायु-सहित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी (विचित्र प्रकार के रस युक्त पदाथों को भोगने वाले) किसी भी ब्रह्मचारी की इन्द्रिय रूपी ग्रग्नि शान्त नहीं होती और वह उसके लिए हितकारी भी नहीं होती।

आैषधियों से दवाई हुई व्याधियों की तरह, अर्थात्—जिस प्रकार उत्तम आैषधियों से पराजित की हुई व्याधि फिर आक्रमण नहीं करती, उसी प्रकार स्त्री, पशु, नपुसक से रहित स्थान तथा आसन आदि का सेवन करने वाले तथा इन्द्रियों को दमन करने वाले पुरुषों के चित्त को राग रूपी शत्रु दबा नहीं सकता।

--(उ० अ० ३२; गा० १२)

विकारमय स्पर्श न करना, विकारमय आसन पर न बैठना, विकारी हृष्टि न रखना, विकारी वातावरण से सदा दूर रहना, विकारी शब्द और कथा न सुनना, अश्लील शब्द न बोलना, रसना पर सयम रखना, विकारोत्पादक स्मरण भी न करना, सदैव विचारों को पवित्र रखना—यह उपाय क्रिया-मार्ग से ब्रह्मचर्य की रक्षा का है। यदि इन पाँचों भावनाओं को समतोल रूप में वश में रखे, तो ब्रह्मचर्य की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। एक भावना में ढील आ जाने से ब्रह्मचर्य महान्नत भग होने में कोई सन्देह नहीं रहता।

आत्म-कल्याण की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी पुरुष के लिए शरीर की शोभा, स्त्री का सर्सर्ग, पौष्टिक आहार, ये सब तालपुट नामक उग्र विष के समान हैं, अर्थात्—जिस प्रकार तालपुट नामक विष तालु से लगते ही प्राणों का हरण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर के विभूपा आदि दुर्गुण भी साधु के चारित्रिक गुणों को नष्ट कर देते हैं।

—(दशवै०, अ० ८ वाँ)

यह है क्रञ्जुसूत्र-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परिभाषा।

(५) शब्द-नय

‘ब्रह्म’ का अर्थ है—वेद तत्त्व और तप । (वेदस्तत्त्व तपो ब्रह्म इत्यमर) दशवैकालिक सूत्र के ६वे अध्ययन के चौथे उद्देश में “वेयमाराहयइ”, अर्थात्—विनय समाधि का उल्लेख करते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया है कि—‘वेद की आराधना कर ।’ इस स्थल पर वेद का अर्थ—श्रुत-ज्ञान किया है। ‘चर्य’ का अर्थ होता है—तदनुरूप आचरण, अर्थात्—उपयोग पूर्वक श्रुत-ज्ञान का अध्ययन करना, इसे ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं।

‘तत्त्व’ का अर्थ है—आत्मा । चैतत्त्य आत्मा का मनन, चिन्तन एव निदिध्यासन करने को भी ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं।

तप के बारह भेद हैं । जिसका सम्बन्ध प्रत्येक तप से हो और जो उन सब का केन्द्र हो, उसे ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं।

“तवेसु वा उत्तमबम्भचेर” ; अर्थात्—जिसका चित्त निरन्तर श्रुत-ज्ञान में, आत्म-चिन्तन में और तप से संलग्न है, उस क्रिया को ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं । ब्रह्मचर्य का अर्थ है—सभी

‘इन्द्रियो’ और सम्पूर्ण ‘विकारो’ पर पूर्ण अधिकार करता। व्रह्मचर्य—मन वचन और कार्य से होता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार इन्द्रियों मन के अधीन है। मन बुद्धि के, और बुद्धि आत्मा के अधीन है। जब बुद्धि आत्मा की सहायिका होती है, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है। अतः अपने स्वरूप को पहचानना ही ‘व्रह्मचर्य’ है। यह है शब्द-नय की दृष्टि से व्रह्मचर्य की परिभाषा।

(६) समभिरुद्ध-नय

शब्द-नय मात्रे, आठवे, और नीवे गुण-स्थान के छह भागों में से पहले पाँच भागों में, अर्थात्—इन तीन गुण-स्थानों में रहने वाले साधकों में ‘व्रह्मचर्य’ मानता है। जब कि नीवे गुण-स्थान तक वेद मोहनीय का उदय रहता है, अतः उसे हम अवेदी नहीं कह सकते हैं। वस्तुतः अवेदी को ही व्रह्मचारी कहा जाता है, सवेदी को नहीं। व्रह्मचर्य के तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, और जघन्य।

वासना को पैदा न होने देना—इसे ‘उत्तम’ व्रह्मचर्य कहते हैं। सुलगती हुई वासना को तप और सयम के द्वारा उपशान्त करना—यह ‘मध्यम’ श्रेणी का व्रह्मचर्य है। मर्यादा से बाहर भड़की हुई वासना को भी निष्फल कर देना, अर्थात्—निमित्त मिलने पर भी भड़की हुई वासना को पूर्ण न करना, इसे ‘जघन्य’ श्रेणी का व्रह्मचर्य कहते हैं। इन तीनों में उत्तम श्रेणी का व्रह्मचर्य ही इस नय को अभीष्ट है। और वह अवेदी तथा वीतराग में ही पाया जाता है, सवेदी में नहीं।

(७) एवंभूत-नय

जब तक धातिया कर्मों का उदय या सत्ता विद्यमान है, तब तक सादि अनन्त अवेदी नहीं बन सकता। क्योंकि—साधक ग्यारहवे उपशान्त मोहनीय गुण-स्थान से च्युत होकर पहले गुण-स्थान तक भी आ सकता है। फिर वह अवेदी कहाँ रहा? इस नय की सादि-सान्त अवेदी पर कोई श्रद्धा नहीं है। जब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण विकास नहीं होता, तब तक केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। धातिया कर्मों के सर्वथा क्षय होने पर ही सादि अनन्त अवेदी बनता है। यही अवस्था ब्रह्मचर्य की व्यापकता की है। यह है एवभूत-नय की हाजिर से ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा।

मूल सेय महम्मस्स,
महा दोस-समुस्सयं ।
तम्हा मेहुण-संसर्गं,
निर्गंथा वज्जयंति णं ॥

—दशवैकालिक सूत्र, ६-११,

यह अन्नहृचर्य अधर्म का मूल है, महा दोषो का स्थान है । अतः निर्गन्ध भिक्षु मैथुन-सर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

अपरिग्रह

(१) नैगम-नय

अपरिग्रह से पहले परिग्रह का विवेचन करना अधिक उपयोगी है। अतः आगम के अनुसार सर्व प्रथम परिग्रह का वर्णन किया जाता है। आगमों में नव प्रकार का परिग्रह बतलाया है।

परिग्रह का ग्राव्डिक अर्थ होता है—“परि-समन्तात् मोह-बुद्ध्या गृह्यते य. स परिग्रहः।” अर्थात्—जिसे मोह-बुद्धि के द्वारा सब और से ग्रहण किया जाय, वह ‘परिग्रह’ कहलाता है। संसार में सभी प्राणी परिग्रह से आवृत्त हैं। यद्यपि सभी प्राणियों का परिग्रह भिन्न-भिन्न है, तथापि उन सब का अन्तर्भुवि नव में ही हो जाता है। जैसे—

(१) क्षेत्र—उपजाऊ खुली भूमि, खेत, वाग, पहाड़, खदान, चरागाह वन-विभाग आदि। नहर, कुआ नल-कूप, कूल, अरहट आदि साधनों से जिसकी सिचाई की जाती है, वह प्रथम क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र वह है, जिसकी वर्षा से सिचाई होती है; इत्यादि, सभी भूमियों का अन्तर्भुवि ‘क्षेत्र-परिग्रह’ में हो जाता है।

(२) वास्तु—तलधर, हर्म्य, प्रानाद, कोठी, हवेली नौहरा, मकान, दुकान, गांग, नगर, छावनी, तबैला आदि, इन सब का ग्रन्तभाव 'वास्तु-परिग्रह' में हो जाता है।

(३) हिरण्य—चाँदी के वर्तन, चाँदी के उपकरण, चाँदी के भूपरण, चाँदी के मिक्के आदि. ये सभी 'हिरण्य-परिग्रह' के ग्रन्तर्गत हैं।

(४) स्वर्ण—स्वर्ण के वर्तन, भूपरण, मिक्के तथा अन्य उपकरण आदि, इन सब का ग्रन्तभाव 'स्वर्ण-परिग्रह' में हो जाता है।

(५) धन—टिकिट, नोट, मिक्रो, मणि-माणिक्य वज्र, रत्न, हीरक, प्रवाल, माँझिक वपुण, लोह, सीमा, पापाण, फैकट्री, जन्व, तिनिज अगुस्त, चन्दन, बन्ध, काठ, चर्म, दत, रुड़ी, कपाम वान, गध द्रव्यापदि एवं रत्न की चीज़ीस जातियाँ पण्य, गुड़, घक्कर, आदि, इन सभी वस्तुओं का ग्रन्तभाव 'धन-परिग्रह' में हो जाता है।

(६) धान्य—गेहूँ, जी, चावल, कोडव, केंगु, तिल, मूँग, माप (उरद), अलसी, राजमाप, ममूर, कुलत्थ, मरसो, कलाय ब्रीहि, मक्कड़ी, चणक आदि, चीज़ीस प्रकार के धान्य-विशेष 'धान्य-परिग्रह' में समाविष्ट हैं।

(७) द्विपद—स्त्री, पुत्र, पुत्री, भाई, वहन, मित्र, नाती, गोती, स्वजन, सम्बन्धी, दास-दासी, शुक, मीन, मोर, चकोर, कबूतर, हँस आदि; ये सब दो पाँच दाले प्राणी हैं। अत. इन सब का समावेश 'द्विपद-परिग्रह' में हो जाता है। उपलक्षण

से दो पहिए वाले यान भी इसी परिग्रह में समाविष्ट हैं। जैसे—साईकिल, मोटर साईकिल आदि।

(८) चतुष्पद—गौ, वृपभ, महिला (भैस), हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊँट, भेड़, बकरी आदि, ये सब नार पाँव वाले हैं। उपलक्षण से चार पहिए वाले जितने भी यान हैं। अर्थात्—टैक्सी जीप, मोटर ठेला, गाड़ी, आदि, सब का समावेश ‘चतुष्पद-परिग्रह’ में हो सकता है, क्योंकि इनके चार पहिए होते हैं। दो पहिए वाले या चार पहिए वाले, इन सभी का समावेश ‘धन-परिग्रह’ में भी हो सकता है।

(९) कुप्य—उक्त परिग्रह के सिवाय जितनी भी शेष वस्तुएँ हैं, उन सब का समावेश ‘कुप्य-परिग्रह’ में हो जाता है। इन नव का अन्तर्भुवि ‘दो’ में भी हो सकता है, जैसे—‘चल सम्पत्ति’ और अचल सम्पत्ति। ‘सचित्त-परिग्रह’ और ‘अचित्त-परिग्रह’, अथवा ‘कनक-परिग्रह’ और ‘कामिनी-परिग्रह’।

पाँच इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहना भी ‘परिग्रह’ है। जिसका परिचय इस प्रकार है—

(१) कर्ण—जो व्यक्ति जिस इन्द्रिय के विषय में अत्यासक्त होगा और उस इन्द्रिय के जितने भी विषय हैं, उनके साधन एवं उपकरणों को रखने की भी अवश्य कोशिश करता है। जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है—‘सुनना’, अर्थात्—जो सुनने में अधिक व्यग्र रहता है, वह रेडियो, टेली-फौन, टैली-ग्राम, टेली-विजन, टैली-प्रिन्टर, गाने-बजाने के साज, बोलने के उपकरण—माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, वायरलैस,

आदि सभी प्रकार की वस्तुएँ रखता है।

(२) नेत्र—जो व्यक्ति चक्षुरिन्द्रिय में अत्यासक्त होता है, वह बारह प्रकार के खेल—कुशनी, टूरनामेन्ट, ड्रामे, थ्रेटर, तमाङे सर्कस, मिस्मरेज्म आदि। वर्तीस प्रकार के नाटक—सिनेमा, लीला, उत्सव, मेला, जलसा, जलूस, प्रदर्शनी, सजावट, जगमगाहट, सीन, चित्र, देश-देवान्तर पर्यटन, विशेष प्रकार के दृश्यों को देखना; इन्द्रजालिक कला आदि, इन सब का समावेश 'चक्षु' इन्द्रिय के विषय में हो जाता है, जोकि परिग्रह का ही रूप है।

(३) नासिका—जो व्यक्ति ब्राणेन्द्रिय में अत्यासक्त है, वह इन वस्तुओं को रखता है। जैसे पाँच प्रकार के फूल, फल, बीज, पत्र, जड़ी-बूटी, कस्तूरी, नस्वार, इत्र, फुलेल, केवड़ा, अँवर, आठ प्रकार की गन्ध, द्रव्य, धूप, अगरवती आदि, अर्थात्—जो मुर्गन्धि युक्त द्रव्य हैं, वे सब ब्राणेन्द्रिय के विषय साधन हैं। अत. उन सभी वस्तुओं का सम्बन्ध करना भी परिग्रह का हेतु है।

(४) जिह्वा—जो व्यक्ति रसनेन्द्रिय में अत्यासक्त होता है, वह इन वस्तुओं को रखता है। जैसे—खाने-पीने के समस्त पदार्थ और उनके उपकरण—जिससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे तैयार किये जाते हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते हैं तथा पकाए जाते हैं, जिसमें वे पदार्थ सम्बन्धित होते हैं, जिससे साफ किये जाते हैं, जिसमें रस कर सेवन किये जाते हैं, वे सभी 'परिग्रह' कहलाते हैं। मौस, अँड़ा तथा गहद खाना, देसी व अँग्रेजी शराब पीना, और

सुलफा, भांग, गाजा, चरस आदि का पीना 'महापरिग्रह' कहलाता है।

(५) त्वचा—जो व्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में अत्या सक्त होता है, वह इन वस्तुओं को रखता है। जैसे—बहुमूल्य वस्त्र पहनना, ओढ़ना, नाना प्रकार के भूषण धारण करना, सुकोमल बिछोने पर शयन करना, सुखदायी आसनों पर बैठना, भोग-विलास के साधन—

शस्त्र-अश्त्र, पौड़डर, साबुन तेल, औषधि वायस्लीन, क्रीम आदि यातायात के साधन घोड़ा गाड़ी साइकिल मोटर वायुयान हीटर, पखे, एव्रर कण्डीशड, रैफ्रीजेटर अगीठी इत्यादि वस्तुएँ रखना भी परिग्रह का ही रूप है।

इस प्रकार इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनके समस्त उपकरण रखना भी परिग्रह है, अर्थात्—जो जिस इन्द्रिय के विषय में अत्यासक्त है, वह उन उपकरणों के लिए अनेक प्राणियों का घात भी करता है, भूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है, अन्य प्रकार के भी बहुत से से कुकर्म करता है। हर समय आर्त-ध्यान तथा रौद्र-ध्यान में लगा रहता है। सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार के वशीभूत होता है। कलह, निन्दा, चुगली भी करता है। दूसरों पर मिथ्या कलक भी चढ़ाता है और मिथ्यात्व का सेवन भी करता है। जो सदा धर्म से विमुख और पापों के सम्मुख रहता है, वह जीवन-पर्यन्त किसी भी इन्द्रिय को नृप्त नहीं कर सकता और अन्त समय में मृत्यु प्राप्त कर दुर्गति में जा पहुँचता है। यह है महा परिग्रहियों की दुर्दशा

का सक्षिप्त परिचय ।

लोभ मोहनीय के उदय से नव प्रकार के परिग्रह को प्राप्त करने के लिए इच्छा पैदा होती है । इच्छा में सग्रह-बुद्धि पैदा होती है । सग्रह से ममत्व-बुद्धि पैदा होती है, अतः सिद्ध हुआ कि मोह-कर्म परिग्रह सज्जा का प्रवर्तक है । किसी भी वस्तु का ममत्व पूर्वक सग्रह करना 'परिग्रह' है । अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना, वस्तु मिलने पर सग्रह करना, प्राप्त वस्तु पर मूच्छा या ममत्व करना, ये परिग्रह के अन्तर्भूत हैं ।

अथवा अनधिकृत सामग्री को पाने की इच्छा करना 'इच्छा-परिग्रह' है । वर्तमान में मिलती हुई वस्तु को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना 'सग्रह-परिग्रह' है । और सगृहीत सामग्री पर ममत्व करना, आसक्त होना, गृद्ध होना मूच्छा परिग्रह' है । परिग्रह-सज्जा जीव को भौतिक-जगत् में भटकाती है ।

पाँचो इन्द्रियों के जो पाँच विषय हैं, उन में आसक्त होना भी परिग्रह है । पदार्थ स्वयं परिग्रह नहीं है, किन्तु जब उसे पाकर जीव में राग-द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं, तब वही पदार्थ उपचार से परिप्रह बन जाता है । वस्तुतः जीव में राग-द्वेष रूप अध्यवसाय ही परिप्रह है । परिग्रह वृत्तियों में और मन में रहता है, वस्तुओं में नहीं । वस्तु 'पर' है, 'पर' में स्व की बुद्धि वनी कि फिर तुरन्त परिग्रह बन जाता है । मूलतः 'मूच्छा परिग्रह' है और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ भी परिग्रह हैं । वस्तु के बिना जीवन नहीं चलता, अतः परिग्रह पीठ के पीछे रहना चाहिए, मुँह के सामने नहीं । अथवा

असयम, अविवेकिता और अज्ञानता, इन तीनों से संयुक्त जो वाह्य वस्तु है, उसे 'परिग्रह' कहते हैं।

जिस पदार्थ का उपयोग व उपभोग, ग्रहण व संग्रह व्यक्ति में मूच्छा, ममत्व या अन्य विकार भाव लाए वह 'परिग्रह' है।

जो पदार्थ सामूहिक रूपेण समष्टि में विप्रमता पूर्ण दुर्ब्यवस्था पर अधिकार, हरण, शोषण, दुख एवं विनाश की प्रवृत्तियों को जन्म दे, वह 'परिग्रह' कहलाता है। कर्म-जन्य विकार को भी 'परिग्रह' कहते हैं। यही परिग्रह का सक्षिप्त विवेचन है।

नैगम-नय

"न परिग्रह इत्यपरिग्रह", अर्थात्—परिग्रह के अभाव को 'अपरिग्रह' कहते हैं। अपरिग्रह गच्छ समस्त-पद है, इसमें नन्त्र समाप्त हो रहा है। नन्त्र समाप्त दो प्रकार का होता है—एक प्रसज्य निषेधक, और दूसरा पर्युदास निषेधक। इनमें प्रसज्य निषेध सर्व-निषेधक होता है, और पर्युदास निषेध आंशिक निषेधक होता है।

जिसके विना गृहस्थ जीवन की यात्रा, सामाजिक मर्यादा, दान तथा पुण्य-क्रिया । । धर्म-क्रिया निर्विघ्नता पूर्वक न चल सके ; अर्थात्—जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में साधन रूप हो, उसे 'आवश्यकता' कहते हैं। आवश्यकता से अधिक परिग्रह न रखना भी 'अपरिग्रह' है।

वह अपरिग्रह भी चार प्रकार का होता है, जैसे—द्रव्य से, ऐत्र से, काल से, और भाव से। इनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) द्रव्य से अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक न रखना आर्य-कर्म, आर्य-वाणिज्य, आर्य-कला, आर्य-शिल्प से द्रव्योंउपार्जन करना, अधिक कर न लगाना, मामला (हाड़ा) अधिक न लगाना, रिश्वत न लेना, ब्लैक मार्कीट न करना, किसी पर भूठा दोषारोपण करके न लेना, हिंसा, भूठ चोरी का अवलबन लेकर द्रव्योपार्जन न करना, दुराचार करके द्रव्योपार्जन न करना, शोपण वृत्ति न रखना ‘द्रव्य-अपरिग्रह’ है।

(२) क्षेत्र से अपरिग्रह—किसी भी क्षेत्र मे, ग्राम, नगर, बन मे, किसी भी स्थान मे अन्याय और अनीति का अनुसरण न करना। जिस क्षेत्र मे रहे उसमे पूर्वोक्त नियमो का पालन करना ‘क्षेत्र-अपरिग्रह’ है।

(३) काल से अपरिग्रह—दिन, रात्रि, सप्ताह, मास, वर्ष, आयु पर्यन्त किसी भी घड़ी मे कितना ही सुनहरा अवसर अन्याय और अनीति से द्रव्योपार्जन का मिलता हो, उसे स्वीकार न करना ‘काल-अपरिग्रह’ है।

(४) भाव से अपरिग्रह—प्रकृति से भद्रता, सुकोमलता विनीतता, कषाय की मन्दता, प्रशस्त लेभ्या, शुभ अध्यवसाय, सन्तोष वृत्ति, ये सब ‘भाव-अपरिग्रह’ के भेद हैं।

यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ परायण न होकर सिर्फ राष्ट्र की उन्नति के लिए, ग्राम-नगर एव समाज सुधार के लिए, दीन-हीन की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, धर्म-रक्षा के हेतु द्रव्योपार्जन को इच्छा करता है, तदर्थ द्रव्य का सम्रह करता है। अपना तन-मन-धन सर्वस्व मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता के लिए वलिदान करता है, तो वह व्यक्ति भी अपरिग्रही है,

क्योंकि महापरिग्रही उक्त किया नहीं कर सकता ।

नैगम-नय

जो अपरिग्रह के स्वरूप को नहीं जानता है, न धारण ही करता है किन्तु पालता है, वह भी अपरिग्रही है । जानता नहीं, ग्रहण करता है और पालता भी है, वह भी अपरिग्रही है ।

संग्रह-नय

परिग्रह की सज्जा ही परिग्रह की जननी है । जिसमें परिग्रह सज्जा का बीज मात्र भी है, उसे अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता है । मनुष्य की जन्मजात अवस्था में परिग्रह सज्जा माता के दूध तक ही सीमित होती है । फिर शनैः-शनैः माता-पिता भाई, बहनों तक, फिर खिलौने से समवयस्क साथियों से खाने-पीने तथा पहनने की चीजों से विद्या से नम्बरों से डिविजन से रूपये पैसों से, स्त्री से, बच्चों से, व्यापार, से मित्र और रिश्तेदारों से उपकरणों से गाय भेंस हाथी घोड़ा ऊँट बकरी आदि पशुओं से, युग-प्रयोग आदि से परिग्रह सज्जा अपना धनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ देती है । अन्ततोगत्वा परिग्रह सज्जा सर्वलोक में व्यापक हो जाती है । ज्यो-ज्यो परिग्रह सज्जा बढ़ती जाएगी, त्यो-त्यों दुःख की मात्रा भी बढ़ती ही जाएगी । प्रस्तुत हुई परिग्रह सज्जा को मिथ्या-हृष्टि वस्तुत । नहीं समेट सकता है । सम्यक्त्व लाभ से परिग्रह सज्जा कम हो जाती है, और सम्यक्-ज्ञान से उसके स्वरूप को जाना जा सकता है ।

विवेक से तीन-रस से मन्द-रस कर दिया जाता है, सम्यक्त्व सम्यक्-ज्ञान और विवेक ; इन तीनों का क्रिया-काल और

निष्ठाकाल युगबत् ही होता है, क्रमण. नहीं। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व ग्राह्य होने से मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियाँ जड़-मूल से नष्ट हो जाती हैं, जिनको क्षय करने की फिर कभी आवश्यकता नहीं रहती। वे सात प्रकृतियाँ अनन्त समार वर्द्धक हैं, दुखों की परम्परा बढ़ाने वाली है। उन सात प्रकृतियों के क्षय होने से परिग्रह संज्ञा बहुत हो अल्प मात्रा में रह जाती है।

नैगम-नय की मात्यता है कि मिथ्या-टृष्णि भी अपरिग्रही हो सकता है। परन्तु सग्रहनय का कहना है कि जो परिग्रह के स्वरूप को जानता ही नहीं, वह अपरिग्रही नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिसके स्वरूप को जानता ही नहीं, वह चाहे धारण और पालन भी करे, फिर भी वह परलोक का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके स्वरूप को जानता ही नहीं। अत कहना चाहिए कि जो अपरिग्रह के स्वरूप को भली-भाँति जानता है, वह अपरिग्रही हो सकता है। वास्तविक न्याय-नीति का स्वरूप भी सम्यक्दर्शन पूर्वक सम्यक्ज्ञान से ही समझा जा सकता है, मिथ्या-ज्ञान से नहीं। मिथ्या-टृष्णि वस्तु के बाह्य अङ्ग को समझ सकता है, जान सकता है, किन्तु भीतरी अग को नहीं। जबकि सम्यक्टृष्णि बाह्य अग को तो जानता ही है, साथ ही उसके भीतरी अग को भी बहुत कुछ जान सकता है। जैसे पुस्तक के बाह्य अग को अनपढ़ भी जानते हैं और देखते हैं, परन्तु विशिष्ट विद्वान् उसके भीतरी अग को भी जानते हैं और देखते हैं।

(क) द्रव्यसे अपरिग्रह-अनासक्ति भाव से, न्याय-नीति से,

सन्तोष पूर्वक द्रव्योपार्जन करना, उदारता से देना 'अपरिग्रह' है।

(ख) क्षेत्र से अपरिग्रह—लोक का असत्यात्मा भाग मात्र ही अपने उपभोग में लाना, इससे अधिक नहीं।

(ग) काल से अपरिग्रह—सम्यक्त्व काल पर्यन्त।

(घ) भाव से अपरिग्रह—सम्यक्त्व के पाँच लक्षण हैं, जैसे—जम, सबेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और आस्तिक्य।

जब उक्त पाँचों में से किसी एक में भी सम्यक्त्वी का उपयोग सलग्न हो, तब वही परिणाम, वही अध्यवसाय 'अपरिग्रह' है। क्योंकि सम्यक्त्व अवस्था में मिथ्यात्म और अनन्तानुवन्धी कपाय चतुष्क; इन पाँच प्रकृतियों का बन्धन न होना ही 'अपरिग्रह' है।

क्षायिक सम्यक्त्व अवस्था में तो भावी काल में भी बन्ध नहीं होता।

सग्रह-नय का कहना है कि जो व्यक्ति अपरिग्रह का स्वरूप भली-भाति जानता है, ग्रहण नहीं करता, परन्तु पालने का अभ्यास करता है, वह भी कथचित् अपरिग्रही है। जो अपरिग्रह के स्वरूप को नहीं जानता उसका ग्रहण करना, और उसका पालन करना अवस्तु है। जैसे मिथ्या-हृष्टि का अपनाया हुआ अपरिग्रह आत्म-कल्याण में सहयोगी नहीं है, क्योंकि वह जानता नहीं है। अज्ञानी का किया हुआ कार्य अज्ञान वर्द्धक होता है, यह एक सिद्धान्त है।

व्यवहार-नय

जहाँ अपरिग्रह है—वहाँ सहानुभूति, अहिंसा, मैत्री, सत्य,

ईमानदारी और सदाचार है। जो अपनी इच्छाओं को सिर्फ आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है; अर्थात्—जिसने अपनी इच्छा और मूल्य (ममता) पर प्रतिवन्ध लगा दिया है, उसका गृहस्थ जीवन आदर्शमय, सन्तोषमय और सुखमय बनता है। आदर्श गृहस्थ अन्याय और अनीति से सम्पन्न द्रव्य को विष तुल्य समझता है। वह माया का गुलाम नहीं होता। उसका वल और शक्ति सहनशीलता एवं न्याय के लिए होती है, प्रभाव के लिए नहीं। उसका अध्ययन ज्ञान के लिए, धन-दान के लिए, शक्ति-रक्षा के लिए, और तप-निर्जरा के लिए होता है।

आदर्श गृहस्थ परिग्रह को परिमित रखता है। वह भी सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए, न कि लृणा पूर्ति के लिए। मर्यादा से उपरान्त धन, माल, मिलकत, राजपाट, सत्ता, अधिकार मिलने पर भी “लद्धे विपिट्टी कुव्वइ” इच्छा और ममत्व का त्याग करता है। वह ऐन्द्रियक भोग भोगते समय अनासक्ति, परमात्मा और मृत्यु का ध्यान रखता है। बोलते समय सत्य का विनाश न हो जाए, इस वात का ध्यान रखता है। सोते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, खाते-पीते समय यतना को नहीं भूलता, उसका अन्त करण सतत जागृत ही रहता है। जागृत की परिभाषा है—जो पापों से आत्मा को रक्षा करता है। जीता वही है, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ कर उसे सफल बनाता है। उसीको आदर्श गृहस्थ कहते हैं, जिसको जैन-परिभार्पा में ‘श्रमणो-पासक’ भी कहते हैं।

अपरिग्रह के बिना अहिंसा, सत्य, ईमानदारी और सदाचार अपाहिज है। वास्तव में अपरिग्रह त्याग-मूलक नहीं है, बल्कि अप्रहरण-मूलक है। अपरिग्रह का अर्थ ग्रहण करके त्याग या दान करना नहीं है, बल्कि ग्रहण न करना ही वास्तव में अपरिग्रह है।

स्थूलपरिग्रह विरमण-व्रत—ग्रहण-मूलक और त्याग-मूलक दोनों प्रकार का है। इसी को इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं।

(क) द्रव्य से अपरिग्रह—उपर्युक्त नव प्रकार के परिग्रह में से मर्यादा से उपरान्त सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होना 'अपरिग्रह' है।

(ख) क्षेत्र से अपरिग्रह—छह दिशाओं का परिमाण करना, दिशावकाशिक व्रत की आराधना करना भी 'अपरिग्रह' है।

(ग) काल से अपरिग्रह—दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, यावज्जीवन पर्यन्त।

(घ) भाव से अपरिग्रह—जितना प्रतिदिन त्याग किया जा सके, जितनी प्रतिदिन मर्यादित वस्तु को भी कम किया जा सके, इच्छा को कम करना, सग्रह-बुद्धि को घटाना, ममत्व-बुद्धि को कम करना 'जेममाइए मइ चयइ से चयइ ममाइयं'; अर्थात्—जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व को छोड़ सकता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क के सर्वथा क्षय करने से जो भाव पैदा होते हैं, वह 'अपरिग्रह' है।

'स्थूल' परिग्रह केवल निवृत्यात्मक 'ही नहीं है, बल्कि

प्रवृत्त्यात्मक भी है। त्याग और अग्रहण निवृत्त्यात्मक है, क्योंकि इसमें निवृत्ति की प्रधानता है। किन्तु इस प्रकार का दान देना प्रवृत्त्यात्मक अपरिग्रह। स्थूल अपरिग्रह धर्म की त्रिमूर्ति। इच्छा को परिमित से भी परिमित करते रहना।

इच्छा परिमित होते हुए भी अन्याय और अनीति से सग्रह न करना, धर्म से अपनो आजीविका चलाना “धर्मेण चेव वित्ति कप्पेमारणे विहरइ”, और न्याय-नीति से उपार्जित सम्पत्ति प्रवचन प्रभावना के लिए, चतुर्विधि श्री सघ की समुद्रति के लिए, सहायता पहुँचाने के लिए, श्रुत सेवा के लिए। परिग्रह के ऊपर से ममत्व घटा कर दान देना भी ‘अपरिग्रह’ है। परन्तु जो व्यक्ति मर्यादा उपरान्त परिग्रह का त्याग और अणु-व्रत धारण कर लेता है, वह यदि दान देता है तो उसका महत्व अधिक है, बनिस्बत उसके जोकि अधर्म से द्रव्य उपार्जित करता है और फिर दान करता है।

राजा प्रदेशी ‘जोकि पहले महारम्भी और महापरिग्रही था, सम्यक्-हृष्टि होने के पश्चात् बारह वर्त केशीकुमार श्रमण के समक्ष धारण किये और उन्हीं की साक्षी से अपनी रमणीकता को स्थिर रखने के लिए उसने अपने राज्य की आमदनी का चौथा हिस्सा दान के लिए निकाला। यह सत्य है राजा प्रदेशी के मन में दान देने के दो लक्ष्य थे—एक अनुकम्पा, और दूसरा प्रवचन प्रभावना। सम्यक्-हृष्टि के अन्दर पाँच लक्षण पाये जाते हैं—शम, सवेग, निवेद, अनुकम्पा, और आस्था। सम्यग्-हृष्टि में अनुकम्पा का होना स्वाभाविक है। सम्यक्-हृष्टि में अनुकम्पा कारण

रूप मे नहीं, बल्कि कार्य रूप मे परिणत हो जाती है। अनुकूल्या भाव से दान-शाला खोली, जिसमे दीन-हीन, अनाथ अपाहिज, रोगी, भूखे-प्यासे मुसाफर आदि सब की देख-रेख, रहन-सहन, औषधोपचार, विद्या-दान, खाने-पीने तथा रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया गया था। यह है अनुकूल्या का साकार रूप।

उसका दूसरा लक्ष्य था—प्रबन्धन प्रभावना का। जिससे जैनेतर जनता मे भी जिन-धर्म के प्रति श्रद्धा सम्मान बढ़े तथा लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि जब से राजा प्रदेशी श्रमणोपासक बना, तभी से दानवीर बना और गरीबों की देख भाल करने लगा। द्यावीर, दानवीर, और शान्त वीर बना, राजा का अनुकरण प्रजा ने भी किया। “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत चारितार्थ हुई। यह है श्रमणोपासक बनने का पहला दिग्दर्शन।

सनत्कुमार इन्द्र ने पूर्वभव मे चतुर्विध श्री सघ को सहायता पहुँचाई, वह उनका हितेषी था, उन्हे धर्म मे सुस्थिर किया, उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौच्छावर किया। वस्त्र-दान भोजन-दान औपधि-दान तथा विद्या-दान इत्यादि अनेक प्रकार से चतुर्विध श्री सघ को सहायता पहुँचाई। अनुकूल्या भाव से सहायता पहुँचाने का परिणाम यह निकला कि वह क्षायिक सम्यक्-दृष्टि, परित संसारी, सुलभ बोधि, आराधक और चरम शरीरी बना। यह है आध्यात्मिक क्षेत्र की सफलता, आगे चल कर वह चतुर्विध श्री सघ सेवक महद्विक-दीघयुज्क महासुखी, महाप्रतापी, महाप्रभावक, शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र, दोनों

इन्द्रो पर जिसका पूर्ण प्रभाव है, इत्यादि अनेक विशेषणों से सम्पन्न तीसरे देवलोक का इन्द्र बना। यह है पुण्यानुवन्धि पुण्य का फलादेश-जिसने क्रमगति पहले स्थूलप्राणातिपातविरण व्रत, स्थूल मृपावाद विरमणव्रत; स्थूल अदत्तादान विरमण-व्रत और स्वदारा सन्तोष-व्रत धारण कर लिए हों, तत्पश्चात् अपनी इच्छा को अनन्त पदार्थों से हटाकर मर्यादित कर लो है। आवश्यकता के अनुसार परिमित पदार्थों का सग्रह न्याय-नीति से करता है, उसके द्वारा दिया हुआ दान विशेष महत्व रखता है। वस्तुतः वही दान अपरिग्रह में सम्मिलित है, उसी को दूसरे शब्दों में त्याग भी कहते हैं। त्याग उसी वस्तु का हो सकता है, जिसके ऊपर से मूर्च्छाभाव हटा दिया हो। जो आशा रखकर दान दिया जाता है, वह त्याग नहीं गिना जाता। जो सिर्फ दान को ही अधिक महत्व देते हैं। त्याग और अग्रहण को उतना नहीं, जो अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। अपरिग्रहता के बिना केवल दान का महत्व वैसा ही है, जैसे किसी को वीमार बनाकर फिर उसके लिए औपधि का प्रबन्ध करना। त्याग व अग्रहण अपरिग्रह तो विल्कुल मूले कुठार करने वाला है और दान ऊपर से ही कोपले नोचने जैसा है। त्याग खाने-पीने की दबा है, और दान सिर पर लगाने की सोठ है। त्याग से पाप का मूल-धन चुकंता है, और दान से पाप का व्याज। त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है, और दान में नामवरी का लालच। त्याग का स्वभाव दयापूर्ण है, और दान का ममता पूर्ण। त्याग का निवास-वर्म के 'शिखर पर है, और दान

उसकी तलहटी पर । त्याग, संवर और निर्जरा का कारण है, और दान, पुण्य तथा निर्जरा का ।

जिस समय साधक यह समझ लेता है कि सब प्राणियों में आत्मा एक समान ही है, तब वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जिससे एके को दुख और दूसरे को सुख मिले । वह तो अपनो मुख शान्ति के लिए जितने उपकरणों को आवश्यकता होगा, उतने ही लेगा, शेष दूसरों के लिए छोड़ देगा । यह है व्यवहार-नय की हृषिट से अपरिग्रह को परिभाषा ।

ऋजुसूत्र-नय

छठे गुरु-स्थान में अपरिग्रह धर्म विद्यमान है । क्योंकि पॉचवाँ महान्नत है “सब्बाओ परिग्रहाओ वेरमण”, तीन् योग और तीन करण से सभी प्रकार से परिग्रह का परित्याग ही अपरिग्रह कहलाता है । जहाँ परिग्रह है, वहाँ अवश्य ही ममत्व भाव है । जहाँ ममत्व भाव है, वहाँ सभी प्रकार के पापों का समावेश है । जहाँ पाप है, वहाँ असंयम है । साधुता में असंयम का सर्वथा अभाव पाया जाता है, अत कहना चाहिए कि साधुता ही अपरिग्रह है । गृहस्थ धर्म में अपरिग्रह सर्वाङ्गीण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रमणोंपासक को भी परिग्रहिया किया लगती है । साधुता में परिग्रहिया किया नहीं लगती, एतदर्थ साधु अपरिग्रही हो सकता है, गृहस्थ नहीं । क्योंकि जब साधक साधुता अगोकार करता है, तब अपरिग्रह व्रत धारण

करते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि से अप्प वा बहुं वा, अणुं वा शूल वा चित्तमत वा अचित्तमत व नेवा सय परिग्रह परिगिण्हज्जा, नेवनेहिं परिग्रह परिगिण्हाविज्जा, परिगिण्हन्ते वि अन्ते न समणुज्जाणोज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि, न कारवेमि करन्तं पि अन्त न समणुज्जाणामि ॥ —१

'मै सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग करता हूँ।' वह परिग्रह इस प्रकार है—अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचेतन अथवा अचेतन। परिग्रह को न मै स्वयं ग्रहण करूँगा, न दूसरो से परिग्रह को ग्रहण कराऊँगा, और परिग्रह ग्रहण करने वाले दूसरो को भला भी न समझूँगा, आजीवन के लिए मन से, वचन से और काय से न स्वयं करूँगा न दूसरो से कराऊँगा और करते हुए दूसरो को भला भी नहीं समझूँगा ।

यहाँ परिग्रह से तात्पर्य है—क्षेत्र-वास्तु-हिरण्य-स्वर्ण-धन-धान्य-द्विपद-चतुष्पद-और कुप्य धातु । वह नव प्रकार का परिग्रह अल्पादि छह हिस्सो में विभक्त हुआ है । वह नव प्रकार का परिग्रह ही अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में, अथवा अल्प-सख्या में या बहुसख्या में होता ।

अणु और स्थूल का अर्थ है—वह नव प्रकार का परिग्रह मूल्य में अणु और महान्, अथवा परिमाण में अणु और महान्, अथवा वजन में अणु और महान्, अथवा सूक्ष्म रूप

और वादर रूप तयैव सचित्त और अचित्त, इस प्रकार का परिग्रह साधु न स्वयं रख सकता है, न दूसरों से रखवा सकता है। और न रखते हुए को भला ही समझता है। यह है साधु का अपरिग्रह धर्म।

द्रव्य से अपरिग्रह

चाँदी, सौना, रत्न, मणि, मोती, सीप, शंख, प्रवाल, लोहा, ताँबा, सीसा, कॉसी, पीतल, आदि धातुएँ, क्षेत्र-वास्तु, छत्र, कमण्डल, पगरखी पखा मेज कुर्सी सिहासन पाषाण चर्म सीग दास दासी प्रेषक, हाथी घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, आदि पशु, रथ, यान, विमान, पोत, गाड़ी, जहाज, वगैरा वस्त्र, सरकारी सिक्का नया पोस्टकार्ड, पोस्टेज लिफाफा टिकिट, नोट स्टाम्प आदि सभी द्रव्यों को जपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर दिया जाता है, वह अपरिग्रह है।

क्षेत्र से अपरिग्रह

ग्राम में, नगर में, या अरण्य में किसी भी स्थान विशेष में ममत्वपूर्ण अपना किसी भी प्रकार का अधिकार न जमाना; अर्थात्—ममत्व क्षेत्र से बाहर होना अपरिग्रह है।

काल से अपरिग्रह

प्रतिज्ञाबद्ध अमुक काल तक सयम निरपेक्ष न होना, अर्थात्—जीवन के अन्तिम क्षण तक एक भी क्षण-सयम निरपेक्ष न व्यतीत करना अपरिग्रह है।

भाव से अपरिग्रह

प्रत्याख्यानावरण कषायचतुर्ज के क्षय होने से जो आत्मा

में अध्यवसाय पैदा होते हैं। अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, दाग, द्वेष, मिथ्यात्म, वेद, अरति, रति, हास, ज्ञोक, भय, जुगुप्या, इन १४ प्रकार के आभ्यन्तरिक परिग्रह से रहित होना अपरिग्रह है।

सयम में उपयोगी, आवश्यकता-पूर्ति के लिए और सयत्

जीवन के निर्वाह के लिए ४२ दोष टालकर आहार, वस्त्र, पात्र, स्थान, आदि सेवन करना भी अपरिग्रह है।

इस नय की वृष्टि से १०० प्रकार का शिल्प सीखना, ७२ कलाएँ सीखना, गस्त्र-अस्त्र बनाने की विद्या और चलाने की विद्या सीखना, राजनीतिक, एवं व्यापारिक भाषाएँ सीखना, धन कमाने की विद्याएँ सीखना, खेती बाड़ी का काम सीखना, डाकटरी विद्या सीखना, सब परिग्रह हैं।

पद पाने के लिए, पारितोपिक के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, यश-कीर्ति के लिए, जो कुछ भी सीखा जाए, पढ़ा जाए, जप किया जाए, भक्ति की जाए, सेवा की जाए, मन्त्र-यन्त्र तत्र, डोरा, तावोज वगैरा मिठ्ठि किया जाए, वह सब परिग्रह है। जो साधु या साध्वी असयम में सहयोगी अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति, शिष्य जिष्या पर मूर्च्छा करते हैं, अपने अनुयायी वर्ग को धनाढ्य बनाने की चिन्ता, किसी के पास बनादि न होने पर चिन्ता करना, प्रसिद्धि की इच्छा करना, उपाधि प्राप्त करने के लिए अधिकारी या अनुयायियों द्वारा प्रयत्न कराना, लेख या पुस्तकें अपने नाम से दूसरों के द्वारा लिखाना, गृहस्थ के कार्यों में भाग लेना, गृहस्थों को अपने काम के लिए मेजना, बुलाना, बैठाना,

—उक्त क्रिया करने वाले साधु-साध्वी परिग्रही हैं।

ममत्व बुद्धि से रखा हुआ उपकरण भी सयम का उपकरण नहीं रहता, कह तो अधिकरण बन जाता है। अनर्थ का मूल कारण बन जाता है। वास्तव में अपरिग्रही वही साधु है, जो किसी पर मोह नहीं करता, किसी पर अपनापन का भाव नहीं लाता। खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, अपहरण हो जाने पर आर्त-ध्यान नहीं करता।

प्राणी को जिन ससारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे पदार्थ—शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श हैं।

प्राय प्रत्येक पदार्थ की इच्छा इन्द्रिय और मन की विषय-लोलुपता से ही होती है। अतएव इन पाँच इन्द्रियों के इष्ट विषयों पर राग न करना और अनिष्ट विषयों पर द्वेष न करना ही सयम है। क्योंकि ये विषय शान्ति के भेदक हैं, महाव्रत के भजक हैं, केवलि-भापित धर्म से भ्रष्ट करने वाले हैं, आत्म-बोध से दूर रखने वाले हैं, ससार में भटकाने वाले हैं, कर्म-बधक हैं, कषायों के जनक हैं, परिणाम में कटुक हैं, भव-रोग तथा पाप के वर्द्धक हैं।

इन्द्रियों का स्वभाव है अपने-अपने विषय को ग्रहण करना, परन्तु उनमें राग, द्वेष, मोह, एवं ममता करना पाप है। किसी भी इन्द्रिय को नष्ट करना, फोड़ना अज्ञानता है। यह है कृञ्जु-सूत्र नय की हृषि से परिग्रह और अपरिग्रह की परिभाषा।

शब्द-नय

अप्रमत्त गुण-स्थानों में विचरना, प्रशोस्ते ध्यान में तल्लीने

होना, आठ प्रवचन माता की आराधना करना, पूर्ण अर्हिसा
मय सत्यमय अचौर्यमय ब्रह्मचर्यमय एव जीवन को अपरिग्रह
कहते हैं। इस नय की मान्यता है कि जो प्रमत्त गुण-स्थान है,
उनमें विचरना परिग्रह है।

क्योंकि बाह्यपरिग्रह का कारण आभ्यन्तरिक परिग्रह है; आभ्यन्तरिक परिग्रह के निवृत्त हो जाने से बाह्य परिग्रह की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। ज्ञान ससार के बन्धनों से मुक्त करने वाला है, परन्तु यदि उसके कारण किंचित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। इसी प्रकार सयम और तप के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इस लोक के उद्देश्य से, परलोक के उद्देश्य से, यश-प्रतिष्ठा और श्लाघा के उद्देश्य से जो कुछ भी जुभ क्रिया की जाती है, वह सब परिग्रह है। अपने वचन का मोह करना, पक्ष-पात करना, हठ करना, सविभाग ठीक न करना, किसी पदवी को पाने के लिए आगमों का अध्ययन करना भी परिग्रह है। १८ प्रकार के पाप-स्थानकों से विरमण न करना भी परिग्रह है।

समभिरूढ़-नय

समस्त पापों से निवृत्त होना, साम्परायिक क्रिया का रुकना, हेय को छोड़ना, और उपादेय को ग्रहण करना, तप और सयम में विशुद्ध पराक्रम करना, क्षायिक भाव में रहना, देश-धाति और सर्व-धाति कर्मों से रहित होना, तेरहवे गुण-स्थान में प्रवेश करना, परम गुक्ल लेश्या में रहना, सर्वज्ञ सर्वदर्गी बनना, अपरिग्रह है।

आौपशमिक भाव मे रहना, क्षायोपशमिक भाव मे रहना आौदयिक भाव मे रहना, छद्मस्थ दशा मे रहना, साम्परायिक क्रिया मे रहना परिग्रह है ।

एवंभूत-नय

एवंभूत का सिद्धान्त है कि वास्तविक अपरिग्रह १४ वे गुण-स्थान मे होता है क्योकि वहाँ सवर और निर्जरा का पूर्ण विकास हो जाता है, अन्य किसी गुण-स्थान मे उनका पूर्ण विकास नहीं है । अतः कहना चाहिए कि १४ वाँ गुण-स्थान ही अपरिग्रह है ।

१३ वे गुण-स्थान से निर्वाण नहीं होता, क्योकि वहाँ आौदारिक शरीर, तैजस शरीर और वेदनीय आयु, नाम, गोत्र-ये चार कर्म शेष हैं । आगम मे शरीर और कर्मों को परिग्रह माना है इसलिए १३ वाँ गुण-स्थान अपरिग्रही अवश्य है, किन्तु पूर्ण अपरिग्रही नहीं ।

यंचसंवर का षट्-द्रव्यों मे वर्गीकरण

अर्हिसा का विषय छह द्रव्यों मे केवल जीवास्तिकाय तक ही सीमित है । सत्य का विषय सर्व द्रव्यो तथा उनकी सर्वपर्यायों मे विद्यमान हैं । जैसे भगवान् का ज्ञान सर्वव्यापक है, वैसे ही सत्य भी, इसी कारण जैनागमों मे सत्य को भगवान् कहा है । सत्य की आराधना के लिए सम्यक् श्रद्धा सम्यक् प्रस्तुपणा और सम्यक् पालना आवश्यक है, तभी जीवन सत्यमय बन सकता है, अन्यथा नहीं ।

अस्त्रेय का विषय ग्रहण और धारणा की अपेक्षा सभी

द्रव्यो मे देश-रूप से है, सर्व-रूप से नहीं; अर्थात्—व्याप्य रूप से है; और व्यापक रूप से नहीं।

ग्रहण का अर्थ होता है—खाने-पीने की वस्तु, पहनने-ओढ़ने की वस्तु, उठाने-रखने की वस्तु, प्रातिहार्य-वापिस करने की वस्तु, पढ़ने पढ़ाने की पुस्तक आदि सामग्री आदि ये वस्तुएँ दाता के द्वारा हर्ष पूर्वक दो हुई निर्दोष वस्तु हैं' जोकि समयम जीवन के लिए उपयोगी है, आवश्यकतानुसार सन्तोष से ग्रहण करना और उसे यतना से वरतना। तथा विनय पूर्वक श्रुत-ज्ञान ग्रहण करना भी अस्तेय व्रत है।

धारणा का अर्थ होता है—अचार्य-प्रवर तथा सद्गुरु की आज्ञा होने पर ही तप-जप करना, स्वाध्याय करना, सामायिक आदि पट् आवश्यक करना, सहधर्मी ग्लान आदि की वैयावृत्य करना, अध्ययन-अध्यापन सलेखना आदि करना, अर्थात् साधुता की प्रत्येक क्रिया आज्ञा से करना। महानिर्गत्यो ने जिन नियम-उपनियमो का पालन किया है, उन्हे आचरण मे लाना और जो अनाचीर्ण है, उनका आचरण न करना, आज्ञा लिए बगैर कोई भी क्रिया न करना।

जिन कवियों की कविताएँ, विचारको के विचार ज्ञानियों की शिक्षाएँ, आगमधरों की धारणाएँ ग्रहण की हों उनको सदैव आभार मानना धारणा अस्तेय-व्रत है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है—रूप और रूप-सहगत पुद्गलों मे अनासक्त होना।

रूप और रूप-सहगत पुद्गल क्या है?

इसका विवेचन निम्नोक्त है—

पुरुष की अपेक्षा से स्त्री और नपुंसक विजातीय है ।

स्त्री की अपेक्षा से पुरुष और नपुंसक विजातीय है ।

और नपुंसक को अपेक्षा से पुरुष तथा स्त्री विजातीय है ।

पुरुष-पुरुष परस्पर सजातीय है, और, स्त्री-स्त्री भी परस्पर सजातीय है ।

(१) विजातीय अन्तर्वर्ती आकर्षक अङ्गोपाङ्गों को रूप कहते हैं, और सजातीय अन्तर्वर्ती मनोमोहक अङ्गोपाङ्ग को रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(२) विजातीय लिंग को रूप कहते हैं, और उसके मह्योगी उद्दीपक सम्मत अवयव और वेप-भूपा को रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(३) विजातीय को रूप कहते हैं और जो वास्तविक रूप में विजातीय नहीं है, किन्तु वेप-भूपा से विजातीय प्रतीत होता हो, उसे रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(४) मैथुन के प्रधान अङ्ग को रूप कहते हैं और तत्सदृश आकार वाली अन्य सभी वस्तुएँ रूप सहगत पुद्गल हैं ।

(५) विजातीय को नेत्र और मन का विपय करना रूप कहलाता है, और विजातीय का चित्र देखना, विजातीय मूर्ति का आलिंगन करना रूप-सहगत पुद्गल है ।

उपर्युक्त सभी आकर्षकों से आत्यन्तिक निवृत्ति पाना ही त्रैव्यचर्य है ।

इसका विषय सभी द्रव्यों में देश-रूप से है, सर्व-रूप से नहीं ।

अपरिग्रह का विषय सर्वाङ्गीण है ।

जका—जीव और पुद्गल , इन दो द्रव्यों में ही परिग्रह समाविष्ट हो जाता है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल—ये चार द्रव्य अरूपी हैं, असूत भी हैं, और इनसे सर्वथा निवृत्ति भी नहीं हो सकती । फिर इनकी गणना परिग्रह में क्यों की गई ?

समाधान—जहाँ तक जीव और पुद्गल का सबध है, वहाँ तक उक्त चारों का सम्बन्ध नियमेन है, अर्थात्—जहाँ तक कर्मों के साथ सम्बन्ध है, वहाँ तक नियमेन छहों द्रव्यों के साथ सम्बन्ध है । जो आत्मा आठ प्रकार के कर्मों से रहित है, वे अपरिग्रही हैं । आत्म-भाव को छोड़कर शेष सभी द्रव्य-पर-भाव हैं । पर भाव-से सम्बन्ध विच्छेद करना ही वस्तुत अपरिग्रह है । अपरिग्रह आत्म-भाव है पर भाव नहीं । विभाव परिणति को परिग्रह कहते हैं, और स्वभाव परिणति को अपरिग्रह ।

आश्रव और वन्ध परिग्रह है । सवर, निर्जरा और मोक्ष अपरिग्रह है । अपरिग्रह का पूर्ण विकास १४ वे गुण-स्थान में ही होता है । वही अवस्था सादि अनन्त कहलाती है ।

